उत्तर प्रदेश में स्नातक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षा का विकास और समस्याओं का आलोचनात्मक अध्ययन

शोध - ग्रन्थ

पी-एच०डी० (शिक्षा)

हेतु प्रस्तुत

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय

झाँसी

2002

शोध निर्देशक :

डॉ० वी० पी० अग्रवाल

एम०ए० (अर्थ, इति.) एम०एड०

पी–एच०डी० (शिक्षा) डी.लिट (शिक्षा)

रीडर एम०एड० विभाग

ए०एन०डी०टी०टी० कालेज, सीतापुर

शोधकर्त्ता :

कृष्ण कुमार रिछारिया

एम०ए० (राज०)एम०एड०

स०अ०प्रा०वि० सिया चिरगांव

ब्लाक सन्दर्भदाता

चिरगांव झाँसी

डॉ० वी० पी० अग्रवाल
एम.ए. (अर्थ, इति.) एम.एड.
पी–एच०डी० (शिक्षा) डी.लिट (शिक्षा)

फोन : 44220 (निवास)
एस.टीडी. कोड : 05862

रीडर एम.एड. विभाग
ए.एन.डी.टी.टी (पो.ग्रे.) कालेज, सीतापुर (शिक्षा संकाय)
एस.एस.एम. कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर

ए– 71, पंचवटी आवास विकास कॉलोनी,
सीतापुर – 261001
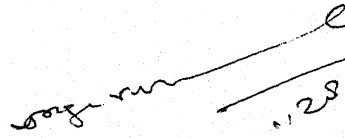
विषय विशेषज्ञ :
आर.डी.सी. (शिक्षा)
बुन्देलखण्ड वि.वि. झाँसी (उ०प्र०)

दिनांक : 28.12.02

प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री कृष्ण कुमार रिछारिया ने **"उत्तर प्रदेश में स्नातक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षा का विकास और समस्याओं का आलोचनात्मक अध्ययन"** विषय पर बुन्देखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी के शोध अध्यादेश के उल्लिखित निर्धारित अवधि तक उपस्थित रहकर मेरे निर्देशन में परिश्रम के साथ शोध कार्य पूर्ण किया है। इसकी विषय सामग्री मौलिक है। यह बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के पी–एच०डी० के सभी उपबन्धों की पूर्ति करता है । मैं संस्तुति करता हूँ कि यह इस योग्य हैं कि मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाए।

28/12/02

(डॅा० वी०पी० अग्रवाल)

घोषणा–पत्र

मैं शपथपूर्वक घोषित करता हूँ कि प्रस्तुत शोध ग्रन्थ जिसका शीर्षक **''उत्तर प्रदेश में स्नातक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षा का विकास और समस्याओं का आलोचनात्मक अध्ययन''** है, जो कि बुन्देखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी में, पी–एच0डी0 शोध हेतु प्रस्तुत किया गया है, मेरा मौलिक कार्य है तथा इसे पूर्व में कहीं अन्यत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । यदि बाद में इस तथ्य को कभी पाया गया तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

28-12-02

KK Richhariya

(कृष्ण कुमार रिछारिया)

शोधकर्त्ता

<u>आभार–स्वीकृति</u>

ईश्वर की असीम अनुकम्पा से ' शिक्षक शिक्षा ' जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस शोध प्रबन्ध के सृजन में अनेक विद्वानों, शिक्षाविदों तथा विषय विशेषज्ञों ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में प्रेरणा तथा सहयोग देकर मेरे इस कार्य को अभिसिंचित किया है। ऐसे व्यक्तिवों के प्रति कृतज्ञता तथा आभार अभिव्यक्ति आवश्यक ही वरन् अनिवार्य रूप से मेरा परम कर्तव्य है।

सर्व प्रथम में अपने शोध प्रबन्ध **''उत्तर प्रदेश में स्नातक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षा के विकास और समस्याओं का आलोचनात्मक अध्ययन''** के निर्देशक डॉ वी.पी.अग्रवाल एम.ए.एम.एड., पी–एच.डी., (शिक्षा), डी. लिट (शिक्षा), रीडर, एम.एड. विभाग, ए.एन.एम.एड., पी–एच.डी. (शिक्षा), डी लिट (शिक्षा), रीडर, एम.एड. विभाग, ए.एन.डी.टी.टी. कालेज, सीतापुर, का चिर ऋणी रहूँगा। आपकी प्रेरणा, विशद ज्ञान तथा विषय विशेषज्ञ के रूप में मार्गदर्शन के कारण ही यह शोध कार्य पूर्ण हो सका । यदि आपका इस दशा में सहयोग प्राप्त न होता तो मैं किंचित मात्र भी इस कार्य को पूर्ण करने मैं समर्थ न होता । मैं अर्न्तमन से अपने सुयोग्य तथा सहृदयी निर्देशक के प्रति कृतज्ञ हूँ , ऋणी हूँ जिन्होंने अपना बहूमूल्य समय मुझे प्रदान किया तथा पग–पग पर मेरा पथ – प्रदर्शन किया।

मैं डॉ0 श्रीमती राज अग्रबाल, प्रधानाचार्या, जी.जी.आई.सी., सीतापुर, का भी विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ जिनके अपूर्व सहयोग तथा प्रेरणा से इस शोध कार्य की प्रगति को दिशा मिलती रही । उन्होने अपना जो अमुल्य समय से शोधकार्य की पूर्णता हेतु प्रदान किया उसके लिये मैं हृदय से उनके प्रति आभार ज्ञापन करता हूँ ।

मैं पूज्नीय माताजी और पिताजी श्रीयुत श्री हरिद्धारी लाल जी रिछारिया (उ0प्र0 शासन के श्रेष्ठ अध्यापक पुरस्कार से विभूषित) के प्रति मैं आत्मिक श्रद्वा और सम्मान ज्ञापित कर उनके अतुलनीय सहयोग को छोटा नही करना चाहता हूँ । मेरी

सफलता के सदैव निमित बनते रहने वाले मेरे माता पिता ने मुझे पारिवारिक दायित्वो से पूर्णतः मुक्त रखकर मुझे शोध कार्य करने के अवसर प्रदान किये ।

मैं अपने चाचा डा0 कमलेश शर्मा एवं श्री ज्ञान् सागर रिछारिया को मैं इस अवसर पर कदापि नही भूल सकता हूँ। जिन्होने मेरे शोध कार्य में मेरा मार्गदर्शन कर मुझे सदैव उत्साहित कर लगनशीलता से कार्य करने के लिये प्रेरणा दी ।

मैं उन सभी विद्वानों सुधीजनों और सज्जनों के प्रति अपना सम्मान और साधूवाद ज्ञापित करता हूँ।

जिनकें प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग से यह शोध प्रबन्ध पूर्णतः प्राप्त कर प्रस्तुत कलेवर में आपके सम्मुख आ सका है।

अन्त में मैं शिक्षा जगत से जुड़े सभी अधिकारियों तथा समाज के उन सभी सम्मानित अभिभावकों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जिन्हांने इस शोध कार्य को पूर्ण करने में अपना सहयोग प्रदान किया है।

20.12.02

K.K. Richhariya

(कृष्ण कुमार रिछारिया)

विषय सूची

प्रथम अध्याय 1—134

प्रस्तावना

शिक्षक शिक्षा की वर्तमान दशा

अर्थ, अवधारणा एवं उद्द्वेश्य

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण के लिये सुझाव

माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव

भारतीय शिक्षा आयोग के सुझाव

शिक्षक शिक्षा के उद्द्वेश्य

स्वरूप एवं संगठन

स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षक शिक्षा का विकास एवं विस्तार

स्वतंत्रता के उपरान्त शिक्षक शिक्षा का विकास

पंचवर्षीय योजनाओं मे शिक्षक शिक्षा

अध्यापिकों के लिये गठित राष्ट्रीय आयोग की मुख्य सिफारिशें

भारत में शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम

मापन और मूल्यांकन

परीक्षा और मूल्यांकन में अन्तर

मूल्यांकन उपकरणो के प्रकार

10 + 2 + 3 तथा शिक्षक शिक्षा

शिक्षक शिक्षा के अभिकरण

शोध हेतु समस्या

शोध समस्या का परिभाषीकरण

उत्तर प्रदेश

शिक्षक शिक्षा

दशा और दिशा

शोध समस्या का परीसीमीकरण

शोध हेतु उदद्वेश्य

शोध अध्ययन की परिकल्पना

शोध में प्रयुक्त विधियाँ

प्रश्नावली

द्वितीय अध्याय 135 — 188

उ0प्र0 राज्य की भौगोलिक संरचना

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

जनसंख्यात्मक विवरण

तृतीय अध्याय 189 — 199

शोध से सम्बन्धित साहित्य एवं शोध कार्य की मौलिकता

प्रस्तुत शोध की तार्किकता तथा पूर्व शोधों से विभिन्नता

चतुर्थ अध्याय 200 — 265

पंचवर्षीय योजनाओ मे शिक्षक शिक्षा की शिक्षा का विकास

तृतीय

चतुर्थ

पंचम

षष्ठ

सप्तम

अष्टम

नवीं

पंचम अध्याय 266 – 322

शिक्षक प्रशिक्षणों का पाठ्यक्रम

बी0टी0सी0 ,

बी0एड0,

एम0एड0

षष्टम् अध्याय 323 – 332

आँकणो का विभेदीकरण

मूल्यांकन

सुझाव

अग्रिम शोध हेतु सुझाव

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची – 333 – 343

परिशिष्ट – 1 – 3

तालिका सूची

तालिका क्रमांक :- पेज नं०

तालिका क्रमांक		पेज नं०
1.	सन 1937 व 1947 में प्रशिक्षण महाविद्यालयों व विद्यालयी संस्थाओं की संख्या व खर्च	41
2.	सन् 1951–66 के मध्य प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत	51
3.	पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य शिक्षकों की संख्या	52
4.	शिक्षक शिक्षा का विस्तार	54
5.	प्रशिक्षण संस्थान तथा सम्बन्ध प्रशिक्षण संस्थायें उत्तर प्रदेश में शिक्षक शिक्षा का विस्तार	55
6.	प्रशिक्षण संस्थान तथा सम्बन्ध प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्र संख्या	56
7.	विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में खर्च का तुलनात्मक प्रारूप	60
8.	भारत में शाला अध्यापकों की वृद्वि 1950 – 51, 2000–2001	78
9.	भारत में शाला शिक्षकों की संख्या 1970–71, 2000–2001	78
10.	भारत में शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रवेश (स्नातक, स्नातकोत्तर)	79
11.	1971 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनपदवार जनसंख्या	156
12.	1981 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनपदवार जनसंख्या	164
13.	1991 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनपदवार जनसंख्या	171

14. 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनपदवार जनसंख्या 183

15. 1901 से 2001 तक का लिंगानुसार अनुपात 186

16. विभिन्न पाठ्यक्रमों के महाविद्यालयों की संख्या 206

17. उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की संख्या 231

18. उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा पर होने वाला व्यय और प्रतिशत कुल शिक्षा व्यय के सापेक्ष 239

19. शिक्षा के विभिन्न शीर्षको के लिए बजट 253

20. शिक्षा के लिए निर्दिष्ट 255

21. उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार की शिक्षा पर राजस्व व्यय 256

22. प्रश्नावली प्रपत्रो की वितरण तालिका 324

23. शिक्षकों, अभिभावकों तथा विद्यार्थियों के दृष्टिकोण की आवृत्ति (पक्ष में) 325

24. शिाकों, अभिभावकों तथा विद्यार्थियों के दृष्टिकोण की आवृत्ति (विपक्ष में) 326

प्रथम अध्याय

वर्तमान भारतीय समाज में शिक्षक शिक्षा को प्रायः लोग न तो पसन्द करते हैं और न इसे आदर की दृष्टि से देखते हैं । एक सड़क छाप आदमी भी उसकी आलोचना करने को तैयार रहता है भले ही वह शिक्षित हो या अशिक्षित । दूसरे व्यवसायों की स्थिति सर्वथा भिन्न है । उदाहरण के लिए एक डॉक्टर या इंजीनियर के कार्य की टीका – टिप्पणी करने का साहस साधारण व्यक्ति नही कर पाता है । बच्चे जो शिक्षकों के संरक्षण में होते हैं, समाज एवं राष्ट्र की धरोहर हैं । इस दृष्टि से जनता को यह अधिकार तो होना चाहिए कि वह शिक्षक शिक्षा किस प्रकार की दी जा रही है, जान सके किन्तु प्रशिक्षण क्षेत्र में उसका सीधा हस्तक्षेप उचित नहीं ठहराया जा सकता है। शिक्षण शिक्षा को इस प्रकार की परिस्थिति से ऊपर उठकर व्यावसायिक मान्यता प्राप्त करने हेतु कई प्रकार के शैक्षिक मूल्यांकनों मे खरा उतरना पड़ेगा। यह तभी संभव हो सकेगा जब वांछित परिवर्तनों के माध्यम से इसका कलेवर बदल दिया जाये । वर्तमान समय में शिक्षण शिक्षा को प्रभावी नहीं माना जा सकता। देखने में आता है कि शिक्षण प्रशिक्षक, छात्राध्यापकों के पाठों के निरीक्षण हेतु लम्बी यात्रायें करके विद्यालय पहुँचते हैं , समय तथा श्रम का व्यय करते हैं किन्तु वीडियो टेप के माध्यम से केन्द्र पर ही उनके पाठों की समालोचना करना नही पसन्द करते हैं। अधिकांश प्रशिक्षण कम्प्यूटर तथा अन्य शैक्षिक तकनीकि सहायता का विरोध करते देखे गये हैं। यही नही यद्यपि शिक्षक प्रशिक्षक व्यक्तिगत अधिगम के महत्व पर बल देते रहते हैं ,परंन्तु स्वयं लम्बी कथाओं मे लम्बे भाषण देने के आदी होते हैं।

शिक्षक शिक्षा की वर्तमान दशा

देश में शिक्षक शिक्षा की घोर आलोचना की जाती रही है, यद्यपि सही अर्थों में आवश्यक इकाई के रूप में, विधिवत एवं सम्पूर्ण मूल्यांकन इसका कभी भी नहीं किया गया, इसका प्रमुख कारण यह रहा है कि जो लोग देश की शिक्षा नीति के कर्णधार रहे, उन्होंने इसे कभी प्राथमिकता नहीं दी । संक्षेप में यह कहना उचित जान पड़ता है कि

भारत में शिक्षक शिक्षा बहुत ही उपेक्षित रही यद्यपि इसका सीधा सम्बन्ध शिक्षा की गुणवत्ता से होता है । वस्तुतः किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता अधिकांशतः शिक्षकें की गुणात्मकता पर भी निर्भर करती है । और यह भी सच है कि कोई भी शिक्षा प्रणाली अपने शिक्षकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ पाती है। अतः किसी भी देश में शिक्षक शिक्षा को वरीयता क्रम में उच्च स्थान देना उपयुक्त माना जाना चाहिए । देश की वांछित प्रगति के लिए शिक्षक शिक्षा में समुचित सुधार लाना आवश्यक होता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि किसी भी देश की शिक्षा का स्तर बहुत कुछ उस देश के शिक्षकों की कार्यकुशलता, योग्यता, निष्ठा एवं दृष्टि कोण पर निर्भर करता है।

यह बात सर्वमान्य है कि समस्याओं का समुचित समाधान वहीं निकाला जा सकता है जहां वह समस्यायें मौजूद होती हैं। वस्तुतः स्कूलों में ही प्रेरणा के अभाव में अध्यापकों को विभिन्न समस्याओं के साथ उभरते एवं जूझते देखा जा सकता है, अकुशल एवं अप्रशिक्षित अध्यापक की कठिनाइयों का सही – सही आंकलन किया जा सकता है । सामाजिक परिवर्तन का शैक्षिक वातावरण पर सीधा प्रभाव मापा जा सकता है एंव पाठ्यक्रम सुधार तथा निधानात्मक परिक्षण को सही अर्थो में लागू किया जा सकता है । अतः प्रशिक्षण महाविद्यालयों एंव विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों की चार दीवारी के अन्दर इन समस्याओं का समाधान खोजना समीचीन नहीं जान पड़ता है ।मेरे विचार से स्कूली वातावरण मे ही जहां समस्याओं के साथ छात्रों , अध्यापकों , प्रशासकों तथा अभिभावकों को अभियोजित होना पड़ता है, जहां वह इन्हें गहराई से समझ सकते है तथा अपने साधनों व सीमाओं का सही अनुमान लगा सकते हैं, वही समस्यासमाधानकी प्रविधियों के स्वतः सीखने का अवसर उन्हें प्रदान करना चाहिये।

मेरी यह मान्यता है कि वर्तमान काल मे प्रभावी शिक्षक की भूमिका का निर्वाह करना भूतकाल के किसी समय से अधिक चुनौती पूर्ण हो गया है। भूतकाल

की तुलना में आज का विद्यार्थी , शिक्षकों तथा विद्यालयों से अधिक अपेक्षायें करने लगा है,। शिक्षिकों को अपने ज्ञान , कौशल एवं संप्रेषण काल के मध्य से इनकी अपेक्षायें के स्तर तक उठना पड़ेगा अन्यथा उनका अस्तित्व ही खतरे मे पड़ सकता है।

शिक्षक शिक्षा में अमूल चूल परिवर्तन लाने की दृष्टि से विगत कुछ वर्षो मे जो प्रयास देश मे किये गये, वह सराहनीय है। भारत सरकार ने 1983 में शिक्षकों के लिये दो आयोगो की नियुक्ति की , जिनका कार्य शिक्षक–समुदाय से सम्वंधित विभिन्न आयामों पर सलाह देना था। पहले आयोग का कार्य क्षेत्र स्कूल शिक्षा से और दूसरे आयोग का उच्चतर शिक्षा से सम्वंधित था । इन आयोगों ने 1985 में अपनी अन्तिम रिपोर्ट पेश की थी । 1985 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने शिक्षा पर स्टेटस रिपोर्ट ' प्रस्तुत की थी जिसका शीर्षक था ' शिक्षा की चुनौती–नीति संबंधी परिप्रेक्ष ' । इस दस्तावेश का उद्देश्य शिक्षा नीति तथा यहां के विकल्पों से सम्वंधित विषयों पर व्यापक एवं गहन राष्ट्रीय परिचर्चा को उत्साहित करना था । मानव संशाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने ' राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986–एक प्रस्तुति ' नामक दस्तावेश को अंतिम मंजूरी मई 1986 में दे दी थी , इस प्रकार देश मे नयी शिक्षा नीति का निर्माण किया गया जिसमें शिक्षक शिक्षा भी सम्मिलित है।

परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य एक जटिल प्रक्रिया

वर्तमान वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के युग में शिक्षक शिक्षा को पीछे छोड़ना किसी भी स्थिति में, किसी भी देश के लिये हित कारी नही माना जायेगा। जहाँ वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के क्षेत्र में विश्व के विकास शील एवं विकसित देशों में एक होड़ सी चल रही हो, वहाँ शिक्षक शिक्षा को परम्परागत शैली में चलना न केवल हास्यास्पद होगा वरन् अनुपयुक्त भी । शिक्षा का दायित्य व्यक्ति एंव समाज को परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में तैयार करने का होता है। परिवर्तन अवश्यंभावी है और शिक्षा को बताना होगा कि लोग इसे किस प्रकार स्वीकार करें और परम्परागत मानसिकता

को दूर करते हुये किस प्रकार से इस गतिशील चिन्तन दें । इस प्रकार के विचार यूनेस्को द्वारा गठित अन्तर्राष्ट्रीय आयोग (1971) ने प्रतिपादित किया है जिन्हें इसकी रिपोर्ट लर्निग टू बी ' मे देखा जा सकता है।

वर्तमान जीवन तथा समाज दोनो ही काफी जटिल एंव संघर्षपूर्ण बन चुके हैं । पहले की तुलना में शिक्षक के दायित्य एवं कार्य अधिक क्लिष्ट एवं जटिल बन गये हैं तथा इनकी कठिनाई एवं जटिलता समय परिवर्तन के साथ – साथ बढ़ती जा रही है । आज के शिक्षक को वैज्ञानिक एवं तकनीकि विकास के प्रति जागरूक रहना आवश्यक हो गया है । अतः मानव को विकास की द्रुत गति से उत्पन्न सामाजिक , शैक्षिक , सांस्कृतिक एवं आर्थिक समस्याओं के निराकरण हेतु तैयार करना हो गया है। यहां यह बताना न्याय संगत होगा कि परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न सामाजिक , शैक्षिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का व्यापक प्रभाव तो शिक्षक पर पड़ता ही है किन्तु इसी के साथ –साथ मानवीय मूल्यों एवं आदर्शों के प्रति सजगता भी उसे बनाये रखनी पड़ती है। वर्तमान युग में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे – उद्योग, व्यापार राजनीति आदि में मानवीय पक्ष को अधिक महत्व एंव बल दिया जाने लगा है। इस दृष्टि कोंण से शिक्षा की बड़ी अहम भूमिका है।

वर्तमान में ज्ञान का विस्फोट हुआ है । ज्ञान बृद्धि की गति बहुत तेज हो चुकी है । ज्ञान भण्डार विभिन्न क्षेत्रों में इतनी तेजी से बढ़ रहा हैं। कि शिक्षक के सामने उसे प्राप्त करने की चुनौती सदैव बनी रहती है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रशिक्षण के दौरान प्रयुक्त विधियों तथा विषयवस्तु में समुचित परिवर्तन किए जायें ताकि प्रशिक्षणार्थियों को इस कठिनाई का सामना न करना पड़े । इस दृष्टि से प्रशिक्षण की अवधि को बढ़ाने की आवश्यकता वर्तमान समय में अधिक बलवती बन गई है।

वर्तमान में तीव्रगति से बढ़ रहे ज्ञान के साथ–साथ जनसंख्या भी द्रुत गति से बढ़ रही है । इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि भारत

की कुल जनसंख्या जो 1961 में 44 करोड़ थी, 1971 में 54.8 करोड़ तथा 1981 में 68.3 करोड़ की सीमा को लांघ चुकी है तथा 1991 में 85.6 और 2001 में 100 करोड़ से ऊपर की सीमा पार कर चुकी है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या का कुप्रभाव शिक्षा पर किस प्रकार पड़ा है, यह स्पष्ट दिखाई देता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय बने संबिधान में वर्णित धारा 45 जिसके अनुसार 14 वर्ष तक के सभी भारतीय बच्चों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा प्रावधान रखा गया था, उसके लक्ष्य की ओर हम बढ़ते रहे है, 1960 से 1970 फिर 1988 और अब लक्ष्य–पूर्ति का वर्ष 2005 बना दिया गया है। वस्तुतः संख्या के दबाब के कारण इस लक्ष्य को प्राप्त करना हमारे लिये अभी भी समस्या एक बनी हुई है। जनसंख्या बढाने से शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों एवं संसाधनों की माँग अधिक बढ़ गई है। वस्तुतः बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप शिक्षकों की संख्या एवं संसाधनों में बृद्धि नहीं की जा सकी है। जिसके फलस्वरूप शिक्षा के स्तर में गिरावट आ जाना स्वाभाविक है। इस दिशा में अधिकांश शिक्षाविदों का मत है कि शिक्षा में संख्यात्मक विकास के कारण, गुणात्मक विकास अवरूद्ध नहीं होना चाहिए ।

शिक्षा अपने में जटिल प्रक्रिया है और शिक्षक शिक्षा उससे भी जटिल प्रक्रिया मानी जानी चाहिए । 'स्टोन्स तथा मारिस' ने अपनी एक पुस्तक में स्पष्ट किया है कि दुनियां में मनुष्य का सीखना अत्यधिक जटिल वस्तुओं में से एक है, और मनुष्य को सिखलाना (जिसे हम प्रायः प्रशिक्षण मानते है।) उसी पैमाने पर असंख्य समस्याओं को समाहित किए हुए हैं अतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह व्यक्ति को जो शिक्षक शिक्षा में लगे हुए हैं उनका तथा उनके द्वारा प्रयुक्त विधियों की तीखी अलोचना देखने को मिले ।

शिक्षक शिक्षा की जटिलताएं सामान्यतः दो तत्वों पर आधारित हैं ।:–

प्रथम वह तत्व जिसपर शिक्षक का नियंत्रण रहता है, जिन में वह परिवर्तन ला सकता है। जैसे – प्रश्न पूछने की कला, विषय वस्तु का सीमांकन करना,

विचारों को श्रृंखला बद्ध करना, श्रव्य – दृश्य सामग्री का चयन आदि । दूसरे प्रकार के तत्व वह हैं। जिनपर उसका नियंत्रण नहीं रहता, जिनें में वह परिवर्तन नहीं ला सकता है जैसे – कक्षा में छात्रों की संख्या, कक्षा कक्ष का आकार, छात्रों की भौतिक विशेषतायें आदि। शिक्षा – प्रणाली ने इन विभिन्न तत्वों का अपना महत्व तो होता ही है साथ ही इन तत्वेां का आपसी सम्बन्ध भी शिक्षा की संख्यात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को प्रभावित करता रहता है । इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण की अवधि में अधिकाधिक व्यवहारिक अवसर इन तत्वों को समझने हेतु प्रदान करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए ।

व्यक्ति एवं समाज के लिए परिवर्तन अकाट्य एवं अवश्यभावी है। वस्तुतः उससे विमुख होना कायरता मात्र है । तीव्र गति हो रहे समाजिक परिर्वतन के परिपेक्ष्य में शैक्षिक उद्देश्यों में समुचित परिवर्तन लाना होगा ताकि विज्ञान एवं तकनीकि विकास को शिक्षा तन्त्र का आवश्यक अंग बनाया जा सके । संक्षेप में कहा जा सकता है कि परिवर्तन की चुनौती और भी गम्भीर तथा भयानक सिद्ध हो सकती है यदि हम इसके साथ अभियोजित होने को तैयार नहीं होते है। परिवर्तन की प्रक्रिया को भली–भाँति समझना होगा, इसके निःहितार्थों का पूर्व अभ्यास हमें प्राप्त करना होगा तभी व्यक्ति को वांछित ज्ञान एवं कौशल को प्राप्त करने में सहायता मिल सकेगी और वह नवीन वातावरण में अभियोजित हो सकेगा । व्यक्ति की नैसर्गिक एवं व्यकितगत भिन्नताओं का भर पूर उपयोग उस दिशा में करना उपयुक्त एवं न्याय संगत होगा । कुछ विचारकों ने परिवर्तन की भयावह स्थिति का तानाबाना बुनते हुए, विद्यालयों की भूमिका पर तीखा प्रहार किया है । इन में (इवान इलिच) का नाम सर्वोपरि है । विश्व में तीव्र गति से हो रहे परिवर्तन को तथा परंपरागत विद्यालयों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, औपचारिक विद्यालयों को समाप्त करने की बात धड़ल्ले के साथ उसने कही । औपचारिक स्कूलों के विकल्पों की खोज उसने प्रारम्भ की । उसने विद्यालयों

को विस्थापित करने अथवा अविद्यालयीकरण की जोरदार शब्दों में वकालत की है ।

इसी क्रम में एक अन्य विचारक 'एवरेट रीमर' के विचारों का इस स्थल पर उल्लेख करना उपयुक्त जान पड़ता है, चूंकि उनमें मौलिकता एवं एकरूपता दृष्टिगोचर है । रीमर ने शिक्षा प्रणाली में किसी प्रकार के सुधार की संकल्पना को ही सायं की दृष्टि से देखा है। उसका मानना है कि जब शिक्षार्थियों की संख्या बहुत हो, और साधन हों, तो शिक्षा नहीं दी जा सकती है। उसने प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक अनिवार्य स्वरूप देने की कटु आलोचना की है । उसका दावा है कि कोई भी देश अपने सभी बच्चों की समुचित शिक्षा व्यवस्था नहीं चला सकता है, चूंकि विधालयीय खर्च निरन्तर बढ रहा है । हमारे विधालय सभी बच्चों को शिक्षित करने हेतु सक्षम नहीं है। वह योग्यता के आधार पर बच्चों का चयन करते हैं किन्तु चयन प्रकिया की अवधारणा स्वाभाविक एवं कृत्रिम होती है । प्रायः देखा गया है कि विधालय उन तत्वों को अलग कर देते हैं जिन्हें जोड़ने का दायित्व उन पर होना चाहिए । उदाहरण के लिए विद्यालय अधिगम को कार्य तथा खेल से विलग करके प्रदान करने की चेष्टा की जाती है । अतः नियोजित शैक्षिक कार्यक्रमों को त्यागना होगा , व्यक्ति को सीखने की स्वतन्त्रता देनी होगी। मेरे विचार से इन स्वप्नों को साकार रूप में तभी देखा जा सकेगा जब शिक्षक शिक्षा में अविलम्ब सुधार लाने की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाये जायें ।

तीव्र गति से हो रहे परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में प्राचीन एवं परम्परागत जीवन के तौर –तरीकों को आधार बनाकर यदि हमने जीवन – यापन करना चाहा तो सम्भवतः निराशा ही हाथ लगेगी । प्रसिद्ध विचारक टाफलर ने यह स्पष्ट बताया है कि परिवर्तन की गति इतनी तेज हो सकती है। भविष्य इसका जबरदस्त धक्का हमें वास्तविता को स्वीकार करते हुए देखना होगा कि मानव जाति कितना परिवर्तन सहन कर सकती है, आत्मसात कर सकती है । भविष्य कैसा होगा , इसका पूर्वकथन किया जाने लगा है । यधपि यह कार्य काफी कठिन है जिस पर भी शिक्षाविदों ने भविष्य में क्या घटनाएं घट

सकतीं हैं । किन घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सकता है तथा अपने साधनों के परिप्रेक्ष्य में परिस्थितियों के विकल्प क्या हो सकते हैं। परिवर्तन के कारण भविष्य का शिक्षा जगत ,वर्तमान के शिक्षा जगत से सर्वथा भिन्न होगा और उसमें प्रभावपूर्ण अभियोजन प्राप्त करते हुए जीवन –यापन करना अपने में एक चुनौती होगी। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए । कितना दुर्भाग्यपूर्ण यह विषय है। कि वर्तमान में स्कूली पाठ्यक्रम भूतकाल से अधिक जुड़ा है। और उसमें भविष्य की शैक्षिक आवश्यकताओं का समावेश नगण्य है, मेरे विचार से भूतकाल तथा भविष्यकाल की शिक्षा – पद्धति को एक सीधी रेखा में रखना अपने को धोखे में डालना होता हैं। भविष्य की जनसंख्या एव उसकी संरचना में भीषण परिवर्तन की संभावना है।

वर्तमान की तुलना में जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग शहरों में बस सकता है। छात्रों की शैक्षिक प्रगति पर अध्यापकों का नियन्त्रण घट सकता हैं। महिलाओं का शिक्षा जगत में अधिक प्रवेश हो सकता है। सांस्कृतिक विपन्नता का प्रतिशत बढ़ सकता है । वातावरण को प्रदूषण से बचाना भविष्य की एक गम्भीर समस्या बन सकती है। कम्प्यूटर तथा स्वचालित मशीनों के कारण वर्तमान से शिक्षा – प्रणाली को गहरा धक्का लग सकता हैं। इस प्रकार के परिवर्तनों को देखते हुए शिक्षक के लिए यह काफी चुनौती पूर्ण कार्य होगा । कि सांस्कृतिक विरासत तथा परम्परागत तौर – तरीकों के स्वरूप को भविष्य में भी यथावत् बनाए रखें । संक्षेप में कहा जा सकता है। कि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में आमूल – चूल परिवर्तन लाने की द्रिशा में हमें कटिबद्ध होकर तैयार हो जाना चाहिए । यद्यपि कल के स्कूल का सही–सही चित्रांकन करना बड़ा कठिन कार्य है। जिस पर भी कुछ प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहीं हैं । जैसे भविष्य के विद्यालयों का केन्द्र बिन्दु व्यक्तिगत कार्यकलाप होगा न कि सामूहिक, स्कूल का अधिकांश स्थान प्रयोगशालाओं, व्यक्तिगत कार्यो के निष्पादन हेतु रहेगा और भाषण कक्षों ,

सभा–भवन आदि के लिए कम । स्कूल का बहुत बड़ा भाग अनुदेशात्मक संसाधन केन्द्र के रूप में विकसित होगा जहाँ विभिन्न उपयोगी उपकरण, तकनीकि उपकरण, पुस्तकों का सम्बधित भंडार आदि एक स्थान पर उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इन सभी के माध्यम से शिक्षक सुगमतापूर्वक नयी विधाओं के ताने– बाने बुनकर अधिगत को अधिक सुसंगठित करने की क्षमता प्राप्त कर सकेगा, ऐसी रखनी चाहिए।

शिक्षक शिक्षा एक जटिल प्रकिया है। भविष्य में इसकी जटिलता और भी बढ़ सकती है। अतः कहा जा सकता है कि भविष्य में शिक्षक को अधिक योग्य एवं कुशल प्रभावी भूमिका का निर्वाह करना होगा। शिक्षा, समाज कल्याण का प्रमुख साधन है। शिक्षा द्वारा मानवीय मूल्यों एवं आदर्शों को ध्यान में रखते हुए , शिक्षक शिक्षा को समुन्नत बनाना आवश्यक हो जाएगा।

अर्थ ,अवधारणा एवं उद्देश्य

अर्थ –साधारण बोलचाल की भाषा में शिक्षक शिक्षा' की तुलना में 'शिक्षक प्रशिक्षण' शब्द अधिक प्रचलित है यहां यह बताना उपयुक्त होगा कि शिक्षा शब्द अधिक व्यापक है प्रशिक्षण से । प्रायः व्यवहार परिवर्तन के उन सन्दर्भों में जहाँ बुद्धि का उपयोग कम होता है और कौशलों के सीखने का सम्बन्ध अधिक रहता है, वहां प्रशिक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे सर्कस में जानवरों को विविध कौशल सीखने का प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी भांति पहले शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी बात कही जाती थी । अब 'प्रशिक्षण' का स्थान 'शिक्षा' ने ले लिया है । वस्तुतः प्रशिक्षणार्थी अपनी बुद्धि, कल्पना, चिंतन, विवेक, निर्णय लेने की क्षमता आदि अनेक मानसिक शक्तियों का पूरा उपयोग अधिगम के क्षेत्र में करता है। अतः शिक्षा का सीधा सम्बन्ध सैद्धान्तिक पक्ष एवं ज्ञान के प्रतिपादन तथा विश्वास के परिवर्तन के साथ है और प्रशिक्षण शब्द पुराना है जिसका स्थान शिक्षा ने ले लिया है ।

अब प्रशिक्षण शब्द को अनुपयोगर मानते हैं और उसका उपयोग

जानवरों को कौतुक सिखाने में करते हैं । इस प्रकार उस स्थान को, जहां शिक्षकों को शिक्षा दी जाती है, अब शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय न कहकर शिक्षक शिक्षा संस्थान कहना पसन्द करते है। प्रशिक्षण के उपरान्त दी जाने वाली उपाधि को 'बैचलर ऑफ एजूकेशन (बी0 एड0) कहते हैं न कि 'बैचलर इन ट्रेनिंग ' (बी0 टी0) । जो प्रशिक्षण हेतु लिये जाते हैं। उन्हें 'ट्रेनी' अथवा 'प्यूपिल टीचर' अपेक्षा छात्राध्यापक (स्टूडेंट टीचर) कहना अधिक उपयुक्त माना जाता है। प्राचीन शब्द डिमान्सट्रेशन अथवा प्रेक्टिसिंग स्कूल के स्थान पर कोऑपरेटिंग स्कूल अर्थात् सहयोगी विधालय कहना उपयुक्त समझते हैं। इसी भांति अध्यापक या प्रधानाध्यापक जो छात्राध्यापकों की मदद करते हैं, उन्हें सहयोगी अध्यापक या प्रधानाध्यापक कहते हैं। इन नवीन शब्दों में यह बात स्पष्ट झलकती है कि शिक्षाविदों ने प्रत्येक शब्द को, जो शिक्षक शिक्षा से जुडा है,गहराई तक विवेक पूर्ण चिन्तन एवं मनन के बाद देने का प्रयास किया है।

शिक्षक शिक्षा का प्रमुख कार्य कुशल एवं प्रभावी शिक्षको को तैयार करना है। प्रभावी अध्यापक वह माना जाना है जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षार्थियों की प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। एक प्रभावी शिक्षक को अपना केन्द्र बिन्दु मानता है। वह केवल पढ़ाता ही नहीं वरन् स्वयं ही पढ़ता व सीखता है। "यह ध्रुव सत्य है कि एक दीपक दूसरे दीपक को कभी प्रज्जवलित नही कर सकता, जब तक कि वह अपनी बाती को लगातार जलाये न रखे । अधिगम शिक्षण के बिना हो सकता है। और क्षम्य है । किन्तु शिक्षण बिना अधिगम के वकवास है और किसी सीमा तक भ्रामक एवं घातक है वर्तमान में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रत्येक क्षेत्र में अधिक शिक्षकों की मांग हो रही है । यह भी मांग की जाती है कि प्रत्येक स्तर पर कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक ही नियुक्त किये जायें अतः शिक्षक शिक्षा संस्थानों का यह उत्तर दायित्व हो जाता है कि वह शिक्षकों की तैयारी के समय उन शील गुणों एवं कौशलों का विकास करे जिनके माध्यम से वह एक प्रभावी शिक्षक बन सके इन संस्थाओ का

यह दायित्व बनता है कि छात्राध्यापकों में उनगुणों का प्रावधिर्भाव करे जो उनमें नही है, और जो गुण उनमें से दबे पड़े है उनका पता लगाकर समुन्नयत बनाये यह सर्वविदित है कि योग्य कुशल एवं शिक्षक ही प्रशिक्षित वह धुरी है जिसके चारों ओर सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली घूमती रहती है। अतः शिक्षण शिक्षा संस्थानों की यह जिम्मेदारी है कि वह बिगड़ती हुई दशा का यह आंकलन समय–समय पर करें और शिक्षक शिक्षाओं को अधिक सार्थक, उपयोगी एवं प्रभावी बनाने हेतु निरंतर प्रयास करते रहें।

अवधारणा

प्रभावी शिक्षक की अवधारणा मे भी परिवर्तन हुआ है । छात्रों तक ज्ञान पहुंचाना ही उसका कार्य अव नहीं रहा है। अब उसे अधिगम हेतु निदेशक का कार्य करना पड़ता है । अधिगम को नियोजित करते हुये समुचित वातावरण बनाना होता है। समस्त संसाधनो का उपयोग करना होता है, संस्कृति एवं मूल्यों का संप्रेषण करना होता है , और छात्रों में अपेक्षित व्यवहार करने हेतु प्रयास करना होता है । अब शिक्षक सामाजिक परिवर्तन का प्रतिनिधि माना जाता है जो भविष्य के समाज का प्रेणता होता है । उसका कार्यअब केवल कक्षा तक ही सीमित नही रहता है , उसे समाज के रूपान्तण में प्रभावी भूमिका अदा करनी पडती है ।

शिक्षक शिक्षा के कई उपागम है। एक विचार धारा जिसका पहले वोलवाला था , कि शिक्षणकला व्यक्ति जन्म से ही लेकर आता है , इसे सिखाया नही जा सकता । इस जन्म जात योग्यता का उपयोग शिक्षण की प्रत्येक परिरिथति मे शिक्षक करता है, किन्तु इस विचार धारा को सत्य नहीं माना जा सकता है। सत्य तो यह है कि शिक्षण व्यवहार निश्चित होते हैं , और व्यक्ति की आयु योग्यता रूझान आदि से उनका निकट का सम्बन्ध होता है । शोध परिणामों से यह सिद्व किया जा चुका है । कि प्राणियों के सामान्य व्यवहार की भांति शिक्षण व्यवहार में भी अपेक्षित परिवर्तन लाना सम्भव होता है।दूसरी विचारधारा के अनुसार कुशल अध्यापक की नकल करने से अध्यापन कला

के नियम सीखे जा सकते हैं। कुशल अध्यापक वह माना जाएगा जिसके शील गुण कला, कौशल, दृष्टिकोण, मान्यताओं आदि को नमूने के तौर पर मानते हुए शिक्षार्थीगण निरीक्षण, अनुकरण एवं अभ्यास द्वारा अपने व्यक्तित्व में समाहित करने का प्रयास करते हैं। इस विचारधारा का एक बड़ा दोष यह है। कि इसमें छात्राध्यापक को दूसरे की शिक्षण शैली का अनुसरण करने को कहा जाता है। जबकि शिक्षण एक विशिष्ट वैयक्तिक कार्य होता है। इस विचारधारा पर चलने वाले छात्राध्यापक लीक से जरा हटकर शिक्षण कार्य करने में अपने को अक्षम पाते है। एक बड़ी कठिनाई यह भी सामने आती है। कि प्रचुर संख्या में इस प्रकार के कुशल शिक्षकों को व्यवसाय में पाना सरल कार्य नही होता हैं।

एक तीसरी विचारधारा भी हैं । इसके अनुसार कुशल शिक्षक का अनुसरण करने की अपेक्षा शिक्षण प्रतिमानों का अनुसरण करना श्रेयस्कर माना जाता है । पिछली दशाब्दी से लेकर आज तक शिक्षा जगत में विभिन्न प्रकार के प्रतिमानों का उदय हो चुका है। डेविस, फ्लैडर, स्मिथ, स्ट्रेसर, टाबा आदि शिक्षाविदों द्वारा प्रतिपादित प्रतिमानों का उपयोग शिक्षक अपनी सुविधानुसार कर सकता है। यह विचारधारा उन सभी शिक्षार्थियों को, जो शिक्षण कार्य में रूचि रखते है। उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के होते हुए भी, व्यवहारिक रूप से सहायता पहुँचती है। उपरोक्त विभिन्न प्रतिमानों की समुचित व्याख्या प्रस्तुत पुस्तक में अन्यत्र की गई है।

बहुत से लोग ज्ञान-प्राप्ति को ही शिक्षा मानते है। और शिक्षक को प्रशिक्षण के दौरान बच्चों के मस्तिष्क में विशेष विषयों से सम्बन्धित ज्ञान को ठूसने के लिए तैयार करना उपयुक्त मानते हैं। किन्तु सच तो यह हैं कि वर्तमान काल में शिक्षकों के कार्य एवं दायित्व पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ चुके हैं। आज उसे प्रभावी ढंग से शिक्षण के साथ -साथ शाला की विविध गतिविधियों में सक्रिय रूप से हाथ बढ़ाना पड़ता है। उसे विभिन्न प्रवृतियों, खेल-कूद, निर्देशन आदि में भाग लेने के अलावा

शाला –अभिलेख तैयार करने, श्रव्य – दृश्य सामग्री बनाने, शैक्षिक तकनीकि का उपयोग करने, शैक्षिक भ्रमण की व्यवस्था करने, नवीन मूल्यांकन विद्याओं का उपयोग करने आदि के लिए कार्य करना पड़ता है। शालाओं में कम्प्यूटर का प्रवेश भी उसके लिए नवीन ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करने का क्षेत्र बन गया है । अतः प्रशिक्षण संस्थानों को इन सभी क्षेत्रों में ज्ञान एवं दक्षता प्राप्त करने हेतु भरपूर अवसर उपलब्ध कराने होंगें। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वर्तमान में शिक्षक को ज्ञान का स्रोत ही नहीं वरन, अधिगम अनुभवों का व्यवस्थापक बनना पड़ेगा । यदि शिक्षा को राष्ट्ीय एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का अभिकरण माना जाता है तो उस दशा में शिक्षक शिक्षा के पाठ,यक्रम को बदलकर सार्थक बनाते हुए समाज की आवश्यकताओं के साथ जोडना पड़ेगा । शिक्षक शिक्षा के संगठन , विषयवस्तु एवं विधियों में व्यापक फेर –बदल करना होगा । शिक्षक शिक्षा के पुराने एवं परम्परागत तौर–तरीकों से इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। शिक्षकों में वांछित योंग्यता एवं कौशल की प्राप्ति के लिए, शैक्षिक प्रयोगों एंव नवाचारों को बढावा देना होगा । शिक्षक प्रशिक्षकों को समुचित शैक्षिक अवसर प्रदान करने होंगें ताकि वह सेवारत रहते हुए अपने ज्ञान , कौशल एवं दृष्टि कोण आदि में आदि में व्यापक परिवर्तन एवं सम्बर्धन ला सकें ।

उददेश्य

उददेश्य शब्द संस्कृत भाषा के उदिदष्य शब्द से बना है । जिसका अर्थ होता है किसी कार्य को दिशा या निर्देश देना । शिक्षण कार्य करने में जो हमारी मूल धारणा या प्रेरक तत्व होता है वह शिक्षा का उददेश्य है , क्योंकि उसी के माध्यम से शिक्षा के कार्य की प्रगति होती है , उसे दिशा मिलती है। कुछ अन्य शब्द जैसे ध्येय का अर्थ है जिसका ध्यान एवं लक्ष्य समानार्थी प्रतीत होती है । उसे दिशा मिलती है । कुछ अन्य शब्द जैसे ध्येय एवं लक्ष्य समानार्थी प्रतीत होते हैं । किन्तु उनमें भेद करना उचित होगा । ध्येय का अर्थ है। जिसका ध्यान दिया जा सकता हो, जो ध्यान

में रखने योग्य हो। ध्येय और उद्देश्य में अन्तर यह हैं कि ध्येय में हमारे विचार एवं भावना का स्थान गौण रहता है। और स्वंय उस कार्य, वस्तु या विषय का भाव प्रधान होता है, जिस पर हमारा मन केन्द्रित होता है। लक्ष्य शब्द का प्रयोग शिकार की प्रक्रिया में होता रहा है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है। जिस पर कोई चिन्ह या निशान हो । अत एंव लक्ष्य में दृष्टि की प्रधानता होती है। और ध्येय में ध्यान की। ध्येय में इतना अधिक नो निवेश नहीं होता जितना लक्ष्य में । उद्देश्य अन्तिम और चरम सीमा का द्योतक है । तो ध्येय और लक्ष्य उस तक पहुँचने के विश्राम–स्थल हैं। जिनको प्राप्त कर हम इच्छित दिशा की ओर बढ़ते हैं।

चूंकि किसी शैक्षिक कार्यक्रम की दिशा एवं अन्तिम लक्ष्य बहुधा उसके उद्देश्यों द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। अतः आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की सफलता हेतु वास्तविक एवं स्पष्ट उद्देश्यों को सुनिश्चित किया जाए। शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों का चयन बहुत कुछ वर्तमान शिक्षा प्रणाली और भावी शिक्षा योजना के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए । यद्यपि शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य विभिन्न स्तरो पर भिन्न–भिन्न होंगे (पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तर आदि) जिस पर भी इसकी संपूर्ण परिधि को दृष्टि में रखते हुए कुछ सामान्य उद्दश्यों को सुनिश्चित करने के पूर्ण यह तय करना होगा कि शिक्षक शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार के अध्यापक तैयार करने हैं? यहाँ शिक्षक किस प्रकार के ज्ञान एवं कौशल को प्राप्त करें ताकि वह दक्ष एंव प्रभावी बन सकें ? किस प्रकार के आदर्श, मूल्य एंव दृष्टिकोण उनमें विकसित करने हैं ? इन प्रश्नों के अन्य प्रश्नों का समाधान निकालने के पश्चात ही उद्देश्यों की विशद विवेचना करना संभव हो सकेगा।

भारत में समय–समय पर कई शिक्षा आयोग गठित किए गए। इनकी शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी प्रमुख अनुशंसाओं का संक्षिप्त वर्णन यहाँ प्रस्तुत करना समीचीन होगा।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग(1948–49) ने शिक्षक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिए हैं–

1. शिक्षक प्रशिक्षण के कार्यक्रम को पुनर्गठित किया जाना चाहिए।
2. शिक्षक प्रशिक्षण के कार्यक्रम में पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अधिकांश समय शालाओं में अध्यापन अभ्यास हेतु लगाया जाना चाहिए ।
3. छात्राध्यापकों को शालाओं के अभिनव परिवर्तनों एवं प्रगतिशील कार्यक्रमों के अध्ययन का अधिक अवसर देना चाहिए। उनके कार्य का मूल्यांकन करते समय उनकी अध्यापन सफलता पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
4. सैद्धान्तिक विषयों का अध्ययन स्थानीय दशाओं के आधार पर किया जाना चाहिए।
5. प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को शाला में पढ़ने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए एम0 एड0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जायें तथा उनमें प्रवेश उन शिक्षकों को दिया जाए जिन्हें अध्यापन अनुभव हो।
6. प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों द्वारा अनुसंधान कार्य अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) में शिक्षक प्रशिक्षण सुधार हेतु निम्न प्रस्ताव देखने को मिलते हैं–

1. माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए दो प्रकार के पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाने चाहिए। –

   (क) उनके लिए जो उच्च माध्यमिक शिक्षा के उपरांत अध्यापक बनना चाहते हैं, प्रशिक्षण अवधि 2 बर्ष की होगी ।

   (ख) उनके लिए जो स्नातक हैं, प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष की होगी।
2. प्रशिक्षण संस्थाओं में समय–समय पर अभिनवन पाठ्क्रमों, विषय आधारित लघु गहन पाठ्यक्रमों तथा कार्यशाला द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की

जानी चाहिए । शिक्षिकाओं के अभाव की पूर्ति के अंशकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

3. प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण के दौरान कोई शुल्क नहीं लेना चाहिए । उन्हें राज्य की ओर से छात्रवृत्तियां तथा छात्रावास की सुविधा दी जानी चाहिए।

4. छात्राध्यापकों को एक या उससे अधिक पाठ्यक्रम सहगामी कियाओं में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ।

5. जो अध्यापक विद्यालयों में सेवारत हो, उन्है प्रशिक्षण काल में पूरे वेतन पर अवकाश देना उपयुक्त होगा ।

6. प्रशिक्षित अध्यापकों के लिए एम0 एड0 पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था की जाए । शिक्षक शिक्षा में शोध कार्य को बढ़ावा देना चाहिए ।

7. स्नातकों की प्रशिक्षण संस्थाएं विश्वविद्यालयों के शासन–प्रबन्ध में होनी चाहिए।

8. प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों, प्रधानाचार्यो तथा जिला विद्यालय निरीक्षकों के बीच स्वतन्त्र विचार विमर्श होना चाहिए ।

भारतीय शिक्षा आयोग (1964–66) ने शिक्षक शिक्षा के उन्नयन हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत किए हैं –

1. प्रशिक्षणार्थियों की तैयारी विविध उत्तरदायित्व को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए ।

2. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार बनाया जाए कि इसका शिक्षक के दायित्वों, परिस्थितियों एंव समस्याओं से सीधा बना रहे ।

3. प्रशिक्षण द्वारा शिक्षार्थियों में वह क्षमता विकसित करनी चाहिए जिससे वह सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, एंव औद्योगिक शक्ति के उस स्वरूप को समझ सकें जो परिवर्तन से उत्पन्न होगी ।

4. छात्राध्यापकों को कम से कम 8 सप्ताह का निरन्तर अध्यापन अभ्यास का

अवसर देना चाहिए और वह भी वास्तविक शाला के वातावरण में ।

आयोग ने इस बात पर बल दिया है कि शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम में नवीनता होनी चाहिए और उसकी आयोजना इस प्रकार से की जाए ताकि शिक्षक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में अपना योगदान सफलतापूर्वक दे सकें।

सामान्य उद्देश्य

शिक्षक की तैयारी केवल विद्यालय की समस्याओं तक ही सीमित नही होनी चाहिए, उसे राष्ट्रीय विकास तथा समुदाय की आवश्यकताओं के साथ जोड़ना उपयुक्त होगा । शिक्षण का दायित्व शिक्षार्थी का चहुंमुखी विकास करना होता है। और उस विश्वास को जगाना होता है। जो उसे धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्रात्मक एंव सामाजिक मान्यताओं की ओर ले जा सके । अतः शिक्षक को पहले स्वयं इन मूल्यों एंव आस्थाओं को सीखना आवश्यक हो जाता हैं, शिक्षक समुचित ज्ञान, कौशल एंव दृष्टिकोण को प्राप्त करने के साथ-साथ शिक्षा कें माध्यम से वांछित व्यवहार परिवर्तन लाने की प्रभावी भूमिका का निर्वाह भी करता है। उपरोक्त भूमिका को आधार बनाते हुए शिक्षक शिक्षा के कुछ सामान्य उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते है । राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजूकेशन) ने इस दिशा में कुद ठोस सुझाव दिये हैं, जिन्हें शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम – एक रूपरेखा (टीचर एजूकेशन करीकुलम–ए फ्रेमवर्क) नामक पुस्तिका में 1978 प्रकाशित किया गया हैं । इसके अनुसार निम्न सामान्य उद्देश्य प्रस्तुत किये गए हैं–

1. गाँधीवादी मूल्यों – यथा सत्य , अंहिंसा , स्वविश्वास , स्वअनुशासन , श्रम का आदर आदि का शिक्षा मे विकास करना
2. समुदाय में सामाजिक परिवर्तन के कार्यकर्ता के रूप मे अपनी भूमिका समझाना
3. अपनी भूमिका को छात्रों के नेतृत्व मात्र के रूप में न मानते हुये समुदाय के पथ–प्रर्दशन एंव निर्देशन के रूप मे समझना ।

4. समुदाय तथा विद्यालय के बीच सम्पर्क सूत्र स्थापित करना तथा सामुदायिक जीवन एंव संसाधनों को विद्यालय के कार्य के साथ समन्वित करने हेतु समुचित तौर तरीको का उपयोग करना ।

5. वातावरणीय संसाधनों का न केवल प्रयोग करना वरन उनकी परिरक्षा करना तथा ऐतिहासिक यादगारों एंव सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना।

6. बढ़ते हुये बच्चों के एंव उनकी अकादमिक , सामाजिक , सांवेगिक तथा व्यक्तिगत समस्याओ के प्रति उपयुक्त दृष्टिकोण रखना तथा वह कोशल प्राप्त करना जिससे उन्हें समुचित निर्देशन दिया जा सके।

7. भारतीय परिप्रेक्ष्य में शालीय शिक्षा के उददेश्य को भलीभांति समझना और प्रजातांत्रिक, सामाजिक एंव धर्म निरपेक्ष लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शाला की भूमिका को समझना ।

8. शिक्षक के संक्षरण के जो बच्चे हों , उनकी रूचि , प्रवृति एंव कौशल आदि को समझना ताकि उनका चहुंमुखी विकास किया जा सके ।

9. शिक्षण एंव अधिगम के नियमों के अनुरूप अध्यापन क्षमता का विकास कराना ।

10. संप्रेषण एवं मनोदैहिक कौशल एंव योग्यताओं का उपयोग मानवीय सम्बन्धो को बनाने में करना ताकि बच्चों में कक्षा के बाहर अधिगम स्तर को बढाया जा सके ।

11. विषय वस्तु का आधुनिक ज्ञान प्राप्त करना तथा उस विषय वस्तु से सम्बन्धित शिक्षण की नवीनतम विधाओं से परिचित होना।

12. क्रियात्मक अनु संधान एवं शोध अध्यनों को हाथ में लेना ।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षक शिक्षा का उददेश्य

पूर्व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी के लिए अपेक्षित है–

1. शिशु–शिक्षा के विषय में सैदान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना ।
2. शिशुओं के विशिष्ट पर्यावरण के सन्दर्भ में उनके विकास एवं वृद्धि के प्रमुख सिद्धान्तों को समझने की क्षमता विकसित करना
3. भारत की ग्रामीण नगरीय तथा औधोगिक परिस्थितियों के अनुरूप छोटे बालकों की शिक्षा में इन बोध – क्षमताओं ज्ञान को लागू कर सके ।
4. कौशल, बोध , अभिरूचि एवं अभिवृति आदि विकसित होना ताकि वह शिशुओ के सर्वागीण विकास को पोषित कर सकें ।
5. प्रत्येक वातावरण का निर्माण कर शिशुओं के शारीरिक एवं संवेगात्क स्वास्थ्य की देखमाल कर सकने का कौशल विकसित होना।
6. कहानी कहना, परिस्थितियों को समझाना आदि सम्प्रेषण के कौशल विकसित होना ।
7. संगीतात्मक, लयात्मक तथा अभिनयात्मक गतिविधियों, नाटक, कार्यानुभव, मौलिक कला एवं खेल आदि का संचालन करके विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभवों को प्रदान करने की योग्यता एवं कुशलता होना ।
8. निरर्थक एवं उपलब्ध वस्तुओं से सरल श्रव्य –दृश्य सहायक सामग्री विकसित करने का कौशल होना ।
9. बच्चों के घरेलू वातावरण को समझ सकना एवं पारस्परिक लाभ के लिए घर और विधालय में मित्रवत् संबंध विकसित करना।
10. समाज को वदलने में विधालय में एवं शिक्षक की भूमिका को समझ सकना ।

प्राथमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा के उददेश्य

चूंकि प्राथमिक शिक्षा के उददेश्य, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उददेश्यों से भिन्न है अतःस्वाभामिक है कि इसका प्रशिक्षण कार्यक्रम भी पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण से भिन्न होना चाहिए , फिर भी शिशु मनोविज्ञान , खेल – विधि द्वारा शिक्षण आदि पूर्व प्राथमिक शिक्षण शिक्षण शिक्षा के कतिपय तत्वों को प्राथमिक शिक्षण शिक्षा कार्यक्रम में समाहित करना आवश्यक है । प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी के लिए अपेक्षित है–

1. प्रथम तथा द्वितीय भाषा में , गणित एवं पर्यावरणीय अध्ययन भाग एक व भाग दो से सम्बन्धित प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान विषयों में पूर्ण निपुण होना।
2. उपर्युक्त विषयों का औपचारिक परिस्थितियों में शिक्षण करने हेतु अधिगम अनुभवो को पहचानने , चयन करने तथा संगठित करने के कौशल विकसित होना ।
3. स्वास्थ्य, शारीरिक और मनोरंजन गतिविधियो, कार्यानुभव , कला और संगीत आदि का पर्याप्त सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान होना एवं इन गतिविधियों को संचालित करने की कुशलता होना।
4. 6 से 14 तक आयु वर्ग के बच्चों की वृद्धि एवं विकास के मूलभूत मनोविज्ञान सिद्धान्तों का बोध विकसित होना।
5. बाल शिक्षा का सर्वागीण शिक्षण सहित सैद्धान्तिक एंव व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना ।
6. बोधात्मक, मनोगति एंव अभिवृत्यात्मक अधिगमों को विकसित करने हेतु प्रमुख अधिगम सिद्धान्तों को समझने की क्षमता विकसित होना ।
7. बालक का व्यक्तित्व निर्मित करने में घर, कुलीन वर्ग तथा समुदाय की भूमिका को समझना एंव घर व विद्यालय में पारस्परिक लाभ के लिए आत्मीयतापूर्ण सम्बन्ध विकसित करने के लिए सहायता देना।
8. सरल कियात्मक अनुसंधान का संचालन करना ।
9. समाज बदलने में शिक्षक एंव विद्यालय की भूमिका समझना ।

माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के उद्देश्य

1. विद्यालय की नयी पाठ्यचर्या के सन्दर्भ में शिक्षण और अधिगम के स्वीकृत सिद्धान्तों के आधार पर अपने विशिष्टीकरण वाले विषयों के पढ़ाने में निपुण होना ।
2. कौशल, बोध, अभिरूचि तथा अभिवृत्ति विकसित होना ताकि वह अपने अन्तर्गत बालकों की सर्वागीण वृद्धि एंव विकास को पोषित कर सके ।
3. स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा, खेल व मनोरंजक गतिविधियों एंव कार्यानुभव का पर्याप्त सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान होना
4. उपयुर्क्त सामान्य एंव विशिष्ट विषयों के शिक्षण हेतु अधिगम अनुभवों को पहचाने, चयन करने, नयी दिशा देने तथा संगठित करने के कौशल को विकसित करना ।
5. वृद्धि एंव विकास, वैयक्तिक विभिन्नताएँ व समानताएं तथा बोधात्मक, मनोगति और अभिवृत्यात्मक अधिगमों के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों को समझने की क्षमता विकसित होना ।
6. बालको की व्यक्तिगत तथा साथ ही अध्ययन सम्बन्धी समस्याओ के समाधान हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने के कौशल विकसित होना ।
7. बालक का व्यक्तित्व निर्मित करने में घर , कुलीन वर्ग तथा समुदाय की भूमिका को समझना एवं घर व विधालय में दोनो के लिए आत्मीयता पूर्ण सम्बन्ध विकसित करने हेतु सहायता प्रदान करना ।
8. समाज को बदलने में विधालय की भूमिका समझना ।
9. अनुसंधानात्मक प्रयोजन एवं कियात्मक अनुसंधान को सम्पादित करना।

कालेज स्तर पर (+२ के लिए) शिक्षक शिक्षा के उददेश्य ।

1. अधिगम एवं शिक्षण के मान्य सिद्धान्तों के आधार पर अपने विशिष्टी – करण वाले विषय को पढ़ाने हेतु निपुणता विकसित करने के साथ ही विषय और शिक्षण विधियों से सम्बन्धित नवीनतम ज्ञान व विकास से परिचित रहना ।

2. भारतीय पृष्ठभूमि के अन्तर्गत सामान्य रूप में शिक्षा और विशिष्ट रूप में उच्च शिक्षा के उददेश्य एवं लक्ष्य का विकसित करना, एक प्रजातांत्रिक धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी समाज का निर्माण करने में शिक्षा एवं शिक्षक की भूमिका के प्रति जागरूकता विकसित होना ।
3. अध्ययनात्मक तथा / अथवा व्यावसायिक विषयों के शिक्षण हेतु उपयुक्त अधिगम अनुभवों के द्वारा बोधात्मक एवं मनोगति आदि कौशल विकसित होना ।
4. अध्ययन सम्बन्धी तथा/ अथवा व्यावसायिक विषयों के शिक्षण में शैक्षिक तकनीकी का उपयोग करने के कौशल विकसित होना।
5. किशोरावस्था के बालको की मानसिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को और उनके पूर्ण न होने से उत्पन्न समस्याओं को समझना । किशोरों की व्यक्तिगत एवं अध्ययन समस्याओं को सुलझाने में उनको मार्गदशर्न व परामर्श प्रदान करने का कौशल विकसित होना।
6. शिक्षा एवं विशेष योग्यता के विषय से सम्बन्धित क्षेत्रों में क्रियात्मक अनुसंधान प्रायोगिक एवं शोधपूर्ण प्रायोजनाओं में प्रवृत होना।
7. समाज को परिवर्तित करने में विधालय एवं शिक्षक की भूमिका के समझना ।

उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षक शिक्षा के उददेश्य विभिन्न स्तरो पर भिन्न–भिन्न होते है। किन्तु कुछ समान्य उददेश्य भी बनाये जा सकते है, जो सभी स्तर की शिक्षक शिक्षा पर लागू होते है। यहां यह भी स्पष्ट करना उपर्युक्त होगा कि इन उददेश्यों का निर्धारण शिक्षा संस्थाओं की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए । शिक्षक शिक्षा के उददेश्य समाज में हो रहे परिवर्तनों, सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शो वैज्ञानिक एवं तकनीकि विकास तथा शिक्षा संस्थाओ की मागों को ध्यान मे रखकर निश्चित करने चाहिए। शिक्षक शिक्षा के उददेश्य एक ओर परम्परागत मूल्यो और वर्तमान आवश्यकताओं पर आधारित होते है तो दूसरी ओर समाज की भावी आवश्यकताओं और मांगो पर । इस दृष्टिकोण से प्रशिक्षण संस्थाओ की भूमिका वहुत महत्वपूर्ण होती है।

स्वरूप एवं सगंठन

शिक्षक शिक्षा के स्वरूप एवं संगठन के क्षेत्र में विभिन्न प्रान्तों, विश्व विधालयों तथा प्रशिक्षण संस्थाओ में भिन्नता पायी जाती है। वस्तुतः इनमे एक रूपता बहुत कम दीखती हैं। यही नही, यदि तनिक ध्यान दिया जाए तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि केवल शिक्षक शिक्षा के पाठ्य क्रम एवं मूल्याकंन में ही भिन्नता नहीं है, वरन् प्रशिक्षण संस्थाओ के संगठन, प्रबन्ध, प्रशासन आदि में भी है । किसी प्रान्त में अधिकांश प्रशिक्षण संस्थाए व्यक्तिगत प्रयासो पर गैर सरकारी रूप सरकारी रूप में चल रही है,तो किसी प्रान्त में सरकारी संस्थाओ की बहुलता है। ऐसा भी देखने में अधिकाश प्रशिक्षण संस्थाए व्यक्तिगत प्रयासो पर गैर सरकारी रूप में चल रही है, तो किसी प्रान्त में सरकारी व्यवस्थाओ की बहुलता है, ऐसा भी देखने में कि शिक्षक के चयन की प्रक्रिया विभिन्न प्रान्तीय सरकार विश्वविधालयों एवं प्रशिक्षण संस्थाओ द्वारा अपनी सुविधानुसार बना ली जाती है। शिक्षक शिक्षा के विभिन्न स्तरो – जैसे शाला – पूर्व, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं कॉलेज एवं परास्नातक के बीच दीवारे बन गई हैं । इन दीवारों को तोड़कर समग्र शिक्षक शिक्षा में तारतम्यता एवं एकरूपता लाने को प्रयास करना आवश्यक हो गया है । इनके पृथकीकरण को समाप्त करना होगा। इस दिशा में एक मूल कोर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है जो सभी स्तरो के पाठक्रमो में समान रूप से लागू हो सके, इसमें प्रशिक्षण की वह सामान्य विधाए रखी जा सकती है , जिनका उपयोग प्रत्येक स्तर पर किया जा सकता है।

पूर्वशाला स्तरीय शिक्षक शिक्षा

यधपि पूर्वशाला शिक्षा को राज्य का विषय अभी तक नही माना गया है जिस पर भी इसकी आवश्यकता को नकारा नही जा सकता है। यह सर्व – विदित है कि प्रत्येक राज्य के शहरो क्षेत्रों में बहुत बडी संख्या में नर्सरी , मॉडल अथवा पब्लिक स्कूलों के नाम पर हजारो बोर्ड देखे जा सकते है । इनको देखते हुए ,इस स्तर

के शिक्षको के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना उचित तो प्रतीत होता है, किन्तु वर्तमान संसाधनो एवं सीमाओं के परिप्रेक्ष्य मे यह सम्भव नही हो पा रहा है । फिलहाल प्राथमिक स्तरीय शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम में ही पूर्व शाला स्तरीय शिक्षको के लिए वैकल्पिक अथवा अतिरिक्त विषय के रूप में शिक्षा देना श्रेयकर प्रतीत होता है। कुछ विशेंष प्रविधियां जो पूर्व शाला बच्चो के लिए अधिक उपयुक्त होती है, उनका समावेश पाठ्य– क्रम में किया जा सकता है। अतः मेरे विचार से पूर्व शाला तथा प्राथमिक शाला स्तरीय शिक्षक शिक्षा का एक समन्वित पाठ्यक्रम बनाना उपयुक्त होगा, जो उन सभी बच्चो के लिए हो जिनकी आयु 3 से 8 वर्ष के मध्य होती है।

एन. सी .टी . ई . ने इस स्तर की शिक्षक शिक्षा के चार विकल्प प्रस्तुत किए है , तथा शिक्षक शिक्षा के समय को निम्न प्रकार से बांटने की रूप रेखा प्रस्तुत की है–

(अ)	शैक्षिक सिद्धान्त का ज्ञान	20प्रतिशत
(ब)	सामुदायिक कार्य	20प्रतिशत
(स)	शिक्षण विधियाँ ,शिक्षण अभ्यास एवं सम्बन्धित प्रयोगात्मक कार्य	60प्रतिशत

यहॉ यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि प्रशिक्षण शिक्षा के दौरान व्यावहारिक पक्ष पर 60 प्रतिशत समय लगाना अपने आप में एक साहसिक कदम होगा । समुदाय के साथ कार्य करने की क्षमता का विकास करना भी एक नूतन आयाम है , जो शिक्षक शिक्षा में आवश्यताओ के अनुकूल जोड़ा गया है।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षक शिक्षा

देश के सभी प्रांतो में प्राथमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा का प्रशिक्षण काल प्रायः दो वर्षो का पाया जाता है,। दस वर्ष तक सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त छात्रो एवं छात्राओ का चयन प्रशिक्षण हेतु किया जाता है , प्रशिक्षण काल के

प्रथम वर्ष मे प्रायः विषय वस्तु एवं द्वितीय वर्ष में शिक्षण विधियो का ज्ञान लिया जाता है ,प्रशिक्षण के उपरान्त उन्हें जूनियर वेसिक टीचर ट्रेनिगं जे. वी .टी. वेसिक स्कूल टीचिंग सर्टीफिकेट वी. एस. टी . सी . डिप्लोमा इन एजूकेशन बी.एड. अथवा टीचिंग डिप्लोमा टी. डी. आदि का सर्टीर्फिकेट दिया जाता है । एन. सी .टी. ई . ने इस स्तर की शिक्षा हेतु पांच प्रतिमान प्रस्तुत किए है, और पूर्व प्राथमिक स्तर की भॉति ही समय विभाजन किया गया है ।

माध्यमिक स्तरीय शिक्षक शिक्षा

एक वर्षीय प्रशिक्षण जो स्नातक उपाधि प्राप्त कर लेने के बाद दिया जाता है, देश के प्रत्येक कोने में काफी प्रज्जवलित है । इस एक वर्ष की अवधि में शिक्षा सिद्धान्त तथा शिक्षण विधियों, दोनों का ज्ञान दिया जाता है और अन्त में परीक्षा लेकर बी0 एड0 या बी0 टी0 की उपाधि प्रदान की जाती है । किन्ही प्रान्तों में डिप्लोमा प्रदान करने की प्रथा भी चल रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में लाईसेन्शिएट इन टीचिंग (एल0 टी0) देने का प्रावधान प्रान्तीय सरकार ने कर रखा है। विश्वविद्यालय बी0 एड0 की उपाधि देते है।

इस एक वर्षीय पाठ्यक्रम के अतिरिक्त चार वर्षीय समन्वित पाठ्यक्रम (इन्टीग्रेठ्रेड कोर्स) भी चल रहा है। कुछ स्थानों पर, चारों रीजनल कॉलेज ऑफ एजूकेशन में, जो अजमेर, मैसूर भोपाल एवं भुवनेश्वर में स्थित हैं, इस प्रकार का चार वर्षीय पाठ्यक्रम चलाया जाता रहा है। पाठ्यक्रम पूरा कर लेने पर बी0 ए0/बी0 एस–सी, बी0 एड0 की समन्वित उपाधि प्रदान की जाती है। देश की वर्तमान दशा एवं संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए यह कहा जा सकता है। कि स्नातक योग्यता वाले छात्रों के लिए एक वर्ष का बी0 एड0 पाठ्यक्रम बनाए रखना अभी उपयुक्त जान पड़ता हैं । नयी शिक्षा नीति के तहत यह बात उभरकर सामने आई है। कि अन्य व्यवसायों तथा इन्जीनियरिंग डाक्टरी आदि की भांति शिक्षक शिक्षा का प्रशिक्षण काल

भी लम्बी अवधि का (4–5 वर्ष) का होना चाहिए । समय विभाजन की दृष्टि से माध्यमिक स्तरीय शिक्षक शिक्षा में एन0 सी0 टी0 ई0 ने 20 प्रतिशत शिक्षा सिद्धान्त 20 प्रतिशत सामुदायिक कार्य तथा 60 प्रतिशत विषय–वस्तु सहित विधियों, शिक्षण अभ्यास एवं सम्बन्धित प्रयोगात्मक कार्य पर लगाना उपयुक्त समझा हैं।

10+2+3 शिक्षा प्रणाली देश में लागू होने के उपरान्त+2 स्तर पर शिक्षक शिक्षा को व्यावसायिक आधार प्रदान करने की बात जोरदार ढ़ग से कही जा रही हैं। अतः उच्च माध्यमिक स्तरीय शिक्षक शिक्षा का संगठन अलग से करना उपयुक्त होगा । एन0 सी0 टी0 ई0 ने इस स्तर के स्वरूप को माध्यमिक स्तर से कुछ भिन्न मानते हुए इस स्तर हेतु चार प्रतिमान प्रस्तुत किए हैं, जो अकादमिक और व्यावसायिक दोंनो धाराओं को समाहित किए हुए हैं । इस स्तर पर सैद्धान्तिक विषयों हेतु 30 प्रतिशत, सामुदायिक कार्य हेतु 20 प्रतिशत और विषय –वस्तु सहित विधियों, शिक्षण अभ्यास एंव सम्बन्धित प्रयोगात्मक कार्य हेतु 50 प्रतिशत समय निर्धारित करने की अनुशंसा की गई हैं।

स्नातकोत्तर स्तरीय शिक्षक शिक्षा

स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षक शिक्षा के एम0 एड0 तथा एम0 फिल0, पाठ्यक्रमों का स्वरूप निम्न प्रकार से एन0 सी0 टी0 ई0 ने सुनिश्चित किया हैं।

प्रस्तावित पाठ्यकम

	एम एड0	एम. फिल0
क्षेत्र	समय विभाजन	
(अ) शैक्षिक सिद्धान्त	1. आधार पाठ्यक्रम	1. एम0 ए0 (शिक्षा) एम0 एड0 पास शिक्षकों के लिए आवश्यक हीं किन्तु अन्य के लिए आवश्यक

	2. अनुसन्धान पाठ्य–	2. अनुसन्धान पाठ्य 50 प्रतिशत क्रम 20 प्रतिशत
(ब) विशिष्टीकरण	3. सैद्धान्तिक पाठ्य–	3. विशिष्टीकरण के किसी एक क्रम या क्षेत्र में सैद्धान्तिक पाठ्य क्रम 50 प्रतिशत
		4. कार्य आधारित पाठ्य पाठ्यक्रम 60 प्रतिशत

शिक्षा का स्वरूप अन्तःशास्त्रीय माना गया है। अतः यह अनुशंसा भी की गई है कि एम. एड. एवं एम. फिल. कक्षाओं में अन्य शास्त्रों (डिसिप्लिन) के छात्रो को सीधा प्रवेश देकर आकर्षित करना चाहिए। कुछ शिक्षाविदों का यह भी मत है कि किसी भी सम्बधित विषय में अनुसंधान कार्य (पी–एच.डी.) के लिए लेना चाहिए भले ही उसके पास एम. फिल. की उपाधि न हो । भविष्य में शिक्षक शिक्षा का स्वरूप एंव संगठन बहुत कुछ उन बिन्दुओ पर आधारित होगा, जिनकी विशद व्याख्या शिक्षा की चुनौती नीति सम्बन्धी दस्तावेज में देखने को मिलती है।

गुणात्मक सुधार

प्रकृति की सर्वोत्कृष्ट कृति मानव शिशु है । शिशु को विकसित करने, उसे परिष्कृत कर मानव बनाने का गुरूतर कार्य शिक्षक का होता है। यही शिशु भविष्य में राष्ट्र का सफल नागरिक बनता है । अन्य कलाकारो की तुलना में शिक्षक की कला सर्वश्रेष्ठ होती है चूंकि राष्ट्र निर्माण के सम्बन्ध में उसका बड़ा महत्व होता है। शिक्षक की कृति (शिशु) बिगड जाए , तो उसका परिणाम सारे समाज और राष्ट्र को भोगना पड़ता है। शिक्षक शिक्षा का कार्य कुशल एवं प्रंभावी अध्यापको को तैयार करना होता है। यधपि स्वतन्त्रता के उपरान्त शिक्षक शिक्षा में सुधार हेतु किए गए प्रयास सराहनीय है, जिस पर भी गुणात्मक उन्नयन की जो तस्वीर उभरकर सामने आई है, उसे बहुत उत्साहवर्धक नहीं माना जा सकता । शिक्षक शिक्षा के गिरते हुए स्तर की ओर बरबस

ही हम सभी का ध्यान खींच जाता है ।समय–समय पर गठित शिक्षा आयोगों ने शिक्षक शिक्षा को समुन्नत बनाने की जो संस्तुतियां की है, उन सभी को प्रस्तुत करना इस स्थल पर संभव नही है । फिर भी कोठारी कमीशन (1964–66)द्वारा इगिंत शिक्षक शिक्षा की कुछ कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा ।

डॉ. कोठारी का कथन है कि दुर्भाग्यवश स्वतन्त्रता के उपरान्त देश में शिक्षक शिक्षा को समुचित महत्व नहीं दिया गया । सामान्यताः प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की प्रशिक्षण संस्थाओ का स्तर कुछ को छोड़कर प्रायः साधारण या हीन बन चुका है । कुशल एवं योंग्य व्यक्ति शिक्षा व्यवसाय के प्रति आकर्षित नहीं होते ,पाठ्य क्रम दोषपूर्ण है, शिक्षण अभ्यास में पुरानी एवं अनमनीय विधाओ का बहुल्य है, और कुल मिलाकर वर्तमान जीवन की आवश्यकताओं एवं उददेश्यों की यह पूर्ति नही करता है । शिक्षा आयोग ने यह सुझाया है कि शिक्षा के गुणात्मक विकास हेतु शिक्षक शिक्षा को ठोस आधार प्रदान करना होगा । आयोग का मत है कि शिक्षक शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय बहुत अधिक लाभांश हो सकता है, चूंकि यदि करोडों लोगो की शिक्षा को सुमन्नत बनाने की दृष्टि आर्थिक स्रोत एवं संसाधनो को देखा जाए तो वह सीमित ही है। शिक्षक शिक्षा में स्तर से सम्बन्धित समस्या के दो पहलू है– पहले संख्यात्मक तथा दूसरा गुणात्मक । देश की परिस्थितियों के सन्दर्भ में दोनो को समान महत्व है। वर्तमान समय में छात्रों की बढती हुई संख्या को दृष्टि में रखते हुऐ हमें शिक्षक शिक्षा में संख्यात्मक वृद्धि पर विशेष ध्यान देना होगा किन्तु अस्तित्व रक्षा की ओट में , संख्या के दवाब में आकर हम गुणात्मक सुधार के महत्व को नकार नही सकते है। मेरे विचार से निम्न लिखित कुछ प्रमुख बिन्दुओ पर यदि ध्यान दिया जाए तो शिक्षक शिक्षा में गुणात्मक सुधार की आशा की जा सकती है।

1.<u>प्रत्याशियों का चयन</u>– वस्तुतः प्रशिक्षण संस्थाओ की अनियमित एवं अनियन्त्रित वृद्धि के कारण स्तर में भारी गिरावट आ गई है । यह भी देखने में आता है कि बहुत से अकुशल एवं अयोग्य व्यक्ति सिफारिश या धन के प्रभाव से इस

व्यवसाय में आने में सफल हो जाते है। अतः उपयुक्त चयन प्रक्रिया से इस समस्या का समाधान शीघ्र ही निकालना पड़ेगा । शिक्षक शिक्षा हेतु योग्य एवं कुशल लोगों का चयन हो , इसके लिए अभिरूचि, बुद्धि, भाषा, एवं व्यक्तित्व आदि का परीक्षण लेना न्यायसंगत जान पड़ता हैं। नयी शिक्षा नीति (1985) में स्पष्ट इंगित किया गया है कि प्रशिक्षण संस्थाए प्रवेश हेतु कठोर अभिरूचि परीक्षण (एप्टीट्यूड टेस्ट) तथा उपलब्धि परीक्षण (अटेनमेंट टेस्ट) बनाए तथा चयन प्रक्रिया में विज्ञान के छात्रों, खिलाडियों, शारीरिक दक्षता एवं व्यापक रूचि रखने वाले प्रत्याशियों पर विशेष ध्यान दें।संक्षेप में कहा जा सकता है, कि प्रत्याशी की परख परीक्षणों एवं सक्षात्कार के आधार पर की जानी चाहिए । माध्यमिक स्तरीय शिक्षक शिक्षा हेतु ऐसे शिक्षकों को चयनित करना चाहिए जिन्होने स्नातक परीक्षा में क्रम से क्रम दो विषय ऐसे लिये हो, जो विद्यालयों में पढाये जाते हों, यह भी संभव है कि एक प्रांत मे सभी प्रशिक्षण संस्थाओ हेतु चयन प्रक्रिया को केन्द्रित कर दिया जाए और शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के पूर्व जन – शक्ति योजना के आधार पर इसे पूरा कर लिया जाए । चयन समिति में सरकार, विश्वविधालयो, निजी संस्थाओ और विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए । भविष्य इस कार्य का दायित्व स्टेट कौसिंल आफ टीचर एजूकेशन वहन कर सकेगी, ऐसी आशा रखनी चाहिए।

2.शिक्षक शिक्षा में पृथकीरण – प्रशिक्षण संस्थाओं में अलगाव की प्रवृति बढती जा रही है । इनका अन्य स्तर की प्रशिक्षण संस्थाओं, विश्वविधालयो तथा विधालयों से निकट का संपर्क टूटता जा रहा है । इस अलगाववादी प्रवृति को समाप्त करना नितान्त आवश्यक हो गया है। तभी प्रशिक्षण प्रभावी बनेगा तथा अध्यापन की प्रकिया जीवन्त बन सकेगी। वर्तमान में पूर्व प्राथमिक ,माध्यमिक एवं उच्च स्तरीय प्रशिक्षण संस्थाए अलग –अलग कार्य कर रही है, उनके बीच निकट का सम्बन्ध एवं समन्वय होना आवश्यक है। इसीलिए कोठारी कमीशन ने वृहत (काम्प्री–हेन्सिव)प्रशिक्षण

महाविधालयो की संकल्पना की है, जिसके तहत सभी स्तर की प्रशिक्षण संस्थाएं एक साथ मिलकर काम कर सकें । प्रशिक्षण संस्था एवं विधालयौं के बीच निकटता का सूत्र स्थापित करने में विस्तार सेवा केन्द्र सहायक हो सकते हैं। अधिकाधिक प्रशिक्षण संस्थाओ मे इस प्रकार के केन्द्र खोलना श्रेयस्कर होगा।

3. पाठ्य क्रम में सुधार – शिक्षक शिक्षा पाठ्य क्रम में वही विषमता देखने को मिलती है कुछ पाठ्य क्रम एक वर्ष के ,कुछ दो वर्ष के तथा कुछ स्थानो पर चार वर्षीय पाठ्य क्रमो की अवधि एवं कार्यदशाओं में विभिन्नता समाप्त कि जानी चाहिए । इसी उद्देश्य से एन0 सी0 टी0 ई0 ने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम के निमार्ण हेतु जो कदम उठाये हैं । वह सराहनीय हैं।

अध्यापन अभ्यास पर अधिक महत्व देना श्रेयस्कर होगा । विशेष प्रवृत्तियां सामुदायिक कार्य एंव समाज सेवा के अवसर प्रशिक्षण के दौरान अधिक से अधिक उपलब्ध कराए जाने चाहिए। प्रायः यह कहा जाता हैं कि प्रशिक्षण अवधि में सीखा गया ज्ञान एंव कौशल शाला में अध्यापक के काम नही आता हैं। मेरा स्पष्ट विचार हैं कि प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षण अभ्यास के लिए ग्रामीण अंचल के विद्यालयों में भेजना लाभकारी होगा, ताकि वह ग्रामीण वातावरण से भली–भाँति परिचित हो जाएं और यदि प्रशिक्षण के बाद उन्हें ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में नौकरी मिले तो उन्हें कोई कठिनाई न उठानी पड़े । भारत गॉव – प्रधान देश हैं अतः शिक्षकों को ग्रामोत्थान की विधियों प्रशिक्षित करना उपयुक्त होगा। मेरा यह भी विचार हैं कि शिक्षण अभ्यास के दौरान बनाई जाने वाली पाठ–योजना परम्परागत तौर–तरीकों से हटाकर नवीन विद्याओं एंव शैक्षिक तकनीकी आधार पर बनाई जानी चाहिए । यदि ऐसा किया जाता हैं। तो शिक्षण अधिक रूचिकर एंव प्रभावी सिद्ध होगा । इसके लिए प्रशिक्षणार्थियों में कठिन श्रम, सूझबूझ एंव निष्ठा से कार्य करने की आदत डालनी होगी ।

4. प्रयोगात्मक कार्य पर बल– यह सर्वविदित हैं कि प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रयोगात्मक एंव व्यावहारिक कार्य की अपेक्षा पाठ्यक्रम के सैद्धान्तिक पक्ष पर अधिक

बल दिया जाता है । एन0 सी0 टी0 ई0 ने राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्तुतियां प्रस्तुत की हैं उनमें यह बात स्पष्ट रूप से झलकती हैं कि प्रशिक्षण के दौरान शिक्षण अभ्यास तथा प्रयोगात्मक कार्य पर अधिक बल दिया जाना चाहिए । और इसी लिए इस भाग पर कुल समय का साठ प्रतिशत लगाने की अनुशंसा की गई है। शिक्षण अभ्यास औपचारिक न होकर गहन तथा यथार्थ होना चाहिए ।

वस्तुतः विद्यालयों में शिक्षण के अतिरिक्त जो कार्य एक कुशल अध्यापक को करने पड़ते हैं, उन सभी का प्रशिक्षण अध्यापन अभ्यास के समय प्रशिक्षणार्थी को मिल जाना चाहिए जैसे निर्देशन देना, परीक्षा लेना, मनोवैज्ञानिक परीक्षण देना, शाला अभिलेख भरना, कम्प्यूटर का उपयोग करना, शैक्षिक भ्रमण की व्यवस्था करना, सामुदायिक सेवा में भाग लेना, शिविर का संचालन करना आदि ।

5. आदर्शों एवं मूल्यों की शिक्षा – प्रायः देखने में आता है कि प्रशिक्षण संस्थाए इस बात पर ध्यान कम देती है कि जिन शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा हैं। वह मानव है,मशीन नहीं । उन्हें प्रशिक्षण की अवधि में विभिन्न कार्यक्रमों एंव प्रवृत्तियों में डालकर शिक्षा के आदर्शों एवं मानवीय मूल्यों से हटाकर प्रशिक्षिण करना उपयुक्त नही जान पड़ता है। सामाजिक एंव सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को प्रशिक्षण काल में पर्याप्त महत्व देना चाहिए ताकि मानवीय पक्ष की अवहेलना न हो सके ।

शिक्षक शिक्षा के माध्यम से यह प्रयास किया जाना चाहिए कि विद्यार्थियो के मस्तिष्क में राष्ट्रीय चेतना का सुदृढ़ आधार बन जाए और उसके मानव – पटल पर से धीरे – धीरे प्रांतीयता, जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद आदि के संकीर्ण विचारों का प्रभाव समाप्त हो जाए। मेरा स्पष्ट मत हैं कि प्रशिक्षण संस्थाओं में कुछ इस प्रकार का वातावरण हमें बनाना होगा जिसमें भारतीय आदर्शों एंव मूल्यों, रीति–रिवाजों, परम्पराओं आदि में शिक्षक की आस्था बढ़ सके और वह धर्मनिरपेक्षता, नैतिकता एंव साम्प्रदायिक सद्भाव के प्रति अधिक सवेंदनशील बन सके।

6. नवाचार एवं अनुसंधान पर बल – देश के कुछ विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों तथा प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसंधान कार्य की सुविधा उपलब्ध हैं। देखने में आता है कि जो कुछ भी शोधकार्य चल रहा है, उसका स्वरूप परम्परागत एवं शास्त्रीय हैं। इस प्रकार का कार्य प्रायः पुस्तकालय की शोभा बढ़ाने के अतिरिक्त किसी विशेष काम का नहीं होता ।

आवश्यकता इस बात की है कि क्रियात्मक अनुंसधान एंव संस्थाओं की विभिन्न समस्याओं पर अनुसंधान किया जा सके । प्रशिक्षण संस्थाओं में नवाचार एंव अनुसंधानात्मक कार्य की उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग इस प्रकार में लगे हों, उन्हें आर्थिक सहायता, साधनों की सुविधा, पुस्तकें आदि समय पर उपलब्ध कराना न्यायोचित एंव उपयुक्त होगा ।

7. प्रशिक्षण संस्थाओं में साधन सुविधांए – प्रायः देखा गया है कि स्टाफ, भवन, उपकरण, कार्यालय, पुस्तकालय आदि संसाधनों की कमी प्रशिक्षण संस्थाओं की आम बात बन गई है। अतः इन साधनों एंव सुविधाओं का न्यूनतम स्तर निश्चित करना बहुत आवश्यक हो गया है । इस दिशा में कुछ विश्व – विद्यालयों ने मानक बना तो रखे हैं। किंतु इनका कड़ाई से पालन नहीं हो पाता हैं मेरे विचार से इन मानको में राष्ट्रीय स्तर पर एक रूपता लाने के लिए एन० सी० टी० ई० को पहल करनी होगी । यहाँ यह बताना में आवश्यक समझता हूँ कि विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की योग्यता, वेतनमान, तथा कार्यदशाओं में बढ़ा अन्तर पाया जाता हैं। कम वेतन पर अयोग्य अध्यापकों से , कम समय के लिए शिक्षण कराना, गैर सरकारी संस्थाओं में साधारण बात बन गई है। मेरे विचार से शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को निश्चित करके इसकी अनुपालना अनिवार्य कर देनी चाहिए।

प्रशिक्षण संस्थाओं में आवश्यक साधन सुविधाओ को उपलब्ध कराने हेतु समुचित आर्थिक व्यवस्था करना आवश्यक है। सरकारी अनुदान प्रणाली यधपि प्रशिक्षण संस्थाओ पर भी लागू की गई है, किन्तु इसमें बडी कमियाँ हैं। अन्य

व्यवसायों तथा इंजीनियरिंग ,चिकित्सा , कृषि आदि की भॉति सरकार की शिक्षक शिक्षा पर भी अपेक्षित धन राशि खर्च करनी चाहिए इसकी उपेक्षा करने पर शिक्षक शिक्षा का स्तर गिरेगा और राष्ट् से उज्जवल भविष्य के लिए कुशल एवं प्रभावी शिक्षक नहीं तैयार हो पायेगें ।

8. सेवांकालीन शिक्षा एवं प्रशिक्षण– यधपि अनवरत रूप में सेवा कालीन शिक्षा एंव प्रशिक्षण के महत्व को स्वीकारा गया है। किन्तु वास्तविकता यह है कि इसकी व्यवस्था बहुत कमजोर है । कुछ गिनी–चुनी संस्थाए अपने सीमित साधनों द्वारा यह कार्य कर रही हैं । स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है । कि इस क्षेत्र में पर्याप्त साधनों, उपयुक्त नियोजन तथा अनुसंधान की कमी बनी हुई हैं । यही कारण हैं कि बहुत से शिक्षक सेवा निवृत्त हो जाते हैं । और उन्है एक भी अवसर अपने जीवन में पूर्ण सेवा प्रशिक्षणके बाद नवीन ज्ञान एंव अध्यापन प्रविधियों के सीखने का नही मिल पाता हैं।

कोठरी कमीशन ने प्रत्येक शिक्षक हेतु 5 वर्ष की सेवा के बाद माह के अभिनवन कार्यक्रम की संस्तुति की हैं । मेरे विचार से विभिन्न प्रकार के अध्यापकों, जैसे कम योग्यता वाले, अप्रशिक्षित, नवीनतम प्रशिक्षित एंव अनुभवी प्रशिक्षित आदि के लिए विभिन्न प्रकार के सेवाकालीन शिक्षा एंव प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। इन कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक धन जुटाना, बजट का एक आवश्यक अंग माना जाना चाहिए ।

9. शिक्षक शिक्षा की अवधि, प्रशासन एवं नियंत्रण – अन्य व्यवसाओं जैसे चिकित्सा, इजीनियरिंग आदि की भांति शिक्षक शिक्षा की अवधि लम्बी होनी चाहिए ताकि प्रशिक्षणार्थियों में अपेक्षित ज्ञान एंव कौशल का समावेश किया जा सके । एक वर्ष के प्रशिक्षण काल में जो बी0 एड0 उपाधि हेतु निर्धारित हैं, और जिसकी अवधि प्रायः घटकर कुछ माह की रह जाती है। आवश्यक शिक्षण अभ्यास एंव समस्याओं के हल करने की क्षमता को नही सिखाया जा सकता । शिक्षा विभाग के संचालक, निरीक्षक आदि विभागीय एंव प्रशासकीय कार्य में इतना व्यस्त रहते है। कि उन्हें प्रशिक्षण संस्थाओं का

निरीक्षण एंव मार्ग –दर्शन का अवसर बहुत कम मिल पाता है। इसकी समुचित व्यवस्था अविलम्व की जानी चाहिए ।

शिक्षण शिक्षा में गुणात्मक विकास हेतु यह भी आवश्यक है कि प्रशासन व्यवस्था एंव नियंत्रण में अपेक्षित सुधार लाया जाए । शिक्षकों में सुरक्षा की भावना लानी होगी । उनके विवादों को शीध्र हल करने के लिए उपयुक्त प्रणाली का निर्माण करना होगा एंव उन्हे कानूनी संरक्षण भी प्रदान करना होगा । नयी शिक्षा नीति (1985) में अन्तर्गत कई ठोस कदम इस दिशा में सुझाये गये हैं, यह शुभ लक्षण हैं।

10. शिक्षक संगठन एंव आचार संहिता – यह सामान्य धारणा बन गई हैं कि भारत में शिक्षक संगठन प्रायः वेतन, महंगाई भत्ते तथा अन्य सुविधाओं के लिए निरन्तर प्रयास कर रहे हैं, किन्तु शिक्षक की भूमिका, प्रतिष्ठा एंव व्यावसायिक उन्नति के लिए कोई ठोस कार्य नही कर सके हैं। वस्तुतः शिक्षक संगठनों की भूमिका सेवाकालीन शिक्षा एंव प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी नगण्य रही है।

प्रत्येक व्यवसाय के लिए आवश्यक होता है। कि वह एक निश्चित स्तर बनाए रखे । शिक्षक शिक्षा पर भी यही बात लागू होती है । शिक्षको की एक आचार – संहिता बनाई जानी चाहिए ताकि शिक्षक – संगठनों के व्यावसायिक मानक बनाए जा सके । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मत है कि आचार–संहिता, शिक्षक–संगठन स्वेच्छा से तैयार करें, अनिवार्यता के दवाब में नही । यहां यह इंगित करना आवश्यक होगा कि एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 इस प्रकार की आचार–संहिता के निर्माण में मदद कर रही है।

भारत में शिक्षक शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षक शिक्षा का विकास एवं विस्तार

शिक्षक शिक्षा की कहानी, भारतीय सभ्यता की कहानी की तरह बहुत पुरानी है जो कि बैदिक युग से शुरू हुई थी जब आर्यो ने चार जातियों के चार लक्ष्य निर्धारित किए थे । यह शिक्षक शिक्षा का दृश्य लगभग चार हजार साल तक फैलता रहा इस बीच समय की मांग के अनुसार भारत में शिक्षा की बहुत–सी प्रणालियां अपनाई गई। यहाँ पर इस इतिहास की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि, प्राचीन काल, मध्य काल, बौद्धकाल, मुस्लिमकाल तथा स्वतन्त्रता से पूर्व शिक्षक शिक्षा प्रणाली किस तरह की थी, इस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत है। ,

प्राचीन और मध्य काल - (2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक)

इस काल की शिक्षक शिक्षा प्रणाली के विषय में कहने के लिए बहुत कम प्रमाण उपलब्ध हैं । प्राचीन काल में शिक्षक मुखतः ब्राहमण समुदाय से आते थे तथा सम्भवतः हस्तलिपि के अभाव में उनको ज्यादा सामाजिक सम्मान मिलता था । मनु ने कहा है कि केवल ब्राहाण मात्र ही वेदों को पढायेगा और कोई नहीं । इस बात कि भी निश्चित प्रमाण हैं कि इस समय कुछ निश्चित ब्राहमण परिवार थे, शिक्षण जिनका जन्म जात व्यवसाय था। इस बात के कोई प्रमाण नही मिलते है कि उस समय शिक्षक शिक्षा किसी औपचारिक रूप में दी जाती थी। किन्तु निश्चित रूप से ब्राहमण अपना भविष्य जानते थे इसलिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए वह अपना विषय याद करते थे ।

बौद्ध काल (500ईसा पूर्व से 1200 ई० तक)

इस काल में सम्भवतः शिक्षक प्रशिक्षण को प्रणाली अधिक विस्तार थी । भिक्षुओं के लिए शिक्षा मे निश्चित स्तर तक पहुंचने का क्रम बहुत ही मेहनत का था । प्रवज्या से लेकर उपसम्पदा के बाद प्रत्येक भिक्षु को दो प्राध्यापकों के निरीक्षण में अपना अध्ययन

करना होता था। अध्ययन की प्रस्तावित पाठ्य—वस्तु समाप्त होने के पश्चात् वह पढाने के लिए स्वतन्त्र होता था तथा वरिष्ठता के आधार पर उसे आचार्य या उपाध्याय की उपाधि देता था, नैतिकता के तत्वों के विषय में शिक्षित करता था तथा धर्म और विनय के विषय में विशेष हिदायतें देता था शिक्षकों को प्रशिक्षत करने की विधि उस समय एक प्रणाली पर आधारित थी जिसको बाद में कक्षा नाटकीय पद्वति (मानीटर प्रणाली) के रूप में मान्यता मिली। लेकिन यह प्रणाली पर शुरू हुई इसके लिए कोई तिथि निश्चित नही की जा सकती है। इसी समय में शिक्षक शिक्षा – प्रणाली का विस्तार हुआ । यह बात काफी महत्वपूर्ण है। बौद्ध काल में शिक्षण को सम्माननीय व्यवसाय के रूप में देखा जाता था ।

मुगल काल (1200ई० से 1700ई० तक)

इस समय में मदरसों के अध्यापको का काफी सम्मान था जो कि फिरोज तुगल द्वारा (1325 ई0 में)शुरू किए गए थे तथा इन मदरसो को काफी पैसा मिलता था । यह बात भी ध्यान देने योग्य है, कि उस समय राज्य में उच्च पदों पर नौकरी के लिए किसी विशेंष व्यावसायिक शिक्षण की आवश्यकता नहीं थी । इन पदों पर नौकरी शैक्षिक योग्यताओं के साथ—साथ अन्य गुणो के आधार पर की जाती थी । मुगलकाल में चिकित्सा , साहित्य ,कला तथा संगीत सायिक प्रशिक्षण की अधिक मान्यता थी। इस समय में नियमित शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए विशेष संस्थाओं का प्रचलन नहीं था ।

ब्रिटिश काल (1700 ई० से 1947 ई० तक)

इस समय से पहले भारतीय विधालयों में सामान्यतः वरिष्ठ विधार्थी कनिष्ठ विधार्थीयों को पढाते थे और इस शिक्षक प्रशिक्षण की विधि का प्रयोग स्वदेशी विधालयों में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए होता था । किन्तु उससमय तक इस विधि को एक नियमित विधि के रूप में मान्यता नही मिली थी जब तक कि डा 0 एन्ड्र यू वेल (अधीक्षक, मद्रास सैनिक असाइलम) ने इस विधि को अपनी पुस्तक 'ऐन एक्सपेरीमेंट इन एजूकेशन' में

प्रकाशित नहीं किया । हमारे देश में शिक्षक प्रशिक्षण के संस्थान सर्वप्रथम डैनिश मिशन रीज द्वारा चलाये गए । एक नार्मल ट्रेनिगं स्कूल कैरी, सेरेमपुर (प0 बंगाल) में स्थापित किया गया। इसके पश्चात कुछ शैक्षिक संस्थाओं ने कुछ शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में खोले । तत्पश्चात् कुछ नार्मल स्कूल आगरा, मेरठ और वाराणसी में खोले गए । सन् 1824 ई0 में एलीफेंस्टन द्वारा 26 शिक्षकों के व्यवस्था की गई । इन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पीछे मुख्य अर्थ भारतीयों को निचले स्तर के प्रशासन के लिए तैयार करना था या ऐसे शिक्षकों की तैयारी करनी थी जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ा सकें । कुछ भी हो लेकिन यह कार्यक्रम शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में काफी महत्व पूर्ण साबित हुए ।

अब बुड डिस्पैच (1854) में ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा पारित हुआ तथा भारत में पहली बार एक व्यापक शिक्षा नीति की रूपरेखा सामने आई । इस डिस्पैच के अनुसार शिक्षकों को नये विषयों में प्रशिक्षण और शहर के नये विद्यालयों को काफी महत्व दिया गया। इस डिस्पैच के अनुसार शिक्षको को नये विषयों में प्रशिक्षण और शहर के नये विधालयो को काफी महत्व दिया गया । इस डिस्पैच ने इस आवश्यकता पर जोर डाला कि शिक्षक–प्रशिक्षण महाविधालय प्रत्येक प्रदेश में खोले जाए। इसी समय ग्रांट–इन–एड' वितीय सहायता का उपबन्धन बना और केवल उन विधालयों को सहायता देने की बात कही गई जिसके शिक्षको के प्रशिक्षण को विशेष महत्व मिला । प्रो0 एस0 एन0 मुखर्जी के अनुसार सन् 1881–82 ई0 में अपने देश में 106 नार्मल स्कॅल थे जिसमें 3886 छात्रा– ध्यापक पढते थे और इन विधालयों पर वार्षिक खर्च चार लाख रूपये था ।

यधपि शिक्षक–प्रशिक्षण के क्षेत्र में इन दिनो मे कुछ उन्नति की गई फिर भी माध्यमिक शिक्षको के प्रशिक्षण के लिए पहली संस्था गवर्नमेंट नार्मल स्कूल नाम से सन् 1856 में लाहौर में इसी तरह की एक संस्था खोली गई । इन संस्थाओ में स्नातक तथा बिना स्नातक की डिग्री वाले छात्रो को एक ही कक्षा में प्रवेश दिया गया था । उन समय इनके पाठ्य में व्यावसायिक विषयों की अपेक्षा उन अध्यापको को अपने स्कूल में

पढाता था । कुछ स्कूल ऐसी जगह पर स्थापित किए गए थे जहां उनसे जुडें हुए मिडिल स्कूल भी थे। सन् 1882 में भारतीय शिक्षा समिति ने पूरे देश में माध्यमिक विधालयों के शिक्षको प्रशिक्षण के लिए संस्थाए खोलने पर बल दिया । इस समिति ने आगे कहा कि इन संस्थाओ मे परीक्षा सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनो प्रकार की होनी चाहिए और केवल प्रशिक्षित अध्यापक ही सरकारी माध्यमिक विधालयो या वितीय सहायता प्राप्त विधालयो में नौकरी में रखे जाने चाहिए । उन्नीसवी शताब्दी के अंत तक पूरे देश में 6 प्रशिक्षण महाविधालय (मद्रास् लाहौर् राजामुन्द्री , कुरसेयांग , जबलपुर तथा इलाहाबाद) और माध्यमिक शिक्षको के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रशिक्षण विद्यालय थे । सन् 1904 में भारत सरकार द्वारा संशोधित शिक्षा –नीति में शिक्षक प्रशिक्षण की समस्या पर विशेष जोर दिया गया और घोषित किया गया यदि माध्यमिक विधालयों में शिक्षण का स्तर उठाना है, यदि शिक्षार्थी अच्छी तरह से पाठ्य पुस्तकें पढना चाहते है, यदि इस विसरित यूरोपीय ज्ञान को एक विधि में लाना हो, तो अध्यापको को स्वयं को शिक्षण की कला में शिक्षित करना होगा उस समय शिक्षक प्रशिक्षण ऊंचा उठाने के लिए निम्न सिद्धात प्रस्तुत किए गये –

1. शिक्षा सेवाओ के लिए अच्छी तरह प्रशिक्षण तथा उतम स्टाल लिये योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियो की सूंची बनाई जाए ।
2. माध्यमिक शिक्षको को शिक्षित करने वाले प्रशिक्षण महाविधालयों की जरूरी साज–सज्जा (यन्त्रो आदि) को पर्याप्त महत्व दिया जाय ।
3. स्नातक प्रशिक्षणार्थियों के लिए यह प्रशिक्षण एक वर्ष का होना चाहिए। इसके पाठ्यक्रम में व्यावहारिक ज्ञान के साथ–साथ सैद्धांतिक ज्ञान भी देना चाहिए तथा उन प्रक्षिणार्थियों के लिए जो स्नातक नहीं है, यह प्रशिक्षण दो वर्ष का होना चाहिए।

4. सैद्धांतिक ज्ञान के साथ–साथ व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए प्रत्येक महाविद्यालय से सम्बन्धित स्कूल भी होना चाहिए ।

5. प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा स्कूल में सम्बन्ध स्थापित करने के लिए हर सम्भव प्रयास करना चाहिए ताकि शिक्षक उन विधियों को स्कूल में न भुला सके जिनको उसने प्रशिक्षण के दौरान सीखा हैं ।

इस तरह के सिद्धान्तों ने भारत के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को सीधे प्रभावित किया जिससे प्रशिक्षण संस्थाओं की संस्था काफी बड़ी तथा उपवंध द्वारा स्नातक कक्षाओं के लिए वर्ष का तथा जो स्नातक नहीं उनके लिए दो वर्ष का पाठ्यक्रम तय किया गया और प्रशिक्षण महाविद्यालय के साथ–साथ व्यावहारिक ज्ञान के लिए स्कूल भी स्थापित किए गए ।

सन् 1908 ई0 में जैसी नीतियाँ घोषित की गई थी, सन् 1912 में घोषणा द्वारा उन्हीं नीतियों को सरकार द्वारा फिर समर्थन दिया गया और स्पष्ट किया गया कि अन्तिम रूप से, शिक्षा की आधुनिक प्रणाली के अनुसार कोई भी अध्यापक बिना प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के विद्यालयों में नहीं पढायेंगा चाहे वह पढाने के लिए शिक्षित क्यों न हो ।

सन् 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की उन्नति के लिए संस्तुतियां प्रेषित करने हेतु सैंडलर आयोग की नियुक्ति की गई । इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षकों के व्यावसायिक प्रशिक्षक तथा शैक्षिक अनुसंधानों के लिए विश्वविद्यालय की भूमिका पर जोर दिया । इस आयोग ने सुझाव दिया कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग होना चाहिए । माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के कार्यक्रमों की उन्नति के लिए इस आयोग ने निम्न सुझाव दिए–

1. शिक्षा में स्नातकोत्तर पाठयक्रम आरम्भ किया जाए ।
2. इंटरमीडियेट और बी0 ए0 स्तर पर शिक्षाशास्त्र एक अध्ययन विषय के रूप में रखा जाए ।
3. प्रत्येक प्रशिक्षण–महाविद्यालय की भौतिक दशा में सुधार किया जाए।

इन संस्तुतियों के बजह से भारत के सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए । 'प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संस्था बढी यद्यपि देश में प्रशिक्षित अध्यापकों के मांग की पूर्ति काफी कठिन थी क्योंकि केवल एक अच्छी तरह प्रशिक्षित एवं कुशल अध्यापक ही इन व्यावसायिक संस्थाओं में प्रशिक्षण दे सकता था।

सन् 1929 में हारटाग समिति ने बहुत ही मूल्यवान सुझाव दिए और व्यवसायरत अध्यापकों के स्तर को ऊचां उठाने के लिए विभिन्न वार्ताओं तथा अभिनव पाठ्यक्रमों (रिफ्रेशर कोर्सेज) का सुझाव दिया । इन सस्तुतियों की वजह से शिक्षक के लिए 'रिफ्रेशर कोर्सेज' चलाए गये । कुछ विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग खोले गये और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान शुरू हुए । प्रशिक्षण महाविद्यालय ने भी अपनी प्रयोगशालाओं और पुस्तकालओ की उन्नति की तथा व्यावहारिक शिक्षण के लिए स्कूल खोले । प्रशिक्षण सुविधायें तथा इनमें कार्यरत अध्यापकों की आर्थिक दशा में काफी सुधार किया गया । उस समय की शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थाओं को तीन भागों में बांटा जा सकता है। –

1. केवल स्नातकों के लिए ।
2. उन अध्यापकों के लिए जो स्नातक नहीं थे तथा मिडिल में पढ़ा रहे थे ।
3. केवल प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापकों के लिए ।

सन् 1937 में महात्मा गांधी ने वर्धा एजूकेशनल कान्फ्रेन्स बुलाई और शिक्षकों में एक नई प्रक्रिया 'बेसिक एजूकेशन' के नाम से शुरू की । गांधी ज़ी ने अनुभव किया कि शिक्षक – प्रशिक्षण अधिक व्यावहारिक तथा कार्यात्मक होना चाहिए । गांधी जी ने बच्चों के लिए शिल्प कला केन्द्रित शिक्षा की बात कहीं जो वास्तविक जीवन से जुड़ी हो । इस बेसिक शिक्षा की नई विचार धारा से शिक्षकों के प्रशिक्षण में भी काफी परिवर्तन हुआ और एक नए प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया गया जो अधिक व्यावहारिक तथा समुदाय के लोगों के अनुरूप हो । शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए

इस समय दो प्रकार के पाठ्यक्रम शुरू किए गये । (अ) लम्बी अवधि का पाठ्यक्रम तथा (ब) कम अवधि का पाठ्यक्रम । इस समय अध्यापक शिल्प कला भी अन्य विद्यालयों के विषयों के साथ पढ़ाते थें । प्रशिक्षणार्थियों के लिए कम से कम योग्यता प्रशिक्षण – महाविद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए हाई स्कूल उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो साल का अनुभव रखा गया । लम्बी अवधि के प्रशिक्षण के लिए 3 वर्ष का पाठ्यक्रम तय था। उस समय पाठ्यक्रम काफी व्यापक था। इसमें लगभग विद्यालय के सभी विषय सम्मिलित थे। कम अवधि के पाठ्यक्रम के लिए एक वर्ष का प्रशिक्षण रखा गया । उसका पाठ्यक्रम भी संक्षिप्त था। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के समय छात्रावास में रहना अनिवार्य था ।

प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या अप्रशिक्षित अध्यापकों की तुलना में 1906 से 1947 के बीच काफी बढ़ी । 1906 में हाई स्कूल में 29 प्रतिशत, मिडिल स्कूलों में 37 प्रतिशत तथा प्राइमरी विद्यालयों में केवल 25 प्रतिशत अध्यापक प्रशिक्षित थे ।

सन् 1945 के बाद केन्द्रीय सरकार में एक अलग से शिक्षा विभाग बनाया गया। सन् 1937 से लेकर 1947 के बीच प्रशिक्षण विद्यालयों तथा महाविद्यालयों की संख्या में काफी बृद्धि हुई, इन प्रशिक्षण महाविद्यालयों के ऊपर खर्च इस दौरान काफी बढ़ा जो कि निम्न तालिका से स्पष्ट है–

तालिका संख्या–1

सन् 1937 व 1947 में प्रशिक्षण महाविद्यालयों व विद्यालयों की संख्या तथा अनुमानित खर्च

संख्थाएं	1937		1947	
	संख्या	खर्च रू0 मे	संख्या	खर्च रू0 में
प्रशिक्षण महाविद्यालय	23	0.10 करोड	42	0.22 करोड़
प्रशिक्षण स्कूल	537	0.46 करोड़	650	0.91 करोड़

संक्षेप में हम कह सकते है कि इस समय प्रशिक्षण की सुविधाएं संतोष नहीं थी। उदाहरण के लिए सन् 1937 में माध्यमिक स्कूल के सभी प्रकार के पुरूष शिक्षकों 56.6 प्रतिशत शिक्षक अप्रशिक्षित थे जबकि 1947 में सह प्रतिशत धटकर 53.2 हो गया। अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं का प्रतिशत सन् 1937 से 1947 में इससे कुछ अधिक क्रमशः 65.4 तथा 63.3 प्रतिशत था।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् सन् 1944 में तत्कालीन भारत सरकार के शैक्षिक सलाहकार जान सार्जेण्ट द्वारा शिक्षा की एक नयी योजना प्रस्तुत की गई। यह रिर्पोट केन्द्रीय शैक्षिक सलाहकार बोर्ड द्वारा प्रकाशित की गई। इस प्रतिवेदन के बारे में कहा जा सकता है कि यह एक पहला प्रतिवेदन था जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा के विषय में व्यापक ढ़ग से सोचा गया था। सार्जेन्ट प्रतिवेदन में सोचा गया कि इसयोजना के क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करना आवश्यक है। इस योजना के माध्यम से 1.81 लाख स्नातक तथा 20 लाख बिना स्नातक लोगों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता बतलाई गई।

इसमें स्नातक प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण महाविद्यालय में और जोस्नातक नहीं है, उनको तीन तरह का प्रशिक्षण दिया जायेगा–पूर्व प्राथमिक अध्यापक, बेसिक अध्यापक तथा हाई स्कूल के लिए बिना स्नातक अध्यापक। इस प्रतिवेदन में निश्चित अन्तराल पर अभिनवन पाठ्यक्रमो पर बल दिया गया तथा यह कहा गया कि योग्य एवं प्रभावी शिक्षकों के लिए वेतन में भी वृद्धि की जानी चादिए। सामान्यतः यह कहा जो सकता है कि सन् 1901 से 1947 तक शिक्षा नीति में काफी परिर्वतन हुए जो निम्न रूप से परिलक्षित हाते है–

1. आरम्भ के प्रशिक्षण–विद्यालय के प्रशिक्षणार्थी की योग्यता प्राथमिकता कक्षाएं उत्तीर्ण रहती थी। शिक्षकों की सामान्य शिक्षा का स्तर धीरे–धीरे बढ़ा।

2. धीरे–धीरे हाई स्कूल उत्तीर्ण तथा स्नातक उत्तीर्ण लोग भी शिक्षक–प्रशिक्षण के लिए आने लगे।

सन् 1947 में लगभग चार लाख अध्यापक प्राथमिक विद्यालयों में काम कर रहे थे जिसमें से प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत 64 था। कुल 72000 मिडिल अध्यापकों में से केवल 59 प्रतिशत अध्यापक प्रशिक्षित थें। उच्च माध्यमिक स्तर पर 88000 अध्यापकों में से 51 प्रतिशत अध्यापक प्रशिक्षित थें । इस समय तक कुल 649 प्रशिक्षण विद्यालय थे तथा 42 प्रशिक्षण महाविद्यालय थे जिनकी प्रवेश क्षमता 3000 प्रशिक्षणार्थीयों की थी । यह आंकड़े बताते है कि शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में स्वतन्त्रता से पूर्व कुछ उन्नति हुई थी किन्तु कुल मिलाकर शिक्षक शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं थी तथा उससे देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही थी ।

स्वतन्त्रता के उपरान्त शिक्षाक शिक्षा का विकास तथा विस्तार (१९४७से अब तक)

सन् 1947में देश स्वतन्त्र हुआ । स्वतन्त्रता के साथ बहुत–सी समस्या आयीं । उनमें से एक समस्या माघ्यमिक विधालयो के शिक्षको के प्रशिक्षण की थी । स्वतन्त्रता के दौरान शिक्षक प्रशिक्षण को संस्थात्मक तथा गुणात्मक दोनो स्तरो पर विकसित करने प्रवृत्ति बलवती हो चुकी थी । उस समय की बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों ने शिक्षक शिक्षा को भी एक नया अर्थ दिया । देश की मांगो और आकाक्षांओं के अनूरूप शिक्षक शिक्षा की एक नई संकल्पना इस समय विकसित हुई । इस संकल्पना ने देश के प्रशिक्षण महाविद्यालयों को काम करने का एक नया आयाम दिया । इस समय तक यह स्वीकार किया जाने लगा था कि शिक्षक शिक्षा केवल शिक्षक – प्रशिक्षण नहीं है । बल्कि इसमें कुछ ओर भी है ।

सन् 1948 ई0 में भारत सरकार ने डॉ0 एस0 राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की । राधाकृष्णन आयोग आम जनता की शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा से बहुत अधिक सम्बन्धित था। इस संदर्भ में इस आयोग ने बहुत ही व्यावहारिक तथा उपयोगी संस्तुतियां दी जो निम्न लिखित है।

अ– आयोग ने कहा कि प्रशिक्षण महाविद्यालयों की पाठ्य वस्तु में सुधार किया जाये

तथा विद्यालय के व्यावहारिक शिक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाये । प्रशिक्षणार्थियों की उपलब्धियों की जांच करते समय व्यावहारिक शिक्षण को अधिक महत्व दिया जाये ।

ब– व्यावहारिक शिक्षण के लिये कुछ विशेष विद्यालय चुने जाये ।

स– प्रशिक्षण महाविद्यालयों में उन अध्यापकों को लाये जाए जिन्हें व्यावहारिक शिक्षण का काफी अनुभव हों ।

द– सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम कोमल होना चाहिये । तथा उनमें से स्थानीय समस्याओं का समावेश होना चाहिये।

य– एम0 एड0 में केवल उन्ही विद्यार्थीओ को प्रवेश दिया जाए, जिनके पास लम्बा शिक्षण का अनुभव हो ।

र– अ0 भा0 स्तर पर प्रोफेसरों तथा अन्य अध्यापकों के वास्तविक कार्य की योजना बनाई जाए ।

सन् 1952 में भारत सरकार ने डा0 ए0 एल0 मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की । इस आयोग ने यह अनुभव किया कि अध्यापक ही सभी प्रकार के शैक्षिक परिवर्तन की कुजीं है। इस समय आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण की समस्या को काफी महत्वपूर्ण समझा तथा माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने और शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों को समुन्नत बनाने के लिए संस्तुतियां प्रस्तुत कीं । शिक्षकों का सामाजिक स्तर तथा कार्य करने की स्थितियों को समुन्नत करने के लिए मुदालियर आयोग ने शिक्षकों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में महत्व पूर्ण सुझाव दिये । शिक्षको के प्रशिक्षण की और इस आयोग ने विशेष ध्यान दिया । इस आयोग की संस्तुतियां निम्न है ।

क. जो शिक्षण व्यवसाय में आना चाहें उन्हें एक या एक से अधिक विभिन्न सह पाठ्यगामी क्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

ख. केवल दो प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाए चाहिए । प्रथमतः वह संस्थाए दो साल

का प्रशिक्षण संस्थाए जो केवल हाईस्कूल उत्तीर्ण लोगों को प्रशिक्षित करें, ऐसे लोगों को दो साल का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। दूसरे प्रकार की वह संस्थाए जो स्नातको को प्रशिक्षित करे । इनका प्रशिक्षण अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।

ग. प्रशिक्षणाथियों से किसी प्रकार का शुल्क न लिया जाए। इनें छात्रवृत्ति भी प्रशिक्षण के दौरान दी जाए। प्रशिक्षण महाविद्यालयों में इन्हें रहने की अनुमति दी जाए ।

घ. अभिनव पाठ्यकमों में विशिष्ट विषयो मे, लघु समय के गहन पाठ्यकम कार्यशाला का व्यावहारिक शिक्षण, व्यावसायिक वार्ताए भी शिक्षक – प्रशिक्षण महाविधालयों द्वारा अपने कार्यक्रमों के अन्तर्गत आयोजित करवाई की जाए।

ड. प्रशिक्षण महाविधालय शिक्षा की विभिन्न समस्याओं पर अनुसंधान करें ।

च. एम0 एड0 में केवल उन्हें प्रवेश दिया जाऐ जिनके ,पास कम से कम तीन साल का शिक्षण अनुभव ।

छ. अध्यापिकाओं की कमी को दूर करने के लिए आयोग ने अवकाशकालीन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था का सुझाव दिया ।

ज. इस आयोग ने शिक्षक – प्रशिक्षण के सन्दर्भ मे यह राय भी व्यक्त की इन संस्थाओ को विश्वविधालयों से मान्यता मिलनी चाहिए तथा इनकी डिग्रियाँ एवं डिप्लोमा भी विश्वविधालय द्वारा दिये जाने चाहिए, राज्य के शिक्षा विभाग या किसी तदर्थ संगठन से नहीं । इस आयोग कि संस्तुति के आधार पर जो विराट बहुउद्देशीय विद्यालय खोले गये उनमे सबसे प्रमुख कमी प्रशिक्षित एवं योग्य आध्यपको की थी । अतः शिक्षक शिक्षा के लिये एक अच्छी तरह से आयोजित कार्यक्रम कि आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा। इसी उददेश्य को ध्यान में रखने हुए एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 द्वारा सन् 1963 में चार क्षेत्रीय महाविधालय खोले गये यह क्षेत्रीय महाविधालय अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर तथा

मैसूर में स्थित है, इन महाविद्यालयो से ऐसी आशा की गई कि यह शिक्षक शिक्षा के नये कार्यक्रम बनाएंगे तथा विकसित करेंगे, जिससे पिछली कमियो की पूर्ति हो सकेगी एक साल के शिक्षक – प्रशिक्षण (बी0 एड0)के अलावा इन महाविधालयों में बी0 एस–सी0, बी0 एड0 या बी0 ए0 बी0 एड0 जैसे समन्वित उपाधियों का पाठ्यक्रमो की भी व्यवस्था की , जिनकी अध्ययन अवधि 4वर्ष रखी गई । महाविधालयों मे अपने क्षेत्रों के अप्रशिक्षिण देने की व्यवस्था की गई । सेवा विस्तार विभाग द्वारा इन महाविधालयो ने स्कूलों के शिक्षकों तथा शिक्षा शास्त्रीयों के लिये कार्यरत रहते हुए भी प्रशिक्षण देने के कार्यकम शुरू किये। सन् 1964–66 में डॉ0 डी0 एस0 कोठारी की अध्यक्षता में नियुक्त है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षको के प्रशिक्षण की संस्थाए विश्वविद्यालय के शैक्षिक जीवन की मुख्य धारा से अलग हो गई है तथा विधालयों की रोज मर्रा की समस्याओ से भी इनका सम्बन्ध कम रह गया हैं । इन व्यवसाय के कमियो पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा आयोग ने कुछ प्रशिक्षण संस्थाओं को छोडकर शेष की स्थिति काफी खराब बताई हैं । योग्यअध्यापक इस व्यवसाय की ओर आकर्षित नहीं होते है । बहुत जरूरी और वास्तविक आवश्यकता का पाठ्यकम अभाव है और उसके समस्त कार्यकम परम्परागम ढंग काफी दिनो से चल रहे है। इसके व्यावहारिक शिक्षण में घिसी – पिटी विधियो का प्रयोग किया जाता है जिनकी वर्तमान उददेश्यों और आवश्यकताओं अनुसार कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

शिक्षक– प्रशिक्षण कार्यक्रमों की इन कमियों को देखते हुए इस आयोग ने एक व्यापक येाजना निम्न संस्तुतियो के साथ प्रस्तुत की –

क. शिक्षक – प्रशिक्षण के पृथक्कीकरण को दूर किया जाए।

ख. प्रशिक्षण कार्यकमों में गुणात्मक वृद्धि की जाए।

ग. शिक्षण सुविधाओ में बृद्धि की जाए।

घ. सभी अध्यापको की निरन्तर व्यावसायिक शिक्षा के लिए उपेक्षा वनाये जाए।

ड. उच्च स्तर को कायम रखने के लिए केन्द्र तथा राज्य दोनों पर उचित ऐजेन्सियां बनाई जायें ।

शिक्षक शिक्षा को विश्वविधालय तथा स्कूल दोनो से पृथक होने के कारण पर ध्यान देते हुए आयोग ने सुझाव दिया कि शिक्षक शिक्षा को एक स्वतन्त्र शैक्षिक विषय (डिसिप्लिन) के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए तथा इनको एक वैकल्पिक विषय के रूप में स्नातक तथा स्नातकोतर कक्षाओ में भी पढाया जाना चाहिए, कुछ चुने हुए विश्व विघालयो में शिक्षा विभाग स्थापित किए जाने चाहिए । जो शिक्षक शिक्षा के बारे में विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम विकसित करते रहें । विस्तार कार्य (एक्सटेंशन कार्य)को प्रशिक्षण महाविधालयो का एक आवश्यक अंग माना जाना चाहिए। शिक्षण संस्था में विस्तार सेवाए अवश्य स्थापित की जानी चाहिए। तथा इन स्कूलो को साज – सज्जा एंव निरीक्षण के लिए वितीय सहायता मिलनी चाहिए । उन्हे अघ्यापको तथा प्रशिक्षण संस्थाओ के अघ्यापको के बीच अपने – अपने स्तर पर तबादले की भी व्यवस्था होनी चाहिए ।

विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की आपस की दूरी को कम करने तथा शिक्षा के विभिन्न स्तरो के लिए अध्यापको को तैयार करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते है–

1. सभी शिक्षण संस्थाओ को विश्वविधालयों के अन्तर्गत लाया जाये ।
2. योजना के आधार पर बनाए गए शिक्षा के व्यापक (काम्प्रीहेन्सिव) महाविधालय प्रत्येक राज्य में खोले जायें ।
3. प्रत्येक राज्य में शिक्षक शिक्षा की एक राज्य परिषद स्थापित की जाए जो शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित सभी प्रकार के कार्यों के लिए हर स्तर पर उत्तर दायी होगी ।

शिक्षा आयेाग ने शिक्षक के क्षेत्र मे गुणात्मक सुधार के लिए बहुत ही मूल्यवान सुझाव दिए, जिनमे से कुछ बिन्दु निम्न लिखित है–

1. शिक्षक संस्थाओ के व्यावसायिक स्तर के गुणात्मक सुधार के लिए विभिन्न संगठनो के माध्यम से अच्छी तरह तैयार किये गये व्यावसायकि पाठ्यक्रम चलाये जाने चाहिये ।
2. सामान्य और व्यवसायिक शिक्षा के समन्वित पाठ्य कम शुरू किये जाने चाहिए।
3. व्यावसयिक शिक्षा की अधिक महत्वपूर्ण सामग्री को भारतीय परिस्थितियो के परिप्रेक्ष्य मे विकसित किया जाना चाहिए।
4. मूल्यांकन तथा शिक्षण की अधिक उन्नत विधियो को प्रयोग करना चाहिए।
5. व्यावहारिक शिक्षण को उन्नत को बनाना चाहिए और इसका आन्तरिक स्तर पर व्यापक कार्यक्रम बनाना चाहिए ।
6. विशेष पाठ्यक्रम और कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए।
7. सभी स्तरो पर शिक्षको को शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार होना चाहिए।
8. स्नातक प्रक्षिणाथियो के लिए यह पाठ्यकम एक वर्ष का होना चाहिए। इस एक वर्ष मे कार्य करने के दिन कम से कम 230 होने चाहिए।
9. माध्यमिक प्रशिक्षण महाविद्यालयो मे योग्य अध्यापको की नियुक्ति हेतु विशेंषज्ञो को सम्मिलित किया जाए ।
10. उन स्नातको के लिए विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए जो प्राथमिक कक्षाओ में शिक्षण के लिए जाना चाहते है।
11. कार्यरत अध्यापको के प्रशिक्षण के लिए ग्रीष्मकालीन संस्थाए खोली जाऐं।
12. प्रशिक्षण महाविद्यालयो मे शिक्षण शुल्क समाप्त कर दिया जाए तथा प्रशिक्षणाथियों को छात्रवृति एवं रिड की सुविधा के लिए उपबन्ध बनाए जाए।
13. छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई कराई जाए और प्रशिक्षण महाविद्यालयो से जुड़े परीक्षणात्क विद्यालय(एक्सपेरीमेंटल –स्कूल)खोले जाए।

14. प्रधानाध्यापकों तथा शिक्षाशास्त्रियों के उन्नयन के लिए उनके क्षेत्र विशेष से सम्बन्धित नया व्यावसायिक पाठ्यक्रम विकसित किया जांए।

15. प्रशिक्षणार्थियों ने जिन विषयों को स्नातक स्तर पर अध्ययन किया है उन विषयों में विशेष शिक्षण की स्वीकृति उसे मिलनी चाहिए ।

16. केवल प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में उतीर्ण छात्रो को ही शिक्षण संस्थाओ मे प्रवेश एवं दिया जाए।

17. कार्य शाला , पुस्तकालय तथा प्रयोग शाला की उन्नति के लिए और अधिक सुविधाए दी जाऐ।

प्रशिक्षण की सुविधाओं को बढाने के लिए प्रत्येक राज्य को एक योजना तैयार करनी चाहिए जिससे प्रशिंक्षित अध्यापक उन स्थानो पर जा सके, जहॉ उनकी आवश्यकता है। पत्राचार प्रशिक्षित की सुविधाएं बढाई जानी चाहिए। अप्रशिक्षित अध्यापकों को शीघ्र अतिशीघ्र हटाना चाहिए । संस्थाओ का आकार बढाए जाना चाहिए तथा एक योजना के आधार पर उनको स्थापित किया जाना चाहिए । बडे स्तर पर समन्वित कार्यक्रम तथा कार्यरत अध्यापकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए । ऐसा लक्ष्य होना चाहिए कि प्रत्येक कार्यरत अध्यापक कम से कम 5 वर्षो में 2–3 महीने को प्रशिक्षण अवश्य पाये । कार्यरत अध्यापकों के लिए ग्रीष्मकालीन संस्थाओ का कार्यक्रम नियमित रूप से चलाते रहना चाहिए और विभिन्न शैक्षिक संस्थाओ से इसके लिए सम्वन्ध रखना चाहिए। उच्च शिक्षा में अध्यापकों के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए । प्रत्येक विश्वविद्यालयों में कुछ विश्वविद्यालयो को मिलाकर ऐसे पाठ्यक्रम चलते रहना चाहिए । बडे विश्वविधालयों को मिलाकर ऐसे पाठ्यकम स्थायी रूप से स्थायी महाविद्यालयों को स्थापित करके भी चलाये जा सकते है । राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक शिक्षा के स्तर को कायम रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उतरदायित्व लेना चाहिए तथा इसके साथ–साथ राज्य स्तर पर शिक्षक शिक्षा की राज्य परिषद को भी अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभानी चाहिए । यू0 जी0 सी0 को एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 की सहायता से एक सहसमिति शिक्षक शिक्षा के लिए बनानी चाहिए । शिक्षक शिक्षा को विकसित करने

के लिए वितीय सहायता हेतु भारत सरकार को कुछ उपबन्ध बनाने चाहिए।

पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षक शिक्षा

पंचवर्षीय योजनाएं भारत में 1951 से आरम्भ की गई है । उस समय भारत में लगभग आधे शिक्षक अप्रशिक्षित थे। सन् 1951से 1961तक प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण को महत्व – पूर्ण स्थान दिया गया। उस समय की शिक्षा की योजनाएं मुख्यतः दो उददेश्यों पर आधारित थीं – पहला संख्यात्मक विकास तथा दूसरा गुणात्मक विकास । उस समय शत् –प्रतिशत शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया गया–दुर्भाग्य वश यह उददेश्य पूरा नहीं किया जा सका क्योकि पहले से कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापको की समस्या अभी दूर नहीं हुई थी। निरन्तर छात्रों की संख्या बढने के कारण बहुत अधिक नये अध्यापकों की नियुक्ति हुई लेकिन कुछ गैर सरकारी संस्थाओ ने धन बचाने के लिए अप्रशिक्षित अध्यापको को कम वेतन पर नियुक्त करना शुरू कर दिया । निम्न तालिका दर्शाती है कि उस समय प्राथमिक स्तर पर केवल 67. प्रतिशत मिडिल स्तर पर 72 प्रतिशत तथा माध्यमिक स्तर पर केवल 70 प्रतिशत थे । प्रशिक्षित अध्यापिकाओं का प्रतिशत 1966 में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या से कुछ अधिक था।

तालिका संख्या –2(1)

सन् 1951–66 के मध्य प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत

स्तर	प्रकार	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	2000–01
पूर्व प्राथमिक	पुरूष	66	58	67	59	65
महिला		64	61	66	70	72
योग		66	61	67	70	72
प्राथमिक पुरूष		57	59	62	65	68
महिला		69	74	73	74	72
योग		58	61	64	67	70
मिडिल पुरूष		52	57	64	70	72
महिला		58	67	73	77	77
योग		53	59	67	72	75
माध्यमिक एवं	पुरूष	51	57	62	67	73
उच्च माध्यमिक	महिला	66	73	74	75	78
योग		54	60	64	70	75

1 :– शिक्षा आयोग अखिल भारतीय शिक्षा सांख्यकी भारत सरकार

नोट – उत्तरांचल के आंकड़े सम्मिलित नही है।

तालिका संख्या –3(1)

पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य शिक्षकों को संख्या

प्रकार	1950–51	1960–61	1970–71	1980 –81	2000–01
1. पूर्व प्राथमिक विधालय में अध्यापकों की संख्या (हजारों में)	866	1880	4000	6500	10800
2. प्राथमिक विघालयों में अध्यापको की संख्या (हजारों में)	538	691	742	1050	2,91,930
3. मिडिल विधालयों में अध्यापको की संख्या (हजारों मे)	86	148	345	520	9,10,000
4. उच्च माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विधालय में अध्यापकों की संख्या (हजारों में)	127	190	296	440	1,23,000
5. सभी संस्थाओ में कुल अध्यापकों की संख्या (हजारों मे)	803	1106	1508	2178	73,68

1 :– शिक्षा आयोग अखिल भारतीय शिक्षा सांख्यकी भारत सरकार

नोट – उत्तरांचल के आंकड़े सम्मिलित नही है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान प्रशिक्षित अध्यापको की संख्या में केवल सात प्रतिशत की वृद्धि हुई । फिर भी काफी संख्या में ऐसे अध्यापक माध्यमिक विद्यालयो में कार्यरत थे जो कि स्नातक नहीं थे । तथा प्राथमिक विद्यालयो में भी ऐसे अध्यापक काफी थे , जिन्होने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी , छात्राध्यापको का अनुपात इन तीनो पंचवर्षीय योजनाओ के दौरान लगभग स्थिर रहा ।

प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं के प्रशिक्षण संस्थाओ की संख्या में बृद्धि निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट की गई है। इस समय में प्राथमिक स्तर के शिक्षको के प्रशिक्षण के लिए शिक्षा के कुल खर्च का 4.2 प्रतिशत तथा प्रशिक्षण महाविद्यालयों पर 5.8 प्रतिशत धन खर्च किया गया । कुल शैक्षिक वजट का लगभग 10 प्रतिशत शिक्षा और प्रशिक्षण पर खर्च किया गया ।

तालिका संख्या - 4(1,2)

शिक्षक शिक्षा का विस्तार

प्रकार	1970–71	1980–81	1990–91	2000–01
प्रशिक्षण विधालयो की	782	939	1138	1300
संख्या खर्च (हजारों में)	15,229	19,757	38,811	64,000
प्रति छात्राध्यपक खर्च				
(वार्षिक रूपये में)	219	236	315	328
प्रशिक्षण महाविद्यालयो	53	107	531	1,272
की संख्या खर्च	3,547	6,566	21,514	24,000
प्रति छात्राध्यपक खर्च	332	583	733	809

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि शिक्षण विद्यालयो से हर क्षेत्र में 1951 से 1961 के बीच में दोगुनी बृद्धि हुई और 1966 तक यह बृद्धि तीन गुनी पहुंच गई । सन् 1966 में देश भर में करीब 29 ऐसी संस्थाए थी जो शिक्षा में

---

1. शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार (फार्म,ए,)
2. शिक्षा प्रगति के पेज नं0 38–39 वर्ष 2000–01

नोट – उत्तरांचल के आंकड़े सम्मिलित नही है।

तालिका क्रमांक — 5

प्रशिक्षण संस्थान तथा सम्बन्ध प्रशिक्षण संस्थायें उत्तर प्रदेश में शिक्षक शिक्षा का विस्तार

वर्ष	ट्रेनिंग कॉलेज			विश्वविद्यालय			महाविद्यालय			कुल योग
	एल0टी0 बी0एड0			बी0एड0 एम0एड			बी0एड0 एम0एड			
	पुरू0	म0	योग	पुरू0	म0	योग	पुरू0	म0	योग	
1950 — 51	4	5	9			2	8	1	9	20
1960 — 61	7	3	10			5	28	2	30	45
1970 — 71	6	4	10			5	44	7	51	66
1980 — 81	9	5	14			8	76	22	98	120
1990 — 91	9	6	15			10	76	23	99	124
2000 — 01	11	9	20			20	88	22	110	150

1. : — भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्यायें डा0 कर्ण सिंह वर्ष 1996 पृष्ठ 296

2. : — उत्तर प्रदेश की शिक्षा साख्यिकी वर्ष 2000—2001

तालिका क्रमांक – 6 [1,2]

प्रशिक्षण संस्थान तथा सम्बन्ध प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्र संख्या

वर्ष	ट्रेनिंग कॉलेज			विश्वविद्यालय			महाविद्यालय			कुल योग
	एल०टी० बी०एड०			बी०एड० एम०एड			बी०एड० एम०एड			
	पुरू०	म०	योग	पुरू०	म०	योग	पुरू०	म०	योग	
1950 – 51	226	337	563	312	107	419	520	66	586	1568
1960 – 61	500	520	1020	356	144	500	2413	509	2922	4442
1970 – 71	659	1357	2016	906	734	1343	3332	4316	7648	11007
1980 – 81	643	896	1541	1084	890	1974	6563	4316	10879	14394
1990 – 91	798	848	1646	1282	992	2274	7352	5440	12792	16712
2000 – 01	921	1021	1942	1422	1092	2514	8263	5848	14111	18567

1. – भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्यायें डा0 कर्ण सिंह वर्ष 1996 पृष्ठ 296
2. – उत्तर प्रदेश की शिक्षा सांख्यिकी वर्ष 2000–2001

एम0.एड0. व पी–एच0. डी0. की उपाधियां देती थी । सन् 1961 में एन0. सी0. ई0.आर0 टी0 तथा 1964 में एम0आई0 ई0 का गठन शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम को उन्नतशील बनाने के लिए किया गया ।

शिक्षाक शिक्षा चतुर्थ तथा पंचम पंचवर्षीय योजनाएं (1968– 1979)

कुछ कारणो से चतुर्थ एंव पंचम पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने में तीन वर्ष की देरी हुई जिसके लिए विभिन्न प्रकार की वार्षिक योजनाएं लायी गयी है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य आर्थिक उन्नति का था , जिससे अनिश्चितताओं के क्षेत्र में सुरक्षा मिल सके ,लोग अधिक रूप से स्वनिर्भर हो सके कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय मिल सके , और लोग अधिक रोजगार की सुविधाएं उपलव्ध कराई जा सके, इस पंचवर्षीय योजनाएं के दौरान प्राथमिक शिक्षा विस्तार पिछडे वर्ग तथा लडकियो शिक्षा पर विशेष दिया प्राथमिक विधालयीय शिक्षा के क्षेत्र में अधिक महत्व शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षण सामग्री तथा शिक्षण तकनीक पर दिया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्य तक नामांकन का लक्ष्य 70 प्रतिशत रखा गया था, लडकियो के सम्बन्ध में यह प्रतिशत 55. रखा गया था । इस योजना के अन्तर्गत अप्रशिक्षित अध्यापको को निकालने के भी प्रयास किये गये । इस योजना के अन्तर्गत 18000 प्राथमिक विधालयो के शिक्षको तथा 17600 माध्यमिक विधालयो के अध्यापको को पत्राचार पाठ्य क्रम की सुविधा दी गई ।

शिक्षा आयोग (1964–66) ने सुझाव दिया था कि आधुनिक ,लोक तांत्रिक और सामाजिक समुदाय के उददेश्यों की पूर्ति हेतु प्रचलित शिक्षा – प्रकिया में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है । इससे सम्बधित प्रमुख विन्दु राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) में दिये गये और यह प्रस्तावित किया गया कि पंचम पंचवर्षीय योजना में शैक्षिक – विकास के कार्यक्रम के विन्दु निम्न होने चाहिए–

(क) <u>शैक्षिक प्रक्रिया में बदलाव</u>– यह आवश्यक है कि शिक्षा को इतना प्रभावशाली बनाया जाये जिससे वह सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक आधुनिकीकरण तथा राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इसके लिए शिक्षा की पाठ्य वस्तु में परिवर्तन करने के साथ–साथ उन्नत शिक्षण विघियो को ग्रहण करना होगा। परीक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा । पाठ्य पुस्तकें तथा शिक्षक अधिगम में सहायक सामग्री के स्तर को ऊँचा उठाना होगा।

(ख) **स्तर का उन्नयन** – स्तर के उन्नयन के लिए निम्न प्रयास किये जाने चाहिए, प्रत्येक विकास – खण्ड में एक आदर्श प्राथमिक विद्यालय, स्वतन्त्र महाविद्यालयो की संख्या में बृद्धि के साथ उनके स्तर में सुधार, स्थानीय सहयोग द्वारा संस्थाओ की येाजनाओ को चलाना चाहिए ।

(ग) प्राथमिक विद्यालयों की उन्नति के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाये जाने चाहिए विशेषकर समाज के पिछडे वर्ग के लिए।

(घ) सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का उपबन्ध सन् 1975–76 में 6 से 11 वर्ष तक की आयु से बढाकर 1980–81 में 6से 14 वर्ष की आयु तक कर दिया गया था ।

(ङ) सभी राज्यों तथा केन्द्र में शिक्षा का समाज प्रतिमान 10+2+3 ही अपनाया जाये ।

(च) उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण किया जाये ।

(छ) एक राष्ट्रीय छात्रवृति नीति का विकास किया जाये, जिससे पिछडें समुदायों व गरीब घरों के मेधावी बच्चे अच्छे विद्यालयों तथा विश्व विधालयो में शिक्षा पा सकें ।

(ज) जनसंख्या नियंन्त्रण के लिए युवा आन्दोलन (14 से 25 वर्ष तक)चलाया जाये ।

(झ) महाविद्यालयीय तथा विश्व विद्यालयीय शिक्षा को निम्न सन्दर्भ में पुनः संगठित किया जाये ।

(अ) पिछडें समाज के छात्रों की सुविधा के लिए नियम ।

(आ) स्वयं पाठी या अवकाश काल में पढने वाले लोगों के लिए सुविधाओ का विस्तार ।

(इ) महाविद्यालयो में सुधार ।

(ई) परास्नातक शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार ।

(उ) पाठ्य वस्तु में नमनीयता , विभिन्नता तथा आधुनिकीकरण के आधार पर सुधार तथा पुस्तकालय और प्रयोग शाला की सुविधाओ में वृद्धि होनी चाहिए ।

(ऊ) गजेन्द्र गडकर समिति के अनुसार प्रशासन में सुधार होना चाहिए

(त्र) तकनीकी शिक्षा का विकास किया जाये।

(ट) राष्ट्रीय सामाजिक सेवा के लिए बडे पैमाने पर कार्यक्रम की शुरूआत की जाये।

(ठ) कार्यक्रमों को वनाने, लागू करने, विस्तार करने तथा गुणात्मक सुधार के लिए प्रशासनिक ढांचे मे मजवूती लानी होगी ।

तालिका संख्या –7(1)

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओ में खर्च का तुलनात्मक प्रारूप (करोंड रू.में)

उप प्रकार	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना	मध्यकालीन समय	चतुथी योजना	पंचम योजना
1. प्राथमिक शिक्षा	58	95	178	65.3	273.74	1600
पूर्व प्राथमिक शिक्षा के साथ	56	35	30	20	28.5	50
2. माध्यमिक शिक्षा	20	51	103	52.6	118.32	50
	13	19	18	16	14.4	18.9
3. विश्व विद्यालयो	14	48	87	77	183.52	400
शिक्षा	9	18	15	24	22.3	12.6
4. शिक्षक शिक्षा अ	23	9.4	21.16	—		
	—	—	4	3	2.6	—
5. सामाजिक शिक्षा	5	4	2	2.1	8.3	60
युवाओं सेवाओ	3	1	0	1	1	0
6. सांस्कृतिक कार्य	वी	3	7	3.7	12.49	—
क्रम	—	0	1	1	1.5	—
7. मिश्रित कार्यक्रम	9	23	64	30.7	11.86	340
	6	8	11	9	14.5	10.3
8. कुल सामान्य	133	224	484	240.8	697.29	3000
शिक्षा	87	82	79	75	84.8	93.7
9. कुल तकनीकि	20	49	125	80.7	125.36	200
शिक्षा	13	18	21	25	15.2	6.3
10. कुल शिक्षा	153	273	589	321.5	822.66	3200
	100	100	100	100	100	100

चुने हुए शैक्षिक तथा संबन्धित आंकड़े नई दिल्ली, भारत सरकार, आयोजना आयोग प्रभाग, 2001

छठी पंचवर्षीय योजना और शिक्षा (१९७८-८३)
सामान्य शिक्षा नीति का क्रियान्वयन

क. प्रौढ शिक्षा का कार्य 15 वर्ष तक की आयु के लोगों के लिए तेजी से चलाया जाएगा।

ख. 6से 14वर्ष तक के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए और अधिक प्रयास किए जायेगें–ऐसा तय किया गया कि शिक्षा के सम्पूर्ण बजट का आधा पैसा अनिवार्य शिक्षा पर खर्च किया जाएगा ।

ग. अनुसूचित जाति, जनजाति तथा कमजोर वर्ग के लड़को का नामांकन विधालय में करवाने के लिए और अधिक प्रयास किए जायेगें।

घ. माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में गुणात्मक उन्नति के लिए ध्यान दिया जाएगा।

ड. माध्यमिक विधालयो में व्यावसायिक शिक्षा भी लागू की जाएगी ।

च. शिक्षा का प्रसार उन क्षेत्रो मे अधिक किया जाएगा जो शैक्षिक दृष्टि से पिछडे है तथा जिस क्षेत्र के अधिकांश प्रौढ़ अशिक्षित है।

ज. विज्ञान शिक्षा पर अधिक बल दिया जाएगा।

उच्च शिक्षा

छठी पंचवर्षीय योजना में नये विश्व विद्यालय खुलने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया तथा नये महा विद्यालयो को केवल उन्हीं क्षेत्रो में खोलने कि अनुमति दी गयी जहां पर आवश्यक संसाधन पहले से उपलब्ध है, उच्च शिक्षा पाने के इच्छुक लोगो के लिए पत्राचार तथा खुले विश्वविद्यालयो की व्यवस्था कि गयी। उच्च शिक्षा पाने के लिए व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में विश्वविद्यालयी परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहन दिया गया । इस योजना में मुख्यतः शिक्षा के गुणात्मक स्तर की उन्नति के लिए ध्यान दिया

गया। छठी पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः निम्न शिक्षा की नीतियां निर्धारित की गयी ।

क. विश्व विद्यालयो मे प्रवेश मेरिट या सेलेक्शन के आधार पर किया जायेगा।

ख. स्नातक स्तर तक शिक्षा का माध्यम कुछ भारतीय भाषाओं में अच्छी पुस्तके तैयार करवाई जायेगी, विदेशी भाषाओं के अध्ययन को भी प्रोत्साहन दिया जायेगा ।

ग. कुछ स्वायतसेवी महा विद्यालय भी स्थापित किये जायेगे । विश्व विद्यालय के विभिन्न विभागो तथा महाविद्यालयों में शक्ति के नियम को लागू किया जायेगा ।

घ. यू0 जी0 सी0 द्वारा वितीय सहायता सभी महाविद्यालयो को देय नहीं होगी ।

ड. सेवा प्रसार विभाग के कार्यक्रम उच्च शिक्षा के अभिन्न अंग होगे।

च. परास्तानक स्वर की कक्षाओं की अनुमति केवल विश्वविद्यालयो को ही होगी ।

छ. अध्यापको को और अधिक सुविधाये दी जायेगी ।

ज. आधार भूत शोधों को और अधिक बढावा दिया जायेगा ।

तकनीकि शिक्षा

इस योजना को बनाने वालो को अभाव था कि तकनीकि शिक्षा के लिए वर्तमान सुविधाये पर्याप्त नहीं है इसलिए इस योजना में तकनीकी शिक्षा के गुणात्मक तथा संख्यात्मक दोनों प्रकार के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई । इसके अन्तर्गत पाठ्य पुस्तको का स्तर सुधारा जायेगा तथा इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए नये केन्द्र खोले जायेगें ।

सातवी पंचवर्षीय योजना (1985–1990)

विश्व विधालयीय शिक्षा

इस योजना में उच्च शिक्षा का स्तर सुधारने तथा राष्ट्र की मांगो के अनुसार उसके रूप को परिवर्तित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। पिछडें वर्गो की उच्च शिक्षा के लिए इस योजना में खुले विश्वविधालयों , पत्राचार पाठ्यक्रमों तथा अंशकालीन शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना मे उच्च शिक्षा के प्राध्यापकों को भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई जिसमे शिक्षण की नयी विधियो , प्रविधियों को सीखने, मूल्यांकन आदि के सम्वन्ध मे प्रशिक्षण दिया जाएगा । अनुसूचित जाति तथा जन जाति के विघार्थियो के लिए उच्च शिक्षा पर नैदानिक शिक्षण तथा स्पेशल कोचिगं की व्यवस्था भी इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू रही । पिछडे वर्ग अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगो के प्रति स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए भी निः शुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई।

तकनीकि शिक्षा

सातवी पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः निम्न विन्दुओ पर विशेष ध्यान दिया गया–

क. अब तक प्रदान की गई सुविधाओ का अधिकतम उपयोग ।

ख. उन के विकास के लिए, शिक्षा के लिए आवश्यक सुविधाओ को जुटाने के लिए तथा प्रशिक्षण एवं शोध के लिए नयी तकनीक का विकास करना,

ग. उन क्षेत्रो की पहचान करना जो कि सीधे पिछडे लोगो से सम्बन्धित है तथा उनके लिए, तकनीकी विकास करना ।

घ. तकनीकि शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार करना।

ड. तकनीकि शिक्षा की बाधाओ को दूर करना।

च. इंजीनियरिगं प्रयोग शालाओ, कार्य शालाओं तथा तकनीकि शिक्षण संस्थाओ का आधुनिकरण ।

छ. तकनीकी शिक्षा के लिए प्रभाव शाली प्रवन्ध ताकि इस क्षेत्र में किये जा रहे खर्च का भरपूर फायदा मिल सके।

ज. तकनीकि शिक्षा को ग्रामीण विकास से सीधा जोडा जायेगा ।

परीक्षा - प्रणाली में सुधार

इस योजना में कहा गया है कि वर्तमान परीक्षा न केवल सीखने के गलत ढंगो को उत्साहित करती है बल्कि विभिन्न तरीके की बुराइयो को शिक्षा के क्षेत्र मे उत्पन्न कर रही है। अतः परीक्षा ओ के स्वरूप में सुधार करने को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी ।

भाषा का विकास

शिक्षा के विकास के लिए भाषा आधार है– इस योजना में भाषा के विकास के लिए निम्न विन्दुओ पर बल दिया गया –

क. हिन्दी भाषा की उन्नति (संविधान की धारा 351 के अनुसार)

ख. आधुनिक भारतीय भाषाओ की उन्नति (नयी शिक्षा के अनुसार)

ग. अंग्रजी तथा अन्य विदशी भाषाओं की उन्नति ।

घ. संस्कृत तथा अन्य शास्त्रीय भाषाओं का विकास जैसे अरवी तथा पारशियन्स।

ड. उर्दू, सिन्धी आदि कुछ भाषाओ के लिए केन्द्र विशेष ध्यान देगा।

अन्य कार्यक्रम

सातवी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृति भाषा का विकास, किताबो की उन्नति, शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन तथा प्रौढ़ शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया । ग्रामीण क्षेत्रो के विलक्षण छात्रो के लिए 432 माडल स्कूल भी खोले गये।

अध्यापको के राष्ट्रीय आयोग (1983–85)

आयोगों की नियुक्ति

अध्यापक समुदाय से सम्बन्धित विभिन्न पहुलओ पर सलाह देने के लिए भारत

सरकार ने 16 फरवरी , 1983 के प्रस्ताव नं0 23–1–81 पी0 एन0 2 के अनुसार दो राष्ट्रीय आयोगो की नियुक्ति की थी । पहले राष्ट्रीय आयोग ने स्कूल स्तर के अध्यापको से सम्बन्धियो पर विचार किया, जबकि दूसरे आयोग ने उच्च शिक्षा स्तर के अध्यापको से सम्बन्धित मुर्दो पर (इसमे तकनीकि शिक्षा भी शामिल थी) विचार किया । पहले आयोग के अध्यक्ष प्रो0 डी0 पी0 चटट्ोपाघ्याय थे और दूसरे आयोग के अध्यक्ष विश्व–विद्यालय आयोग में 18 सदस्य थे और दूसरे में 19 सदस्य थे। तत्कालीन शिक्षा सलाहकार तथा वर्तमान विशेष सचिव, मानव संसाधन विकास
शिक्षा विभाग दोनो ही आयेागो के सदस्य सचिव थे।

आयोगो के विचारार्थ विषय उददेश्य

आयोग के विचार विषय निम्नलिखित थे–

1. देश की विरासत, प्रजातन्त्र पद्वति, धर्म–निरेक्षता तथा सामाजिक न्याय में रखते हुए, उत्कृष्टता की खोज, विस्तृत अर्थात उदार दृष्टि तथा मूल्यो को जगाने के सन्दर्भ में अध्यापन व्यवसाय के लिए स्पष्ट उददेश्य निर्धारित करना।
2. व्यवसाय के सदस्यों को समाज में उपयुक्त स्थान देने के लिए उपायो का पता लगाना ।
3. व्यवसाय में गतिशील लाने के उददेश्य से तथा विश्व में अन्य विकास के प्रति अनुक्रियाशीलता लाने के लिए उपाय सुझाना।
4. अध्यापन व्यवसाय में प्रतिभाशाली लोगो को आकर्षित करने के लिए और भर्ती के आधार को, विशेष रूप से महिलाओ के लिए, व्यापक बनाने के उददेश्य से उपायो की सिफारिश करना ।
5. अध्यापको के लिए सेवा आरम्भ करने से पहले या सेवा के दौरान प्रशिक्षण – दिशा – निर्देश की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा और सुधार कि सिफारिश करना ।
6. अध्ययन के लिए सुधरे हुए तरीके और प्रौद्योगिकी (टेक्नोलोजी) को लागू करने

की समीक्षा और सिफारिश करना।

7. ज्ञान, दक्षता तथा मूल्यो को प्राप्त करने में विद्यार्थियों को सुविधा देने, प्रेरित करने, तथा प्रोत्साहन देने मे अध्यापको का योगदान बढाने के लिए उपायो की सिफारिश करना और उनके माध्यम से वैज्ञानिक रूझान, धर्म निरपेक्ष दृष्टि कोण, वातावरणीय जागरूकता तथा नागरिक उत्तरदायित्य की भावना के प्रसार को बढावा देना।

8. समाज तथा घर में शिक्षा एवं विकास कार्य में तालमेल बैठाने के लिए अध्यापको की भूमिका का पता लगाना ।

9. अनौपचारिक शिक्षा तथा शिक्षा जारी रखने के क्षेत्र मे अध्यापको की विशेष अपेक्षाओ का अध्ययन और अपेक्षाओ की किस तरह पूर्ति हो सकती है, उसके लिए उपाय सुझाना ।

10. अध्यापको के लिए स्वीकरणीय तथा व्यवहार्य आचार – संहिता तैयार करने की सम्भावना पर विचार।

11. व्यवसायिक विकास तथा व्यवसायिक जागरूकता में अध्यापको एवं संगठनो की भूमिका का पता लगाना ।

12. अध्यापको के कल्याण कार्यो को बढावा देने के लिए, विशेष रूप से अध्यापक कल्याण के राष्ट्रीय संस्थान के सन्दर्भ में, व्यवस्था पर्याप्त है, या नही इसका आंकलन करना और जहां आवश्यक हो, वहां सुझाव के सुझाव देना।

रिपोर्ट पेश करना -

आयोगों ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट जून 1984 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री को पेश की। इन अन्तिम रिपोर्टो मे तत्कालिक महत्व के अनेक मामले थे जिन पर आयोगो के अनुसार सरकार को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी । विस्तार चर्चा के उपरान्त

पहले और दूसरे आयोग ने अन्त में 26 मार्च, 1985 को तत्कालीन शिक्षा, मन्त्री को अपनी रिपोर्ट पेश की । इन दोना आयोगो की रिपोर्टो की जांच उन0 सी0 टी0 कक्ष ने की । यह कक्ष शिक्षा विभाग के एक अंग के रूप मे काम कर रहा है, इन दोनों आयोगों द्वारा पेश की गई रिपोर्टो की सिफारिशो पर सरकार को सलाह देने के लिए भारत सरकार ने एक साधिकार समिति (एम्पावर्ड कमेटी) नियुक्त को , जिसके अक्ष्यक्ष शिक्षा सचिव थे। इस समिति में अन्यो के अतिरिक्त , वित मंत्रालय कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग तथा योजना आयोगो आदि के प्रतिनिधि थे,।

उक्त कक्ष ने विभिन्न सम्बन्धित मंत्रालयो , (विभागो से)इन सिफारिश पर उनके विचार आमन्त्रित किये। विभिन्न विभागो से जिसमे विश्वविद्यालय अनुदान आयोगो एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 और एन0 आई0 ई0 ए0 आदि है, टिप्पणिया आई और उनकी जांच की गई । दोनों आयोगो पर होने वाले कुल खर्च रू0 49, 97, 583, 51 को सरकार ने उठाया । कर्मचारियों का वेतन, केन्द्रीय तकनीकी यूनिट, एन0 आई0 ई0 पी0 ए0 और इलाहाबाद में अनुसंधान कक्ष को अनुदान, बैठकों आदि पर अनुषांगिक खर्च के अलावा गैर सरकारी सदस्यों का दैनिक व यात्रा भत्ता इस खर्चे में शामिल था ।

अध्यापकों के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग की मुख्य सिफारिशें

1. राष्ट्रीय विकास में अध्यापकों को भूमिका : राष्ट्रीय लक्ष्यों को, विशेषतः निम्न लक्ष्यों को बढ़वा देना चाहिए –

   (क) संयुक्त या संगठित सरकार

   (ख) आधुनिकीकरण की प्रक्रिया

   (ग) उत्पादन

   (घ) सहृदय व ध्यान रखने वाला समाज

इस बात पर बल दिया गया कि अध्यापक का बुनियादी काम मानव निर्माण अर्थात कल के भारत का निर्माण हैं।

2. कल्याणकारी उपाय : निम्नलिखित कल्याणकारी उपाय शुरू किए जाने चाहिए –

(क) मकान बनाने के लिए अध्यापकों को आसान किश्तों पर चुकाये जाने वाले ऋण देने के लिए आवास निधि की व्यवस्था ।

(ख) अध्यापकों के लिए आवास–निर्माण संस्थाओं को बढ़ावा देना ।

(ग) प्रमुख नगरों में छुट्टियां बिताने के लिए निवास (होली डे होम्स) की व्यवस्था करना ।

(घ) मूल वेतन के 7.5 प्रतिशत की दर से चिकित्सा भत्ता, प्रसूति तथा गम्भीर बीमारियों में चिकित्सा पर होने वाले खर्चे की प्रति पूर्ति ।

(ड़) स्कूल में प्राथमिक चिकित्सा की सुविधांए। अवकाश प्राप्त करने के बाद भी अध्यापकों एंव उनके परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधांए।

3. महिला अध्यापकों के लिए क्वार्टरों का निर्माण : आयोग ने सिफारिश की है कि सातवी योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अध्यापकों के लिए एक लाख क्वार्टर बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए । आयोग की राय में एक साधारण आवास यूनिट 25,000 रूपयों में बन सकता हैं।

4. राष्ट्रीय अध्यापक संस्थान की विविध गतिविधियां : अध्यापकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय संस्थान की गतिविधियो को और बढ़ाकर उनमें आवास की योजना, चिकित्सा सहायता, पुस्तको का प्रकाशन, शिक्षा ऋण, अध्यापक अतिथि निवास आदि को शामिल किया जाये ।

5. समन्वित वेतन–क्रम : केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को अध्यापकों तथा शिक्षा प्रशासकों के लिए ढेर सारे वेतनक्रमों के स्थान पर एक ही वेतनक्रम लागू

करने की सम्भावना पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए । देश के सभी प्रकार के अध्यापकों तथा शिक्षा प्रशासकों के लिए एक ही समन्वित वेतनक्रम लागू करना संयुक्त राष्ट्रीय वेतन–क्रम की दिशा में पहला कदम होगा ।

6. वेतन–क्रमों का विवरण (सब भत्तों को छोड़कर): शुरूआत से पांच साल के बाद दक्षता रोक (एफीशियेंसी बार) और उनके बाद हर दस साल बाद–

500 –20	1000 – 40	2350 – 50	3575 – 75
600 – 20	1200 – 40	2600 – 60	3950
700 – 30	1600 – 50	2900 – 75	
850 – 30	2100 – 50	3275 – 75	

श्रेणी	भर्ती के समय वेतन	भर्ती की संभावित आयु	सेवा निवृति की आयु	सेवा अवधि की आयु	अधिकतम
1. प्राइमरी अध्यापक	4500	125	60	35	7000
2. प्राईमरी प्रधानाध्यापक	5500	175	60	35	9000
3. सहायक अध्यापक जूनियर	5500	175	60	35	9000
4. प्रधानाध्यापक (जूनियर)	6500	200	60	30	10500
5. एल0टी0 शिक्षक	5500	175	60	30	9000
6. प्रवक्ता	6500	200	60	25	10500
7.प्रधानाध्यापक (हाईस्कूल)	7500	250	60	20	12000
8. प्रधानाचार्य	10000	325	60	15	15200
9. जायेण्ट डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन	14300	425	60	15	18300
10. डाईरेक्टर ऑफ एजूकेशन	18400	475	60	10	22400

राज्यसरकार द्वारा पंचम वेतन आयोग की संस्तुति का शासनादेश 2000–2001

7. नये वेतन मानो से लाभ : नयी वेतन निर्धारण नीति के फलस्वरूप जैसी कि आयोग ने सिफारिश की है, आशा की जाती है कि प्रत्येक राज्य मे औसत सेकेण्डरी (माध्यमिक) स्कूल अध्यापक को 100 रूपया प्रतिमाह से कम का लाभ नहीं मिलेगा । जबकि प्राथमिक अध्यापक को 150 रूपया प्रतिमाह से कम लाभ नहीं मिलेगा।

8. दक्षता – रोध का प्रावधान : आयोंग ने सिफारिश की है कि प्रस्तावित समन्वित लम्वे वेतन–क्रम में, भर्ती होने के प्रत्येक चरण से 5 वर्ष के चाहिए । ऐसी व्यवस्था वेतन को कार्य–कौशल से जोडने के लिए की गई है । आयोग ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक उस चरण पर जहॉ दक्षता –रोक होता है उस संस्था के प्रधान को समीक्षा करनी चाहिए कि सम्बधित अध्यापक पूर्ववर्ती वर्षो में कैसा काम करता रहा है । इस प्रकार की समीक्षा करने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि समीक्षा में किसी दूसरे संस्थान के प्रधान या इंस्पेक्टर का , जो अपनी ईमानदारी व निष्पक्षता के लिए प्रसिद्व हो, जहां आवश्यक हो सहयोग ही किया जाए।

9. राज्य सरकार को सहायता : इन प्रस्तावित वेतनक्रमो को लागू करने के लिए पांच वर्ष तक केन्द्र सरकार को चाहिए, यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार के धाटे को पूरा करें ।

10. माध्यमिक स्कूलों मे और अधिक वरिष्ठ पद पर : वाईस प्रिंसिपल फर्स्ट टीचर के अतिरिक्त पदों को काफी संख्या में प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों में बढाया जाए । विभिन्न स्तरों पर पदों की संख्या मोटे तौर पर इस विभाजन के अनुसार हो । सहायक अध्यापक 60 प्रतिशत वरिष्ठ अध्यापक 25 प्रतिशत वाईस प्रिसिपंल 10 प्रतिशत और प्रिसिपल हैड–मास्टर 15 प्रतिशत ।

11. अध्यापको के विभिन्न वर्गो के एक जैसे वेतन – क्रम : शारीरिक शिक्षा,

भारतीय भाषाओं, संगीत , चित्रकला आदि कि अध्यापको के साथ वेतन एवं कार्य की अन्य शर्तो के सम्बन्ध में कोई भेद –भाव नहीं बरतना चाहिए ।

12 अध्यापक शिक्षा : शिक्षा का समन्वित कालेजः आयोग ने सिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य को सातवी योजना की अवधि में कम शिक्षा का एक चतुर्षीय संमन्वित कालेज खोलने की शुरूआत करनी चाहिए ।

13. प्राथमिक अध्यापकों के लिए दो वर्ष का प्रशिक्षण : प्रारम्भिक अध्यापको के लिए यह वांछनीय है कि वे 12 वीं श्रेणी के बाद दो साल का प्रशिक्षण लें । इस प्रणाली को सामान्य प्रणाली के रूप में प्राथमिक अध्यापको के लिए लागू करने का शीघ्र से शीघ्र प्रयत्न करना चाहिए।

14. अध्यापको के चयन के बाद प्रशिक्षण : भविष्य में टीचर्स ट्रेनिगं केवल उन्हीं लोगों तक सीमित हो जिन्हें या तो भर्ती किया गया हो या भर्ती के लिए चुन लिया गया हो ।

15. सेवा के दौरान प्रशिक्षण पाठ्य क्रम : प्रत्येक प्रशिक्षण पाठ्य क्रम को सेवा के दौरान किया जाये वह एक कार्यशाला के रूप में हो , जिसमें वास्तविक व्यावहारिक कार्य के अवसर दिए जाए, जिसमें पढाने की सामग्री तैयार करना भी शामिल है, जिसे भाग लेने वाले अध्यापक अपने साथ इस्तेमाल के लिए भी ले जा सकें।

16. अध्यापको के लिए आचार – संहिता : अध्यापको के संगठनो के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापको के लिए आचार – संहिता तैयार की जाए।

17. योग्यता व अनुशासन कार्य विवरण को मान्यताः अकर्मण्य और सहज मान्यता देने सम्बन्धी दूसरा कदम होगा, अनुशासन की कार्यवाहियो पर शीध्रता तथा अधिक कुशलता से काम लिया जाए।

18. प्रधान का योग्यता के आधार पर चयन : स्कूल के कार्य में प्रधानाध्यापक का पद अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण उसका चयन केवल उत्कृष्टता और

वरिष्ठता के आधार पर न कि वरिष्ठता व योग्यता के आधार पर हो ।

19. राष्ट्रीय संगठन की स्थापना : स्कूली शिक्षा सुधार के लिए राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाए ।

20. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के कानूनी अधिकार : राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को कानूनी अधिकार मिलने चाहिए ।

21. भारतीय शिक्षा सेवा को फिर चालू करना : शिक्षा व्यवस्था की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए और देश में शिक्षा के विकास की गति को तीव्र करने के लिए, भारतीय शिक्षा सेवा को फिर से चालू करने की जोरदार सिफारिश की गई हैं।

अध्यापकों के लिए गठित द्वितीय राष्ट्रीय आयोग की मुख्य सिफारिशें

1. **अध्यापकों की भूमिका** –मानव निर्माण तथा समाज निर्माण गतिविधि के रूप में शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिऐ । अध्यापक की भूमिका को परिवर्तन का माध्यम, ज्ञान अर्जन कराने वाले तथा समाज के साथ सहयोग करने वाले माध्यम के रूप में समझना चाहिए । ज्ञान के अतिशय विकास के सन्दर्भ में, अध्यापकों का ज्ञान अद्यतन होना चाहिए । उन्हें नवीनतम जानकारी होनी चाहिए जिसके लिए उन्हें निरन्तर अध्ययन करने की आवश्यकता हैं। अब कक्षाओं में भाषण की प्रणाली काफी नहीं हैं और इसके लिए अनेक उपाय अपनाने पढ़ेगें, जैसे बाहर काम करना (फील्ड वर्क), आयोजनाएं, गोष्ठियां, अनुरूपक अभ्यास, समस्या– समाधान करने वाली प्रायोजनाएं, ट्यूटोरियल और अध्ययन–अध्यापन के अन्य गतिशील उपाय। ये विशेष रूप से इसलिए आवश्यक हैं। क्योंकि प्रवृत्तियों, आचरण, मूल्यों और सामाजिक विकास सम्बन्धी कार्यों को प्रोत्साहित करने की विशेष आवश्यकता हैं।

2. अध्यापकों की स्थितियों में सुधार -

(क) देशभर में अध्यापकों के रहने और काम करने की स्थितियों में सुधार होना चाहिए ।

(ख) व्यवसाय में देर से शुरूआत करने की क्षतिपूर्ति के रूप में अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत की जानी चाहिए ।

(ग) कम–से–कम 25प्रतिशत अध्यापकों की आवास की सुविधा मिलनी चाहिए। 250 करोड़ रूपये की आवर्ती (रिवाल्विगनिधि) अलग से रख दी जाए ताकि कम ब्याज की दरों पर संस्थाओं को ऋण दिया जा सके।

(घ) अध्यापकों के लिए भी आवास–निर्माण के लिए अग्रिम राशि स्वीकृत की जानी चाहिए ।

(ड़) वाहन खरीदने के लिए अध्यापकों को भी ऋण मंजूर किया जाए।

(च) कालेजों में कम–से–कम 25 प्रतिशत अध्यापकों के पास अलमारी या खाने (क्यूबिकल) हों जिनमें ताले लगाये जा सके । इसके लिए 150 करोड़ रूपये राशि की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(छ) 50 रूपये मासिक चिकित्सा भत्ता सभी अध्यापकों को दिया जाये अस्पताल में भर्ती होने की हालत में उसका पूरा खर्चा दिये जाने का प्राबधान भी हो ।

(ज) सभी अध्यापकों को छुट्टी और यात्रा सुविधाओं के अतिरिक्त अवकाश ग्रहण करने पर मिलने वाली सुविधायें जैसे प्रोविडेंट फंड, अनुग्रह राशि (ग्रंच्युटी), पेंशन और सामूहिक इंश्योरेंश जैसे लाभ मिलें ।

(झ) प्रत्येक जिले में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किये जाने वाले स्कूलों में अध्यापकों के बच्चों को भर्त्ती के लिए उच्च प्राथमिकता दी जाए ।

3. अध्यापकों का चयन -

(क) अध्यापकों को 25 प्रतिशत नियुक्तियां राज्य के बाहर के लोगों में से होनी चाहिए ।

(ख) यह अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं कि अध्यापन व्यवसाय में प्रवेश पाने वाले व्यक्तियों का चयन कड़ाई के साथ योग्यता पर आधरित हो । एक अखिल भारतीय परीक्षा हो और केवल उन्ही लोगों के चयन पर विचार किया जाये जिन्होने इस प्रकार की परीक्षा में प्रवेश स्थान पाया हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दूसरी अर्हताएं (योग्यताएं) जारी रहनी चाहिए ।

(ग) उच्चतर स्तरों पर जैसे रीडर्स और प्रोफेसर पदों पर सभी नियुक्तियां अखिल भारतीय आधार पर यथार्थतः खुले चयन द्वारा की जाएं । प्रोफेसरों के उच्चतर पद के लिए राष्ट्रीय चयन हो ।

4. सेवा के दौरान प्रशिक्षण - अध्यापकों के लिए हर पांचवे साल व्यवस्थित परन्तु अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम ताकि वे अपने ज्ञान को फिर से ताजा कर सकें । अध्यापकों को सेवा शुरू करने से पहले भी कुछ प्रशिक्षण दिया जा सकता हैं। इसके अतिरिक्त एम0 फिल0/पी–एच0 डी0 लेने के अतिरिक्त भावी अध्यापक ऐसे कुछ विशेष पाठ्यक्रम ले सकते हैं जिनका सम्बन्ध सीधे अध्यापन से हो, इसके अलावा, किसी व्यक्ति के सीधे ही अध्यापन व्यवसाय में प्रवेश करने के तुरन्त बाद, उसे ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लेने की सुविधाएं मुहैया की जाएं जिसका सम्बन्ध निम्नलिखित विषयों से हो । व्यवसाय से सम्बन्धित उपयुक्त दिशा – निदेश और दक्षता, पाठ्य क्रम तैयार करना , श्रव्य दृश्य सहायता का प्रयोग , संचार कौशल , शैक्षिक मनोविज्ञान तथा मूल्यांकन विधिया । अध्यापको को अपने पूरे सेवाकाल के दौरान , समय –समय पर उनके पुनर्प्रशिक्षण की सुविधाए दी जाए, इस प्रकार के प्रशिक्षण के कार्यक्रमो के लिए राज्य – क्षेत्रीय स्तरों पर उन्नत केन्द्र और – या विभग से हो और वह समय – समय पर उदाहरणार्थ हर पांच साल में एक वार इसके कार्यक्रमो मे भाग ले । इस प्रकार के कार्यक्रमो में अध्यापको के कार्य को वडी कडाई से जाचां जाये और इस बात को उसकी उन्नति के सन्दर्भ मे ध्यान में रखा जाए ।

5. स्पष्ट वेंतनमान -

(क) लेक्चरार,,रीडर्स और प्रोफेसर के वर्गो मे से प्रत्येक के स्पष्ट वेतन मान होने चाहिए। सामान्य कार्य कौशल वाले व्यक्ति का जब वह 8 साल की सेवा पूरी कर ले, मूल्यांकन किया जाए और यदि उसे उस पद के उपयुक्त पाया जाए, तभी अगले वेतन क्रम मे लिया जाये । यह एक औसत तरीका माना गया है। अगर यह व्यवस्था ठीक तरह कार्यान्वित होती है तो अध्यापक को अपने सेवाकाल में कई उन्नतिया मिल सकती है और कोई भी व्यक्ति उच्चतम वेतन के 75 प्रतिशत तक पहुँच सकता है, प्रतिभाशाली अध्यापक अपना विवरण (वायोडेटा)और उपलब्धियां बताकर विशेष मूल्यांकन का अधिकारी हो सकता है, वशर्ते कि उसने विशेष वेतन मान पर छः साल सेवा की हो और अगर उसे वैध चयन समिति (स्टैचुटरी सैनेक्शन कमेटी)द्वारा योग्य पाया जाये, तो उसे उसी कोटि या पद के अगले उच्चतर वेतन में किया जा सकता है।

(ख) कालेजों में रीडर्स के ग्रेड शुरू किए जाए और स्नातकोतर कालेजो में प्रोफेसर ग्रेड चालू करने की सम्भावना पर विचार किया जा सकता है।

(ग) एक विश्व विधालय – कालेजो से दूसरे में स्थानान्तरित होने पर उन्हें पिछली सेवा के पूरे लाभ मिलने चाहिए ।

(घ) महिला अध्यापकों के लिए विशेष सुविधाए, जैसे अशंकालिक काम, अगर उनकी पारिवारिक दशा की मांग हो दी जानी चाहिए । संस्थाओ द्वारा कालेज खोले जाने चाहिए ।

6. अध्यापकों के लिए आचार-संहिता – कोई भी व्यवसाय और सेवा बिना कर्तव्यों (डूज) और वर्ज्रनाओं (डोन्टस्) के टिक नहीं सकता ओर न जीवित रह सकता है । अध्यापकों के लिए यह वांछनीय नहीं हे कि वे अपने शैक्षिक कर्तव्यों जैसे भाषणों ,प्रदर्शनों, मार्गदर्शन, निरीक्षण, आदि में टाल–मटोल करें। विद्यार्थियों के मूल्यांकन में किसी भी प्रकार का पक्षपात न हो । एक अध्यापक विद्यार्थियों अथवा

अध्यापकों को दूसरे विद्यार्थियों या अध्यापकों के विरूद्ध कदापि न भड़काए । उसे उपयुक्त प्रशासनिक अथवा शैक्षिक संस्था के निर्णयों को पालन करनें से इनकार नहीं करना चाहिए । इस प्रकार की बातें आचार या आचार–संहिता में कोई नयी नहीं हैं। अध्यापक समुदाय की चाहिए कि वह अपने कार्य में उत्तम कसौटी अपनाए ताकि वह समाज में सर्वोत्कृष्ट प्रतिष्ठित पद पा सके ।

7. विविध सिफारिशें -

(क) गतिविधियों के संचालन व प्रबन्ध में अध्यापकों को और अधिक उत्तरदायित्व संभालना चाहिये ।

(ख) संस्थानों के शामी निकाय (गवनिंग बॉडी) को उत्तरदायी होना चाहिए ।

(ग) अध्यापकों के संघों को इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए कि उनके सदस्य अध्यापक अपना व्यावसायिक कौशल उच्च स्तर का रखें । वे अपनी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में सहमत हों ।

(घ) अध्यापकों कि शिकायतों को तत्काल दूर करने कि व्यवस्था कि जानी चाहिए ।

शिक्षक-शिक्षा की प्रगति

भारत मे पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रति राज्य का उत्तरदायित्व नही है। अतः इस स्तर के लिए प्रशिक्षण की कोई स्पष्ट नीति उभरकर अभी तक नहीं वन पायी है। प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था राजकीय तथा व्यक्तिगत दोनो स्तरो पर की जाती है। स्तानक तथा स्नातकोतर छात्रो को प्रशिक्षित करने के लिए मुख्यतः तीन प्रकार की संस्थाए देखने में आती है–

(क) विश्व विधालय का शिक्षा विभाग

(ख) राज्य सरकार – राजकीय तथा राजकीय सहायता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाए

(ग) स्वतन्त्र संगठन – जैसे एन0 सी 0 ई 0 आर0 टी0

इनका पाठ्यक्रम प्रायः एक वर्ष का है।(व्यवहार में 8.9माह) पाठ्य क्रम के अन्त में उतीर्ण होने पर वी0 एड0 की उपाधि या राँज्य सरकार का सर्टीफिकेट, डिप्लोमा प्रदन किया जाता है । चुकि छात्रों की संख्या लगातार बढ रही है अतः शिक्षको की मांग भी दिन – प्रतिदिन वढ रही है।

तालिका नं0 8 पर दृष्टि डालने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। 1951 में स्कूल अध्यापको की संख्या पुरूष 6,34,768 एवं महिला 1, 15, 150 थी जो कि 1985 में स्कूल अध्यापकों, की संख्या पुरूष 6, 34, 768 एवं महिला 1, 15, 150 थी जो कि 1985 में बढ़कर पुरूष 24, 48, 329 तथा महिला 9, 90, 505, हो गई । तालिका न0 9 से प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरीय शिक्षकों की संख्यात्मक वृद्धि के साथ – साथ, यह भी विविद हो जाता हैं । कि कुल अध्यापकों की सख्या में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या क्या थी ।

तालिका संख्या-8(1)

भारत में शाला अध्यापको की वृद्धि 1950–51 से 2000–01 तक

	प्राथमिक		मिडिल		उच्च/उच्चतर माध्यमिक		कुल	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1950– 51	455637	82281	72609	12887	106522	19982	634768	115150
1984–85	1076579	381561	618958	286249	752792	322695	2448329	990505
2000–2001	2693241	751615	1014608	542694	1942031	562968	4292381	1090501

तालिका संख्या–9(1)

शालाओं में शिक्षकों कि संख्या (कुल एंव प्रशिक्षित) 1970–71 से 2000–01 तक

	1970–71				2000–01			
	कुल		प्रशिक्षित		कुल		प्रशिक्षित	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
प्राथमिक	83534	224610	675370	179335	1021205	341592	883698	295904
मिडिल	463063	174506	384309	1499798	598191	253346	528794	229973
उच्च/उच्चत्तर माध्यमिक	473776	155426	345517	128207	657799	254313	578722	230698

शैक्षिक एंव सम्बन्धित आकड़ों का एक प्रपत्र : नई दिल्ली, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार 2002.

तालिका संख्या–10(1)

भारत में शिक्षक – प्रशिक्षण हेतु प्रवेश (स्नातक एंव स्नातकोत्तर)

वर्ष	पुरूष	महिला
1970–71	36,434	22,102
1980–81	36,695	32,179
1990 – 91	38,445	40,022
2000–01	42,035	41,392

शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति (1985) के तहत बड़े व्यापक सुधार हो रहे हैं। संख्यात्मक वृद्धि के साथ गुणात्मक सुधार की दृष्टि में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एन0 सी0 टी0 ई0) ने बहुत से ठोस कदम उठाये हैं। भबिष्य में प्रत्येक स्तर पर शिक्षक के क्षेत्र में व्यापक सुधार की आशा बलवती बन चुकी है

भारत में शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम

प्राथमिक स्तरीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम

पिछले तीन दशकों में भारत में शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों में नये विषय, नवीन आयाम तथा नूतन धारांए जोडी गई हैं। इस दिशा में कई प्रयोग तथा नवाचार किए गए हैं । परिवर्तनों के माध्यम से ज्ञात करने का प्रयास किया जा रहा हैं कि वर्तमान पाठ्यक्रम किस सीमा तक समाज तथा शालाओं की आवश्यकता की पूर्ति करता हैं। देश के बहुमुखी विकास की दृष्टि में रखते हुए तथा 10. 2. 3 शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में, शिक्षक शिक्षा के उद्दश्यों में जो परिवर्तन होगा, उसका प्रभाव पाठ्यक्रम पर पड़ना स्वाभाविक हैं।

शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में औपचारिक प्रशिक्षण संस्थाएं तीन स्तरों पर देखने को मिलती हैं । इन विभिन्न स्तरों के लिए शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम भी भिन्न–भिन्न होता हैं। –

शैक्षिक एंव सम्बन्धित आकड़ों का एक प्रपत्र, नई दिल्ली, मानव संसाधन

1. प्राथमिक शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम
2. माध्यमिक शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम
3. स्नातकोत्तर शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम

पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्तमान में राज्य का उत्तरदायित्व नही हैं। जिस पर भी यह सर्वमान्य धारणा है कि इस स्तर की शिक्षा का महत्व अन्य स्तरों की तुलना में किसी भातिं कम नही हैं अतः इसे नकारा नही जा सकता । पूर्ण प्राथमिक विद्यालयों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर यह सुझाव दिया जा सकता है कि इस स्तर के लिए 1 अथवा अन्य 2 वर्ष की अवधि का शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम उन लोगों के लिए जो कक्षा 10 पास कर चुके हैं,बनाया जा सकता हैं।

एन0 सी0 आई0 आर0 टी0 ने 1970 में पूर्व प्राथमिक शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम विकसित किया था जिसके दो भाग हैं –

	अंक
भाग (अ) –	
पाठ्यक्रम 1. पूर्व प्राथमिक शिक्षा के दार्शनिक आधार इसका ऐतिहासिक विकास	75
–पाठ्यकम 2.पूर्व प्राथमिक शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार	100
–पाठ्यकम 3. स्वास्थ्य, पोषण तथा पूर्व शाला छात्र कल्याण	75
–पाठ्यकम 4. विधि तथा साधन	100
–पाठ्यकम 5. पूर्व शाला संगठन एवं सामुदायिक सम्बन्ध	75
–पाठ्य कम 6.भाषा ,विज्ञान ,तथा समाजिक अध्ययन	100
–पाठ्य कम 7.सर्जनात्मक कला तथा कापट	75
	600

भाग (ब) – नर्सरी विद्यालय में निरीक्षण एंव भागीदारी

1.	शाला छात्र, कार्यक्रम, विधि एंव साधन के निरीक्षण का लेखा–जोखा	100
2.	क्षेत्र पर्यटन तथा अभिभावक एंव समुदाय के कार्यक्रमों का विवरण तैयार करना	50
3.	शिक्षण अभ्यास	200
4.	शिक्षण सामग्री तैयार करना, खिलौने तथा कला एंव हस्तकला की वस्तुएं बनाना	100
5.	सैद्धान्तिक प्रश्न से सम्बन्धित प्रयोगात्मक कार्य	100
6.	पाठ्यसहगामी प्रवृत्तियों में भागीदारी जैसे नाचना, गाना, ड्रामा, खेल–कूद आदि	50
		600

1978 के एन0 सी0टी0 ई0 द्वारा मुद्रित पाठ्यक्रम रूपरेखा नामक पुस्तिका में भी इस स्तर के पाठ्यक्रम की महत्ता स्वीकारी गई हैं। तथा चार प्रकार के वैकल्पिक प्रारूप प्रशिक्षण हेतु दर्शाए हैं, दो वर्षीय पाठ्यक्रम में 20 प्रतिशत समय सैद्धान्तिक विषयों को दिया गया है जिसमें तीन विषय होंगे –

(क) उभरते भारतीय समाज में शिक्षक तथा शिक्षा, (ख) बाल विकास, (ग) विशेष पाठ्यक्रम आवश्यकतानुसार । सामुदायिक कार्य के लिए भी 20 प्रतिशत का समय रखा गया हैं। जिसमें भारतीय समाज, बालक की देख–रेख तथा गायन कला एंव कार्यानुभव संबन्धी कार्य परिस्थितियां होगी । पाठ्यक्रम के तीसरे भाग में जिसमें 60 प्रतिशत का समय दिया गया हैं। शिक्षण विधि, शिक्षण अभ्यास तथा संबधित प्रयोगात्मक कार्य संबंधी पाठ्यक्रम की यह हैं कि सैद्धान्तिक विषयों के लिए प्रशिक्षण समय का पांचवा भाग ही निर्धारित किया गया हैं।

प्राथमिक स्तर हेतु शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम की प्रमुख वातें एन0 सी0 टी0 ई0 फ्रेमवर्क 1978 में प्रकाशित की गई हैं। इस स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम को पांच प्रकार के वैकल्पिक प्रतिमानों से पूरा किया जा सकता हैं।

1. कक्षा 10 के बाद 2 वर्षीय वृत्तिक शिक्षा का पाठ्यक्रम
2. कक्षा 10 के बाद 2 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. कक्षा 10 के बाद 3 वर्षीय व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम
4. शिक्षा में 2 वषर्हय पाठ्यक्रम
5. स्नातक उपाधि के बाद 1 वर्षीय पाठ्यक्रम

देश के विभिन्न प्रातों में वर्तमान में प्रथम विकास कवेल्प जिसमें कक्षा 10 के बाद दो वर्षीय पाठ्यक्रम वृत्तिक शिक्षा (प्रोफेश–नल एजूकेशन) हेतु आयोजित किया जाता हैं। बहुत प्रचलित हैं। कहीं पर बी0 टी0 सी0, कही बी0 एस0 टी0 सी0 आदि के नाम से यह पुकारा जाता हैं । सूचनार्थ उत्तर प्रदेश (सबसे बड़ा प्रांत) के बी0 टी0 सी0 पाठ्यक्रम की रूपरेखा नीचे प्रस्तुत की जा रही हैं।

पाठ्यक्रम के प्रमुख भाग

द्वि वर्षीय बी0 टी0 सी0 पाठ्यक्रम के तीन प्रमुख भाग हैं :

1. प्रशिक्षण विज्ञान (सैद्धान्तिक)
2. विषय वस्तु परक शिक्षण विधियां और कक्षा प्रशिक्षण तथा तत्संबंधी प्रयोगात्मक कार्य
3. सामुदायिक सहभागिता

1. प्रशिक्षण विज्ञान (सैद्धान्तिक)

इसके अन्तर्गत निम्नांकित पांच प्रश्न पत्र हैं –

(1) शिक्षा सिद्धान्त,

(2) शिक्षा मनोविज्ञान,

(3) शिक्षण सिद्धान्त,

(4) प्रारम्भिक शिक्षा की समस्याएं, अभिनव प्रवृत्तियाँ एंव शैक्षिक मूल्यांकन,

(5) पाठशाला प्रबन्ध एंव सामुदायिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य शिक्षा विज्ञान

2. विषय–वस्तु परक शिक्षा विधियॉ और कक्षा शिक्षण तथा तत्संबंधी प्रयोगात्मक कार्य

इसके दो खण्ड हैं –

खण्ड (क)

(क) शिक्षण विधिंया (सैद्धान्तिक)

(ख) सत्रीय कार्य

(क) इसके अन्तर्गत निम्नाकिंत चार विषय होंगे । इन चारों विषयों का अध्यापन दोंनों वर्ष होगा तथा मूल्यांकन बाह्य होगा ।

1. हिन्दी
2. गणित
3. सामाजिक अध्ययन
4. विज्ञान

(ख) सत्रीय कार्य

1. हिन्दी, गणित तथा सामाजिक अध्ययन में निम्नांकित सत्रीय कार्य होगा ।

अ. निबन्ध लेखन

आ. मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य–ज्ञान, बोध, लघु उत्तरीय प्रश्नों की रचना एंव वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाना :

2. विज्ञान विषय में विषय से सत्बद्ध प्रयोगात्मक एंव सकिय कार्य होगा ।

खण्ड (ख)

इसके अन्तर्गत निम्नाकिंत पांच विषय होंगे । सामजोपयोगी उत्पादक कार्य दोंनो वर्ष पढ़ाया जाएगा। शेष विषयों का शिक्षण केवल एक अध्यापन सत्र में होगा ।

1. समाजोपयोगी उत्पादक कार्य (कृषि/शिल्प/गृहविज्ञान/में से एक)
2. कला
3. अग्रेंजी/संस्कृत/उर्दू में से एक भाषा
4. नैतिक शिक्षा
5. शारीरिक शिक्षा, योगासन, स्काउटिंग तथा प्राथमिक चिकित्सा

3. सामुदायिक सहभागिता

सामुदायिक कार्य अनौपचारिक शिक्षा (प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के संदर्भ में) तथा संगीत ।

समय विभाजन

एक अध्यापन सत्र के कुल कार्य दिवस 220 हैं । 20 कार्य दिवस तथा प्रवेश आदि घटाने पर 200 कार्य दिवस प्रतिवर्ष शिक्षण कार्य हेतु होने की सम्भावना है। प्रत्येक कार्य दिवस के 8 कालांश होने पर सत्र में कुल कालांश = 200 गुणा 8 = 1600

200 कार्य दिवस का 20प्रतिशत=40 दिन=320 कालांश प्रतिक्षण सैद्धान्तिक विषयों हेतु

200 कार्य दिवस का 60प्रतिशत=120 दिन=960 कालांश विषय वस्तु परक शिक्षण विधियां, कक्षा शिक्षण तथा सम्बधिंत प्रयोगात्मक कार्य हेतु

200 कार्य दिवस का 20प्रतिशत=40 दिन=320 कालांश सामुदायिक कार्य सहभागिता हेतु

मूल्याकंन योजना

1. प्रशिक्षण विज्ञान (सैद्धान्तिक)

प्रशिक्षण विज्ञान सैद्धान्तिक के अन्तर्गत पांचो प्रश्न पत्र तीन – तीन घण्टे के होगे और प्रत्येक में अधिकतम 75 अंक होगें। मूल्यांकन पूर्ण तया बाहय होगा चतुर्थ प्रश्न पत्र के खण्ड होगे । 'खण्ड अ' प्रारम्भिक शिक्षा की समस्याए एवं अभिनव प्रवृतिया तथा 'खण्ड ब' शैक्षिक मूल्यांकन ,निर्धारित 5 प्रश्नो में से 3प्रश्न खण्ड ब तथा 2 प्रश्न खण्ड व में से करवाये जायेगें। पंचम प्रश्न पत्र के तीन खण्ड होगें । 'खण्ड क' पाठशाला प्रवन्ध, 'खण्ड ख' सामुदायिक शिक्षा 'खण्ड,ग' स्वास्थ शिक्षा । निर्धारित 5 प्रश्नो में से 'खण्ड क' से 2 खण्ड ख से 1 तथा खण्ड ग से 2 प्रश्न करवाये जायेगे।

2. विषय वस्तु परक शिक्षण विधियां, कक्षा शिक्षण तथा –पूर्णाक – 150 तत्सम्बन्धी प्रयोगात्क कार्य ।

'खण्ड क' की मूल्यांकन प्रक्रिया

1. इस खण्ड में वर्णित चारो विषयो की परीक्षा द्वितीय वर्ष कें अन्त में होगी ।
2. सभी विषयो की परीक्षा 3–3 घंटे की होगी ,
3. प्रत्येक विषय के अधिकतम 100 अकं होगे जिसमें से 25 अंक सत्रीय कार्य हेतु रखे गए है। सत्रीय कार्य का मूल्याकंन द्वितीय वर्ष के अन्त में बाहा परीक्षको द्वारा होगा। लिखित परीक्षा एवं सत्रीय कार्य दोनो में पृथक–पृथक पास होगा अनिवार्य होगा।
4. प्रायोगिक विषय विज्ञान की 75 अंको की सैदायिक तथा 25 अंको की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। सत्रीय कार्य का मूल्याकंन इन्ही 25 में से होगा।
5. सभी विषयो का मूल्यांकन पूर्णतयः बाहर होगा।

'खण्ड ख' की मूल्यांकन प्रक्रिया

1. प्रथम वर्ष खण्ड ख वर्णित जिन विषयो की विषयवस्तु, एवं अध्यापन विज्ञान

का अध्ययन किया जायेगा । उनकी परीक्षा प्रथम वर्ष के अन्त में होगी किन्तु समाजोपयोगी उत्पादक कार्य की परीक्षा द्वितीय वर्ष के अन्त मे होगी ।

2. द्वितीय भाषा अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, तथा नैतिक शिक्षा की 50 अंको कि लिखित परीक्षा होगी तथा उसके लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया जाता है।

3. समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, कला एवं शारीरिक शिक्षा योगदान, स्काउटिंग तथा प्राथमिक चिकित्सा की 25 अंको की घण्टे का सैद्धान्तिक एवं 25 अंको की क्रिमात्मक परीक्षा होगी । क्रियात्मक परीक्षा का मूल्यांकन बाहय होगा ।

4. द्वितीय वर्ष खण्ड ,ख, में वर्णित की विषय वस्तु एवं अध्यापन विज्ञान का अध्ययन किया जाएगा उनकी परीक्षा द्वितीय वर्ष के अन्त में होगी,

5. लिखित परीक्षा हेतु प्रश्न पत्रो का निमार्ण रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाओं द्वारा होगा किन्तु उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आन्तरिक होगा।

6. कक्षा शिक्षण –

1. द्वितीय वर्ष के अन्त में शिक्षण योग्यता के मूल्यांकन हेतु प्रत्येक छात्राध्यापक को 3–3 पाठ पढाने होगे । इनमे से दो पाठो का चयन विषयवस्तु परक शिक्षण विधिया तथा कक्षा शिक्षण के क खण्ड तथा एक पाठ का चयन ख खण्ड से चयनित 2 पाठो में से एक पाठ हिन्दी तथा सामाजिक अध्ययन में से तथा एक पाठ गणित तथा विज्ञान मे से लेना अनिवार्य होगा।

2. 20 प्रतिशत मूल्यांकन आन्तरिक एवं 80 प्रतिशत मूल्यांकन बाहय होगा ।

3. आन्तरिक मूल्यांकन हेतु प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य एक समिति का गठन करेगे जिसमे कम से कम तीन वरिष्ठ अध्यापक होगे, तथा प्रधानाचार्य– प्रधानाचार्या इस समिति के पदेन अध्यक्ष होगें।

4. कक्षा शिक्षण की परीक्षा हेतु बाह्म परीक्षक नियुक्त किए जायेंगे । यह परीक्षक उस वर्ष पढ़ाये जाने वाले सभी विषयों के शिक्षण अभ्यास के पूर्व की तैयारी,

शिक्षण अभ्यास तथा शिक्षण अभ्यास के पश्चात अनुसरण सम्बन्धी कार्यो का निरीक्षण भी करेगे । परीक्षकों की नियुक्ति में प्रशिक्षण विधालयो एवं विशिष्ट संस्थाओ के अनुभव प्राप्त अध्यापको को वरीयता दी जाएगी । इस स्तर का पाठ्यक्रम में अन्य प्रान्तो मे कुछ भिन्न –सा है। उदाहरण के लिए राजस्थान में वी0.एस0. टी0. सी0. के द्वितीय पाठ्य क्रम में मूल कौशल शिक्षण पर काफी जोर दिया गया है। सूक्ष्म शिक्षण हेतु 17 कालाशं सैद्वान्तिक पक्ष संवन्धी तथा 83 कालाशं क्रियात्मक पक्ष संवधी निर्धारित किए गए है । इसी भांति समाजोपयोगी उत्पादक कार्य संबधी विभिन्न प्रवृतियों पर राजस्थान मे बड़ा बल दिया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि इस स्तर के शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम मे देश मे बहुत विविधता देखने को मिलती है ।

प्राथमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा से संबनधित प्रशिक्षण संस्थाओ की दशा भी बडी दयनीय है। यदि इन्हे सरकारी अनुदान नहीं मिलता है तो उस स्थिति मे बहुत –सी अनियमिताएं तथा विसंगतिया बहां देखने को मिलती हैं। इनकी गिरी दशा का एक प्रमुख कारण यह भी है कि बहुआ माध्यमिक स्तर हेतु प्रशिक्षित शिक्षक , इन संस्थाओ में कार्यरत होते है , जिन्हे प्राथमिक स्तर शिक्षा की समस्याओ से पूर्ण परिचय नहीं होता है।

माध्यमिक स्तरीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तरीय शिक्षक शिक्षा के लिए सामान्यतया एक वर्षीय वी0,एड0 या उसके समकक्ष उपाधि का प्रावधान भारत मे किया गया है। प्रायः देखने में आया है कि इन पाठ्यक्रमो में विविधता तथा नमनीयता की कमी है। यह यांत्रिक तथा एक जैसे ही है । कहीं पर पांच सैद्वातिक विषय है तो अन्यत्र एक वैकल्पिक विषय जोड़ दिया है। प्रायः जो सामान्य रूपरेखा देखने को मिलती है वह अधोलिखित है–

1. शिक्षा सिद्वान्त

2.शिक्षा मनोविज्ञान

3. शाला प्रशासन एवं स्वास्थ्य शिक्षा

4. अध्यापन विधिया (विभिन्न विषय)

5. शिक्षा का इतिहास एवं समस्याएं

6.वैकल्पिक विषय (एक विषय)

इन सैद्वान्तिक विषयो के अतिरिक्त प्रयोगात्मक कार्य के रूप मे प्रायः 20 से लेकर 60 पाठों का अभ्यास पाठ के रूप में बढाने की परिपाटी देखने को मिलती हैं । कहीं शिक्षण अभ्यास में 'ईटर्नशिप' तां कहीं 'ब्लाक टीचिंग प्रैक्टिस के रूप देखने को मिलते हैं।

एन0 सी0 टी0 ई0 फ्रेमवर्क के अनुसार इस स्तर की शिक्षण शिक्षा में 20 प्रतिशत समय सैद्धान्तिक विषय, 20 प्रतिशत सामुदायिक कार्य तथा 60 प्रतिशत समय विषय वस्तु परक शिक्षण विधियों, कक्षा शिक्षण तथा सम्बधिंत प्रयोगात्मक कार्य के लिए विभाजित किया गया हैं। किंतु यथार्थ में देखने पर पता चलता हैं कि प्रशिक्षण समय का अधिकांश भाग केवल 5–6 सैद्धान्तिक विषयों के ज्ञानार्जन में ही लगाया जाता हैं । एक अनुमान के अनुसार यह समय 60 से 70 प्रतिशत तक होता हैं, जो कि उचित नहीं ठहराया जा सकता हैं। विभिन्न प्रातों में तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों में बी0 एड0 के0 एक वर्षीय पाठ्यक्रम में एकरूपता–सी देखने को मिलती हैं। पाठकों की सुविधा के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर तथा सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम की रूप रेखा प्रस्तुत की जा रही हैं। –

भाग (क) सिद्धान्त (छः प्रश्न पत्र प्रत्येक 100 अंक का)

1. शिक्षा तथा भारतीय समाज

2. अधिकतम तथा विकास के मनो–सामाजिक आधार

3. शाला संगठन तथा शिक्षा की समस्याएं

4. भावी शिक्षकों हेतु आधारिक कार्यक्रम

5. तथा 6. विषय वस्तु परक अधिगम, शिक्षण विधियां

(प्रश्न पत्र 5 तथा 6 में प्रशिक्षणार्थी विभिन्न पाचं समूहों में से किन्हीं 2 विषयों का चयन करेगा)

भाग (ख) शिक्षण अभ्यास

		अंक
आंतरिक मूल्यांकन सत्रीय	–	100
बाह्म मूल्यांकन अंतिम	–	200

भाग (ग) उपरोक्त के अतिरिक्त छात्राध्यापक को किसी एक विकल्प को लेने की छूट हैं। प्रत्येक के लिए 100 अंक निर्धारित होते है। (7 अ तथा 7 व)

7 (अ) में किसी एक विषय में विशिष्टीकरण किया जा सकता हैं। विभिन्न विषय हैं। –

(1) शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन

(2) बेसिक शिक्षा

(3) अनौपचारिक शिक्षा

(4) शारीरिक शिक्षा

(5) शाला पुस्तकालय संगठन

(6) श्रव्य–दृश्य शिक्षा

(7) मापन तथा मूल्यांकन

(8) नैतिक शिक्षा

(9) विकलांगों की शिक्षा

(10) प्राथमिक शिक्षा

(11) योग शिक्षा

(12) जनसंख्या शिक्षा

(13) शैक्षिक तकनीकी

(14) शैक्षिक दूरदर्शन

(15) अभिक्रमित अधिगम

(16) पर्यावरणीय शिक्षा

7 (ब) के अन्तर्गत समाजोपयोगी उत्पादक कार्य को समाहित किया गया हैं । छात्र अपनी रूचि के अनुसार पाठ्यक्रम में दिये गये–(अ) विज्ञान आधारित, (ब) तकनीकी आधारित, (स) वाणिज्य आधारित, (द) कृषि आधारित, (य) भाषा आधारित, (र) कला एवं हस्त कला आधारित, (ल) औद्योगिक कला आधारित, सात समूहों में से किसी एक समूह की प्रवृत्तियों का अधिगम करता हैं ।देश में 1963 से चार क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में चार वर्षीय समन्वित पाठ्यक्रम शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया गया हैं । इनमें विषय वस्तु के लिए 50 प्रतिशत व्यावसायिक ज्ञान के लिए 22 प्रतिशत तथा सामान्य शिक्षा के लिए 19 प्रतिशत समय का प्रावधान किया गया हैं । इस प्रकार के पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषता रही हैं । सैद्धान्तिक तथा व्यावसायिक पक्षों में समन्वय।

एन0 सी0 टी0 ई0 के निर्देश पर एक समिति का गठन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया जिसे यह कार्य भार सौपा गया था कि इन चल रहे चार वर्षीय पाठ्यक्रमों की जांच करे तथा 1986 की नवीन शिक्षा नीति के अनुसार आवश्यक परिवर्तन हेतु सुझाव दे । समिति के सदस्य मई 1988 में रीजनल कॉलेज आफ एजूकेशन, भोपाल में मिले तथा नवीन विषय वस्तु विधाओं एवं ब्यूह–रचनाओं के माध्यम से पाठ्यक्रम को समुन्नत बनाने के सुझाव दिये । यहां यह बताना न्यायसंगत होगा कि प्रारम्भ से लेकर आज तक काफी परिवर्तन किये गये हैं। इस चार वर्षीय पाठ्यक्रम में यह प्रयास किया गया कि समन्वित उपाधि जैसे बी0 एस0 सी0 तथा बी0 एड0 के पाठ्यक्रम में बी0 एस0 सी0

पाठ्यक्रम तथा बी0 एड0 पाठ्यक्रम के सभी ग्रहण के बाद नौकरी मिलने में कठिनाई न हो। वस्तुतः बी0 डी0 नाग चौधरी रिर्पोट के उपरांत इसमें भारी परिवर्तन आया । तीन वर्षो की शिक्षा के उपरांत छात्र को इसे छोड़कर जाने की अनुमति दी गई अर्थात वह बी0 ए0, बी0 एस0 सी0, बी0 काम0 के बाद इस पाठ्यक्रम को छोड़कर अन्यत्र जा सकता था। जे0 एन0 कपूर तथा आर0 सी0 दास समितियों ने कुल मिलाकर इस चार वर्षीय पाठ्यक्रम को सुधारने की दिशा में कई सुझाव प्रस्तुत किये हैं। अब मैं वर्तमान समिति के उन सुझावों को आकृष्ट करना चाहूंगा जो हॉल मे भोपाल में आयोजित बैठक में दिये गये हैं। –

1. चार वर्षीय पाठ्यक्रम समन्वित पाठ्यक्रम के रूप में लिया जाना चाहिए न कि तीन वर्षीय डिग्री कोर्स. 1 वर्षीय बी0 एड0 कोर्स के रूप में । वस्तुतः कार्यक्रम के प्रत्येक सोपान पर समन्वय झलकना चाहिए ।
2. राष्ट्रीय प्रतिमान के रूप में इस पाठ्यक्रम में नयी शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षक की भूमिका को लिया जाना चाहिए ।
3. विषय वस्तु:, पाठ्यक्रम का स्वरूप तथा विधियां इस प्रकार प्रस्तुत की जाये कि उनमें समन्वय बना रहे ।
4. पाठ्यक्रम में प्रभारी भाषा, संप्रेषण, विभिन्न कौशल, शिक्षा तकनीकी सिद्धान्त, मूल्य परक शिक्षा, सामुदायिक कार्य, विकलांगों की शिक्षा, कम्पूटर लिटरेसी तथा नवीन 10+2+3 प्रणाली में 10 वर्षीय पाठ्यक्रम आदि के आवश्यक तत्वों को सम्मिलित किया जाना आवश्यक होगा ।
5. समय की दृष्टि से सामान्य शिक्षा के लिए 15 प्रतिशत विषय वस्तु हेतु 60 प्रतिशत तथा व्यावसायिक शिक्षा हेतु 25 प्रतिशत बटवारा किया जा सकता हैं।

इस समिति ने छः वैकल्पिक प्रारूप बताए हैं जिनके द्वारा चार वर्षीय पाठ्यक्रम को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया जा सकता हैं। लम्बमान गति शीलता के

लिए यह भी सुझाव दिया गया हैं कि चार वर्षीय उपाधि प्रप्त करने के उपरांत छात्र को स्नातकोत्तर स्तरीय समन्वित पाठ्यक्रम में प्रवेश का प्रावधान किया जाना चाहिए । केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालयों मे शिक्षकों के चयन के समय समन्वित पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित शिक्षकों को वरीयता देनी चाहिए ।

माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा का एक रूप पत्राचार पाठ्यक्रम भी चलाया जाता हैं । वस्तुतः आरम्भ में अप्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या कम करने की दृष्यि से इस प्रकार के पाठ्यक्रम की संकल्पना की गई थी । वैसे यह योजना खर्चीली भी कम हैं । सामान्वतः पाठ्यक्रम के दो भाग होते हैं – (क) सैद्धान्तिक विषय और (ख) व्यावहारिक कार्य । व्यावहारिक कार्य में सत्र भर का कार्य तथा शिक्षण अभ्यास, दोनों आते हैं। व्यावहारिक कार्य को पत्राचार द्वारा नहीं किया जाता हैं। प्रायः अवकाश के समय शिक्षक इन्हें पूरा करता हैं ।

समीक्षा

माध्यमिक स्तरीय शिक्षक शिक्षा कई रूपों में देश में प्रचलित हैं । एक वर्षीय बी0 एड0 पाठ्यक्रम का प्रचार इनमें सबसे अधिक हैं, यद्यपि एन0 सी0 टी0 ई0 फ्रेमवर्क ने सैद्धान्तिक विषयों पर 20 प्रतिशत समय लगाने की संस्तुति की हैं। देखा यह जाता हैं । कि इस भाग पर 60–70 प्रतिशत समय लगाया जाता हैं । व्यावहारिक पक्ष, शिक्षण कौशल तथा प्रायोगिक कार्यो पर अब अधिक बल दिया जाने लगा हैं। कई नवीन आयाम भी शिक्षक पाठ्यक्रम में जुड़ रहें हैं। जैसे – समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एंव समाज सेवा, पर्यावरण शिक्षा एंव प्रदूषण, जनसंख्या शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, कम्प्यूटर लिट्रेसी कार्यक्रम आदि । एन0 सी0 टी0 ई0 ने बी0 एड0 एक वर्षीय पाठ्यक्रम की व्यावसायिक शिक्षा मानते हुए यह संस्तुति भी की हैं कि केवल पत्राचार के माध्यम से इसे न दिया जाय । चार वर्षीय समन्वित पाठ्यक्रम में भी अपेक्षित संशोधन किये जा रहे हैं।

स्नातकोत्तर स्तरीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय में एम0 एड0 पाठ्यक्रम मे आरम्भ किया गया था । उस समय यँह दो वर्षीय पाठ्यक्रम के रूप में था । आज एम0 एड0 का पाठ्यक्रम देश के विभिन्न भागों में बहुत से विश्वविद्यालयों में चल रहा हैं। किन्तु यह एक वर्षीय पाठ्यक्रम हैं। एम0 एड0 पाठ्यक्रम के सामान्यतः दो भाग होते हैं। – (अ) सैद्धान्तिक विषय (ब) शोध ग्रन्थ । सैद्धान्तिक विषयों में कुछ इस प्रकार हैं। –

(1) शिक्षा के दार्शनिक एंव सामाजिक आधार

(2) शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार

(3) शैक्षिक अनुसंधान तथा सांख्यिकी

(4) एक वैकल्पिक विषय (दिये गए कई विषयों में) इस विषय के दो प्रश्न पत्र होते हैं।

शोध ग्रन्थ – किसी सामयिक शैक्षिक समस्या पर अनुसंधानात्मक अध्ययन । वैकल्पिक विषयों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में अलग–अलग सूची देखने को मिलती हैं सामान्यतया जो विषय अधिकांश विश्वविद्यालयों में पाये जाते हैं । वह निम्नलिखित हैं।–

1. उच्च शिक्षा मनोविज्ञान
2. शैक्षिक प्रशासन, आयोजना एंव वित्त
3. तुलनात्मक शिक्षा तथा आधुनिक भारतीय शिक्षा का इतिहास
4. पाठ्यक्रम विकास एंव शिक्षण विधि
5. शिक्षक शिक्षा
6. शैक्षिक एंव व्यावसायिक निर्देशन
7. शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन
8. शैक्षिक तकनीकी

मूल्यांकन की योजना भी विभिन्न विश्व विद्यालयो मे भिन्न – भिन्न पायी

जाती है । जिन विश्वविधालयो में आंतरिक मूल्यांकन की पद्धति लागू है, वहां प्रत्येक प्रश्न पत्र में लगभग 20–25 प्रतिशत अंक आंतरिक तथा शेष वाहय परीक्षा के लिए निर्धारित होते हैं । डिसर्टेशन (शोध प्रवन्ध) का मूल्यांकन भी आंतरिक तथा वाह्य दोनों विधियो से होता है। कहीं पर मौखिक परीक्षा (वाइवावोसो परीक्षा)होती है। तो कहीं नहीं होती है। कुछ संस्थाए विना शोध प्रवन्ध के एम0 एड0 पाठ्यक्रम चलाती है जैसे हिमाचल प्रदेश विश्वविधालयो का पत्राचार विभाग । किन्तु ऐसी संस्थाओ की साख गिरती जाती है और एन0 सी0 टी0 ई0 द्वारा भी इसे पूर्ण मान्यता नहीं दी गई है।

कुछ विश्वविद्यालयो ने एम0 ए0 (शिक्षा शास्त्र)का पाठ्यक्रम भी चला रखा है जैसे लखनऊ, इलाहाबाद आदि । इस पाठ्यक्रम की विशेषता यह हैं कि स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद छात्र इसमें प्रवेश ले सकता हैं। इसके लिए बी0 एड0 करना आवश्यक नहीं होता, इस पाठ्यक्रम में सैद्धान्तिक विषयों पर अधिक बल दिया जाता हैं । रीजनल कालेजों में एम0 एड0 (साइन्स), एम0 एड0 (आर्टस) आदि के पाठ्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। मेरठ विश्वविद्यालयों में एम0 फिल0 का पाठ्यक्रम एजूकेशन में कई वर्षो से चल रहा हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी एम0 फिल0 उपाधि धारक की वरीयता देने की संस्तुति की हैं। नौकरी में चयन के समय । एम0 फिल0 पाठ्यक्रम उच्चस्तरीय अनुसंधान की ओर अधिक उन्मुख होता हैं। एम0 ए0 पाठ्यक्रम में शिक्षण कौशल के प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाता हैं । तथा एम0 ए0 (शिक्षा शास्त्र) के पाठ्यक्रम में सैद्धान्तिक पक्ष पर अधिक बल देते हैं।

सच कहा जाय तो 10 + 2 + 3 शिक्षा प्रणाली के तहत 2 स्तर के लिए शिक्षक शिक्षा की व्यापक योजना का निर्माण अभी किया जाना हैं । व्यवसायीकरण हेतु जिन प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होगी उनकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण का दायित्व बहुत कुछ सरकार, प्रशिक्षण संस्थाओं तथा समाज पर जाता हैं । राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में ठोस कदम शीघ्र ही उठाए जायेंगे, ऐसी आशा की जाती हैं ।

वर्तमान में शिक्षक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम विभिन्न स्तरों पर चल रहा हैं, उसे

दो भागों में विभक्त किया जा सकता हैं– (1) सैद्धान्तिक, (2) व्यावहारिक । सैद्धान्तिक विषयों में कुछ का अध्ययन अनिवार्य एंव कुछ का ऐच्छिक रहता हैं । आशा यह हैं कि जाती हैं कि इन विषयों के अध्ययन से शिक्षक को आवश्यक ज्ञान मिलेगा जो उसे व्यवसाय में सफल एंव प्रभावी बनाने में मदद पहुंचाएगा । पूर्व प्राथमिक तथा स्तरीय शिक्षक – शिक्षा में वैकल्पिक विषय प्राप्त नही होते हैं । शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम को अधिक व्यावहारिक बनाने हेतु एन0 सी0 टी0 ई0 ने विभिन्न सुझाव दिये हैं । शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया हैं चूकिं इसमें कियाएं, विचार विनिमय, शारीरिक कार्य, अधिगम नियम, बाल विकास आदि अनेक बातों का ज्ञान समाहित हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने पर शिक्षक सफल नही हो पाता हैं । सफल तो वह तब हो पाता हैं । जब उन्हें उपयोग एंव व्यवहार रूप में परिणत करने की क्षमता का विकास उसमें हो जाता हैं । तभी दिये जाने वाले ज्ञान का विश्लेषण प्रस्तुतीकरण तथा सामान्यीकरण आवश्यकतानुसार कर सकेगा । शिक्षक को स्वंय अपने कार्य का वास्तविक मूल्यांकन करना आना चाहिए । शिक्षण कार्य को समुन्नत करने के लिए स्वंय का विश्लेषण बड़ा सहायक होता हैं। अतः उसे स्वंय विश्लेषण की विधियों से परिचित होना आवश्यक होता हैं।

सैद्धान्तिक एंव व्यावहारिक कार्य में दूरी बहुत दिनों से एक आलोचना का विषय रहा हैं। प्रशिक्षण के क्षेत्र में । यदि प्राचार्य तथा अन्य शिक्षक वर्ग सैद्धान्तिक तथा बौद्धिक कार्य के साथ–साथ , व्यावहारिक कार्य को उचित महत्व दें तो इन दोनों के बीच की खाई को पाटा जा सकता हैं । कक्षा में व्याख्यान देने के बजाय सत्रीय कार्य, स्व–अध्ययन, पेपर पठन आदि पर अधिक बल दिया जाना चाहिए । सिद्धांत और व्यवहार दोंनो में समन्वय स्थापित करने का पूरा प्रयास हमें शीध्र ही करना चाहिए। शिक्षण व्यवहार तथा अभ्यास के आधार पर यदि गहन अध्ययन किया जाये और इसके आधार पर सिद्धान्त निरूपण किया जाये तो शिक्षण व्यवहार एंव सिद्धान्त में अधिक घनिष्ठ सम्वन्ध स्थापित किया जा सकता हैं । व्यवहार तथा अभ्यास के परिणाम जितने

स्पष्ट एंव संशोधित होंगे, उनका अध्ययन [illegible]

अभ्यास एंव सिद्धान्त में उतनी ही निकटता [illegible]

चाहिए कि सिद्वान्त में एवं प्रशिक्षण संस्थाओ का [illegible] का शिक्षा सिद्धांतों का व्यावहारिक, रचानात्क एवं विभिन्न विधियो द्वारा उनके उत्तरदायित्व का बोध कराना होता है । अतः केवल बौद्धिक ज्ञान देने के वजाय, इन सिद्धातो का विश्लेषणात्मक तथा समालोचनात्मक व्यवहार भी छात्राध्यापको को सिखाया जाना चाहिए । पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक स्तरीय शिक्षक शिक्षा पर व्यवहार में प्रयुक्त सिद्धान्तो का बौद्धिक विवेचन किया जाना चाहिए।

शिक्षक शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन

मापन का अर्थ है – किन्हीं निश्चित इकाइयो में वस्तु या गुण के परिणाम का पता लगाना । इसका आशय है , संक्षिप्त यथार्थ परिणात्मक मूल्य–जैसे किसी रेखा की लम्बाई या किसी विषय में छात्र के प्राप्तांक। मूल्यांकन का अर्थ शिक्षा में अधिक व्यापक है। इसमें आत्मनिष्ठ निर्णय एवं वस्तु का घटना के सम्बन्ध में हमारी राय भी सम्मिलित है।वस्तुतः मूल्यांकनगुणात्मक निर्णय करने की एक प्रक्रिया है। मापन वस्तुनिष्ठ होता है तथा मूल्यांकन आत्मनिष्ठ । मूल्यांकन शिक्षाथियो के व्यवहारगत परिवर्तन सम्बन्धी साक्षियो का सकलन करने तथा परिवर्तन के स्तर, प्रकृति एवं दिशा के संम्बन में करने की प्रक्रिया होती है।

मापन द्वारा शिक्षार्थियो उपलब्धियो की मात्रा अथवा स्तर निर्धारित किया जाता है । मापन का सम्बन्ध व्यवहार के विभिन्न आयामो का सख्यात्मक तथा गुणात्मक मान निर्धारित करने से है । इस प्रकार मापन मूल्यांकन में मापन के साथ मूल्य भी निर्धारित किया जाता है । इस प्रकार मापन मूल्यांकन का आवश्यक भाग हे । मूल्यांकन द्वारा यह बात सिद्व करने का प्रयास किया जाता है । कि पूर्व निर्धारित उददेश्यों को प्राप्ति किस सीमा तक हुई है ।

कोठारी कमीशन (1964–66) के मत के अनुसार चूँकि मूल्यांकन के लिए

प्रचलित सामान्य पद्वति लिखित परीक्षा ही हैं । अतः लिखित परीक्षा में ऐसे सुधार करने होगें ताकि वह शैक्षिक निष्पादन का एक प्रामाणिक तथा विश्वसनीय साधन बन सके । शिक्षक शिक्षा स्तर के उन्नयन हेतु समय – समय पर जो परीक्षाएं ली जाती है, उनमें सुधार वांछनीय है। उनको हटाना संभव नहीं है। उनकी उपयोगीता सदैव बनी रहेगी । परम्परागत परीक्षा प्रणाली के दोषो का निराकरण अपेक्षित है कुछ दोषो को सूचीबद्व करने का प्रयास नीचे किया गया है।–

1 .परीक्षा शिक्षा के साधन की अपेक्षा साध्य बन गई है। परीक्षा पास करना ही लक्ष्य बन गया है।

2. परीक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान की जांच करती है। व्यवहारगत परिवर्तन की नहीं ।

3. परीक्षा वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तो पर आधारित नहीं है।

4. परीक्षा में संयोग का तत्व पाया जाता हैं उर्त्तीण होने के लिए ।

5. सर्म्पूण पाठ्यकम से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं।

6. निबन्धात्मक प्रश्न होते हैं। जो न विश्वसनीय होते हैं। न वैद्य।

7. परीक्षा में वस्तुनिष्ठता की कमी पायी जाती हैं।

8. छात्र असम्बद्ध, अप्रासंगित एंव लम्बे उत्तर दे सकते हैं।

9. छात्रों में अवाछनीय प्रतियोगिता बढ़ती हैं।

10. छात्रों में अनैतिक आचरण नकल करना, गुण्ड़ागर्दी आदि की प्रवृत्ति बढ़ती हैं।

11. रटने की शक्ति पर अत्यधिक बल दिया जाता हैं।

12. छात्रों में भय, असुरक्षा तथा मानसिक तनाव पैदा करता हैं।

13. छात्र की व्यापक उपलब्धियों की जाँच यह पैदा होता हैं।

14. इसके माध्यम से छात्र की वास्तविक कमी का पता लगाना कठिन होता हैं। अतः उपचारात्मक शिक्षण सम्भव नहीं हो पाता हैं।

15. प्रश्नो के इतने विकल्प दिए जाते है कि संपूर्ण पाठ्यकम का ज्ञात होना आवश्यक नहीं रह जाता।

16. प्रश्नो में प्राय विभेदीकरण का अभाव रहता है।
17. प्रश्न छात्रों की कठिनाई स्तर के अनुरूप नहीं बनाएं जाते है।
18. घिसे – पिटे प्रश्नो को पूछने के कारण छात्रो को मौलिकता के विकास के अवसर नहीं मिल पाते हैं ।

मूल्यांकन की विशेषताए

नवीन मूल्यांकन प्रविधि की कुछ विशेषताएं अधोलिखित है–

1. उददेश्य केन्द्रित– शिक्षण की भांति मूल्यांकन भी उदेद्श्य केन्द्रित होता है।
2. छात्र अभिस्थापित – मूल्यांकन छात्र अभिस्थापित होता है क्योकि इसके द्वारा छात्रो के वांछित व्यवहार परिवर्तन की जांच होती है।
3. अनवरत प्रकिया – मूल्यांकन को एक अनवरत प्रक्रिया माना गया है । निरन्तर रूप से मूल्यांकन किया जाता है पाठ इकाई अवधि , अर्धवर्ष , सत्र के अन्त में ।
4. व्यापक – मूल्यांकन व्यापक होता है । वह व्यक्तित्व के तीनो पक्षो – ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक से सम्बन्ध रखता है।
5. संख्यात्मक एवं गुणात्मक – मूल्यांकन दोनो रूपो मे किया जाता है। अभिरूचि, अभिवृद्धि आदि का मूल्यांकन गुणात्मक तरीके से किया जाता है तथा ज्ञान एवं कौशल का मूल्यांकन विस्तृत रूप से किया जा सकता है ।
6. निदानात्मक– मूल्यांकन द्वारा छात्रो की कमियो की जानकारी (निदान) की जाती है और उसी के अनुरूप उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है ।
7. सहकारी प्रक्रिया – मूल्यांकन एक सहकारी प्रक्रिया होती हैं। जिसमें शिक्षक, अभिभावक तथा छात्र तीनों के अनुभवों का लाभ मिलता हैं।
8. विश्लेषण एंव संश्लेषण किया – मूल्यांकन में उद्देश्यों के विश्लेषण से विशिष्ट उद्देश्यों (जिन्हें व्यवहारगत परिवर्तन भी कहते हैं।) को तय किया जाता हैं तथा साक्षियों की व्याख्या एंव सारांशीकरण अथवा संश्लेषण की प्रक्रिया अपनाई जाती हैं।

परम्परागत परीक्षा एवं मूल्यांकन में अन्तर

1. परीक्षा सत्र में निश्चित समय पर ही आयोजित की जाती हैं। जबकी मूल्यांकन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया हैं।
2. परीक्षा पाठ्यक्रम के सीमित क्षेत्र की जॉच कर पाती हैं। जबकी मूल्यांकन अर्जित उपलब्धियों की व्यापक जांच करता हैं। तथा सम्पूर्ण पाठ्यक्रम की जांच करता हैं।
3. परम्परागत वार्षिक परीक्षा को आधार मानकर छात्र उसको उत्तीर्ण कर आगे बढ़ते हैं। जबकि मूल्यांकन सर्वाधिक परीक्षाओं, अर्ध वार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं के कुल प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता हैं।
4. परीक्षा लिखित, मौखिक या प्रायोगिक होती हैं। जबकि मूल्यांकन अनेक प्रविधियां होती हैं। जैसे – पड़ताल सूची (चेक लिस्ट) स्तर मापनी (रेटिंग स्केल), घटनाक्रम विवरण (अनेक्डोटस रिकार्ड), सचिव अभिलेख (क्यूलेटिव रिकार्ड), पर्यवेक्षण (आब्जर्वेशन), साक्षात्कार (इन्टरव्यू), समाजमिति उपकरण (सोनियोग्राम), परख (टेस्ट), इत्यादि ।
5. परीक्षा का उपयोग बहुधा क्रमोन्नति या वर्गीकरण के लिए करते हैं । जबकि मूल्यांकन का निदान, मार्गदर्शन एंव उपचारात्मक शिक्षण के लिए ।
6. परीक्षा की तुलना में मूल्यांकन अधिक वस्तुनिष्ठ एंव उद्देश्यनिष्ठ होता हैं।
7. परम्परागत परीक्षा में प्रश्नों के विकल्प अधिक होते हैं। एंव स्वरूप निबन्धात्मक होता हैं। किन्तु मूल्यांकन में प्रश्नों के उत्तरों की सीमा निश्चित रहती हैं। तथा प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं।
8. परीक्षा में व्यक्तिनिष्ठता (सब्जेक्टेविटी) जबकि मूल्यांकन में वस्तु निष्ठता (आब्जेक्टिविटी) होती हैं।

शिक्षण शिक्षा में मूल्यांकन एन0 सी0 टी0 ई0 फ्रेमवर्क में आंतरिक मूल्यांकन पर बल देते हुए कहा गया हैं कि मूल्यांकन विश्वसनीय, वैध तथा व्यापक होना चाहिए । यह अनवरत प्रक्रिया हैं । अतः समय–समय पर छात्राध्यापक के व्यक्तित्व के

विभिन्न आयामों की परीक्षा लेते रहना चाहिए । बाहय परीक्षा से ही सही मूल्यांकन सम्भव नहीं हैं अतः आंतरिक मूल्यांकन को महत्व अधिकाधिक दिया जाना चाहिए। सैद्धान्तिक विषयों के ज्ञान का मूल्यांकन सत्र की समाप्ति पर एक तीन घण्टे की परीक्षा द्वारा करना अमनोवैज्ञानिक तथा अवैज्ञानिक है । इससे शिक्षक शिक्षाओं के उद्देश्यों की पूर्ति कदापि नहीं हो पाती हैं । औपचारिक परीक्षा पर कम बल देते हुए पुस्तकालय, अध्ययन, सर्वे, मौखिक परीक्षा, सत्रीय प्रपत्र, अनुसंधानात्मक योजना आदि पर अधिक बल दिया जाना चाहिए । मूल्यांकन के तत्व होने चाहिए । छात्राध्यापक अथवा शिक्षक की मौलिकता सर्जनशीलता, स्वतन्त्रता, लक्ष्य धारित कार्य,आत्मनिर्भता आदि । इसको परखने के लिए प्रशिक्षक एवं छात्राध्यापको के बीच निकट का सम्पर्क होना आवश्यक होता है।

सामुदायिक कार्य तथा समाज सेवा के लिए आवश्यक है कि छात्रो के कार्य को निकट से लगाकर देखना होगा, प्रशिक्षक को इसके समुचित मूल्यांकन हेतु कुछ उपकरण निर्मित करने आवश्यक है – जैसे रेटिंग स्केल, निरीक्षण सूची, सीशियोमेट्रिक परीक्षा आदि । इसको मूल्यांकन आंतरिक होना चाहिए । शिक्षण अभ्यास का मूल्यांकन भी पूर्णरूपेण आन्तरिक होना चाहिए। ऐसी अनुशंसा इस प्रपत्र में की गई है । कई प्रकार के प्रोफार्मा विकसित हो चुके है । जिनके माध्यम से शिक्षण की प्रभाव शीलता को सही–सही मापने का प्रयास किया जाता है।

एन० सी० टी० ई० फ्रेमवर्क में सात विन्दु मापनी बिन्दु मापनी पर मूल्यांकन को आधारित करने की संस्तुति विश्वविधालय अनुदान आयोग के अनुसार प्रशिक्षण संस्थाओ को ए० सी० डी० ई० एफ० तथा एम० बिन्दुओ पर मूल्यांकन आरम्भ कर देना चाहिए । एम० (मेरिट के लिए)तथा एफ० (फेल के लिए)प्रयुक्त हुए है । आशा की जानी चाहिए । कि विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाए मूल्यांकन स्तर में समानता बनाए रखने का प्रयास करेगी । इस प्रपत्र में सेमिस्टर प्रणाली तथा कैडिट आवर की गणना विधि का वर्णन भी किया गया है। किन्तु अधिकांश विश्वविधालयो ने सेमिस्टर प्रथा को अस्वीकार कर दिया है।

मूल्यांकन उपकरणो के प्रकार

छात्रा ध्यापको की उपलब्धियों के मापन एवं मूल्यांकन हेतु विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इन उपकरणों में प्रमुख निम्न है।—

1. पडताल पक्ष (चेकलिस्ट) — प्रशिक्षण छात्राध्यापक के व्यवहार के प्रत्येक पक्ष के सामने यथा स्थान सही अथवा गलत का चिन्ह अंकित कर देता है । सत्र के अंत में इन सूचियो के आधार पर छात्राध्यापक के विषय में वह निश्चित धारणा बना सकता हैं।

2. स्तर मापनी (रेटिंग स्केल) — यह उपरोक्त पड़ताल सूची का बिकसित रूप हैं । उसमें किसी विशेष कथन के सबंध में गुणात्मक उल्लेख किया जाता हैं । अर्थात् प्रत्येक कथन को विभिन्न स्तरों में बाटकर अंक प्रदान किए जाते हैं।

3. घटनात्मक प्रपत्र (अनिक्डोटल रिकार्ड) — इसमें छात्राध्यापक के व्यावहार का किसी घटना के संदर्भ में वर्णन अकिंत किया जाता हैं। अंकन घटना के समय या तत्काल बाद किया जाता हैं। अंकन निष्पक्ष होना चाहिए । पूरे सत्र में समय—समय पर छात्राध्यापक का घटनाक्रम प्रपत्र अनवरत रूप से लिखा जाना चाहिए । ताकि सत्र के अंत में छात्राध्यापक के विषय में निश्चित मत निर्धारित किया जा सकें।

4. संचित अभिलेख (क्यूमुलेटिब रिकार्ड) — छात्राध्यापक के संबध में यह एक ऐसा अभिलेख हैं, जिसमें उसमें सम्बन्धित विभिन्न पक्षों की सूचना का संकलन एक लम्बी अवधि तक किया जा सकता हैं। इससे छात्राध्यापक के विकास की दिशा तथा गति का अनुमान लगाया जा सकता हैं।

5. प्रेक्षण (आब्जर्वेशन) — छात्राध्यापक की अभिरूचि, अभिवृत्ति, चारित्रिक गुणों के मूल्यांकन हेतु इस उपकरण का उपयोग किया जा सकता हैं। जैसे अनुशासन का मुल्यांकन लिखित प्रश्नों या साक्षात्कार से करना संभव नहीं होता अतः इसके लिए छात्राध्यापकों को प्रयोगशाला या पुस्तकालय में कार्य करते समय प्रेक्षण विधि द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता हैं।

6. साक्षात्कार (इन्अरब्यू) – व्यक्तित्व के मूल्यांकन का बड़ा उपयुक्त उपकरण हैं। प्रशिक्षण साक्षात्कार में पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से छात्राध्यापक के शीलगुणों का तथा ज्ञान का पता लगा सकता हैं । साक्षात्कार प्रायः दो प्रकार का होता हैं।

1. नियंत्रित साक्षात्कार – जिसमें साक्षात्कार पूर्व निर्मित प्रश्नावली की सहायता से लिया जाता हैं।

2. अनियंत्रित साक्षात्कार – जिसमें पूर्व निर्मित कोई प्रश्नावली नहीं होती हैं। परिस्थिति के अनुकूल प्रश्नकर्त्ता प्रश्न पूछता हैं।

7. समाजमिति उपकरण (सोशियोग्राम) – छात्राध्यापकों के मध्य अन्तः संबधों को ज्ञात करने के लिए मूल्यांकन का यह उपयुक्त उपकरण हैं। इसके द्वारा छात्राध्यापक की समूह में विषय विशेष पर लोक प्रियता या एकाकीपन का पता लग जाता हैं। यह उपकरण कक्षा की सोशल क्लाइमेट अर्थात् सामाजिक पर्यावरण जानने की उपयुक्त विधि हैं।

8. परीक्षा (टेस्ट) – मूल्यांकन उपकरणों में सर्वाधिक प्रचलन इनका हैं। परीक्षांए दो प्रकार की होती हैं।–

    1. प्रमापीकृत (स्टेंडरडाइज्ड)
    2. शिक्षक द्वारा निर्मित

प्रमापीकृत परीक्षाएं बहुत–सी प्रायः होती हैं। जिनके प्रयोग से छात्राध्यापक के कौशल, वृद्धि, व्यक्तित्व, रूचि, रूझान आदि का सही – सही पता लग जाता हैं । वस्तुतः मनोविज्ञान शाला में सैकड़ों प्रमापीकृत परीक्षाएं देखने को मिलती हैं । शिक्षक को उपयुक्त परीक्षा का चयन अपनी आवश्यकतानुसार तथा छात्र की योग्यता, ज्ञान, आयु, आदि के अनुसार करना होता हैं।

अप्रमापीकृत परीक्षा अथवा शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षा का उपयोग मार्गदर्शन के लिए किया जाता हैं। शिक्षक छात्राध्यापक की कमियों का निदान कर लेता हैं। तथा उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी कर सकने में समर्थ होता हैं। इस प्रकार

की परीक्षा शिक्षक सत्र में अनेक बार आयोजित कर सकता हैं। प्रत्येक पाठ के अंत में, इकाई के अंत में, निश्चित समय के अंतरॉल पर इन्हें किया जा सकता हैं। शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के विकास में इन परीक्षाओं से बड़ी मदद मिलती हैं।

9. व्यक्ति इतिहास (केस स्टडी) – इस उपकरण द्वारा छात्राध्यापक के संबध में समस्त सूचनाएं एकत्रित करके अध्ययन किया जाता हैं। – जैसे शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, शारीरिक, विकास के क्षेत्र आदि ।

10. प्रश्नावली (क्वेश्चनायर) – प्रश्नावली सामान्यतया प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की योजना होती हैं। यह दो प्रकार की होती हैं – बद तथा खुली । बन्द प्रश्नावली में निर्धारित रूप में ही उत्तर देना होता हैं। जबकि खुली प्रश्नावली में उत्तर देने की स्वतंत्रता रहती हैं। शिक्षण में विभिन्न प्रकार की प्रश्नावली तैयार करके समुचित मूल्यांकन संभव हैं।

10 + 2 + 3 तथा शिक्षक शिक्षा

प्रचलित शिक्षा प्रणाली के दोषों – जैसे कार्य की उपेक्षा, विभिन्न प्रांतों में असमान शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा पर अधिक बल, कलात्मक तथा शारीरिक शिक्षा की अवहेलना, शिक्षा में अनमनहयता, शिक्षा में पृथकीकरण आदि को दूर करने की दृष्टि से कोठारी कमीशन ने 10 + 2 + 3 शिक्षा प्रणाली की संकल्पना की थी । आशा की जाती हैं। कि इस नवीन योजना से कार्यानुभव पर आधारित शिक्षा का पूरा लाभ शिक्षार्थी उठा सकेंगे । भारत के विभिन्न प्रांतों ने इस शिक्षा व्यवस्था को अपनाकर, शिक्षा को राष्ट्र की आकांक्षाओं, परंपराओं, आवश्यकतानुसार परिवर्तनों से संबधित करने के प्रयास किए हैं।

प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय स्तर पर नवीन पाठ्यक्रम की रूपरेखा, जो 1988 में प्रस्तुत की गई हैं, उसमें मुख्य विषय, दिए जाने वाले समय के अधोलिखित हैं।

प्राथमिक स्तर		समय प्रतिशत
भाषाएं	–	30
गणित	–	15
पर्यावरण	–	15
कार्यानुभव	–	20
कलाशिक्षा	–	10
स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा	–	10
		100

उच्च प्राथमिक सतर		समय प्रतिशत
भाषाएं	–	32
गणित	–	12
विज्ञान	–	12
सामाजिक विज्ञान	–	12
कार्यानुभव	–	12
कला शिक्षा	–	10
स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा	–	10
		100

माध्यमिक स्तर		समय प्रतिशत
भाषाएं	–	30
गणित	–	13

विज्ञान	–	13
सामाजिक विज्ञान	–	13
कार्यानुभव	–	13
कला शिक्षा	–	9
स्वास्थ्य एंव शारीरिक शिक्षा	–	9
		100

विशेष ध्यान देने वाली बात यह हैं कि इस व्यवस्था में शिक्षा का उद्देश्य बहुमुखी विकास हैं । तथा बाल केन्द्रित शिक्षा उपागम को विकसित करना हैं । अनवरत तथा व्यापक मूल्यांकन विधि को अपनाने एंव शैक्षिक तकनीकी तथा माध्यम के भरपूर उपयोग की बात पर बल दिया गया हैं । सृजनात्मक प्रभिव्यक्ति तथा सीखने की कला को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया हैं । यह योजना एक समन्वित रूप के सभी बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उभर आई हैं । + 2 स्तर पर व्यवसायीकरण तथा प्रथम स्नातक उपाधि + 3 के उपरान्त दी जाने की व्यवस्था इस प्रणाली के तहत दी गई हैं । अतः आशा यह की जाती हैं । कि समूचे राष्ट्र में पहली स्नातक उपाधि किसी छात्र को 15 वर्ष के अध्ययन के बाद ही मिल सकेगी।

10 वर्षीय स्तर पर शिक्षक शिक्षा का स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित किए जाने की प्रक्रिया चल रही हैं। किन्तु कुछ बातें जो लगभल तय हैं, कहीं जा सकती हैं । जैसे – शिक्षक शिक्षा के दो पहलू रहेंगे – सेवारत, सेवा, पूर्व । सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण सामान्यतया एक वर्षीय बी0 एड0 पाठ्यक्रम के माध्यम से दिया जायगा चूंकि लम्बी

अवधि के समन्वित पाठ्यक्रम उतने प्रचलित एंव ग्राहय नहीं बन सकेंगे । यहा यह बताना न्याय संगत होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर यह विचार धारा बलवती बनती जा रही हैं। कि शिक्षक शिक्षा को अन्य व्यवसायों जैसे इंजीनियरिंग तथा डाक्टरी की भांति लम्बी अवधि का बनाना उपयुक्त होगा । किन्तु संसाधनों को तथा समय को दृष्टि में रखकर यह कहा जा सकता हैं कि निकट भविष्य में ऐसा कर पाना सम्भव नहीं दिखता हैं।

शिक्षक शिक्षा को विद्यालयों की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना पड़ता हैं। अतः नवीन अनुशासित 10 वर्षीय पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षक शिक्षा में परिवर्तन लाना आवश्यक हो गया हैं। यही कारण हैं कि कुछ नवीन बिन्दु शिक्षक शिक्षा में जोडे जा रहे हैं।, जैसे – कार्यानुभव, सामाजोपयोगी उत्पादक कार्य तथा समाज सेवा, पर्यावरणीय शिक्षा आदि ।

मुझे यह कहने में संकोच नहीं हैं कि ज्ञान और जनसंख्या के विस्फोट ने विश्व में अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं और पुरानी परम्परावादी शिक्षण विधियों द्वारा इनका सामना शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कर पाना संभव नहीं रहा हैं। अतः नवाचारों तथा आधुनिक तकनीकी का सहारा लेकर शिक्षक शिक्षा को समुन्नत बनाना होगा । बहुत– से शिक्षाविदों के शोध नतीजों से पता चलता हैं कि विगत कुछ वर्षो में कक्षा शिक्षण अन्तः प्रकिया तथा विज्ञापन का महत्व और अधिक बढ़ा हैं । शिक्षक शिक्षा में अपेक्षित परिवर्तन लाने होंगे, इन शोध परिणामों के आधार पर वर्तमान शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में सैद्धान्तिक विषयों पर अधिक जोर दिया जाता हैं। किन्तु आवश्यकता अब यह हैं कि पाठ्यक्रम को छात्र दृष्टि कोण के अनुरूप व्यावहारिक बनाया जाय तथा इसमें उन तत्वों को प्रथम देना चाहिए । जो 10 + 2 + 3 प्रणाली के शाला के व्यावहारिक कार्य से अधिक सम्बन्धित हैं। तभी हम कुशल एंव प्रभावी शिक्षकों का निर्माण कर सकेंगे ।

+2 स्तर पर व्यावसायीकरण लागू करने का सीधा अर्थ यह हैं । 10 वर्षीय शिक्षक शिक्षा से भिन्न शिक्षक शिक्षा एंव प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी । इस स्तर की आवश्यकता को पूरी करने के लिए । पूर्व सेवा प्रशिक्षण के दौरान इस स्तर के शिक्षकों को कक्षा शिक्षण सम्बन्धी आधुनिक यांत्रिकी तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षित करना होंगा। इस स्तर पर भी कार्यानुभव, समाजोयींगी उत्पादक कार्य, समाज सेवा आदि अनुभागों की शिक्षक शिक्षा पाठ्यकम में जोड़ना पड़ेगा ।

+3 स्तर पर शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था प्रायः नगण्य देश में । किन्तु सप्तम पंचवर्षीय योजना के दौरान, विश्वविद्यालयों अनुदान आयांग की ओर से कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों में अकादमिक स्टाफ कॉलेज खोलने की संस्तुति की गई हैं। वर्तमान में कुछ अकादमिक स्टाफ कॉलेज, उन शिक्षकों को विषय वस्तु एंव नवीन ज्ञान देने का प्रयास गोष्ठियों के माध्यम से कर रहे हैं। जो विश्वविद्यालयों अथवा संबद्ध महाविद्यालयों में कार्यरत हैं । कुरूक्षेत्र, इलाहाबाद, इंदौर, जोधपुर आदि में स्थित विश्वविद्यालयों में अकादमिक स्टाफ कॉलेज के कार्य कलाप +3 स्तर के शिक्षकों के उन्नयन हेतु देखे जा सकते हैं।

कुछ नूतन प्रवृत्तियां

शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नूतन आयाम एंव प्रवृत्तियां दिख रही हैं । जिनका उल्लेख इस स्थल पर करना समीचीन होगा । शिक्षक शिक्षा को तकनीकि सहायता देने की दृष्टि से डिस्ट्रिक्ड इन्सटीट्यूट ऐंड ट्रेंनिग ऑफ एजूकेशन (डी0 आई0 ई0 टी0) धीरे–धीरे स्थापित किए जाने हैं इनके माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु पूर्व सेवा तथा

सेवारत शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी । माध्यमिक स्तरीय शिक्षक शिक्षा को भी समुन्नत बनाया जाएगा । कुछ चुनी हुए प्रशिक्षण संस्थाओं को प्रत्येक प्रांत में इन्सटीट्यूट जाएगा। इन संस्थाओं का संपर्क प्रदेशीय व राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत अन्य संस्थाओं के साथ रहेगा ।

शिक्षक शिक्षा की अन्य संस्थाएं भी तकनीकी सहायता अधिक से अधिक दे सके, इसकी सुचारू व्यवस्था की संकल्पना की जा रही हैं । संस्थाएं जो शिक्षक शिक्षा में सहायक हो सकती हैं । वह हैं – नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन प्लांनिग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन (एन0 आई0 ई0 पी0 ए0), सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इग्लिश एण्ड फारेन लैंग्वेजेज, (सी0 आई0 आई0 एफ0 एल0), सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डियन लैंग्वेजेज (सी0 आई0 आई0 एल0), केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (के0 एच0 एस0), नेशनल इंस्टीट्यूट फार द हेन्डीकैप (एन0 आई0 एच0), रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश (आर0 आई0 ई0), टेक्निकल टीचर्स ट्रेंनिग इंस्टीट्यूट (टी0 टी0 टी0 आई0), स्टेट कौसिंस ऑफ एजूकेशन रिसर्च एण्ड ट्रेंनिग (एस0 सी0 ई0 आर0 टी0), स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन, (एस0 आई0 ई0) बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजूकेशन, शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालयों एंव सेवा प्रसार विभाग आदि। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन भी कुछ सीमा तक कार्यक्रमों में सहायता देता हैं।

शिक्षक शिक्षा की सफलता बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगी कि उपरोक्त संस्थाओं से हम कितना सहयोग ले पाते हैं। तथा बहुत कुछ इस पर कि सेवारत प्रशिक्षण को हम कितना ठोस एंव प्रभावी बना सकें हैं। शिक्षक शिक्षा में मूल्यांकन के तौर– तरीके बदलने

नितांत आवश्यक हो गए हैं। शैक्षिक तकनीकी तथा कम्प्यूटर का अधिकाधिक योग भी भविष्य की रूपरेखा को निर्धारित करेगा ।

शिक्षक शिक्षा के अभिकरण

अभिकरणों की भूमिका :-

भारत लम्बे समय तक दासता के चंगुल में जकड़ा रहा । मुगल शासकों के बाद अग्रेंजों ने अपना आधिपत्य भारत पर जमाया । अग्रेंजी हुकूमत के खिलाफ 1857 में पहला स्वतन्त्रता संग्राम हुआ, जो निरन्तर चलता रहा जब तक हम 1947 में स्वतन्त्र नहीं हो गए । जहॉ राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिए संधर्ष हुआ वहीं शिक्षा में आमूल–चूल परिवर्तन के लिए भी राष्ट्रीय नेताओं तथा शिक्षाविदों ने प्रयास किए । प्रारंभिक अवस्था में उन सभी अभिकारणों का जो प्रगतिशील एंव राष्ट्रवादी थी, जनता ने खुलकर साथ नहीं दिया किन्तु बाद में इन्हें जनसाधारण का सहयोग मिलने लगा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के आरंभिक वर्षो की कठिनाई के होते हुए भी शिक्षक शिक्षा की प्रगति नहीं रूकी। 1947 में केंन्द्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली और 1948 में विश्वभारती विश्वविद्यालयों में 'विनयभवन' स्थापित किया गया । कुछ राष्ट्रीय स्तर के अभिकरणों ने राष्ट्रीयता, सहयोग, सामाजिक एंव राष्ट्रीय एकता की शिक्षा देना आरम्भ कर दिया और सरकारी आर्थिक सहायता न लेते हुए निरन्तर मातृभाषा, देशप्रेम समाज–सेवा आदि भावनाओं के प्रसार में जुट गई । वर्तमान समय में शिक्षक शिक्षा के विभिन्न अभिकरण देखने को मिलते हैं। इनके माध्यम से शिक्षक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन का लगातार प्रयास किया जा रहा हैं। कुछ प्रमुख अभिकारणों की संक्षिप्त जानकारी इस स्थल पर देना उपयुक्त होगा।

प्रमुख अभिकरण :-

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0 जी0 सी0)

(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एंव प्रशिक्षण परिषद् (एन0 सी0 ई0 आर0 टी0)

(ग) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (एन0 सी0 टी0 ई0)

(घ) इण्डियन कोसिल ऑफ सोशल साइन्स रिसर्च (आई0 सी0 एस0 आर0)

(ड़) सेंटर फार एडवांस स्टडी इन एजूकेशन (सी0 ए0 एस0 ई0)

(च) विश्वविद्यालयी शिक्षा विभाग एंव प्रशिक्षण संस्थाएं

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार की विज्ञप्ति के अनुसार 28 दिसम्बर 1953 में स्थापित किया गया था तथा 1956 में इसे स्वायत्तता प्रदान की गई । चेयरमैन, वाईस चेयरमैन तथा सचिव के अतिरिक्त इसके अन्य सदस्य भी होते हैं। यह उच्च शिक्षा में उन्नति, समन्वय के अलावा अनुसंधान, अध्ययन एंव परीक्षा के स्तर निर्धारण करने का कार्य भी करता हैं । इसे विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति का पता लगाकर अनुदान देने का अधिकार भी हैं । नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना सम्बधी सलाह देने का कार्य भी करता हैं। इसकी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी अंहम् भूमिका हैं। आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। –

(अ) विश्वविद्यालयों की आर्थिक आवश्यकताओं को ज्ञात करना ।

(आ) विश्वविद्यालयों की सामान्य अथवा विशिष्ट अनुदान की स्वीकृति देना तथा धनराशि उपलब्ध कराना।

(इ) विश्वविद्यालयी शिक्षा के सुधार हेतु विश्वविद्यालयों को सुझाव देना तथा कार्यान्वयन हेतु आवश्यक परामर्श देना।

(ई) केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों को उनके वजट से विश्वविद्यालयों को अनुदान दिए जाने की सलाह देना ।

(उ) नये विश्वविद्यालयों के खोले जाने के संबंध में संस्तुति देना तथा चल रहे विश्वविद्यालयी शिक्षा में विकास संबधी सुझाव देना ।

(ऊ) उस समस्त जानकारी को एकत्रित करना जो भारत या दूसरें देशों के विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबधित हो और जिसकी आवश्यकता किसी विश्वविद्यालय को हो ।

(ए) विश्वविद्यालय को आर्थिक स्थिति की जानकारी देना, ताकि वह विभिन्न शैक्षिक

केकार्यक्रमों को विधिवत् आयोजित कर सकें । सभी सम्बन्धित नियमों की

(ऐ) उन सभी कार्यों को संपादित करना जो आयोग के लिए आवश्यक समझे जाते हैं उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु ।

संक्षेप में कहा जा सकता हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य अनुदान देने के अतिरिक्त, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समन्वय स्थापित करना तथा स्तर बनाये रखना हैं । सामान्यतयः यह कहा जा सकता हैं कि आयोग ने विगत कुछ वर्ष में बड़ा सराहनीय कार्य किया हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का शिक्षक शिक्षा पर बनाया गया पैनल भी अच्छा कार्य कर रहा हें। इन सबके अतिरिकत आयोग के बहुत–से कार्यक्रम विभिन्न विश्वविद्यालयों में चलते रहते हैं जिनका उल्लेख निम्नलिखित हैं।

विश्वविद्यालयों का विकास

- सामान्य विकास (स्टाफ, सामग्री, भवन, पुस्तकें आदि)
- उच्च अध्ययन केन्द्र तथा विशिष्ट अनुदान पाने वाले विभाग
- स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु विश्वविद्यालयी केन्द्र
- क्षेत्रीय अध्ययन
- अतिथि गृह
- विशिष्ट चेयर (पदों) की स्थापना
- केन्द्रीय उपकरण सुविधा
- कम्प्यूपर सुविधा विकास
- पांडलिपियों को एकत्रित करना तथा उनका संरक्षण
- विकास अधिकारियों की नियुक्ति
- शताब्दी अनुदान
- आंतरिक सुविधाएं (होस्टल, स्टाफ क्वार्टर, पुस्तकालय भवन, प्रयोगशालाएं)

– संग्रहालय विकास

– बिना आवंटित अनुदान

– वन जीवन तथा अनुसंधान

– पुरातत्व विज्ञान तथा संग्रहालय, विश्वविद्यालय स्तर पर पुरातत्व केन्द्र स्थापना

महाविद्यालयों का विकास

– सामान्य विकास (3.5 लाख अनुदान योजना भवन, कक्षाकक्ष, प्रयोगशाला, होस्टल, पुस्तकें आदि)

– सी0 ओ0 एस0 आई0 पी0 तथा सी0 ओ0 एच0 एस0 एस0 आई0 पी0 योजना ।

– विज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययन विकास

– सामातिक विज्ञान तथा मानविकी में स्नातकोत्तर अध्ययन विकास ।

– महाविद्यालयों में स्वायत्तता

– शताब्दी अनुदान

– पाठ्यक्रम को संबधित करने हेतु आर्थिक सहायता ।

संकाय सुधार कार्यक्रम

– सेमीनार, संगोष्ठी, ग्रीष्मकालीन सभाएं

– राष्ट्रीय फेलोशिप

– राष्ट्रीय असोशिएटशिप

– विजिटिंग प्रोफेसरशिप, फेलोशिप

– अनुसंधान असोशिएटशिप

– शिक्षक फेलोशिप

– राष्ट्रीय व्याख्यान

– सेवामुक्त शिक्षकों की सेवाएं लेना

– भ्रमण अनुदान

– युवा वैज्ञानिकों को छात्रवृत्तियां

अनुसंधान कार्य हेतु सहायता

- मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में उच्च शोध योजनायें
- मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में कम अवधि की शोध योजनायें
- विज्ञान में बड़ी अनुसंधान योजनाएं
- विज्ञान में छोटी अनुसंधान योजनाएं
- अनुसंधान हेतु मूल सहायता
- अनुसंधान छात्रवृत्तियां तथा फेलोशिप
- शिक्षकों को अनुसंधान कार्य हेतु आर्थिक सहायता
- शोध प्रबन्ध का प्रकाशन एंव उत्तम शोध कार्य का प्रकाशन

छात्र कल्याण कार्यक्रम

- छात्र सहायता कोष
- आवासीय छात्र केन्द्र
- अध्ययन आवास
- बुक बैंक
- स्वास्थ्य केन्द्र
- रोजगार समाचार, व्यवसायिक निर्देशन ब्यूरी
- जिमनाजियम निर्माण
- खेत के मैदान का विकास
- प्रशिक्षित कोचों का प्रावधान
- कैंटीन

अकादमिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम

- पत्राचार पाठ्यक्रम
- प्रौढ़/अनवरत शिक्षा तथा प्रसार
- सांस्कृतिक तथा द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रम
- परीक्षा सुधार
- पांडुलिपियों का एकत्रीकरण एंव संरक्षण
- राष्ट्रीय एकता समिति

– आयोजना मंच

– विज्ञान शिक्षा केन्द्र

– क्षेत्रीय पुस्तकालय केन्द्र

– महाविद्यालय विकास परिषद्

– गांधी भवन एंव गांधी संबंधी अध्ययन

– पुस्तक लेखन

(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एंव प्रशिक्षण परिषद्

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एंव प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना 1 सितम्बर, 1966 में हुई । इसका मुख्यालय दिल्ली में हैं। यह स्कूली शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों एंव कार्यक्रमों को तैयार करने और कार्यान्बयन संबंधी मामलों में, मानव संसाध ान विकास मंत्रालय को अकादमिक परामर्श देने में मुख्य अभिकरणो की भूमिका निभाना हैं। यह राज्यों के शिक्षा विभागों, विश्वविद्याालयों और अन्य संस्थाओं, जिनकी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र मे रूचि हैं।, के साथ निकट सहयोग से कार्य करती हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से भी निकट सम्पर्क बनाए रखती हैं । इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, चारों क्षेत्रीय महाविद्यालयों (अजमेर, मैसूर, भुवनेश्वर, भोपाल) की परिषदों, केन्द्र शिक्षा तकनीकी संस्थान, नई दिल्ली एंव राज्य शिक्षा विभागों से सम्पर्क बनाएं रखने के लिए विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में 17 क्षेत्रीय कार्यालय की इकाईयां काम कर रही हैं।

परिषद् के चार क्षेत्रीय महाविद्यालयों में चार वर्षीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम कला तथा विज्ञान में चलाया जा सकता हैं इसके अतिरिक्त एक वर्षीय बी0 एड0 पाठ्यक्रम में तथा एम0 एड0 पाठ्यक्रम भी चलाएं जा रहे हैं। शिक्षा में अनुसंधान पी–एच0 डी0 का इन महाविद्यालयों में हैं। संक्षेप में कहा जा सकता हैं कि इस परिषद् के तहत तीन प्रमुख अगं हैं। –

– राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली

– चार क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय

– 17 क्षेत्रीय कार्यालय इकाईयां

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली के स्वरूप में समय – समय पर परिवर्तन होता रहता हैं । वर्तमान में शिक्षक शिक्षा का कार्य जिस विभाग द्वारा संपादित किया जा रहा हैं उसका नाम शिक्षक शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा तथा प्रसार सेवा विभाग' । राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभिन्न विभाग शिक्षा सम्बंधी जानकारी एकत्र करने, शोध करने तथा प्रसार सेवा के माध्यम से नवीन ज्ञान एंव प्रवृत्तियों को विद्यालयों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। देशव्यापी परीक्षा प्रणाली सुधार का कार्य इस संस्थान ने सफलता पूर्वक चलाया । शिक्षक शिक्षा विभाग ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आधुनिकतम बनाने का प्रयास किया हैं । शिक्षकों में रचनात्मक लेखन कला के विकास हेतु सेमीनार रीडिंग कार्यक्रम चलाया जाता हैं। योग्य शिक्षक पुरस्कृत भी किए जाते हैं। परिषद् का प्रकाशन विभाग बड़ा महत्वपूर्ण अंग बन गया हैं। परिषद् द्वारा मुद्रित विभिन्न पाठ्य पुस्तकें पूरे देश में बहुत प्रचलित हो चुकी हैं। चार पत्रिकाओं का प्रकाशन भी परिषद् करता हैं। – इंडियन एजूकेशन रिव्यू (त्रैमासिक), जर्नल ऑफ इण्डियन एजूकेशन (द्विमासिक), स्केल साइन्स (त्रैमासिक), प्राईमरी टीचर (त्रैमासिक), भारतीय आधुनिक शिक्षा (त्रैमासिक) तथा प्राइमरी शिक्षक (त्रैमासिक), पत्रिकाओं का प्रकाशन हिन्दी में भी किया जाता हैं।

परिषद् द्वारा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता 'राष्ट्रीय प्रतिभा खोज' बड़ी प्रख्यात हैं । प्रतिवर्ष परीक्षा के आधार पर लगभग 750 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। सफल विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान में अथवा इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पी0 एच–डी0 स्तर तक अध्ययन जारी रखने के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

परिषद् मुख्य रूप से अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण एंव विस्तार के क्षेत्र में कार्यरत हैं और इससे शिक्षा की 10 + 2 + 3 प्रणली को समूचे राष्ट्र में लागू करने का ठोस प्रयास किया है। स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणो के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने के अतिरिक्त , परिषद ने सम्पूर्ण स्कूली शिक्षा (कक्षा 1 से 12)के लिए लग भग सभी विषयो में पाठ्य पुस्तके तैयार की है, परिषद स्कूलो के प्रयोग हेतु विडियो टेप, टेप स्लाइट , फिल्मे तथा अन्य श्रव्य दृश्य सामग्री तैयार करता है । परिषद ने प्राथमिक तथा मिडिल के लिए कम लागत वाले विज्ञान किट भी तैयार किए है । परिषद

ने प्राथमिक शिक्षक क्षेत्र में यूनेस्को तथा यूनीसेफ द्वारा संचालित सहायता प्राप्त परियोजानाओ को लागू करने में बडी मदद पहुचाई ।

स्कूलों में कम्प्यूटर ज्ञान और अध्ययन नामक परियोजना को भी आरम्भ किया गया हैं कि ताकि कुछ चुने हुऐ स्कूलों में कम्प्यूटर लगाकर शिक्षा दी जा सकें । छात्रों में जनसंख्या के प्रति चेतना विकसित करने के लिए यू0 एन0 एफ0 पी0 ए0 के सहयोग से जनसंख्या शिक्षा परियोजना को भी लागू किया जा चुका हैं। यूनिसेफ को पांच प्रमुख परियोजनाएं स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। –

1. प्राइमरी शिक्षा को व्यापक पहुँच तक लाना ।
2. पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा एंव स्वच्छ वातारण ।
3. प्राईमरी शिक्षा पाठ्यक्रम का नवीनीकरण ।
4. सामुदायिक शिक्षा और भागीदारी में विकासात्मक गतिविधियां ।
5. बच्चों की मीडिया प्रयोगात्मक/वाल्यावस्था की शिक्षा ।

परिषद् ने विगत वर्षो में सामुदायिक गायन को एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में आरम्भ किया हैं। बच्चों को सामूहिक रूप से गाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता हैं । ताकि उनमें राष्ट्रीय एकीकरण की भावना का विकास हो सकें । स्कूली पाठ्यपुस्तकों की गुणात्मकता और राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से मूल्यांकन किया जाता हैं। शिक्षा पर नवीन राष्ट्रीय नीति (1986) तैयार की गई हैं, जिसमें शैक्षिक तकनीकि, मूल्य प्रधान शिक्षा और राष्ट्रीय एकीकरण पर बहुत बल दिया गया हैं। एक नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम मूल रूप में समूचे राष्ट्रके लिए बनाया गया हैं। स्कूल शिक्षकों के अनुकूलन के लिए भी एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एंव प्रशिक्षण परिषद् अनुसंधान का कार्य करती हैं । तथा इस कार्य में सहायता भी देती हैं। एक समिति 'एरिक़' (एजूकेशन रिसर्च एण्ड इन्नोवेशन कमेटी) इस कार्य का सम्पादन सरलता–पूर्वक कर रही हैं। यह परिषद् एन0 सी0 टी0 ई0 के मुख्यालय के रूप में भी कार्य करता हैं। यह परिषद् राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना हैं। तथा स्कूली शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर परामर्श सेवाएं भी देता हैं।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्

कोठारी कमीशन (1964–66) की संस्तुति के अनुरूप शिक्षक शिक्षा के स्तर उन्नयन का दायित्व बहुत अंश में भारत सरकार पर हैं । इसकी ध्यान में रखते हुए 1973 में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (एन0 सी0 टी0 ई0) का गठन किया गया । इस परिषद् से यह आशा की जाती हैं । कि शिक्षक शिक्षा की विविध योजनाओं के सम्वन्ध में सरकार को समय–समय पर परामर्श दें। सेंट्रल एडवाईजरी बोर्ड ऑफ एजूकेशन ने (1972) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् के गठन सम्वन्धों प्रस्ताव को पारित किया था । परिषद् के निम्न सदस्य होंगे –

– केन्द्रीय शिक्षा मंत्री	– अध्यक्ष
– प्रत्येक राज्य के शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि	– 21 सदस्य
– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	– 1 सदस्य
– आल इंडिया कौंसिल फार टेक्निकल एजूकेशन	– 1 सदस्य
– सेंन्ट्रल एडवाईजरी बोर्ड ऑफ एजूकेशन	– 1 सदस्य
– राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एंव प्रशिक्षण परिषद्	– 1 सदस्य
– आयोजना आयोग प्रतिनिधि	– 1 सदस्य
– भारत सरकार द्वारा मनोनीत	– 12 सदस्य
– पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, टेक्निकल एंव व्यावसायिक शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित	–12 सदस्य
– शिक्षा सचिव	– 2 सदस्य
– परिषद् के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत	– 1 सदस्य
– मेम्बर सेक्रेटरी केपद पर	– 1 सदस्य
कुल	**– 41 सदस्य**

यह भी प्रस्तावित किया गया कि सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होना चाहिए। अध्यक्ष को विशिष्ट सदस्यों को परिषद् की बैठकोंमें बुलाने का अधिकार रहेगा तथा विभिन्न उप – समितियों के गठन का भी अधिकार रहेगा । राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् के प्रमुख कार्य निम्न होंगे –

1. शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित सभी मामलों पर भारत सरकार की परामर्श देना। इसमें पूर्व सेवा तथा सेवारत प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन तथा समय–समय पर सुधार की प्रगति को आंकना भी सम्मिलित हैं।
2. राज्य सरकार को समय–समय पर शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित किसी योजना के विषय में राय देना।
3. उन सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना जो पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित हों।
4. शिक्षक शिक्षा में अपेक्षित स्तर को बनाए रखने केलिए सरकार को परामर्श देना ।
5. भारत सरकार के द्वारा किसी अन्य आयाम पर परामर्श देना, जिसके विषय में परिषद् से पूछा गया हो ।

1973 से राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् निरन्तर यह प्रयास करता रहा हैं कि शिक्षक शिक्षा को समुन्नत बनाया जाये किन्तु इस क्षेत्र में बहुत प्रगति नहीं हो सकी हैं जिसका प्रमुख कारण यह रहा कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् को कानूनी अधिकार (स्टैच्यूरी पावर) नहीं मिले हैं । यह परिषद् राज्यों को परामर्श मात्र देती रही हैं । यह राज्यों पर निर्भर करता हैं कि वह इसकी राय को माने या न माने । यही कारण हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर परिषद् द्वारा तैयार किये गये । बहुमूल्य सुझाव शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विश्वविद्यालयमें लागू नहीं किये जा सकें । "टीचर एजूकेशन करीकुलम – ए फ्रेमवर्क" केवल गाइड लाइन प्रपत्र बनकर रह गया।
नवीन शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के बाद लगातार प्रयास किया जा रहा है। कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को कानूनी जामा पहना दिया जाय। यदि निकट भविष्य मे संसद द्वारा यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। तो आशा रखनी चाहिए। कि शिक्षक शिक्षा मे वांछित सुद्यार अवश्य हो सकेगें।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने एक समिति द्वारा उस ड्राफ्ट को तैयार करवा लिया है। जिसके संसद मे पारित होने के बाद परिषद को संवैधानिक मान्यता मिल जायेगी । किसी भी समय इसे संसद मे पेश किया जा सकता है। इस प्रपत्र मे राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का दायित्व मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया या वार कौंसिल ऑफ इण्डिया की भाति माना गया हैं। परिषद के प्रमुख कार्य होगें।

1. मान्यता प्रदान करना –विभिन्न स्तरीय शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रमो को जो विश्वविद्यालय प्रांतीय संस्थान अथवा सरकार द्वारा बनाए जाएगे मान्यता प्रदान करना । बिना मान्यता प्राप्त किए हुए कोई विश्वविद्यालय विभाग या संस्थान पाठक्रम लागू नही कर सकेगा ।
2. प्रमाणित करना –विभिन्न विशेषज्ञो तथा समितियों द्वारा तैयार किए गए मानको को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् विभिन्न शिक्षक शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थाओं को प्रमाणित करेगा । समय – समय पर निरीक्षण समितियों की सहायता से जांच परख की जायेगी। कि संस्था विशेष में आवश्यक साधन सुविधाएं प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध हैं। अथवा नहीं।
3. प्रमाणन करना – शिक्षक कार्य्र संपादित करने के लिए पहले 2 वर्ष हेतु प्रमाण पत्र देना। फिर लम्बी अवधि 5–10 वर्ष हेतु और बार में सम्पूर्ण जीवन हेतु । शिक्षक की व्यवसाय मे प्राप्त उपलब्धियो के आधार पर प्रमाणन किया जाएगा ।

आशा की जाती हैं। कि भविष्य में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् का अलग से भवन एंव स्टाफ होगा। अध्यक्ष एंव उपाध्यक्ष के अलावा एक सचिव तथा अन्य ऑफिस स्टाफ इसके कार्य को संचालित करेंगे। एक कार्यकारिणी समिति भी बनाई जाएगी। जो कम माह मे एक बार अपनी बैठक करेगी। ताकि कार्य की प्रगति का सही लेखा जोखा रखा जा सके। यह भी प्रस्तावित किया हैं कि राज्य शिक्षक शिक्षा परिषदों का गठन शीघ्र ही किया जाए और उन्हे भी संवैधानिक अधिकार प्रदान किए जाये ताकि व्यापक रूप मे शिक्षक शिक्षा मे सुधार लाये जा सके । आशा रखनी चाहिए कि शिक्षक शिक्षा परिषद का संवैधानिक अस्तित्व एक पृथक उच्च स्वायत्तशासी संस्था के रूप मे देखने को मिल सकेगा ।

(घ) इंडियन कौंसिल ऑफ सोशल साइन्स रिसर्च

सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के महत्व को ध्यान में रखते हुए आयोजना आयोग ने एक समिति का गठन किया था जिसमें यह संस्तुति दी कि राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् की स्थापना की जाए । भारत सरकार ने इसे मानते हुए उपरोक्त परिषद् की स्थापना 1 अगस्त 1969 में की । इस परिषद् से यह

आशा की गई कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में उन्नयन एंव समन्वय स्थापित करेगा तथा आवश्यक धनराशि जुटाने का दायित्व निभायेगा ।

इस परिषद् के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। –

1. सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में लिए जाने वाले अनुसंधान की समीक्षा करना तथा सरकार की एंव गैर सरकारी व्यक्तियों को परामर्श देना ।
2. उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, जो सामाजिक विज्ञान में शोध कार्य कर रहे हैं । तथा सामाजिक विज्ञान में शोध परियोजनाओं को हाथ में लेना । प्रतिष्ठित संगठनों, पत्र–पत्रिकाओं तथा संस्थाओं को भी आर्थिक सहायता देना, यदि वह इस प्रकार का कार्य कर रही हैं।
3. सामाजिक विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रमों में तकनीकि सहायता प्रदान करना, तथा व्यक्तियों या संस्थाओं के शोधकार्य का प्रारूप तैयार करवाना । शोधकार्य में निपुणता प्रदान करने हेतु संस्थानएं व्यवस्था संबंधी एंव अन्य सहायता प्रदान करना ।
4. समय – समय पर उन विषयों को बताना तथाउन क्षेत्रों को बताना जिन पर सामाजिक विज्ञान के शोधों को किया जा सकें । उन क्षेत्रों का पता लगाकर शोधकार्य करवाना जो महात्वपूर्ण होते हुए भी अवहेलना के शिकार हो गयें ।
5. लेखन सेवा केन्द्रों (डॅाकूमेंन्टेशन सेंटर) का विकास करना । प्रदत्त प्रदान करना आधुनिक सामाजिक विद्वान प्रश्नावली तथा राष्टीय स्तर पर सामाजिक वैज्ञानिकों की सूची आदि तैयार करना ।
6. सेमिनार, संगीष्ठी, कार्यशाला, स्टडी सर्किल, आदि का संगठन करना तथा उन्हें संरक्षण देते हुए अर्थिक सहायता प्रदान करना ।
7. सामाजिक विज्ञान अनुसंधान कार्य को प्रकाशित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा इस प्रकार के कार्य के प्रचार प्रसार के लिए पत्रिकाएं, जर्नल एवं डाइजेस्ट का प्रकाशन करना ।
8. भारत में तथा विदेशों में छात्रों, शिक्षकों एवं अन्य अनुसंधान कर्ताओं हेतु छात्रवृत्तियों, फेलोशिप तथा पारितोषित का आदि आरम्भ करना तथा उसका कियान्वयन करना ।
9. विश्वविद्यालयों में इस क्षेत्र के विशेष कार्य पर सीनियर फेलोशिप प्रदान करना ।

10. समय–समय पर भारत सरकार द्वारा पूछी गई। वह समस्त जानकारी उपलब्ध कराना जो सामाजिक विज्ञान अनुसंधान से सम्बन्धित हैं। विदेशी अभिकरणों के साथ सम्बन्ध व्यवस्था भी इसके क्रार्यक्षेत्र में होगी।

11. सामान्य रुप से वह सभी कदम उठाना जो सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सुधार ला सकें तथा उसे समुन्नत बना सकें। ताकि उसका लाभ समूचे देश को मिल सकें।

संक्षेप में कहा जा सकता हैं । कि सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र व्यापक हैं इसमें विभिन्न विषय आते हैं तथा इन विषयों में अनुसंधान कार्य के प्रोत्साहित करने, शोधकार्य हेतु आर्थिक सहायता देने तथा शोध कार्य के परिणामों के प्रसार हेतु प्रकाशन कार्य पर बल देते हुए आर्थिक सहायता देने का कार्य यह परिषद् सफलता पूर्वक कर रहा हैं। परिषद् एक स्वायत्तशासी संस्था के रुप में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में हैं। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देने का कार्य कर रहा हैं।

(ड़) सेंटर फार ऐडवांस स्टडी इन एजूकेशन

विगत कुछ दशाब्दियों में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र को बहुत से देशो में वरीयता दी गई । भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से एम० एस० यूनिवर्सिटी, बडौदा में एक उच्च अध्ययन केन्द्र(सेंटर फार ऐडवांस स्टडी इन एजूकेशन) स्थापित किया गया। इसका संक्षिप्त नाम 'केस' (सी० ए० एस० ई०)हैं।शिक्षा के क्षेत्र में भारत का यह अग्रणीय प्रयास माना जायगा । शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम० एड०) तथा शोध कार्य (पी–एच० डी०) के अलावा यह केन्द्र शिक्षा की विभिन्न समस्याओं को हल करने के निरन्तर प्रयास करता रहता हैं। केन्द्र की विभिन्न इकाइयों के माध्यम से यह कार्य सम्पन्न किया जाता हैं। कुछ प्रमुख इकाइयां जैसे – शिक्षा अनुसंधान से इकाई, पाठ्यक्रम इकाई, मनोभित्तिक इकाई आदि अपने क्षेत्रों मे अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करती हैं। इनके द्वारा प्रकाशन कार्य सेमिनार एवं गोष्ठियों का आयेाजन तथा गीष्मकालीन शिविर भी चलाये जाते है। अनुसंधान कार्य का प्रसार करने की दृष्टि से केन्द्र द्वारा संक्षिप्त सार प्रसारित करता है । तथा एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन भी करता हैं । इस केन्द्र द्वारा प्रकाशित पुस्तकें शिक्षा अनुसंधान क क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि पा चुकी हैं।

अभिक्रमित अध्ययन, शैक्षिक स्तर के निर्धारिक तत्व, अनुसंधान प्रतिवेदन लिखने की कला, पिछड़े बालकों की शिक्षा आदि विषयों पर केन्द्र ने पुस्तकें प्रकाशित की हैं । जिनके उपयोग से शिक्षक शिक्षा को एक नयी दिशा मिली हैं ।

स्थापना के बाद से ही केन्द्र ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर अनुसंधान कार्य किए हैं तथा शिक्षा को प्रोत्साहन दिया हैं। केन्द्र के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं।

1. सहकारिता के आधार पर अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करना, विभिन्न विश्वविद्यालयों का इस सम्बन्ध में सहयोग लेना ।
2. उन पुस्तकों को प्रकाशित करना जो शिक्षको तथा शैक्षिक योजनाएं बनाने वालों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा सकें ।
3. शिक्षा में अनुसंधान (पी–एच0 डी0) हेतु फेलोशिप प्रदान करना ।
4. सामाजिक सुधार की दृष्टि से अपने क्रियाकलापों का विस्तार करना तथा कतिपय प्रमुख परियोजनाओं का प्रोत्साहित करना ।
5. समूचे देश के शिक्षकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वह विषय वार शिक्षक संगठनों की संगठनों की स्थापना जनपद, राज्य तथा राष्ट्र स्तर पर कर सकें ।
6. एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 तथा एन0 सी0 टी0 ई0 के सहयोग से सेवा विस्तार विभागों के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।
7. शैक्षिक समस्याओं के निराकरण हेतु कार्य गोष्ठियों का आयोजन करना ।
8. शिक्षा क्षेत्र में उच्च अध्ययन में लगी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना ।

अतः संक्षेप में यह कहा जा सकता हैं । कि 'केस' पूरे देश में अकेला केन्द्र हैं । जो शिक्षक शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा के विभिन्न आयामों पर निरंतर अनुसंधान करता रहा हैं । शिक्षक व्यवहार पर किए गये अनुसंधान कार्य की प्रशंसा देश तथा विदेश दोंनो में की जाती हैं। शोधकर्ता का यह सुझाव हैं कि शिक्षक शिक्षा की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, विश्व–विद्यालय अनुदान आयोग को इसी प्रकार के कुछ और केन्द्र देश में स्थापित करने चाहिए । इस प्रकार की कार्यवाही से शिक्षक शिक्षा में सुधार लाया जा सकेगा तथा इसकों गति प्रदान की जा सकेगी ।

(च) स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजूकेशन

शिक्षा आयोग (1964–66) ने सुझाव दिया था कि शिक्षक शिक्षामें समुचित सुधार लाने की दृष्टि से स्टेट बोर्ड ऑफटीचर एजूकेशन गठित किए जाए। आयोग ने यह भी प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक राज्य में एक पूर्ण–कालिक सचिव नियुक्त किया जाना चाहिए जो इसके कार्य को सुचारू रूप से चलाने का यत्न करेगा । शिक्षा आयोग ने इसके कार्यों का उल्लेख भी किया हैं। आयोग के अनुसार इसके प्रमुख कार्य निम्न होंगे –

(क) प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए स्तर का निर्धारण करना ।

(ख) शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, कार्यक्रमों, परीक्षाओं तथा शिक्षक सामग्री में सुधार करना।

(ग) प्रशिक्षण संस्थाओं की मान्यता के लिए शर्ते बनाना एंव उनके निरीक्षण की समय–समय पर व्यवस्था करना ।

(घ) इस बात को सुनिश्चित करना कि निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद शिक्षक राज्य की शालाओं में शिक्षण कार्य के योग्य हैं।

(ड़) तात्कालिक एंव लम्बी अवधि के लिए शिक्षक शिक्षा योजनाओं का विकास करना जो संख्यात्मक, तथा गुणात्मक दोंनो ही हो सकती हैं।

एन0 सी0 टी0 ई0 ने स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजूकेशन के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया हैं। उसके अनुसार निम्न सदस्य होंगे इस अभिकरण के –

1. डायरेक्टर ऑफ एजूकेशन – चेयरमैन
2. डायरेक्टर स्टेट कौसिल ऑफ रिसर्च एण्ड ट्रेंनिग – सदस्य
3. डायरेक्टर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन – सदस्य
4. डायरेक्टर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ सांइस एजूकेशन – सदस्य
5. राज्य के सभी संभागों के ज्वाइन्ट डायरेक्टर/ डिप्टी डायरेक्टर – सदस्य
6. प्रभारी अधिकारी आयोजना एंव सांख्यिकी शिक्षा निदेशालय में – सदस्य
7. शिक्षा निदेशालय के शिक्षक शिक्षा का प्रभारी अधिकारी – सदस्य

8. चेयरमैन, स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजूकेशन — सदस्य

जिन प्रदेशों में प्राथमिक एंव माध्यमिक शिक्षा केलिए अलग–अलग निर्देशक हैं वहां वरिष्ठता के क्रम में सदस्य का चयन किया जाना चाहिए ।

विश्वविद्यालय प्रतिनिधि

9. शिक्षा संकाय के राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के डीन — सदस्य
10. राज्य के समस्त विशविद्यालयों के बोर्ड ऑफ स्टडीज (शिक्षा) के चेयरमैन — सदस्य
11. शिक्षा के अतिरिक्त अन्य विषयों से 4 या 5 विभागीय अध्यक्ष — सदस्य
12. सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रत्येक से एक प्राचार्य, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरीय — सदस्य
13. गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रत्येक से एक प्राचार्य, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, एंव माध्यमिक स्तरीय — सदस्य
14. सेवा प्रसार केन्द्र के निदेशक (एक प्राथमिक तथा एक माध्यमिक) — सदस्य
15. पूर्व प्रथमिक, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षक संगठनों के अध्यक्ष — सदस्य
16. प्रतिष्ठित शिक्षाविद, प्रत्येक क्षेत्र से एक, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, — सदस्य

माध्यमिक एंव उच्चस्तरीय शिक्षक शिक्षा

एन0 सी0 टी0 ई0 ने प्रस्तावित किया हैं कि इन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा । देश के विभिन्न राज्यों में शिक्षक शिक्षा के उन्नयन हेतु स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजूकेशन गठित भी किए किन्तु देखने में यह आता हैं कि यह सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप राजस्थान के टीचर एजूकेशन बोर्ड का लेखक सदस्य होने के नाते यह स्पष्ट रूप से कह सकता हैं कि यह अभिकरण नाम मात्र के लिए जीवित हैं राज्य में एन0 सी0 टी0 ई0 ने भी

टीचर एजूकेशन बोर्ड के प्रमुख कार्य बताये हैं, जो अधोलिखित हैं। –

1. विश्वविद्यालयी विभागों को सम्मिलित करते हुए समस्त प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु शिक्षक शिक्षा के स्तर का निर्धारण करना।
2. सभी स्तरों पर समन्वय स्थापित करना तथा शिक्षक शिक्षा में सुधार लाना ।
3. शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थाओं को सभी स्तर के प्रशिक्षकों की अपेक्षित योग्यताओं के विषय में तथा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, सहायक सामग्री आदि के विषय में जानकारी उपलब्ध कराना ।
4. शिक्षक शिक्षा के प्रत्येक स्तर हेतु प्रशिक्षकों की अकादमिक तथा व्यावहारिक मानकों का निर्धारण करना तथा प्रशिक्षण संस्थाओं के अपेक्षित संसाधनों को सूची बनाना तथा लागू करना ।
5. विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण संस्थाओं के मान्यता के नियमों की जॉच करना तथा सुधार हेतु सुझाव देना।
6. सभी स्तरों की प्रशिक्षण संस्थाओं के निरीक्षण की व्यवस्था समय–समय पर करना । इसमें विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग भी निहित हैं।
7. राज्य सरकार को विभिन्न स्तर की प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रमाणी करण के लिए परामर्श देना।
8. आवश्यकता के आधार पर विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं की दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए राज्य सरकार को सलाह देना ।
9. विषयवस्तु तथा शिक्षण विधाओं दोंनो क्षेत्रों में सेवारत प्रशिक्षकों एंव शिक्षकों के लिए कार्यक्रम का विकास करना, सरकार तथा विश्वविद्यालयों की मदद से।
10. समयात्मक एंव गुणात्मक विकास की दृष्टि से शिक्षक शिक्षा उन्नयन के लिए तात्कालिक एंव लम्बी अवधि की परियोजनाओं को तैयार करना ।

अतः संक्षेप में कहा जा सकता हैं कि स्टेट बोर्ड ऑु टीचर एजूकेशन शिक्षक शिक्षा के विभिन्न आयामों में सुधार लाने के लिए एक प्रमुख अभिकरण हैं । राज्य के शिक्षकों एंव प्रशिक्षकों में आत्म – विश्वास जगाने एंव उन्हें प्रोत्साहित करने के साथ – साथ, यह अभिकरण राज्य सरकार को समुचित परामर्शदेने का अहं दायित्व भी वहन करता हैं। विभिन्न कार्यों, जिनके लिए इसका गठन किया गया हैं, को पूर्ण सफलता हेतु इसे यह छूट रहती हैं कि अन्य समितियों एंव उपसमितियों का आवश्यकतानुसार गठन कर लें ।

विश्वविद्यालयी शिक्षा विभाग एवं प्रशिक्षण संस्थाएं

सर्वप्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय में (1919) में शिक्षा विभाग आरम्भ किया गया तब से लेकर आज तक देश के तमाम विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग की स्थापना की जा चुकी हैं । एक अनुमान के अनुसार लाने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है, प्रशिक्षण महाविघालयो की तुलना में विश्व–विद्यालयो मे प्रायः अधिक योग्य शिक्षक पाये जाते है , प्रायः इन सभी विश्वविधालयो में बी0 एड0 एम0 एड0 तथा पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम चलाए जाते है। विश्वविद्यालयो विभागो तथा अन्य प्रशिक्षण सस्थाओ, जो सरकारी या गैर सरकारी दोनो होती है, के माध्यम से निम्नलिखित कार्य संपादित किए जाते है–

1. शिक्षा में स्नातकोतर तथा अनुसंधान सम्बन्धी अध्ययन का विकास करना ।
2. विभिन्न स्कूलो के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना ।
3. स्नातकोतर तथा अनुसंधानात्मक स्तर पर शिक्षक शिक्षा के ठोस कार्यक्रम को तैयार करना।
4. उन पाठ्यक्रमो का विकास करना जो असामान्य है– जैसे विकलागो के लिए शिक्षक शिक्षा ।
5. भाषा प्रयोगशाला , सहायक सामग्री तथा नवाचारो का विकास करना।
6. चार वर्षीय शिक्षक पाठ्यक्रम पत्राचार पाठ्यक्रम आदि तैयार करना।
7. शिक्षक शिक्षा पाठ्य क्रम का अन्य विषयो के साथ सह सम्पर्क स्थापित करना तथा अतं शास्त्रीय उपासन को बढावा देना।
8. सेवा प्रसार विभाग के समस्त कार्य क्रमो को अपेक्षित दिशा प्रदान करना।

यह बात निर्विवाद हैं। कि शिक्षक शिक्षा में अपेक्षित सुधार की आशा तभी करनी चाहिए जब विश्वविद्यालयी विभाग एंव अन्य प्रशिक्षण संस्थाएं शिक्षा में प्रयोग एंव नवाचारों में विमुख न हो तथा शिक्षक शिक्षा को एक दायरे में न बांधते हुए। इसके उन्नयन हेतु अन्तः शास्त्रीय उपागम को अपनायें ।

नयी शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रमुख अभिकरण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के अनुसार शिक्षक शिक्षा को समुन्नत बनाने के

लिए विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के अभिकरणों की संकल्पना की गई हैं । प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों तथा अनौपचारिक एंव प्रौढ़ शिक्षा में कार्यरत कार्मिकों के लिए पूर्व सेवा एंव सेवारत पाठ्यक्रमों के आयोजन हेतु जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान (डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन एण्ड ट्रेंनिग) स्थापित किए जाने हैं । माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा में अपेक्षित सुधार लाने की दृष्टि से चुनी हुई माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एंव प्रशिक्षण परिषदों के कार्यों को संपादित करने के लिए उन्नत किया जायेगा ।

प्राथमिक स्तर हेतु अनुमोदित जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) राज्य के विभिन्न जनपदों में स्थापित किए जा रहे हैं। उनकी स्थापना के उपरान्त निम्न स्तर की प्रशिक्षण संस्थाएं धीरे – धीरे समाप्त कर दी जायेंगी । इस संस्थान के प्रधान का सामाजिक स्तर डिग्री कॉलेज अथवा बी0 एड्0 कॉलेज के प्राचार्य के समकक्ष होगा । प्राथमिक शिक्षा में विशिष्टीकरण रखने वाले योग्य शिक्षक का विधिवत चयन इस पद के लिए जायेगा । आधुनिकतम तकनीकी सम्बन्धी समस्त साधन– सुविधायें उपलब्ध होंगी, जैसे – कम्प्यूटर आधारित अधिगम, बी0 सी0 आर0, टी0 बी0 आदि । प्रशिक्षणार्थियों से आशा की जायेंगी कि वह अपने उपयोग हेतु श्रव्य–दृश्य सम्बन्धी सामग्री, जिनमें कैसट भी सम्मिलित होंगे, तैयार कर सकने में सक्षम होंगे । शिक्षण की विभिन्न विधाओं तथा नवीन व्यूह, रचनाओं का उपयोग करते हुए इसे प्रभावी बना सकेंगे। संक्षेप में जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान के अधोलिखित कार्य होंगे। –

1. औपचारिक शिक्षा प्रणाली हेतु शिक्षकों की पूर्व सेवा एंव सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
2. अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा के कर्मियों हेतु आरम्भिक तथा अनवरत शिक्षा व्यवस्था करना।
3. संस्थान आयोजना एंव प्रबन्ध के प्रति संस्था को प्रशिक्षण देना ।
4. ऐच्छिक संगठनों के कर्मियों, समाज नेताओं तथा स्कूली शिक्षा की प्रभावित करने वाले अन्य व्यक्तियों की अपेक्षित जानकारी एवं प्रशिक्षण देना ।
5. शाला संगम तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एजूकेशन को अकादमिक सहायता देना ।

6. प्रयोगात्मक कार्य तथा क्रियात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देना ।
7. प्राथमिक, उच्च प्राथमिक पाठशालाओं तथा अनौपचारिक एंव प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के मूल्यांकन केन्द्र के रूप में कार्य करना ।
8. संसाधन सेवा तथा अधिगम केन्द्र के रूप में कार्य करते हुए परामर्श देना । चयनित माध्यमिक स्तर की प्रशिक्षण संस्थाओं को उठाने की दृष्टि से दो प्रकार के अभिकरणों की संकल्पना प्रोग्राम ऑफ ऐक्शन (1986) के तहत की गई हैं।

   (क) शिक्षक शिक्षा के कॉलेज

   (ख) शिक्षा में उच्च अध्ययन संस्थान

शिक्षक शिक्षा के कॉलेजों के निम्न कार्य होंगे -

1. माध्यमिक शिक्षकों की तैयारी हेतु पूर्व सेवा शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम को संगठित करना ।
2. माध्यमिक शिक्षकों के लिए विषय सम्बन्धी (3–4 सप्ताह की अवधि) तथा विशिष्ट विषयक (कम अवधि 3–10 दिन) के सेवारत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को संगठित करना । कम अवधि के कार्यक्रम के अलावा कम से कम प्रति 5 वर्ष की सेवा के उपरान्त एक विषय संबन्धी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिल सके, इसकी व्यवस्था करना ।
3. व्यक्तिगत शिक्षकों, शाला संगमों, एंव माध्यमिक विद्यालयों को प्रसार तथा परामर्श सम्बन्धी सेवाएं उपलब्ध कराना ।
4. स्कूल शिक्षा में प्रयोग तथा नवाचार के कार्यक्रम को लागू करना ।
5. मूल्य आधारित शिक्षा, कार्यानुभव, पर्यावरणीय शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, शैक्षिक तकनीक, कम्प्यूटर शिक्षा, व्यवसायीकरण, विज्ञान शिक्षा आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण तथा अन्य सहायता प्रदान करना ।
6. व्यावसायिक संस्थाओं को सहायता देना तथा शिक्षक शिक्षा में सामुदायिक कार्य को प्रोत्साहन देना ।

शिक्षा के उच्च अध्ययन संस्थान उन समस्त कार्यों के अलावा जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका हैं, अधोलिखित कार्य भी करेंगे –

1. प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए प्राथमिक शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम को संगठित करना ।

2. शिक्षा में एम0 एड्0, एम0 फिल0 तथा पी–एच0 डी0 कार्यक्रमों को चलाया ताकि प्राथमिक एंव माध्यमिक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षकों की तैयारी हो सकें । कुछ उच्च अध्ययन संस्थानों में 4 वर्षीय समन्वित कार्यक्रम भी माध्यमिक शिक्षकों हेतु चलाया जा सकता हैं।
3. सेवारत् प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रमों को चलाना । माध्यमिक विद्यालयों के निरीक्षण तथा प्रधानध्यापकों के लिए भी सेवाकालीन पाठ्यक्रम चलाना ।
4. शिक्षक शिक्षा में मार्गदर्शक कार्यक्रमों का संचालन करना ।
5. उच्च स्तरीय अनुसंधान तथा प्रयोगात्मक कार्य का संचालन करना जो विशेष रूप से अन्तःशास्त्रीय उपागम पर आधारित हो ।
6. शैक्षिक तकनीकी क्षेत्र में साफ्ट वेयर तैयारी सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संगठन करना ।
7. जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) एंव शिक्षक शिक्षा के कॉलेजों को अकादमिक निर्देशन देना ।
8. अनुदेशात्मक सामग्री के विकास के कार्यक्रम आयोजित करना –जैसे शिक्षण सहायक सामग्री किट, प्रश्न बैंक, यूनिट प्लान, टीचर हैण्ड बुक, छात्र वर्क बुक, संदर्भ ग्रंथ, नवाचार कार्यक्रम, स्वाध्ययन अनुदेशन सामग्री आदि ।

देश के सभी प्रांतों में इन विशिष्ट अभिकरणों की स्थापना धीरे–धीरे की जानी हैं। आशा रखनी चाहिए कि इन नवीन प्रयासों से शिक्षकों, प्रशिक्षकों तथा छात्रों को अधिकाधिक कल्याण एंव लाभ होगा ।

शोध हेतु समस्या -

देश को आजादी मिल जाने के बाद सभी राज्यों में संविधान के अनुसार प्राथमिक स्तर से लेकर शिक्षक शिक्षा स्तर की में संख्यात्मक तथा गुणात्मक वृद्वि हेतु प्रयास किये जाने का प्रयास राज्य सरकारों द्वारा किया जाने लगा। इस हेतु केन्द्र सरकार नेभी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस स्तर की शिक्षा को उन्नत तथा गतिशील बनाने का प्रयास किया परन्तु उत्तर प्रदेश जो कि देश का जनसंख्यात्मक

दृष्टि से सबसे बडा राज्य है, में इन योजनाओ को उतना गतिशील नही बनाया जा सका जिससे शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा की दशा काफी सोचनीय है। और इस स्तर के विघार्थी दिशाहीन होते जा रहे हैं। इस स्थिति का शैक्षिक मूल्यांकन किये जाने की दृष्टि से शोध हेतु निम्न समस्या का चुनाव किया गया है।

" उत्तर प्रदेश में स्नातक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षा का विकास और समस्याओं का विकास आलोचनात्मक अध्ययन"

शोध समस्या का परिभाषीकरण -

प्रस्तुत शोध समस्या में प्रयुक्त विभिन्न पहलुयों को निम्न प्रकार परिभाषित कर शोध के दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया गया है –

उत्तर प्रदेश -

यह भारतवर्ष का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। जिसकी परिधि में 70 जनपद आते है।

शिक्षाक शिक्षा -

इससे तात्पर्य यह है कि + 3 स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त शिक्षक शिक्षा तथा उसके आगे की शिक्षा प्राप्त करने से है जैसे – बी0 एड0 , एम0 एड0 आदि।

दशा और दिशा -

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश की

सरकार द्वारा जो नीति , वित्त व्यवस्था, पाठ्यक्रम आदि के सम्बन्ध मे निर्धारित की गयी है तथा वर्तमान समय मे शिक्षक शिक्षा स्तर पर शिक्षा का स्तर कैसा है आदि का , अध्ययन इसके अन्तर्गत किया गया है।

शोध समस्या का परिसीमन -

प्रस्तुत शोध कार्य शिक्षक शिक्षा स्तर की स्नातक तथा स्नात्कोत्तर शिक्षा (सामान्य) तक ही सीमित रखा है। इसमें मेडिकल, इन्जीनियरिंग तथा अन्य वैज्ञानिक , तकनीकी स्तर की शिक्षा को शामिल नही किया गया है। अतः 1958 से लेकर वर्ष 2002 तक के सांख्यिकीय आंकडे ही इसमें प्रस्तुत किये गये है।

शोध हेतु उद्देश्य -

किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित विषय के लिये उद्देश्य निर्धारित करना अत्यन्त ही आवश्यक है। क्योकि यदि यह कार्यसम्पन्न न किया गया तो दिशाहीन यात्री की भांति ही शोध कार्य भी कुशलता पूर्व सम्पन्न नही हो सकता। इस तर्क को ध्यान मे रखते हुये प्रस्तुत शोध हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित किये गये है।

(1) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1950–51 से वर्ष 1993–94 तक की अवधि में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की संख्यात्मक वृद्वि का अध्ययन करना।

(2) शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा के विकास संगठन एवं वित्त व्यवस्था की प्रवृत्तियों की खोज करना।

(3) शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा के सुधार हेतु शिक्षा के भावी विकास के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पना -

(1) उत्तर प्रदेश में स्वतन्त्रता के पश्चात शिक्षक शिक्षा का विकास उचित दिशा मे नही हुआ है।

(2) उत्तर प्रदेश में शिक्षा की दशा गुणात्मक रूप से संतोषजनक नही है।

शोध में प्रयुक्त विधियां -

शोध कार्य हेतु शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा सम्बन्धी आकडो का एकत्रीकरण सर्वेक्षण विधि द्वारा किया गया है। इस हेतु विभिन्न वर्षो हेतु जिन स्त्रोतो से आंकडो का एकत्र करने में सहायता ली गयी है। उनका विवरण निम्न प्रकार है।

1– वर्ष 1950–51, 1955–56 –

इन वर्षो से सम्बन्धित आंकडे भारत सरकार के मानव विकास मंत्रालय तथा सूचना निदेशालय, उ0प्र0 से एकत्र किये गये है।

2– वर्ष 1960–61 –

इस वर्ष से सम्बन्धित आंकडो की यघपि एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित "सेकेण्ड नेशनल सर्वे आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन इन इण्डिया" में प्रकाशित किया गया है परन्तु इसमें उ0प्र0 के सभी जनपदो के स्पष्ट आंकडे उपलब्ध नही है। जिन्हे भारत सरकार तथा उ0प्र0 सरकार के शिक्षा मंत्रालय तथा सूचना निदेशालय से प्राप्त किया गया है।

3– वर्ष 1965–66, 75–76, 80–81 से 93 तक –

इस अवधि के आंकडे शिक्षा निदेशालय (उच्च शिक्षा) उ0प्र0 इलाहाबाद के कार्यालय से प्राप्त किये गये है।

प्रशनावली -

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात उ0प्र0 में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का मूल्यांकन करने हेतु एक प्रशनावली तैयार की गयी है, जिसके अन्तर्गत निम्न कारणों से सम्बनधित प्रश्नो को रखा गया है।

(1) आर्थिक

(2) सामाजिक

(3) राजनैतिक

(4) धार्मिक

(5) अन्य कारण

इस प्रश्नावली को शिक्षकों तथा शिक्षा से सम्बन्धित अधिकारीे तथा व्यक्तियो में वितरित करके उनकी राय ली गयी है तथा बहुमत के आधार पर मूल्यांकन किया गया है।

द्वितीय अध्याय

भारत के उत्तर में 23° 52′ उत्तरी अक्षांश से 31° 28′ उत्तर अक्षांश तक 77° 3′ पूर्व देशान्तर से 84° 30′ पूर्वी देशान्तर तक उत्तर प्रदेश का विस्तार है ।[1] उत्तर प्रदेश के उत्तर में तिब्बत और नेपाल, उत्तर दक्षिण में हिमालय प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा दक्षिण पश्चिम में राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश और पूर्व में बिहार स्थित है । भारत के इसी राज्य के भौगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनैतिक एंव सांस्कृतिक दृष्टि से अपना विशिष्ट स्थान होने के कारण शोधकर्त्ता ने अपने शोध का क्षेत्र बनाया है ।

उत्तर प्रदेश राज्य की भौगोलिक संरचना:-

उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है । क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका भारतवर्ष में मध्य प्रदेश, राजस्थान एंव महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान है । उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 9 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2.94 लाख वर्ग कि0मी0 है । जनसंख्या का घनत्व 471 व्यक्ति वर्ग कि0मी0 है। उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 650 कि.मी. तथा उत्तर से दक्षिण का विस्तार 240 कि.मी. हैं।

राज्य के तीन प्राकृतिक भाग है–उत्तर में हिमालय का क्षेत्र बीच में गंगा का मैदान और दक्षिण में पहाड़ी तथा पठारी भू–भाग।

हिमालय का क्षेत्र:–

हिमालय क्षेत्र में अनेक श्रेणियां है, जो अत्यन्त बलित एंव भ्रशित समुद्री अवसाद द्वारा निर्मित है । इन पर्वत श्रेणियों में से कुछ जो 7000 मीटर से अधिक हैं वे नन्दादेवी कमित, बदरीनाथ, त्रिशूल और इनागिर हैं।

इस क्षेत्र में 1,500 मीटर की ऊँचाई तक प्रचुर वर्षा होती है। जैसे जैसे ऊँचाई बढ़ती जाती है। यह क्षेत्र सदैव हिमाच्छादित रहता है। अतः जलवायु की दृष्टि से यह

---

1. पंकज चावला उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक झलक 1991 – 92 (प्रकाश प्रकाशन मेरठ)

भूभाग प्रदेश का सबसे ठण्डा स्थान है। पहाडों के निचले भागों में अत्यधिक नमी होने के कारण जंगल ही जंगल है। चारागाह तो लगभग हिमरेखा तक फैले हुए हैं। जहाँ कहीं सम्भव है, वहाँ गर्मियों में चावल और जाड़ों में गेहूँ की खेती होती हैं।

हिमालय सम्भाग के अन्तर्गत चकराता और देहरादून तहसील का कुछ भाग, नैनीताल जिले की नैनीताल तथा अल्मोड़ा, गढ़बाल, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तर काशी जिले आते हैं।,

गंगा के मैदान :-

उत्तर में हिमालय एंव दक्षिण के पठारी क्षत्रों के बीच गंगा और उसकी सहायक नदियों के बेसिन से बना मैदान है। यह क्षेत्र खनिज पदार्थो की कमी परन्तु उपजाऊ पन के लिए विख्यात है । खनिज पदार्थो की कमी के कारण इस क्षेत्र में औद्योगिक प्रगति नहीं कर पाया परन्तु उपजाऊ पन के कारण यह क्षेत्र घना बसा हुआ है । यह क्षेत्र उत्तर में भावर और तराई क्षेत्र तथा दक्षिण में विन्ध्याचल के पठार के बीच स्थित है । पुरे गंगीय क्षेत्र को तीन उपक्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है।

(1) गंगा का पूर्वी मैदान, (2) गंगा का मैदानी क्षेत्र, (3) तथा गंगा का पूर्वी मैदानी प्रदेश ।

गंगा का ऊपरी मैदानी क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण और बुन्देलखण्ड तथा मालवा पठार के बीच स्थित है । इस मैदानी प्रदेश में भावर और तराई का मैदानी भाग स्थित है । गंगा के अतिरिक्त घाघरा एंव गोमती नदियों इस क्षेत्र में अपवाह तंत्र का मुख्य साधन हैं । इस क्षेत्र की जलवायु गर्म एवं आर्द्र है। अधिक गर्मी व वर्षा के कारण इस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति अधिक पायी जाती है। कागज उद्योग अनुकूल वनों के कारण इस क्षेत्र में विकसित हैं।

गंगा का मध्य मैदान मुख्य रूप से यमुना, एवं गंगा, राम गंगा, दोआब में पाये जाते हैं । यहॉ ग्रीष्म ऋतु में तापमान 45 सेन्टीग्रेट तक पहुॅच जाता है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं से इस क्षेत्र वर्षा होती है। इस भू – भाग में खूब खेती की जाती है । गंगा के इस मध्य भाग में सहारनपुर , बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, बदायॅु, मुरादाबाद, बरेली आदि जिलो के क्षेत्र आते हैं।

गंगा के पूर्वी मैदानी क्षेत्र में बनारस, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, मिर्जापुर जिले स्थित है। यह क्षेत्र नदियों द्वारा लायी गयी मिट्टी की परतों से बने है, जिन्हें खादर क्षेत्र कहॉ जाता है। इस क्षेत्र में कृषि की अपेक्षा खनिज पदार्थ अधिक पाए जाते हैं।

दक्षिण का पठारी क्षेत्र:-

गंगा यमुना के दक्षिण में यह भाग स्थित है। इस क्षेत्र में झाँसी, हमीरपुर और बाँदा जिले, इलाहावाद जिले की मेजा और करछना तहसील गंगा के दक्षिण में पड,ने वाला मिर्जापुर का हिस्सा तथा वाराणसी जिले की चकिया तहसील आती है । यह दक्षिण के पठार का ही प्रसार है । भूगर्भ विज्ञान की दृष्टि से इस क्षे;त्र का निर्माण अति प्राचीन युग मे हुआ । पठार की ऊँचाई सामान्यतः 300 मीटर से. ऊँची नही है । बहुत कम स्थलों पर यह 450 मीटर से अधिक. ऊँचा है । मिर्जापुर के कुछ स्थानो पर कैमूर और सोनपार की पहाडियां लगभग 600 मीटर ऊँची है । ये पहाडि,यॉ सोन नदी के उत्तर में मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती है। बाँदा जिले की कर्वी तहसील मे भी विन्ध्य पर्वत श्रेणियां है। इस क्षेत्र की ढाल सामान्यतः उत्तर पूरब की तरफ है। बेतबा और केन नदियां जो बुन्देलखंड से होकर बहती है । यमुना मे दक्षिण

पश्चिम से आकर मिली है। मिर्जापुर जिले का सुदूर दक्षिण भाग बुन्देलखंड का हिस्सा है । इस सम्भाग में यंत्र तंत्र नीची पहाड़ियां है। पूरे प्रदेश में बर्षा कम होती है। और पानी के आभाव तथा भीषण गर्मी के कारण वृक्षादि छोटे होते है एवं उनका विकास पूरी तरह से नही हो पाता है । जमीन ऊबड, खाबड़ होने के कारण योग्य नही होती है। यहाँ की मुख्य फसल ज्वार चना और गेंहूँ है।

जलवायु और वर्षा:-

उत्तर प्रदेश की जलवायु भिन्न भिन्न स्थानो पर भिन्न भिन्न है। यद्यपि प्रदेश मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंध के अन्तर्गत है किन्तु समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की अलग अलग ऊँचाई के कारण जलवायु मे बहुत अंतर आ जाता है। हिमालय सम्भाग मे जून से सितम्बर के बीच सामान्यतः भारी बर्षा होती है। जिसका औसत 100 से 200 सेण्टीमीटर तक होता है। उप– पर्वतीय भाग से बर्षा का औसत 100 सेन्टीमीटर से अधिक होता है । गंगा के पश्चिमी प्रभाग से बर्षा का औसत 60 से 100 सेमी के बीच रहता है । जब की पूर्वी प्रभाग मे औसत 100 से 120 सेन्टीमीटर तक रहता है ।

दक्षिण पहाड़ियां और पठार पर वार्षिक वर्षा का औसत 100 सेन्टीग्रेट है। झांसी और बांदा जिले के बाकी हिस्सों मे और हमीरपुर में वर्षा कम होती है।

उत्तर पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ कर राज्य के प्रमुख भागों मे वर्षा का औसत 94 सेन्टीमीटर रहता है । वर्ष मे औसतन 44.7 दिन वर्षा होती है। नैनीताल देहरादून और गड़वाल जिलो मे सर्वाधिक वर्षा होती है । मैदानी क्षेत्रों मे गोरखपुर मे सर्वाधिक वर्षा होती है। जिसका औसत 184.7 है। और मथुरा से सबसे कम जिसका औसत 54.4 सेन्टीमीटर है।

मिट्टी :-

उत्तर प्रदेश मे विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है । जिसको मोटे तौर पर

1– उत्तर प्रदेश बार्षिक 1986–87 (प्रकाशन ,सूचना एंव जन सम्पर्क विभाग ,उ0 प्र0) पृष्ठ–3

तीन भागों मे विभाजित किया जा सकता है । पहाडी मिट्टी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर पहाडी मण्डलों में पायी जाती हैं। इस सम्भाग की मिट्टियां पथरीली होती है । इस क्षेत्र की मिट्टियों में मटियार, दोमट, अत्यधिक चूनामय दोमट, अल्प चुनामय दोमट और बलुई दोमट मिट्टियॉ सम्मिलित हैं ।

उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में कांप मिट्टी पायी जाती है । इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है । नीवन कॉप, मिट्टी जो प्रदेश के मैदानों में पश्चिम से पूर्व तक और पुरानी कॉप मिट्टी उन मैदानी भागों में पायी जाती है, जो ऊँचे हैं और जहॉ नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है । आदि काल से कृषि से उपयोग में आने से इसकी उर्वराशक्ति क्षीण हो गयी है।

मिश्रित लाल और काली मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग मुख्यतया वाराणसी, इलाहाबाद, झाँसी, ललितपुर और मिर्जापुर जिलों में पायी जाती हैं। यह मिट्टी कम नहीं धारण करती है।

नदियॉ :-

उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में गंगा, घाघरा, गोमती, यमुना, चम्बल, सोन, शारदा, रामगंगा, बेतबा, केन आदि हैं । इन नदियों का प्रदेश की भौगोलिक, आर्थिक पृष्ठभूमि नें अपना एक अलग ही महत्व है।

कृषि एंव उद्योग:-

उत्तर प्रदेश में कृषि, अर्थ व्यवस्था का मुख्य आधार है। राज्य कुल जनसंख्या का लगभग 78 प्रतिशत भाग कृषि से जुड़ा है । लगभग 203 लाख हैक्टेयर भूमि, उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य है। जिसमें लगभग 127 लाख हैक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में देश का 18.6 प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादित करता है।[1] यह यह गन्ना,

---

1– पंकज चावल, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक झलक, 1991–92 (प्रकाश प्रकाशन मेरठ) पृष्ठ–11

आलू, गेहूँ तथा तिलहन का भारत सबसे अधिक उत्पादन राज्य है । यहाँ चावल, जौ, मक्का, बाजरा और चना की पैदावार भी की जाती है । कपास, अलसी, मूँगफली, गन्ना, तिल, सरसों और तम्बाकू उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसलें हैं । उत्तर प्रदेश देश का अफीम उगाने का प्रमुख राज्य है। यहाँ देश के उत्पादन का 45 प्रतिशत गन्ना, 35 प्रतिशत आलू 18 प्रतिशत खाद्यान्न और 14 प्रतिशत तिलहन पैदा होता है। देश का 36 प्रतिशत गेहूँ, 13 प्रतिशत चावल भी उत्तर प्रदेश में पैदा होता है।

उत्तर प्रदेश उद्योग धन्धों की दृष्टि से सम्पन्न राज्य है । यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उद्योग हैं। उत्तर प्रदेश में खनिजों का अभाव है । अतः यहाँ खनिजों पर आधारित उद्यागों का अभी विकास नहीं हो सका है, परन्तु कृषि पर आधारित उद्योगों का समुचित विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में से एक है । हथकरघा उद्योग यहां का सबसे बड़ा उद्योग है। यहाँ सूती एंव ऊनी कपड़ा, चमड़ा और जूता, शराब कागज, रासायनिक पदार्थ, कृषि उपकरण तथा काँच का सामान बनाने के उद्योग मुख्य रूप से हैं।

भौगोलिक संरचना के विश्लेषणात्मक परीक्षण से स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता एंव शिक्षा की प्रगति अन्य भौगोलिक परिस्थतियों के अनुकूलन वाले राज्यों की अपेक्षा सन्तोषजनक नहीं है । सांस्कृतिक जीवन के विकास में भौगोलिक संरचना का एक विशिष्ट स्थान होता है । वंशानुक्रम उपलब्धियों को प्रकीर्ण करने की दिशा में भी भौगोलिक परिस्थितियाँ यदि अनुकूल न हों, तो मानसिक विकास में व्यवधान हो सकता है। किसी भी राज्य एंव क्षेत्र की शिक्षा वहाँ के धरातल, जलवायु आवागमन के साधन, जनसंख्या के घनत्व एंव संचार साधनों पर निर्भर करती है।

शिक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के अन्य राज्यों से काफी पिछड़ा हुआ है। यद्यपि भारत सरकार राष्ट्र में सम्पूर्ण साक्षरता के लिए अनेक कार्यक्रम चला रही है।

इन कार्यक्रमों से शिक्षा के शिक्षा क्षेत्र जितनी प्रगति देश के दूसरे राज्यों में हुयी है, उस प्रकार की प्रगति प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उत्तर प्रदेश में प्रतीत नहीं होता है।

उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का असमान वितरण,, वर्षा की अनिश्चितता एवं समान वितरण, राज्य का अधिकांश भाग, वनों, ऊँची – नीची भूमि, पर्वतों एवं पठारों से घिरा हुआ है। प्रदेश के कई सम्भागों में घना जंगल है। ये भयानक वन में कई प्रकार के जीव जन्तुओं के निवास स्थल हैं । ये जंगल एवं जीव जन्तु शिक्षा की प्रगति मे अवरोध उत्पन्न करते हैं । इस राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के दुर्गम रास्ते, छोटे छोटे काफी दूर–दूर बसे ग्राम, नदी, नाले गंगा का पूर्वी मैदान इस क्षेत्र में नदियों से आने वाली बाढ़ आवागमन की उपयुक्त सुविधा का अभाव, दक्षिण के पठारी क्षेत्र जहॉ की भूमि कंकरीली, पथरीली एवं ऊबड़ खाबड़ है । बुन्देल खण्ड में पायी जाने वाली कावर मिट्टी का दलदल आदि एंसी परिस्थितियॉ हैं, जिनके कारण छोटे बालक एवं बालिकाओं का पाठशाला वर्षा ऋतु में पहुँचना प्रायः असम्भव हो जाता है । वर्षा ऋतु में प्रदेश के ज्यादातर सम्भाग हैं, जिनके गॉव सीमित हो जाते हैं और उनका दूसरे गॉवों से सम्पर्क टूट जाता है।

ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के अधिकांश पठारी, मैदानी भागों में चिलचिलाती धूप गर्द, गुबार भरी आंधियॉ, प्रचण्ड लू के थपेड़े बच्चों के लिए असहनीय होते हे। प्रदेश के पठारी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र तथा राज्य के दूसरे सम्भागों में भी भूमि का धरातल प्रायः सम न होने के कारण गांवों में दूरी रहती हैं। पर्वतों, पठारों एवं वन खण्डों वाले गॉवों की आबादी इतनी पर्याप्त नही हो पाती है। कि प्रत्येक गांव में पाठशाला स्थापित की जा सके। उत्तर प्रदेश के हिमालय सम्भाग, दक्षिण के पठारी क्षेत्र और अन्य भागों में गॉव की दूरी इतनी अधिक हैं । कि दो–तीन गावों के मध्य एक पाठशाला भी स्थापित की जाय, तो वहॉ के बच्चों को प्रायः वर्षा एवं ग्रीष्म ऋतु में पहुँचने में भी असफलता

ही प्राप्त होगी । स्वतन्त्रता प्राप्ति के 45 वर्षा बाद भी इस राज्य की प्रारम्भिक शिक्षा, भूमि के समतलीकरण जनसंख्या के असमान वितरण, आवागमन के साधन एवं नदियों पर पुलों के निर्माण के अभाव में अभी भी प्रतीक्षा सूची में है।

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि:-

उत्तर प्रदेश का इतिहास अत्यन्त प्राचीन और रोचक है । यद्यपि ऋग्वेद में इस प्रदेश का कोई उल्लेख नही है, किन्तु उत्तर वैदिक काल में इसे महर्षि देश अथवा मध्य देश के नाम से वर्णित किया गया है । वैदिक युग के अनेक महान ऋषि भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीक आदि इसी क्षेत्र में हुए। आर्यों की अधिकतर पुस्तकें यहीं पर रची गयीं ।

ऋग्वेद के समय से कुछ संश्लिष्ट एंतिहासिक वृतान्त मिलता है । आर्यो न सबसे पहले भारत में "सप्त सिन्ध" या सात नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश में बस्तियॉ बनायीं।

धीरे–धीरे आर्यों ने अपने क्षेत्र का पूर्व में विस्तार किया। शतपथ ब्राम्हण में कौशल (अवध) और विदेह (उत्तरी बिहार) को ब्राम्हण और क्षत्रियों ने जिस प्रकार जीता, सामने आए और नये केन्द्रों का प्रादुर्भाव हुआ। धीरे–धीरे सप्त सिन्धु का महत्व कम होता गया।

यह पूरा क्षेत्र, जो पूर्व में प्रयाग तक फैला हुआ था, मध्य देश के नाम से अहिभित हुआ। वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा भी लगभग यही है । हिन्दू कथा साहित्य में यह प्रदेश पवित्र माना जाता है, क्योंकि रामायण और महाभारत में जिन महान् व्यक्तियों और देवताओं का वर्णन आया है, वे यही रहते थे । यहॉ के निवासी सुसंस्कृत आर्य माने जाते थे । वे लोग धार्मिक रीति रिवाजों के पूरी तरह जानकार थे।

ईसा पूर्व छटी शताब्दी मे उत्तर प्रदेश दो नये धर्मो जैनधर्म और बौद्वधर्म के सम्पर्क मे आया। बताया जाता है कि जैन मत के संस्थापक महावीर स्वामी

का देहान्त उत्तर प्रदेश के डूरा मे हुआ था । महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सापाथ मे दिया ओर यही पर उन्होनें धर्म चक्र की स्थापना की । बौद्व काल से पूर्व उत्तर प्रदेश के अनेक स्थान, अयोध्या, प्रयाग, बाराणसी, मथुरा, आदि शिक्षा के प्रमुख केन्द्रों के रूप मे विकसित हुए। महरन हिन्दु धर्म सुधारक शंकराचार्य ने अपने चार में से एक आश्रम की स्थापना उत्तर प्रदेश के बद्रीनाथ में की।

ईसा के बाद चौथी सदी मे गुप्त वंश का प्रादुर्भाव होने पर भारत में राजनीतिक एकता फिर स्थापित हुयी तथा लगभग दो सौ वर्षो के उसके शासन काल में मध्य प्रदेश (उत्तर प्रदेश) उनके शासनान्तर्गत अन्य क्षेंत्रों के साथ शान्ति और समृद्वि का भागीदार बना ।

गुप्त राज्य के पराभव के बाद फिर सत्ता विकेन्द्रित हो गयी। कुछ समय तक मध्य देश के विस्तृत भाग पर कन्नौज के मुखवियो का शासन रहा। इन्हें मालवा के गुप्त राजाओं का कडा मुकाबला करना पड़ा । इनका अंतिम राजा गृह वर्मन ईसा के लगभग 606 वर्ष बाद मालवा के राजा देव गुप्त द्वारा मार डाला गया। इसके बाद मध्य देश के प्रशासन की बागडोर हर्ष वर्धन को सौंप दी।[1] हर्षवर्धन थानेश्वर का राजा था।

हर्ष के राज्यभिषेक से थानेश्वर और कन्नौज के राज्य वंग आपस मे मिल गए । कन्नौज उत्तर भारत का प्रमुख नगर बन गया है । हर्ष के बाद उत्तर भारत में फिर ऊथल पथल मच गयी । आठवीं सदी के प्रथम चतुर्थांश में यशोवर्मन ने कन्नौज में अपना आधिपत्य जमा लिया उसने लगभग पूरे भारत को जीत लिया और कन्नौज को फिर वैभवशाली नगर बना दिया

प्रतिहारों के पराभव के बाद मध्य देश में फिर से अराजकता फैल गयी परन्तु इसी समय गहरवार राजवंश के उदय से शांन्ति एंव सुव्यवस्था फिर स्थापित हुयी

1– उत्तर प्रदेश बर्षिका 1986–87, (सूचना एवं जन संपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश) पृष्ठ–39

और इस क्षेत्र में समृद्वि का नया युग प्रारम्भ हुआ। दो प्रमुख गहरवार राजा थे –गोविन्द चन्द्र (1104 से 1154 तक) और जय चन्द्र (सन् 1170 से 1193 तक) जय चन्द्र की अदूरदर्शिता से चौहान राजा पृथ्वी राज तृतीय की सन् 1192 में तराइन के मैदान में मुहम्मद गोरी के हाथों पराजय हुयी ।[1] इसके बाद मेरठ, कोहल (अलीगढ) असनी, कन्नौज, और वाराणसी शीघ्र ही आक्रमणकारियों के शिकार हुए ।

सन् 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठते ही गुलाम वंश का प्रारम्भ हुआ। वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र लगभग प्रारम्भ से ही इन लोगों के साम्राज्य का अंग रहा। सम्भल, कडा और बदायूँ प्रमुख जागीरदारों को सौंप दिए गए थे । तथापि पूरा उत्तर प्रदेश बराबर दिल्ली के सुल्तानों का विरोध करता रहा। इस सिलसिले में कटेहर, कम्पिल, भोजपुर और परियाली के नाम उल्लेखनीय हैं।

तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी में मध्य प्रदेश का इतिहास शौर्य पूर्ण, विरोध और बर्बरता का तथा दमन का इतिहास रहा । शर्की शासकों ने दिल्ली की बादशाह का विरोध किया और कन्नौज एंव सीमान्त जिलों पर दिल्ली का प्रभुत्व नहीं माना । जौनपुर के पृथक हो जाने के चार वर्ष अर्थात 1398 में भारत पर एक चगताई तुर्क ने आक्रमण किया । इस आक्रमण में दोआब क्षेत्र भी प्रभावित हुआ । उदाहरण के लिए मेरठ, हरिद्वार तथा कटेहर को आक्रमण की कटुता का अनुभव हुआ ।

मुगल सम्राट औरंगजेब के शासन काल में ही बुन्देल खण्ड के वीर छत्रसाल के नेतृत्व में विद्रोह का विगुल बज चुका था । बुन्देलों की यह लड़ाई रुक रुक कर लगभग 50 वर्षो तक चली। छत्रसाल को पेशवा बाजीराव की सहायता स्वीकारनी पड़ी । इस प्रकार उत्तर प्रदेश में मराठों के पैर जमे । स्वंय अवध का

---

1. उत्तर प्रदेश वर्षिका 1986 – 87 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश पृष्ठ – 40

स्थानीय सूवेदार सआदत खॉ सन् 1732में स्वतन्त्र हो गया और उसके व उसके उत्तराधिकारी सनं 1856 तक राज्य करते रहे ।

इसी समय रुहेलों ने भी स्वतन्त्र राज्य कायम किया और सन् 1774 तक रुहेल खण्ड में अधिपति बने रहे। रुहेलो को अवध के नवाब ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सहायता से परास्त किया । कुछ समय तक मराठों ने गंगा, यमुना, पर आधिपत्य जमाने के प्रयास किए किन्तु सन् 1761 मे पानीपत में हुई हार से उनकी इस विस्तार भावना का अन्त कर दिया अवसर से उठ कर अंग्रेजों ने दोआब अपनी सुदृढ़ बना ली ।

सन् 1856 में जब अंग्रेजों ने अवध की नवाबी हड़प ली तो राष्ट्रीय स्तर विद्रोह की अग्नि भड़क उठी और सन् 1857 में प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम लड़ा गया । उत्तर प्रदेश के लोगो ने इस संग्राम में शानदार भूमिका अदा की । झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई अबध की बेगम हजरत महल नाना साहब अजीमुल्ला खॉ तथा अन्य राष्ट्र भक्तों ने उक्त ऐतिहासिक संर्घष में कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया उससे वे अमर हो गए ।

सन् 1877 में उत्तर पश्चिम प्रदेश के लॅफ्टिनेण्ट गवर्नर का पद तथा अबध के चीफ कमिश्नर का पद एक में मिला दिया गया। उसी समय से उक्त वृहत्तर क्षेत्र को उत्तर पश्चिम आगरा और अबध कहा जाने लगा। सन् 1920 में इस नाम को बदल कर संयुक्त प्रान्त आगरा और अबध कहा जाने लगा । सन् 1921 से यहां गवर्नर नियुक्त किया जाने लगा और कुछ समय बाद राजधानी लखनऊ स्थनान्तरित हो गयी। 1937 में इसका नाम छोटा करके मात्र संयुक्त प्रान्त कर दिया गया। आजादी मिलने के लगभग ढ़ाई बर्ष बाद 12 जनवरी 1950 को इस क्षेत्र का नाम उत्तर प्रदेश हुआ । [1] 26 जनवरी 1950 को जब स्वतन्त्र भारत का संविधान लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश भारतीय गणतन्त्र दिवस का एक पूर्ण राज्य बना ।

1– उत्तर प्रदेश बर्षिका 1986–87, (सूचना एवं जन संपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश) पृष्ठ – 43

उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ का इतिहास शिक्षा की दृष्टि से बड़ा विविधता पूर्ण रहा । प्राचीन समय में इस राज्य की भूमि ऋषि मुनियों की पवित्र तपों भूमि रही है । प्राचीन समय में यहाँ पर भी मुख्यतयः ब्राम्हणों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। यहाँ तक कि अध्येता को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अध्यापक के घर अथवा ऋषि के आश्रम में जाना पडता था । शिक्षा उस समय सामाजिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक कृत्यों से अधिक जुडी रहती थी। इस राज्य में पाय जाने वाले मुस्लिम व हिन्दू राजाओं के शिलालेखों महावीर बुद्व के उपदेशें जैनियों के मन्दिर जो गुप्त काल में उत्तर काल आदि वंशों के राजाओं के समय के हैं । चन्देली साम्राजय की स्थपना के पूर्व की है । पर्याप्त संकेत देते है कि उस समय लोग शिक्षित हुआ करते थे । भारत के दो महान ग्रन्थ महाभारत और रामायण की रचना भी उत्तर प्रदेश में हुई।

बौद्व काल से पूर्व उत्तर प्रदेश के अनेक स्थान, अयोध्या, प्रयाग, वाराणसी, मथुरा आदि शिक्षा के प्रमुख केन्दों के रूप में विकसित हुए । मुगल सम्राटों ने भी इस राज्य में शिक्षा का प्रसार किया तथा इस काल में हिन्दी, उर्दू,फारसी भाषा का बहुत अधिक विकास हुआ। मुगल सम्राटों जिस प्रकार की शिक्षा को इस राज्य में महत्व दिया, उसकों धार्मिक ही कहा जा सकता है। इस प्रकार शिक्षा मकतबों में दी जाती थी, जो किसी न किसी रूप में मस्जिदों से जुड़े होते थे। अंग्रेजों के आधिपत्य के समय तक इस राज्य में अनेक प्राथमिक पाठशालाऐं एवं माध्यमिक विद्यालय थे । पाश्चात्य सभ्यता के सम्पर्क में आने पर भी राज्य ने अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा के किंचित चिन्ह सुरक्षित रखे हैं।

राजनैतिक पृष्ठ भूमि:-

उत्तर प्रदेश का राजनैतिक इतिहास शौर्य–पूर्ण प्रतिशोध का इतिहास

रहा है। इस राज्य ने अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा एवं ख्याति के चिन्ह पाश्चात्य सभ्यता के सम्पर्क में आने पर भी सुरक्षित रखें हैं । अंग्रेजों के आधिपत्य के पूर्व इस राज्य में अनेक पाठशालाऐं स्थापित हो चुकी थीं । जिनमें हिन्ही, उर्दू, फारसी, भाषाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी । सन् 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । 10 मई, 1857 को मेरठ में सैनिक विद्रोह भड़क उठा । बाद में यह विद्रोह झाँसी, कालपी, कानपुर, विठुर, लखनऊ, अवध, वाराणसी बलिया एवं आजमगढ़ आदि स्थानों में फैल गया । झाँसी में झाँसी की रानी, बांदा के नबाब नाना साहब धुन्ध पन्त तथा तात्या टोपे और अजीमुल्ला खॉ, लखनऊ में बंगम हजरत महल व पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुंवर सिंह के नेतृत्व में भारत का प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम लड़ा गया । यद्यपि प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम सफल रहा किन्तु अंग्रेज लोग इसके कटु अनुभव को विस्मृत न कर सके । उत्तर प्रदेश के लोगो में ऐसा विश्वास है कि प्रतिशोध की भावना से इस राज्य के निवासियों को आर्थिक सामाजिक राजनैतिक तथा शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़ा रखने का भरसक प्रयास किया गया और यहॉ की लड़कियों और की शिक्षा की उपेक्षा की गई । यद्यपि पराजनैतिक क्षेत्र में इस राज्य में शिक्षा को उपेक्षित रखा परन्तु इस राज्य में धार्मिक एवं मानवीय प्रेरित होकर ईसाई मिशनरियों ने यत्र. तत्र शिक्षण संस्थाये खोली और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा की ज्योति जगायी किन्तु इस राज्य में प्रयास अत्यन्त सीमित तथा अर्पाप्त रहे है । उत्तर प्रदेश में एक लम्बे समय तक सामन्ती व्यवस्था रही है ।

अंग्रजी राज्य स्थापना हो जाने के बाद भी यह सामन्ती व्यवस्था न हो सकी । इस राज्य के अनेक अनेक भू .भागों पर अलग .अलग सामन्ती रजबाडों द्वारा शासन होता था अंग्रजी शासन काल में जमीदारी प्रथा लागू कर दी गयी इन रजबाडों ने जहॉ तहॉ एवं छात्राओं के लिए पाठशालाऐं खुलवायी परन्तु इन पाठशालाओं का उद्देश्य शिक्षा का प्रसार नही बल्कि कर्तव्य पालन करना मात्र था किसी मन्दिर या टूटे फूटे मकानों में पाठशाला बनाकर एक अध्यापक नियुक्त किया जाता रहा था किसी

को इस बात की चिन्ता नही थी कि इन पाठशालाओं में लडकें या लडकियां पढने जाती भी है कि नही ।

उन्नीसवी सदी के अन्तिम काल में उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीयता की लहर हिलोंरे लेने लगी जो निरन्तर उग्र होती गयी । जिसका प्रभाव यहॉ की शिक्षा पर भी पड़ा और विद्यालयों में लड़कियों की संख्या कम होनी लगी ।

1921 से 1930 ई0 के क्रान्तिकारी आन्दोलन में भी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों को प्रभावित किया। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी स्थान पर सरकारी खजाना लूटा गया ।[1] काकोरी षड़यन्त्र केरा में पंण्डित राम प्रसाद बिस्मिल राजेन्द्र लाहडी रोयान सिंह और अयाफर्क उल्लाह खॅा को फॉसी की सजा दे दी गयी । अन्य षड़यन्त्र केसों में मेरठ षड़यन्त्र केस मैनपुरी षड़यन्त्र केस तथा बनारस षड़यन्त्र केस हुये। प्रसिद्ध क्रान्तिकारी चन्दशेखर आजाद इलाहाबाद स्थिति एल्क्रेड़ पार्क कें अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए 27 फरवरी 1931 को शहीद हुए । प्रसिद्ध क्रान्तिकारी कार्यो की शुरुआत की । उन्नीसवी सदी के अन्तिम काल से क्रान्तिकारी के बालिदान से प्ररित होकर जन जन में राष्ट्रीयता की लहर .हिलोरे लेने लगी जो निरन्तर उग्र से अग्रसर होती गयी । इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के शैक्षिक जगत पर भी पड़ । पाठशालाओं में पढ़ने की संख्या धीरे – धीरे घटने लगी ।

भारत शासन अधिनियम 1919 के अन्तर्गत प्रान्तों में द्वैत शासन की स्थापना की गयी । इस व्यवस्था के अन्तर्गत शासन के विभागों। हस्तान्तरित को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। सुरक्षित विभाग और हस्तान्तरित विभाग अंग्रेज नौकरशाहों के हाथ में रहें । स्थानीय स्वशासन विभाग और शिक्षा हस्तान्तरित विभाग थे । तथा प्रशासन का सहयोग नही मिलता था ,फिर भी तत्कालिक मंत्रियों ने प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार मे भरसक प्रयास किए । परिणाम स्वरूप इस राज्य में पाठशालाओं और छात्र छात्राओं की संख्या मे बृद्धि हुयी । यह वृद्धि पिछड़े एंव निम्न

---

1. पंकज चावला, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक झलक 1991–92 (प्रकाश प्रकाशन, मेरठ–2) पृष्ठ – 26

वर्गो में भी देखी गयी ।भारत शासन, जिसका सृजन 1935 में हुआ , को सन् 1937 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत द्वैत शासन समाप्त करें दिया गया और सभी विभाग भारतीय मंत्रियों के हाथों मे हस्तान्तरित कर दिये गये। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मंत्रीमण्डल के हाथो में शासन की बागडोर आ गयी । शिक्षा प्रसार के क्षेत्र मे भी कांग्रेस मंत्रियों ने नये उत्साह एंव जोश के साथ काम किया । इसका परिणाम राज्य में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के रूप मे देखा गया है । कांग्रेस की हरिजन उदार नीति से प्रभावित होकर निम्न वर्ग के छात्र एंव छात्राओं की संख्या में वृद्धि राज्य के प्रत्येक सम्भाग मे हुयी लेकिन 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध प्रारम्भ हुआ और ब्रिटिश नीति के विरोध में कांग्रेस सरकार ने त्याग पत्र दे दिया । तो शिक्षा की प्रसार नीति को एक आघात लगा । युद्व काल में तो सरकार का सम्पूर्ण ध्यान युद्ध में लग गया और शिक्षा का क्षेत्र अपेक्षित रह गया ।

इस प्रकार अंग्रेजी शासन द्वारा शिक्षा का क्षेत्र उपेक्षित रहा और भारतीय स्वतन्त्रता के बाद भी लोकप्रिय सरकार द्वारा अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा सका है ।

सामाजिक पृष्ठ-भूमि :-

उत्तर प्रदेश में विभिन्न जातियों, धर्मो एवं विभिन्न भाषा–भाषी व्यक्ति निवास करते हैं । राज्य के प्रत्येक सम्भाग के सामाजिक मूल्यों, विश्वासों, परम्पराओं तथा धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं का राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था ने विद्यालय की चहार दीवारों से बाहर विद्यमान, अनेक सामाजिक घटकों ने अपनी भूमिका निभाई है।

कालान्तर में अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से राष्ट्रीय जागरण के फलस्वरूप जन जातियों में भी शिक्षा का प्रसार हुआ, फिर भी प्रदेश के अधिकांश लोग जो गांवो मे रहते है, इस प्रक्रिया को हतोत्साहित ही किया। बालक एवं बालिकाओ के लिए कहीं कहीं विद्यालय खोले जाने पर भी समाज की रूढ़िवादिता, निर्धनता के कारण उन्हे विद्यालय भेजना उचित नहीं समझा । गाँव के अधिकांश लोग विशेष कर लड़कियों

को विद्यालय भेजना उचित नही समझते थे । बालिका विद्यालय के अभाव मे लड़कियों की बालकों के विद्यालयों मे यह शिक्षाके लिये भेजने का तो प्रश्न ही नही उठता था।

उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। इस राज्य में रहने वाले अधिकतर लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था को जाति प्रथा ने भी प्रभावित किया है । यहाँ के रहने वाले मुख्यतः हिन्दू और मुस्लिम जाति के हैं । मुस्लिम समाज की जाति प्रथा एंव पर्दा प्रथा ने इनको भी प्राभवित किया है। मुसलमान जाति के है । मुस्लिम समाज की जाति प्रथा एवं पर्दा प्रथा ने इनको भी प्रभावित किया है । मुसलमानों धज्ञुनिया रंगरेज बहेना जुलाहे कूजडे. इत्यादि वर्गो कें बटे हुये है ।

नगरों में रहने वाले शेख सैयद तथा पुराने जमीदार भी हैं । जो ग्रामो की अपेक्षा अधिक शिक्षित है घुनिया, रंगरेज, जुलाहे, कूजडे इत्यादि वर्गो में बंटे हुये मुसलमान सामाजिक आर्थिक दृष्टि कों से अत्यन्त पिछडे. हुए है । हिन्दू समाज भी लुहार, बढई, धोबी, चर्मकार, मोची, कहार, इत्यादि वर्गो में बंटा हुआ है । जो सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से अत्यन्त पिछडे. हुये है । नगरो में रहने वाले सम्पन्न किसान जमीदार भी है । जो ग्रामों की अपेक्षा अधिक शिक्षित है । ईसाई लोंग अपेक्षाक्रत कम है । और ये लोग नगरों तक ही सीमित हैं तथा अधिकांश शिक्षित हैं ।

प्रदेश का अधिकांश भाग ऐसा हैं, जहाँ प्राकृतिक अवरोधों एवं संचार वाहन के साधनों के अभाव में वाहय जगत से सम्पर्क कम होने के कारण अब भी रुढिवादी बने हुए हैं । प्रदेश के हिमालय क्षेत्र दक्षिण के पठार पूर्वी उत्तर प्रदेश के दलदली सम्भाग में इतने अधिक प्राकतिक अवरोध हैं । कि वहाँ गाँव में रहने वाला व्यक्ति कई कई महीने दूसरे क्षेत्र में बसे लोगों से एवं अपने प्रियजनों से मिलने के लिए तरस जाते हैं । ऊँचे ऊँचे पहाड, घने जंगल, दलदली इलाके के लोगों की जीवन

श्रृखला में परिवार की लघुत्तम सामाजिक इकाई के रुप में महत्वपूर्ण हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में भी धीरे–धीरे संयुक्त परिवार विघटित होते जा रहे है। राज्य में मनुंष्यों की जीवकोपार्जन का मुख्य व्यवसाय कृषि पर निर्भर रहता है। यहॉ की शिक्षा को एक ओर जहॉ भौगोलिक परिस्थितियों ने प्रभावित किया है, वहीं पर समाजिक स्थिति के प्रभाव से भी अछूती नही रह सकी है । इस राज्य में हिन्दू धर्म के अनुयायी अधिक निवास करते हैं, जो विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं। सुविधा की दृष्टि से इन्हें तीन भागों में बाँटा जा सकता है।

प्रथम :-

उच्च वर्ग की जातियॉ सामान्यतः ब्राहम्ण, क्षत्रिय, ओर वैश्य लोग रहते है। इस राज्य में ब्राहम्णों की संख्या अधिक है । ब्राहम्ण प्रदेश के प्रत्येक जनपद में रहते है । ब्राहम्ण जाति के लोगों का मुख्य पेशा पुरोहित एवं शिक्षा देना रहा है। इन दोनों कार्यों के लिए शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक था । इस लिए इस जाति के लोग अधिकांशतः शिक्षित पाये जाते रहे हैं । क्षत्रियों का कार्य सैन्य सेवा,,कृषि और राज करना रहा हैं। क्षत्रियों में मुख्यतः राजपूत, जाट, ठाकुर, सिक्ख जाति के व्यक्ति आते हैं । राज्य में क्षत्रियों की इन जातियों का विवरण सामान्य नही हैं । प्रदेश के मैदानी सम्भाग जिन में आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, मेरठ, मुजफ्फरनगर,, बुलन्द शहर, आदि जनपदों में जाटों का बाहुल्य है। इन जनपदों में अन्य क्षत्रियों की अपेक्षा जाट अधिक हैं। बुन्देल खण्ड सम्भाग में राजपूत अधिक रहते हैं तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के इटावा, मैनपुरी, फर्रूखाबाद, गोरखपुर, हरदोई, बस्ती, बलिया, देवरिया, आदि जनपदों में राजपूत जाति के क्षत्रिय निवास करते हैं । इस जाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती रहा है । इस लिए क्षत्रिय में शिक्षा का प्रसार अपेक्षाकृत कम रहा है । वैश्य वर्ग का प्रमुख व्यवसाय लेनदेन तथा व्यापार था । इसके लिए प्रारम्भिक अक्षर ज्ञान और गणित की आवश्यकता थी । अतः वैश्य वर्ग में शिक्षा का कुछ प्रसार था ।

मध्य वर्गीय जातियों में मुख्यतः कुम्भकार, लुहार, काछी, लोधी, यादव, वर्मा, गुर्जर, कुर्मी, मोची, आदि हैं। तथा निम्न कोटि की जातियों में कोरी, धोबी, धानुक, मोची, आदि आते हैं। ये जातियाँ प्रदेश के प्रत्येक सम्भाग में निवास करती हैं । तथा इन जातियों में पैतृक व्यवसााय के अपनाने की अधिक प्रवृत्ति रहती हैं । अर्थात जो कार्य इन जातियों के पूर्वज किया करते थे, उसी व्यवसाय को आज भी इन जातियों के व्यक्ति अपनाये हुए हैं । इस प्रकार के व्यवसाय को बिना शिक्षा प्राप्त किए भी किया जा सकता था। जब हम किसी व्यवसाय को बिना शिक्षा के सीख जाते हैं, तो इस वर्ग के लोगों ने शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक नहीं समझा। अतः मध्य वर्ग और निम्न वर्ग की जातियों में प्रारम्भिक शिक्षा लगभग शून्य रही। उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता हैं। खानों से पत्थर निकालना कोयला निकालना, जंगलो से लकड़ी काटना, हथकरघा पर वस्त्र बुनना, वस्त्रों पर चिकन का काम करना, लकडी पर नक्काशी, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के फर्नीचर, कालीन व दरी बुनना, खेल, पीतल व धातु के वर्तन बनाना, वर्तनो पर कलई व नक्काशी, तथा पीतल की मूर्तियां, जरी और चिकन पर गोटे का काम, हाथ से कागज बनाना, वस्त्रो को रंगना , छपाई का काम करना एंव चूना तैयार करना आदि ऐसे कार्य हैं , जिन्हें प्रदेश का मनुष्य लघु उद्योगों के रुप में अपनाता रहा हैं। राज्य में उद्योग धन्धों के अभाव, अति वृष्टि, अनावृष्टि और अल्पवृष्टि, बाढ सूखा आदि कारणों से व्यक्तियों का आर्थिक पहलू कठिनाइयों से संत्रस्त रहा हैं[1]

उत्तर प्रदेश के अनेक सम्भागों में अदिवासी जातियॉ, वनजातियॉ तथा खाना बदोशीय जातियॉ पायी जाती हैं । आदिवासी जातियॉ अधिकतर बुन्देलखण्ड सम्भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, बस्ती, बलिया तथा हिमालय क्षेत्र में मुख्यतः पायी जाती हैं। वन जातियाँ भी प्रदेश भाग में यंत्र–तंत्र फैली हुयी हैं। इन सभी जातियॉ की अपनी संस्कृति आचार विचार तथा जीवन यापन के मूल्य रहे हैं। इन जातियॉ में धर्म का इतिहास धर्म की विभिन्नताओं से भरा हुआ हैं। इन जातियॉ की धर्म भावना

....

मोती लाल त्रिपाठी, बुन्देलखण्ड दर्शन (झाँसी शारदा साहित्य कुटीर – 1980) पृष्ठ – 26

मूलवाद, बहुदेववाद, एकेश्वरवाद और सर्वेश्वरवाद तक विकसित हैं । उत्तर प्रदेश में विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं । इनमें मुख्यतः हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, जैनी आदि हैं। यहाँ के लोग जीवन में धर्म की दार्शनिकता को अपना कर जीवन के साथ अविच्छन्न सम्बन्ध स्थापित किया हैं। व्यक्तियों में अन्धविश्वास की प्रवृत्ति घर किए हुए हैं ।

उत्तर प्रदेश की शिक्षा में रुकावट का एक कारण इस राज्य के अधिकांश भागों में अभी भी बाल विवाह की प्रथा हैं । किसी प्रथा के प्रति कानून बना देने से भी उसे रोक पाना असम्भव हैं। राज्य के कई सम्भागो में चेतना से प्रतिभूति, प्रबुद्ध प्रवीण भी इस दिशा में सक्रिय होते नहीं दिखायी पडते। इस राज्य की स्त्री शिक्षा का पिछडे होने का मुख्य कारण यही हैं। कट्टरपन्थियों ने स्त्री जगत के लिए पढना और लिखना व्यर्थ ही समझा हैं । लोगों की रुढिवादिता सह शिक्षा के क्षेत्र में भी अधिक संकीर्ण दृष्टिकोंण की अभिव्यक्ति करती हैं। इस लिए लोग अपनी लड़कियों को लड़कों के साथ पढाना लिखना उचित नहीं समझते हैं।

आधुनिक युग, वैज्ञानिक युग हैं। विज्ञान ने अनेक रुढिवादी विचारों , धार्मिक अन्ध विश्वासों एंव प्राचीन परम्पराओं को खण्ड– खण्ड करके सारहीन सिद्ध कर दिया हैं । किन्तु अज्ञानता के कूप में पड़े लाखों व्यक्ति (हिन्दू और मुसलमान) आज भी उनसे चिपके हुए हैं । वे अब भी प्राचीन विचारों एवं अन्ध विश्वासों का पोषण एवं समर्थन करते है । फलस्वरूप स्त्री शिक्षा अपने सीमित एवं संकुचित दायरे से बाहर नहीं निकल पा रही है। आज भी लोग पुरानी रूढ़ियों पर विश्वास करते है और उनका परित्याग करने में अपनी और अपने कुल की मानहानि समझते है। अतः वे अधिक आयु की बालिकाओं के विद्यालय जाने पर कठोर प्रतिबन्ध लगा देते है। धार्मिक कट्टरता की भावना से सराबोर अनेक हिन्दू एवं मुसलमान रजो दर्शन से पूर्व कन्याओं का विवाह करना अपना धार्मिक कृत्य मानते है। ऐसे हिन्दुओं का स्मृमिकारों के इस नीलति वचन

में अविचल विश्वास है –" कन्या के दसवें वर्ष में पहुँचने पर जो पिता उसका विवाह नहीं करता है वह प्रतिमास लाल रज पीता हैं ।" यही नहीं रूढ़िवादी सीमित दायरे में निवास करने वाले अनेक हिन्दु एवं मुसलमान स्त्री का उचित स्थान घर के अन्दर मानते हैं । अतः उनके मतानुसार बालिकाओं के घरेलू हिसाब किताब के लिए थोड़ा सा अक्षर ज्ञान वही पर्याप्त है । इसके अतिरिक्त उनकी धारणा है कि बालिकाऐं शिक्षाप्राप्त करने के पश्चात् समानता का दावा करने लगती है। उनके विचार से यह स्त्री धर्म की प्रतिकूलता एवं चरित्रहीनता का सूचक है। अतः वे बालिकाओं की शिक्षा के विरोधी हैं। इसी प्रकार धार्मिक सिद्धान्तों में अडिग आस्था रखने वाले मुसलमान रजोदर्शन से पूर्व ही अपनी कन्याओं का विवाह करने के लिए व्याकुल रहते हैं, क्योंकि वे प्रतिमान के रजो दर्शन को गुनाह मानते हैं। दसवें वर्ष में या रजोदर्शन से पूर्व विवाह हो जाने पर बालिकाओं की शिक्षा को अधिक महत्व देते हैं। इस प्रकार की अनेक समस्याऐं हैं, जिनके कारण स्त्री शिक्षा का विकास नहीं हुआ है, और प्रदेश के अनेक जन जातियों में तो यह समस्या और भी भीषण है । राज्य की प्रारम्भिक शिक्षा के विकास में इस राज्य के प्रौढ़ भी बाधक रहे हैं। ऐंसे लोगों की मनोवृत्ति है कि शिक्षा ग्रहण करने से उदर पूर्ति नहीं हों सकती । अतः व्यक्ति को सबसे पहली आवश्यकता तन ढकने के लिए कपड़ा, खाने के लिए रोटी और रहने के लिए मकान की आवश्यकता हैं ऐसी स्थिति में वे न तो अपने परिवार में शिक्षा के लिए समुचित वातावरण प्रस्तुत कर पाए हैं और न ही अन्य प्रकार के प्रेरणा श्रोत बन पाए हैं ।

जनसंख्यात्मक विवरण:-

उत्तर प्रदेश भौगोलिक स्थिति एवं असमान धरातलीय बनावट के कारण जनसंख्या के घनत्व में गहन विषमता है – इस राज्य में अपेक्षाकृत जनसंख्या का घनत्व कहीं अधिक और कहीं कम है । वस्तुतः जनसंख्या के घनत्व के निर्धारण में प्रकृति प्रदत्त साधनों की भी अपनी भूमिका रही है। उत्तर प्रदेश की अधिकाशं

जनसंख्या गाँवों में निवास करती हैं ग्रामीण क्षेत्रों जन जीवन को इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा सकती हैं। जितनी नगरों में हैं। जनसंख्या निरन्तर बढ़ने के कारण लोग रोजगार की तलाश में शहरी जीवन की सुविधायें से आकर्षित होकर ग्रामीण क्षेत्र से नबरों की और पलायन कर रहे हैं, जिससे शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ता जा रहा हैं उत्तर प्रदेश में 1971 में शहरी आबादी 14.22 प्रतिशत थी, जो 1981 में 18.81 प्रतिशत हो गयी । इस आन्तरिक प्रवास के कारण नगरों में जिस गति से जनसेख्या बढ. रही हैं उस अनुपात में नागरिक सुविधाऐं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं । उस अनुपात में नागरिक सुविधाऐं उपलब्ध न हो पाने के फलस्वरूप रोजगार, यातायात, आवास शिक्षा तथा चिकित्साा आदि के क्षेत्र में कठिनाइयॉ, उत्पन्न हो रही है । और प्रदूषण भी बढ़ रहा है । उक्त कारणों से स्थिति में जटिलता आ रही है।

सन् 1971 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनपदवार जनसंख्या

तालिका - 1[1]

क्र0सं0	जनपद का नाम	जनसंख्या (हजार में)	शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1–	फैजाबाद	1927	9.56	90.44
2–	बहराइच	1737	5.93	94.07
3–	प्रतापगढ़	1423	1.96	98.04
4–	सुल्तानपुर	1643	1.97	98.03
5–	गोरखपुर	3038	7.90	92.10
6–	आजमगढ़	2857	5.21	94.79
7–	गोण्डा	2302	5.65	94.35
8–	बस्ती	2984	2.52	97.48
9–	देवरिया	2812	2.96	97.04
10–	वाराणसी	2852	25.13	74.87
11–	बलिया	1589	4.58	95.42
12–	गाजीपुर	1532	4.50	95.50
13–	जौनपुर	2005	6.21	93.79
14–	मिर्जापुर	1541	12.03	87.97
15–	इलाहाबाद	2937	18.46	81.54
16–	देहरादून	577	47.08	52.92
17–	उत्तर काशी	148	4.07	95.93

1. शिक्षा की प्रगति 1980–81 (शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद) पृष्ठ – 50

तालिका नं०1(क्रमागत)

1	2	3	4	5
18–	टेहरी गढ़वाल	397	2.65	97.35
19–	पौड़ी गढ़वाल	553	6.30	93.70
20–	चमोली	293	4.17	95.83
21–	पिथौरागढ़	314	2.88	97.12
22–	अल्मोड़ा	750	6.03	93.97
23–	नैनीताल	790	22.13	77.87
24–	झाँसी	870	32.10	67.90
25–	ललितपुर	537	9.61	90.39
26–	हमीरपुर	988	9.91	90.09
27–	जालौन	813	13.75	86.25
28–	बॉदा	1182	8.29	91.71
29–	आगरा	2309	36.16	93.84
30–	अलीगढ़	2112	17.85	82.15
31–	एटा	1571	9.82	90.18
32–	मैनपुरी	1446	8.44	91.56
33–	मथुरा	1290	16.49	83.51
34–	बरेली	1780	22.28	77.72
35–	बिजनौर	1490	18.10	81.90
36–	बदॉयू	1646	9.35	91.65
37–	मुरादाबाद	2429	23.77	76.23

तालिका नं० 1 (क्रमागत)

1	2	3	4	5
38—	पीलीभीत	752	13.63	86.36
39—	रामपुर	901	19.53	80.47
40—	शाहजहाँपुर	1286	15.24	84.76,
41—	मेरठ	3376	22.64	77.36
42—	बुलन्दशहर	2073	13.92	86.08
43—	मुजफ्फरनगर	1802	13.86	86.14
44—	सहारनपुर	2055	23.50	76.50
45—	इटावा	1448	9.79	90.21
46—	फर्रुखाबाद	1557	10.91	89.09
47—	लखनऊ	1618	50.90	49.10
48—	हरदौई	1850	7.90	92.10
49—	खीरी	2487	6.21	96.79
50—	रायबरेली	1511	3.40	96.60
51—	सीतापुर	1884	7.54	92.46
52—	उन्नाव	1484	2.57	97.43
53—	बाराबंकी	1636	5.76	94.24
54—	फतेहपुर	1278	5.63	94.37
55—	कानपुर	2996	42.80	57.20

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 1971 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनपद फैजाबाद की कुँल जनसंख्या 1927 हजार थी। जनपद के शहर मे रहने वाली जनसंख्या 9.56 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र मे 90.44 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती थी। जनपद बहराइच की कुल जनसंख्या 1737 हजार थी। शहर मे रहने वाली जनसख्या 5.93 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र मे रहने बाली जनसंख्या 94.07 प्रतिशत थी। जनपद प्रतापगढ़ की कुल जनसंख्या 1423 हजार, शहरी क्षेत्र मे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 1.96 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र मे निवास करने बाली जनसंख्या 98.04 प्रतिशत थी। जनपद सुल्तानपुर की कुल जनसंख्या 1643 हजार, शहरी क्षेत्र मे रहने बाले व्यक्तियो की संख्या 1.97 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र रहने वाले व्यक्ति 98.03 प्रतिशत थे। जनपद गौरखपुर की कुल जनसंख्या 3038 हजार, शहरी क्षेत्र मे निवास करने वाले व्यक्तियो की संख्या 7.90 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र मे रहने वाले 92.10 प्रतिशत थे। जनपद आजमगढ़ की कुल जनसंख्या 2857 हजार , शहरी क्षेत्र मे 5.21 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र मे 94.79 प्रतिशत व्यक्ति निवास करते थे। जनपद गौणडा की कुल जनसंख्या 2302 हजार जिसका 5'65 प्रतिशत नगरो में तथा 94. 35 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती थी । जनपद बस्ती की कुल जनसंख्या 2984 शहरी क्षेत्र में 2.52 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 97.48 प्रतिशत जनता निवास करती थी। जनपद देवरिया की कुल जनसंख्या 282 हजार ग्रामीण क्षेत्र में 97.04 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 2. 96 प्रतिशत निवास करती थी । जनपद वाराणसी की कुल जनसंख्या 2852 हजार जिसमें 25.13 प्रतिशत व्यक्ति शहरी क्षेत्र में तथ 74.87 प्रतिशत व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे। जनपद बलिया की कुल जन संख्या 1589 हजार शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति 4.48 प्रतिशत तथाग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति 94.42 प्रतिशत थे। जनपद गाजीपुर की कुल जनसंख्या 1532 हजार शहरी क्षेत्र में 4.50 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले ब्यक्ति 95.50 प्रतिशत जनपद जौनपुर की कुल जनसंख्या 2005 हजार शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति 6.2 प्रतिशत

तथा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या 93.79 प्रतिशत जनपद मिर्जापुर की कुल जनसंख्या 1541 हजार ग्रामीण क्षेत्र में कुल 87.97 प्रतिशत व्यक्ति तथा जनपद इलाहाबाद की कुल जनसंख्या 2937 हजार शहरी में 18.46 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 81.54 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती थी ।

जनपद देहरादून की कुल जनसंख्सा 577हजार जिसका 477 हजार जिसका 47.08 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में तथा 95.93 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र निवास करता था। जनपद उत्तर काशी की कुल जनसंख्या 148 हजार थी जिसकी 4.07 प्रतिशत शहरी क्षेत्र तथा 95.93 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती थी। जनपद टेहरी गढ.वाल की कुल जनसंख्या 397 हजार थी जिसके 2.65 प्रतिशत व्यक्ति शहरी क्षेत्र में तथा 97.35 प्रतिशत व्यक्ति क्षेत्र में निवास करते थे । जनपद पौढी गढबाल की कुल जनसंख्या 553 हजार थी जिसकी 6.30 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र तथा 93.70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण में निवास करती थी जनपद चमोली की कुल जनसंख्या 293 हजार थी। जनपद की 4.17 प्रतिशत ब्यक्ति शहरी क्षे क्षेत्र में तथा 95.83 प्रतिशत व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते थे । जनपद पिथौरागढ़ की कुल जनसंख्या 314 हजार थी जनपद की 2.88 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में तथा 97.12 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती थी । जनपद अल्मोड़ा की कुल जनसंख्या 750 हजार जिसकी 6.03 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में तथा 93.97 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षे्त्र में निवास करती जनपद नैनीताल की कुल जनसंख्या 790 हजार थी । जिसके 22.13 प्रतिशत व्यक्ति शहरी क्षेत्र तथा 77.87 प्रतिशत ब्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे । जनपद ,झांसी की कुल जनसंख्या 870 हजार थी शहरी क्षेत्र में 32.10 प्रतिशत तथा 67.90 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में व्यक्ति निवास करते थे जनपद ललितपुर की कुल जनसंख्या 537 हजार थी । जिसमें 9.61 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में तथा 90. 39 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रहती थी ।

जनपद हमीरपुर की कुल जनसंख्या 988 हजार थी शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली

जनसंख्या 9.91 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 90.09 प्रतिशत जनपद जालौन में कुल जनसंख्या 813 हजार थी, शहरी क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या 13.75 प्रतिशत तथा 86.25 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में, जनपद बांदा की कुल जनसंख्या। 182 हजार थी 8.29 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में तथा 91.71प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती थी ।

जनपद आगरा की कुल जनसंख्या 2309 हजार थी, जिसकी 36.16 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र तथा 63.84 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती थी । जनपद अलीगढ़ की कुल जनसंख्या 2112 हजार थी जिसके 17.85 व्यक्ति शहरी क्षेत्र में तथा 82.15 प्रतिशत व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते थे। जनपद एटा की कुल जनसंख्या 1571 हजार थी शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 90.18 प्रतिशत व्यक्ति निवास करते थे। जनपद मथुरा की कुलजनसंख्या 1290 हजार थी, जनपद की 83.51 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्र में तथा 16.49 प्रतिशत शहरी में निवास करती थी। जनपद मैनपुरी की कुल जनसंख्या 1446 थी जनपद की 8.44 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में तथा 91.56 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र मेंनिवास करती थी ।

जनपद बरेली की कुल जनसंख्या 1780 हजार थी जनपद की 22.28 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में तथा 77.72 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती थी। जनपद बिजनौर की कुल जनसंख्या 1490 हजार थी । 8.10 प्रतिशत व्यक्ति शहरी क्षेत्र में तथा 81.90 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते थे । जनपद बदायूँ की कुल जनसंख्या 1646 हजार थी जिसमें 9.35 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में तथा 91.65 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती थी। जनपद मुरादाबाद की कुल जनसंख्या 2449 हजार थी । जनपद की 23.77 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में तथा 76.23 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती थी। जनपद पीलीभीत की कुल जनसंख्या 752 हजार थी,

जिसके 13.63 प्रतिशत व्यक्ति शहरी क्षेत्र तथा 86.37 प्रतिशत व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते थे। जनपद रामपुर की कुल जनसंख्या 901 हजार थी जनपद की 19.53 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र तथा 80.47 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती थी । तथा जनपद शाहजहाँपुर की कुल जनसंख्या 1286 हजार थी शहरी क्षेत्र में 15.24 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 84.76 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती थी। जनपद मेरठ की कुल जनसंख्या 3367 हजार थी। शहरी क्षेत्र में 22.64 प्रतिशत व्यक्ति निवास करते थे। तथा 77.36 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में , जनपद बुलन्द शहर में कुल जनसंख्या 2073 हजार थी । शहरी क्षेत्र में 13.92 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 86.08 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती थी । जनपद मुजफ्फर नगर की कुल जनसंख्या 1802 हजार भी शहरी क्षेत्र में 13.86 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 86.14 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती थी । जनपद सहारनपुर की कुल जनसंख्या 2055 हजार थी शहरी क्षेत्र में 23.50 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 76.50 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती थी। जनपद इटावा की कुल जनसंख्या 1448 हजार थी। शहरी क्षेत्र में 9.79 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 90.21 प्रतिशत जनता निवास करती थी । जनपद फर्रुखाबाद की कुल जनसंख्या 1557हजार थी । शहरी क्षेत्र में 10.91 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 89.09 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती थी । जनपद लखनऊ की जनसंख्या 1618 थी, शहरी क्षेत्र में 50.90 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 49.10 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। जनपद हरदोई की कुल जनसंख्या 1850 हजार थी, शहरी क्षेत्र में 7.90 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 92.10 प्रतिशत जनता निवास करती थी।

जनपद खीरी की कुल जनसंख्या 2487 हजार थी, शहरी क्षेत्र में 6.21 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 96.79 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। जनपद रायबरेली की कुल जनसंख्या 1511 हजार थी, क्षेत्र में 3.40 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 96.60

प्रतिशत व्यक्ति निवास करते थे । जनपद सीतापुर की कुल जनसंख्या 1884 हजार थी शहरी क्षेत्र में 7.54 प्रतिशत व्यक्ति तथा ग्रामीण क्षेत्र में 92.46 प्रतिशत व्यक्ति निवास करते थे। जनपद उन्नाव की कुल जनसंख्या 1484 हजार थी , शहरी क्षेत्र में 2.57 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 97.43 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती थी । जनपद बाराबंकी की कुल जनसंख्या 1636 हजार थी शहर में रहने वाली जनसंख्या 5.76 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 9424 प्रतिशत थी । जनपद फतेहपुर की कुल जनसंख्या 1278 हजार थी शहरी क्षेत्र में 5.63 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 94.37 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती थी तथा जनपद कानपुर की कुल जनसंख्या 2996 हजार थी । शहरी क्षेत्र में 42.80 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 57.20 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती थी ।

सन् 1981 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनपदवार जनसंख्या का विवरण

तालिका नं० - 2 [1]

क्र. सं.	जनपद	कुल जनसंख्या	ग्रामीण	शहरी
1–	उत्तर काशी	110885874	90912651	19973223
2–	उत्तर काशी	190571	177308	113263
3–	चमोली	364287	335507	28780
4–	टेहरी गढ़वाल	493245	472665	20580
5–	देहरादून	757259	383607	372652
6–	गढ़वाल(पौढ़ी)	624259	559167	65092
7–	पिथौरागढ़	479600	452547	27053
8–	अल्मोड़ा	772994	726679	46315
9–	नैनीताल	1113111	819205	313906
10–	सहारनपुर	2673653	1949995	723658
11–	मुजफ्फरनगर	2288410	1793366	495044
12–	बिजनौर	1925637	1445271	480366
13–	मेरठ	2766496	1900858	865638
14–	गाजियाबाद	1866496	1234612	632166
15–	बुलन्दशहर	2349530	1888639	460891
16–	मुरादाबाद	3151044	2300209	850835
17–	रामपुर	1177022	863047	313975
18–	बदॉयू	1964094	1646351	317743
19–	बरेली	2264770	1613628	651142
20–	पीलीभीत	1006336	842769	163567

1-जनसंख्या शिक्षा दिग्दर्शिका 1982 (राज्य शिक्षा संस्थान उ० प्र० इलाहाबाद) पृष्ठ-166

तालिका नं० -2(क्रमागत)

क्र.सं.	जनपद	कुल जनसंख्या	ग्रामीण	शहरी
21—	शाहजहाँपुर	1648659	1320009	319650
22—	अलीगढ़	2565450	1974113	591337
23—	मथुरा	1543568	1215350	328218
24—	आगरा	2852474	1742110	1110364
25—	एटा	1837575	1548634	288941
26—	मैनपुरी	1724057	1532233	191824
27—	फर्रुखाबाद	2002513	1687499	315014
28—	इटावा	1748737	1490717	258020
29—	कानपुर	3790549	2007884	1782665
30—	फातेहपुर	1572770	1430781	141989
31—	इलाहाबाद	3780665	3010921	769744
32—	जालौन	987432	790995	196437
33—	झाँसी	1133002	705983	427019
34—	ललितपुर	587290	509635	77655
35—	हमीरपुर	1194114	995817	198297
36—	बॉदा	1536349	354358	181991
37—	खीरी	1962826	1772800	190026
38—	सीतापुर	2338101	2097865	240237
39—	हरदोई	2293994	2027441	266553
40—	उन्नाव	1826463	1610396	216067
41—	लखनऊ	2017172	958539	1058633
42—	राय बरेली	1888181	1748348	139833

तालिका नं० -2 (क्रमागत)

क्र.सं.	जनपद	कुल जनसंख्या	ग्रामीण	शहरी
43–	बहराइच	2221154	2061651	159503
44–	गोण्डा	2838305	2631658	206647
45–	बाराबंकी	2012576	1836497	176079
46–	फैजाबाद	2369626	2109827	259799
47–	सुल्तानपुर	2037783	1970404	67379
48–	प्रतापगढ़	1807252	1715620	91632
49–	बस्ती	3576783	3404917	171867
50–	गोरखपुर	3795735	3394899	400836
51–	देवरिया	3487350	3255923	231427
52–	आजमगढ़	3532876	3215334	317542
53–	जौनपुर	2527012	2358292	168720
54–	बलिया	1926267	1750187	176080
55–	गाजीपुर	1941516	1787278	154238
56–	वाराणसी	3696768	2705970	990798
57–	मिर्जापुर	2033834	1766337	267497

उपर्युक्त सारिणी से ज्ञात होता हैं कि उत्तर प्रदेश की सर्म्पूण जनसंख्या का .17 प्रतिशत उत्तर काशी, .32 प्रतिशत चमोली, .44 प्रतिशत टेहरी गढ़वाल, .68 प्रतिशत देहरादून, .5 प्रतिशत गढ़वाल जनपद में निवास करती थी। प्रदेश के उत्तर काशी, चमोली, टेहरी गढ़वाल, देहरादून तथा गढ़वाल पौढ़ी में ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या क्रमशः 93.04 प्रतिशत, 92.1 प्रतिशत, 95.83 प्रतिशत, 50.79 प्रतिशत, 89.57 प्रतिशत थी । उत्तर काशी 6.96 प्रतिशत चमोली 7.90 प्रतिशत, टेहरी गढ़वाल 4.17 प्रतिशत, देहरादून 49.21 प्रतिशत, गढ़वाल (पौढ़ी) 10.43 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में निवास करती थी । प्रदेश की सर्म्पूण जनांख्या का पिथौरागढ़ में .43 प्रतिशत, अल्मोड़ा .69 प्रतिशत, नैनीताल 1.02 प्रतिशत, सहारनपुर 2.41 प्रतिशत, मुजफ्फरनगर 2.06 प्रतिशत, बिजनौर 1.73 प्रतिशत, मेरठ 2.49 प्रतिशत, गाजियाबाद 1.68 प्रतिशत, बुलन्दशहर 2.11 प्रतिशत, मुरादाबाद 2.84 प्रतिशत, रामपुर 1.06 प्रतिशत, बदायूॅं 1.77 प्रतिशत, बरेली 2.04 प्रतिशत निवास करती थी ।

प्रदेश के जनपद पिथौरागढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या 94.36 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या 5.64 प्रतिशत, अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्र में 94.01 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 5.99 प्रतिशत, नैनीताल जनपद में ग्रामीण क्षेत्र 72.30 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र 27.70 प्रतिशत, सहारनपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्र 72.93 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र 27.07 प्रतिशत, मुजफ्फरनगर जनपद के ग्रामीण क्षेत्र 78.37 प्रतिशत शहरी क्षेत्र 21.63 प्रतिशत, बिजनौर के ग्रामीण क्षेत्र 75.05 प्रतिशत, तथा शहरी क्षेत्र 24.95 प्रतिशत, मेरठ जनपद के ग्रामीण क्षेत्र 68.71 प्रतिशत, 31.29 प्रतिशत शहरी क्षेत्र, गाजियाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 66.14 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 33.86 प्रतिशत, बुलन्द शहर के ग्रामीण क्षेत्र में 80.38 प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में 19.62 प्रतिशत, मुरादाबाद जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में 73 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 27 प्रतिशत, रामपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 73.32 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 26.68 प्रतिशत, बदायूॅं जनपद के ग्रामीण क्षेत्र

में 83.82 प्रतिशत एवं नगरीय क्षेत्र में 16.18 प्रतिशत, बरेली जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में 71.25 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र में 28.75 प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही थी ।

उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण जनसंख्या का पीलीभीत में .90 प्रतिशत, शाहजहॉपुर में 1.48 प्रतिशत, अलीगढ़ के 2.31 प्रतिशत, मथुरा में 1.39 प्रतिशत, आगरा में 2.57 प्रतिशत, एटा में 1.65 प्रतिशत, कानपुर में 3.41 प्रतिशत, फतेहपुर में 1.41प्रतिशत, इलाहाबाद में 3.4 प्रतिशत, जालौन में .89 प्रतिशत, झाँसी में 1.02 प्रतिशत, ललितपुर में .52 प्रतिशत, हमीरपुर में 1.07 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती थी। जनपद पीली भीत में जनसंख्या का 83.75 प्रतिशत ग्रीमण क्षेत्र में तथा 16.25 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में, शाहजहॉपुर जनपद में 80.61 प्रतिशत ग्रामीण में तथा 19.39 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में जनपद अलीगढ़ में 76.95 प्रतिशत ग्रामीण में एवं 23.05 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में, मथुरा जनपद में 78.74 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में तथा 21.26 नगरीय क्षेत्र में, आगरा जनपद में 61.07 प्रतिशत ग्रीमण क्षेत्र में तथा 38.93 शहरी क्षेत्र में, एटा जनपद में 84.28 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में एवं 15.72 प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में, मैनपुरी जनपद में 88.87 प्रतिशत ग्रामीण में तथा 11.13 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में फर्रूखाबाद जनपद में 84. 27प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में तथा 15.13 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में, इटावा जनपद में ग्रामीण क्षेत्र में 85.25 तथा शहरी क्षेत्र में 14.75 प्रतिशत, कानपुर जनपद में ग्रामीण क्षेत्र में 52.97 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में, 47.03 प्रतिशत, फतेहपुर जनपद में 90.97 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में तथा 9.03 प्रतिशत शहरी क्षेत्र मे, जनपद इलाहाबाद में 79.64 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में तथा 20.36 प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में, जालौन जनपद में 80.92 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र मे तथा 19.8 प्रतिशत शहरी, क्षेत्र में, झाँसी जनपद में 62.31 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में एंव 37.69 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में, ललितपुर जनपद में 86.78 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में तथा 13.22 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में, हमीरपुर जनपद में 83.39 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में तथा 16.61 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करती थी।

उत्तर प्रदेश की सर्म्पूण जनसंख्या का बांदा जनपद में 1.38 प्रतिशत खीरी जनपद में 1.38 प्रतिशत, सीतापुर जनपद में 2.06प्रतिशत उन्नाव जनपद में 1.64 प्रतिशत, लखनऊ जनपद में 1.81 प्रतिशत रायबरेली जनपद में 1.7 प्रतिशत,बहराइच जनपद में 2 प्रतिशत,गोण्डा जनपद में 2.55 प्रतिशत, बाराबंकी में 1.81 प्रतिशत, फैजाबाद में 2.13 प्रतिशत, सुल्तानपुर जनपद में 1.83 प्रतिशत, प्रतापगढ़ जनपद में 1.62 प्रतिशत, बस्ती जनपद में 3.22 प्रतिशत, गोरखपुर जनपद में 3.42 प्रतिशत, देवरिया जनपद में 3.14 प्रतिशत, आजमगढ़ जनपद में 3.18 प्रतिशत, जौनपुर जनपद में 2.27 प्रतिशत, बलिया जनपद में 1.73 प्रतिशत, गाजीपुर जनपद में 1.75 प्रतिशत, वाराणसी जनपद में 3.33 प्रतिशत, मिर्जापुर जनपद में 1.83 प्रतिशत,निवास करती थी ।

बॉदा जनपद में जनसंख्या का 88.15 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्र में तथा 11.85 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में ,खीरी में 90.32 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में तथा 9.68 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में सीतापुर जनपद में 89.73 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में तथा 10.27 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में, हरदोई जनपद में 88.38 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में तथा 11.62 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में, उन्नाव जनपद में 88.17 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में तथा 11.83 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में, लखनऊ जनपद में 47.52 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में तथा 52.48 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में, रायबरेली जनपद में 92.59 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में तथा 7.41 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में, बहराइच जनपद में 92.82 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में तथा 7.18 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में, गोण्डा जनपद में 92.72 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में तथा 7.28 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में. बाराबंकी जनपद में 91.25 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में तथा 8.75 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में फैजाबाद जनपद में 89.04 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में एवं 10.96 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में, सुल्तानपुर जनपद में 96.69 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में तथा 3.31 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में, प्रतापगढ़ जनपद 94.93 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र तथा 5.07 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में, बस्ती जनपद 95.19 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में तथा 4.81 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में, गोरखपुर

जनपद 89.44 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में, तथा 10.56 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में, देवरिया जनपद में 93.36 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में तथा 6.68 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में, आजमगढ़ जनपद में 91.02 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में एंव 3.98 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में,जौनपुर जनपद में 93.32 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में तथा 6.68 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में, बलिया जनपद में 91.86 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में एंव 9.14 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में, गाजीपुर जनपद में 92. 06 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में तथा 7.94 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में, वाराणसी जनपद में 73. 20 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में 26.80 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में और मिर्जापुर जनपद में 86. 35 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र तथा 13.15 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करती थी । उत्तर प्रदेश राज्य की सम्पूर्ण जनसंख्या का 81.99 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता । तथा 18.01 प्रतिशत शहरी क्षेत्र निवास करता था ।

सन् 1991 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनपदवार जनसंख्या का विवरण

तालिका नं०-3

राज्य / जिला		जनसंख्या – 1991		जनसंख्या का घनत्व वर्ग किमी0	
जनसंख्या	(कुल)	पुरुष	स्त्री	1981	1991
1	2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश	138760417	73745994	65014423	377	471
1– उत्तर काशी	237772	123328	114444	24	30
2– चमोली	441667	214532	227135	41	48
3– टेहरी गढ़वाल	575352	277547	297805	13	130
4– देहरादून	1014700	548181	466519	247	329
5– गढ़वाल	666166	315427	350738	16	123
6– पिथौरागढ़	557148	274274	282874	55	63
7– अल्मोड़ा	824134	391245	432889	141	153
8– नैनीताल	1557415	831073	726342	168	229
9– बिजनौर	2444989	1305609	1139380	409	513
10– मुरादाबाद	4114119	2221717	1892402	528	689
11– रामपुर	1498294	802559	695735	478	633
12– सहारनपुर	2298495	1235955	1062540	472	595
13– हरिद्वार	1122781	608569	514222	446	563
14– मुजफ्फरनगर	2833856	1522705	1311151	555	700

उ0प्र0 वार्षिका 1990–91, 91–92 (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 पृष्ठ –.10)

तालिका नं० - 3 (क्रमागत)

	1	2	3	4	5	6
15–	मेरठ	3404000	1833443	1570557	708	870
16–	गाजियाबाद	2744636	1501403	1254233	711	1062
17–	बुलन्दशहर	2842391	1527833	1314558	542	653
18–	अलीगढ़	3296758	1788116	1508642	513	657
19–	मथुरा	1923920	1057509	866411	409	505
20–	आगरा	2704545	1476635	1227910	560	672
21–	फिरोजाबाद	1532282	836514	695768	534	649
22–	एटा	2240328	1225071	1015257	418	504
23–	मैनपुरी	1306161	708663	597498	385	473
24–	बदाँयू	2440135	1347392	1092743	382	472
25–	बरेली	2822988	1531703	1291285	552	685
26–	पीलीभीत	1277331	689904	587427	288	365
27–	शाहजहाँपुर	1981950	1090022	891928	360	433
28–	खीरी	2413463	1308104	1105359	254	314
29–	सीतापुर	2846450	1553135	1293315	407	496
30–	हरदोई	2739003	1505686	1223317	380	458
31–	उन्नाव	2195513	1170994	1024579	400	482
32–	लखनऊ	2744578	1478338	1266240	797	1086
33–	रायबरेली	2320620	1200554	1120066	409	503

तालिका - 3 (क्रमागत)

1	2	3		4	5	6
34—	फर्रुखाबाद	2431426	1322294	1109132	556	569
35—	इटावा	2128151	1159043	969108	404	492
36—	कानपुर देहात	2136504	1158891	977613	349	416
37—	कानपुर नगर	2485490	1351903	1133587	1876	416
38—	जालौन	1217021	664739	552282	216	267
39—	झाँसी	1426751	765005	661746	226	248
40—	ललितपुर	748997	402008	386989	115	149
41—	हमीरपुर	1465401	795493	669908	167	205
42—	बॉदा	1851014	1004874	846140	201	243
43—	फतेहपुर	1890697	1003688	887009	379	455
44—	प्रतापगढ़	2210680	1110293	1100387	485	595
45—	इलाहाबाद	4909919	2615660	2494259	523	676
46—	बहराइच	2748327	1492570	1255757	322	400
47—	गोण्डा	3571797	1908470	1663327	386	486
48—	बाराबंकी	2422763	1303329	1119434	453	451
49—	फैजाबाद	2983950	1548978	1434972	528	661

तालिका नं० - 3 (क्रमागत)

	1	2	3	4	5	6
50–	सुल्तानपुर	2560805	1322701	1238104	461	577
51–	सिद्धार्थनगर	1706634	891821	814813	468	580
52–	महराजगंज	1679342	873105	806237	453	570
53–	बस्ती	2750764	1437727	1313037	514	642
54–	गोरखपुर	3067280	1590532	1476748	740	923
55–	देवरिया	4427345	2250814	2176748	642	813
56–	मऊ	1446027	730773	710254	652	834
57–	आजमगढ़	3348830	1566214	158261	596	747
58–	जौनपुर	3205019	1606501	1598578	627	753
59–	बलिया	2249598	1152716	1096882	619	753
60–	गाजीपुर	2398746	1222954	1175792	576	710
61–	वाराणसी	4798729	2531555	2267174	727	943
62–	मिर्जापुर	1653834	883168	771666	255	334
63–	सोनभाद्र	1068637	575435	493202	122	168

उपयुक्त सारिणी से ज्ञात होता है कि सन् 1991 की जनणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण जनसंख्या का उत्तर काशी जनपद में .17 प्रतिशत, चमोली जनपद में .32 प्रतिशत, टेहरी गढ़वाल जनपद में .41 प्रतिशत, देहरादून जनपद में .73 प्रतिशत, गढ़वाल जनपद में .48 प्रतिशत, पिथौरागढ़ जनपद में .40 प्रतिशत, अल्मोड़ा जनपद में .59 प्रतिशत, नैनीताल जनपद में 1.12 प्रतिशत, बिजनौर जनपद में 1.76 प्रतिशत, मुरादाबाद जनपद में 2.96 प्रतिशत,रामपुर जनपद में 1.08 प्रतिशत, सहारनपुर जनपद में 1.65प्रतिशत, हरिद्वार जनपद में .80 प्रतिशत, मुजफ्फरनगर जनपद में 2.04 प्रतिशत, मेरठ जनपद में 2.04 प्रतिशत,गाजियाबाद जनपद में 1.98 प्रतिशत, बुलन्दशहर जनपद में 2.04 प्रतिशत, अलीगढ़ जनपद में 2.37 प्रतिशत, मथुरा जनपद में 1.38 प्रतिशत, आगरा जनपद में 1.94 प्रतिशत, फिरोजाबाद जनपद में 1.10 प्रतिशत, एटा जनपद में 1.61 प्रतिशत, मैनपुरी जनपद में .94 प्रतिशत, बदायूँ जनपद में 1.75 प्रतिशत, बरेली जनपद में 2.03 प्रतिशत, पीलीभीत जनपद में .92 प्रतिशत, शाहजहाँपुर जनपद में 1.42 प्रतिशत, खीरी जनपद में 1.73 प्रतिशत, सीतापुर जनपद में 2.05 प्रतिशत, हरदोई जनपद में 1.97 प्रतिशत, उन्नाव जनपद में 1.58 प्रतिशत, लखनऊ जनपद में 1.97 प्रतिशत, रायबरेली जनपद में 1.67 प्रतिशत, फर्रुखाबाद जनपद में 1.75 प्रतिशत, इटावा जनपद में 1.53 प्रतिशत, कानपुर देहात जनपद में 1.79 प्रतिशत जालौन जनपद में .87 प्रतिशत, झाँसी जनपद में 1.02 प्रतिशत, ललितपुर जनपद में .53 प्रतिशत, हमीरपुर जनपद में 1.05 प्रतिशत, बाँदा जनपद में 1.33 प्रतिशत, फतेहपुर जनपद में 1.36 प्रतिशत, प्रतापगढ़ जनपद में 1.52 प्रतिशत, इलाहाबाद जनपद में 3.54 प्रतिशत, बहराइच जनपद मे 1.98 प्रतिशत, गोण्डा जनपद मे 2.57 प्रतिशत, बाराबंकी जनपद में 1.74 प्रतिशत, फैजाबाद जनपद में 2.15 प्रतिशत, सुल्तानपुर जनपद में 1.84 प्रतिशत, सिद्धा र्थनगर जनपद में 1.23 प्रतिशत, महाराजगंज जनपद में 1.20 प्रतिशत, बस्ती जनपद में 1.98 प्रतिशत, गोरखपुर जनपद में 2.21 प्रतिशत देवरिया जनपद में 3. 19 प्रतिशत, मऊ जनपद में 1.03 प्रतिशत, आजमगढ़ जनपद में 2.26 प्रतिशत, जौनपुर

जनपद में 2.30 प्रतिशत, बलिया जनपद में 1.62 प्रतिशत, गााजीपुर जनपद में 1.72 प्रतिशत, बाराणसी जनपद में 3.45 प्रतिशत, मिर्जापुर जनपद में 1.19 प्रतिशत, तथा सोनभद्र जनपद में .77 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है।

लिंगानुसार प्रदेश के उत्तर काशी जनपद में कुल जनसंख्या के 51.86 प्रतिशत पुरूष तथा महिलाएं 48.14 प्रतिशत थी। जनपद चमोली की कुल जनसंख्या में 48. 57 प्रतिशत पुरूष तथा महिलाओं की संख्या 51.43 प्रतिशत, जनपद टेहरी गढ़बाल की कुल जनसंख्या में पुरूषों की संख्या 48.39 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 51.61 प्रतिशत, जनपद देहरादून की कुल जनसंख्या में पुरूषों की संख्या 54.02 प्रतिशत, तथा महिलाओं की संख्या 145.98 प्रतिशत, जनपद गढ़बाल में कुल जनसंख्या के 47.35 प्रतिशत पुरूषों और 52.65 प्रतिशत महिलाएं थी। जनपद पिथौरागढ़ की कुल जनसंख्या में 49.22 प्रतिशत पुरूष तथा महिलाओं की संख्या 50.65 प्रतिशत, जनपद अल्मोड़ा की कुल जनसंख्या के 47.47 प्रतिशत पुरूष एवं महिलाओं की संख्या 52.53 प्रतिशत, जनपद नैनीताल की कुल जनसंख्या 46.6 प्रतिशत महिलाएं एंव पुरूषेां की संख्या 53.4 प्रतिशत निवास करते थे। जनपद बिजनौर की कुल जनसंख्या 53.4 प्रतिशत पुरूष तथा महिलाओ की संख्या 46.6 प्रतिशत थी । जनपद मुरादाबाद की कुल जनसंख्या में पुरूषों की संख्या 54.00 प्रतिशत तथा महिलाएं 46.00 प्रतिशत, जनपद रामपुर की कुल जनसंख्या में पुरूषों की संख्या 53.56 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 46.44 प्रतिशत, जनपद सहारनपुर की जनसंख्या में पुरूषों की संख्या 53.77 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 46.23 प्रतिशत, हरिद्वार जनपद की कुल जनसंख्या में पुरूषों की संख्या 54.20 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 45.80 प्रतिशत मुजफ्फर नगर जनपद की कुल जनसंख्या में पुरूषों की संख्या 53.73 तथा महिलाओं की संख्या 46.27 प्रतिशत थी । जनपद मेरठ की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 53.86 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 46.14 प्रतिशत,जनपद गाजियाबाद की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 54.48 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 45.52 प्रतिशत, जनपद बुलन्दशहर की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 53.75 प्रतिशत तथा महिलाओं

की संख्या 46.25 प्रतिशत, जनपद अलीगढ़ की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 54.24 प्रतिशत तथा महिलायों की संख्या 45.76 प्रतिशत, जनपद मथुरा की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 54.96 प्रतिशत तथा महिलायों की संख्या 45.04 प्रतिशत, जनपद आगरा की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 54.60 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 45.40 प्रतिशत, जनपद फिरोजाबाद की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 54.59 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 45.41 प्रतिशत, जनपद एटा की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 54.68 प्रतिशत, तथा महिलाओं का प्रतिशत 45.32 था। जनपद मैनपुरी की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 54.25 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 45.75 प्रतिशत निवास करती थी।

प्रदेश के जनपद बॅदायू की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 52.21 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 47.79 प्रतिश, जनपद बरेली की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 54.25 प्रतिशत महिलाओं की संख्या 45.75 प्रतिशत, जनपद पीलीभीत की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 54.01 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 45.99 प्रतिशत, जनपद शाहजहॉपुर की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 54.99 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 45.01 प्रतिशत, जनपद खीरी की कुल जनसंख्या में पुरुषों संख्या 54.20 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 45.80 प्रतिशत, जनपद सीतापुर की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 54.56 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 45.44 प्रतिशत, जनपद हरदोई की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 54.97 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 45.03 प्रतिशत, जनपद उन्नाव की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 53.33 प्रतिशत, तथा महिलाओं की संख्या 46.67 प्रतिशत, जनपद लखनऊ की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 53.86 प्रतिशत, तथा महिलाओं की संख्या 46.14 प्रतिशत,जनपद रायबरेली की कुल जनांख्या में पुरुषों की संख्या 51.73 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 48.27 प्रतिशत, जनपद फर्रुखाबाद की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 54.38 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 45.62

प्रतिशत, जनपद इटावा की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 54.46 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 45.54 प्रतिशत, जनपद कानपुर देहात की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 54.24 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 45.76 प्रतिशत, जनपद कानपुर नगर की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 54.39 प्रतिशत तथा महिलाओं की कुल संख्या 45.61 प्रतिशत थी ।

जनपद जालौन की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 54.62 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 45.38 प्रतिशत, जनपद झाँसी की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 62.36 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 37.64 प्रतिशत, जनपद ललितपुर की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 53.67 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 46.33 प्रतिशत तथा हमीरपुर जनपद की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 54.28 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 45.72 प्रतिशत, जनपद बांदा की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 54.28 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 45.72 प्रतिशत, जनपद फतेहपुर की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 53.08 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 46.92 प्रतिशत, जनपद प्रतापगढ़ की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 50.22 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 49.78 प्रतिशत, जनपद इलाहाबाद की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 53.27 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 46.73 प्रतिशत, जनपद बहराइच की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 54.30 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 45.70 प्रतिशत थी । जनपद गोण्डा की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 53.43 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 46.57 प्रतिशत, जनपद बाराबंकी की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 53.79 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 46.21 प्रतिशत,जनपद फैजाबाद की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 51.91 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 48.09 प्रतिशत, जनपद सुल्तानपुर की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 57.65 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 42.35 प्रतिशत, जनपद सिद्धार्थ नगर की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 52.25 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या

47.75 प्रतिशत, जनपद महराजगंज की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 51.99 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 48.01 प्रतिशत, जनपद बस्ती की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 52.26 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 47.74 प्रतिशत, जनपद गोरखपुर की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 51.81 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 48.17 प्रतिशत, जनपद देवरिया की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 50.83 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 49.17 प्रतिशत, जनपद मऊ की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 50.71 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 49.29 प्रतिशत,जनपद आजमगढ़ की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 49.73 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 50.27 प्रतिशत थी ।

जनपद जौनपुर की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 50.12 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 48.88 प्रतिशत, जनपद बलिया की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 51.24 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 48.76 प्रतिशत, जनपद गाजीपुर की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 50.98 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 49.02 प्रतिशत, जनपद वाराणसी की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 52.75 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 47.25प्रतिशत, जनपद मिर्जापुर की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 53.34 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 49.66 प्रतिशत, जनपद सोनभद्र की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 53.84 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 46.16 प्रतिशत थी ।

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 138,760,417,है जिसमें पुरुषों की संख्या 73,745, 994, तथा महिलाओं की संख्या 65,014,423, थी ।

सारणी से ज्ञात होता हैं कि प्रदेश के जनपद उत्तर काशी की जनसंख्या का घनत्व 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है चमोली जनपदं की जनसंख्या का घनत्व 48 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। टहेरी गढ़वाल का घनत्व 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है । देहरादून जनपद का घनत्व 329 किलोमीटर है । गढ़वाल जनपद का

घनत्व 123 किलोमीटर, पिथौरागढ़ जनपद का घनत्व 63 प्रति वर्ग किलोमीटर, अल्मोड़ा जनपद का घनत्व 153 प्रति वर्ग किलोमीटर , नैनीताल जनपदं का घनत्व 229 प्रति वर्ग किलोमीटर, बिजनौर जनपद का घनत्व 519 प्रति वर्ग किलोमीटर, मुरादाबाद जनपद का घनत्व 689 प्रति वर्ग किलोमीटर, रामपुर जनपद का घनत्व 633 प्रति वर्ग किलोमीटर, सहारनपुर जनपद का घनत्व 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, हरिद्वार जनपद की जनसंख्या का घनत्व 563 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मुजफ्फरनगर जनपद की जनसंख्या का घनत्व 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मेरठ जनपद का घनत्व 1062 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बुलन्दशहर जनपद की जनसंख्या का घनत्व 653 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अलीगढ़ जनपद का घनत्व 657 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मथुरा जनपद का घनत्व 505 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो मीटर, आगरा जनपद का घनत्व 672 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, फिरोजाबाद जनपद का घनत्व 649 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो मीटर, एटा जनपद का घनत्व 504 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मैनपुरी जनपद का घनत्व 473 प्रति वर्ग किलोमीटर, बदायूँ जनपद का घनत्व 472 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बरेली जनपद का घनत्व 685 प्रति वर्ग किलोमीटर, पीलीभीत जनपद का घनत्व 365 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, शॅाहजहापुर जनपद का घनत्व 433 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, खीरी जनपद का घनत्व 314 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सीतापुर जनपद का घनत्व 496 प्रति वर्ग किलोमीटर, हरदोई जनपद का घनत्व 458 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लखनऊ जनपद का घनत्व 1086 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उन्नव जनपद का घनत्व 482 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, रायबरेली जनपद का घनत्व 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, फर्रुखाबाद जनपद का घनत्व 569 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इटावा जनपद का घनत्व 492 व्यक्ति प्रति वर्ग किलामीटर, कानपुर देहात का घनत्व 416 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर,कानपुर नगर जनपद का घनत्व 2390 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जालौन जनपद का घनत्व 267 व्यक्ति प्रति वर्गकिलोमीटर, झाँसी जनपद का घनत्व 248 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ललितपुर जनपद का घनत्व

149 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, हमीरपुर जनपद का घनत्व 205, बांदा जनपद का घनत्व 243, फतेहपुर जनपद का घनत्व 455, प्रतापगढ़ जनपद का घनत्व 595,इलाहाबाद जनपद का घनत्व 676 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, हैं। बहराइच जनपद का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, गोण्डा जनपद का घनत्व 486 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बाराबंकी जनपद की जनसंख्या का घनत्व 551 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, हैं । फैजाबाद जनपद का घनत्व 661 प्रति वर्ग किलोमीटर, सुल्तानपुर जनपद का घनत्व 577 प्रति वर्ग किलोमीटर, सिद्धार्थनगर जन पद का घनत्व 580 प्रति वर्ग किलोमीटर , महराजगंज जनपद का घनत्व 570 बस्ती जनपद का घनत्व 642, गोरखपुर जनपद का घनत्व 923 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं । देवरिया जनपद का घनत्व 813 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मऊ जनपद का घनत्व 834, आजमगढ़ जनपद का घनत्व 747 एंव जौनपुर जनपद की जनसंख्या का घनत्व 794 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं । बलिया जनपद का घनत्व 753 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर , गाजीपुर जनपद का घनत्व 710 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाराणसी का घनतव 943 प्रति वर्ग किलोमीटर, मिर्जापुर जनपद का घनतव 334 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा सोनभद्र जनपद की जनसंख्या का घनत्व 168 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं ।

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 138760417 जिसमें पुरुषों की संख्या 73745994 तथा महिलाओं की संख्या 65014423 हैं तथा जनसंख्या का घनत्व 471 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं, जबकि भारत वर्ष का घनत्व 1991 की जनगणना के अनुसार 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं । इससे ज्ञात होता हैं । कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व अधिक हैं । उसका प्रमुख प्रमुख कारण प्राकृतिक एंव गंगा ,यमुना के मैदान का उपजाऊ होना हैं ।

जनसंख्या वितरण आंकड़ों से ज्ञात होता हैं कि भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश हैं। वहां की जनसंख्या 1901 में 4.86 करोड़ थी, जो सन् 1981 में 11.08 करोड़, जो 1991 में 13.87 करोड़ हो गयी हैं । प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व

1971 में 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा 1981 में 377 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था । सन् 1991 में बढ़कर 471 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर हो गया हैं। जो भारत के जनसंख्या घनत्व 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कहीं अधिक हैं दुति जनसंख्या वृद्धि से प्रदेश की स्थिति बड़ी चिन्ताजनक हैं । सन् 1981 में यहाँ की दशकानुसार वृद्धि दर 25.49 प्रति हजार तथा 1991 में 25.16 प्रति हजार आंकी गयी, जो देश की वृद्धि दर से अधिक हैं ।

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनपदवार जनसंख्या का विवरण

तालिका नं० – 3

क्रमांक	जिला	जनसंख्या 2001
1	2	3
	उत्तर प्रदेश	**166052859**
1	इलाहाबाद	4941510
2	कानपुर नगर	4137489
3	आजमगढ़	3950808
4	जौनपुर	3911305
5	गोरखपुर	3784720
6	मुरादाबाद	3749630
7	लखनऊ	3681416
8	सीतापुर	3616510
9	आगरा	3611301
10	बरेली	3598701
11	मुजफ्फरनगर	3541952
12	हरदौई	3397414
13	गाजियावाद	3289540
14	खेरी	3200137
15	सुल्तानपुर	3190926
16	वाराणसी	3147927
17	बिजनौर	3130586
18	बुदोन	3069245
19	गाजीपुर	3049337
20	मेरठ	3001636

जनसंख्या शिक्षा दिग्दर्शिका 2001 (जनगणना कार्यालय उ० प्र० लखनऊ से प्राप्त प्राबिसनल जनसंख्या दिग्दर्शिका) पृष्ठ–40–41

तालिका नं0 – 3 (क्रमागत)

क्रमांक	जिला	जनसंख्या 2001
1	2	3
21	अलीगढ़	2990388
22	बुलन्दशहर	2923290
23	कुशीनगर	2891933
24	रायबरेली	2872204
25	सहारनपुर	2848152
26	एटा	2788270
27	गोण्डा	2765754
28	बलिया	2752412
29	देवरिया	2730376
30	प्रतापगढ	2727156
31	उन्नाव	2700426
32	बारावंकी	2673394
33	शाहजहांपुर	2549458
34	बहराइच	2384239
35	फतेहपुर	2305847
36	महाराजगंज	2167041
37	मिर्जापुर	2114852
38	फैजावाद	2087914
39	मथुरा	2069578
40	बस्ती	2068922
41	फिरोजाबाद	2045737
42	सिद्धार्थनगर	2038598
43	अम्बेडकरनगर	2025373
44	रामपुर	1922450
45	मऊ	1849294

तालिका नं0 — 3 (क्रमागत)

क्रमांक	जिला	जनसंख्या 2001
1	2	3
46	झाँसी	1746715
47	बलरामपुर	1684567
48	पीलीभीत	1643788
49	चन्दौरी	1639777
50	मैनपुरी	1592875
51	कानपुरदेहात	1584037
52	फरूखाबाद	1577237
53	बांदा	1500253
54	ज्योतिवाफूलेनगर	1499193
55	सोनभद्र	1463468
56	जालौन	1455859
57	सन्त कबीर नगर	1424500
58	कन्नोज	1385227
59	सन्त रवीदास नगर भदौई	1352056
60	इटावा	1340031
61	हाथरस	1333372
62	कौशाम्बी	1294937
63	गौतमबुद्व नगर	1191263
64	औरैया	1179496
65	सिराबस्ती	1175428
66	बागपत	1164388
67	हमीरपुर	1042374
68	ललितपुर	977447
69	चित्रकूट	800592
70	महोबा	708831

SEX RATIO IN INDIA AND UTTAR PRADESH 1901-2001

NUMBER OF FEMALES PER 1000 MALES

1000
980
960
940
920
900
880
860
840
820
800

CENSUS YEAR	India	Uttar Pradesh
1901	972	938
1911	954	916
1921	955	908
1931	950	903
1941	945	907
1951	946	908
1961	941	907
1971	930	876
1981	934	882
1991	927	876
2001	933	898

CENSUS YEAR

जनसंख्या दिग्दर्शिका 2001 पृष्ठ – 87

इस राज्य में अधिकतर लोग हिन्दी भाषा भाषी हैं। किन्तु राज्य के प्रत्येक सम्भाग की अपनी अपनी स्थानीय भाषायें है। बुन्दलेखण्ड सम्भाग में हिन्दी के साथ –साथ वहाँ बोले जाने वाली बुन्देलखण्डी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। गंगा के मैदानी भागों में भी हिन्दी के साथ ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। पूर्वी सम्भाग में पुरबिया भाषा का प्रयोग तथा गोरखपुर, बलिया,मिर्जापुर तथा गाजीपुर में भोजपुरी भाषा का प्रयोग हिन्दी के साथ किया जाता है । प्रदेश में उर्दू भाषा बोलने की संख्या 17657735 हैं । उर्दू भाषा के बाद पंजाबी एंवं मराठी भाषा का स्थान आता है ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता हैं, कि इस प्रदेश के धरातलीय स्वरूप ने यहाँ की जनसंख्या के वितरण में असमानता उत्पन्न कर दी हैं । राज्य का अधिकतर भाग ग्रामीण अंचलों में निवास करता है, जिमसें साक्षरता का अभाव है । इस अभाव की पूर्ति हेतु स्वतन्त्रोत्तर काल में विभिन्न प्रयास किए गए हैं, किन्तु सन्तोषप्रद उपलब्धि नहीं हो सकी है ।

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में विभिन्न धर्मावलम्बी है । सन् 1991 की जनगणना के आधार पर 92365968 व्यक्ति हिन्दू, 17657735 लोग मुस्लिम, 162199 लोग ईसाई धर्म, 45647 लोग सिक्ख, 54542 लोग बौद्ध धर्म मानने वाले है[1] ।

शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण :-

उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है किन्तु शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य हैं उत्तर प्रदेश में अधिक निरक्षरता क्यों है ? इसके पहले शिशु को बाल एवं युवावस्था में भी उसे शिक्षा प्राप्त न हो सकी । इसके अनेक कारण हो सकते है। मसलन –गरीब होना, परिवार का शिक्षित न होना, साधनहीन होना आदि। इसके अतिरिक्त प्रदेश की भौगोलिक संरचना , सामाजिक पृष्ठ भूमि, ऐतिहासिक पृष्ठ–भूमि, राजनैतिक पृष्ठ – भूमि तथा जनसंख्यात्मक विवरण भी है। किन्तु उक्त

---

1. पंकज चावला उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक झलक उत्तर प्रदेश 1991–92 (प्रकाश प्रकाशन मेरठ) – 2. पृष्ठ – 4

परिवेशों से ही उसके पिछड़ेपन का आंकलन नहीं किया जा सकता हैं जो कुछ मानवीय प्रयत्नों से सम्भव है, उसकी अवतारणा तथा उसके कार्यान्वयन में कहीं न कहीं त्रुटि है। इस त्रुटि या दोष के निराकरण के बिना साक्षरता एंव शिक्षा को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना असम्भव प्रतीत होता है।

उत्तर प्रदेश में सम्पूर्ण साक्षरता की सार्वभौमिक उपलब्धि में बहुमुखी बाधाऐं है। सर्व प्रथम तो समस्या बच्चों की है। जिनकों दो श्रेणियॉ में विभाजित किया जा सकता है। एक तो वे जिन्होने कभी भी पाठशाला जाने का प्रयत्न नहीं किया । दूसरे वे जो किसी भी तरह पाठशाला पहुॅच तो गए , किन्तु उस पाठशाला की अन्तिम पीढ़ी तक नहीं पहुॅच सके । दूसरी समस्या पाठशालाओं की है, जिनके भवन साज सज्जा, उपकरण इतने जीर्ण क्षीर्ण है, कि जो बच्चों को एंव अभिभावको को अपनी तरफ आकर्षित करने में सक्षम नहीं है ।

उत्तर प्रदेश राज्य में शैक्षिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण इस राज्य की तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हैं। यदि किसी कृषक के पास अपनी भूमि हैं, तो उसके परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ने पर उसकी भूमि कई पुत्रों में बंट जाती है। फलतः ऐसे परिवार के लिए जितनी मात्रा में खाद्यान्न अपेक्षित हैं, उसमें भी कमी होने लगती है। परिवार के सदस्यों के कृषि सम्बन्धी कार्य कम हो जाते है। और उनकी प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है।

तृतीय अध्याय

शोध से सम्बन्धित साहित्य एवं शोध कार्य की मौलिकता

सम्बद्ध साहित्य का तात्पर्य उस साहित्य से हैं, जिसमें समस्या अथवा उसके किसी पक्ष की विवेचना की गई हो। इस साहित्य का स्वरुप पुस्तक, प्रतिवेदन लेख, शोध प्रबन्ध, टीका ,कोष आदि हो सकता है। जिसमें सम्बन्धित बिषय की पूर्ण अथवा आंशिक व्यवस्था प्रस्तुत की गयी है। सम्बद्ध सहित्य को जान लेने से शोधकर्त्ता को अपनी समस्या के सम्बन्ध में आधुनिकतम जानकारी प्राप्त हो जाती है। यह जानकारी व्यापक ज्ञान के लिए आवश्यक होती है । इससे पता चलता है कि उपलब्ध ज्ञान सें समस्या का निराकरण हो सकता है या नहीं। यदि समस्या के सन्दर्भ में पहले से ही ज्ञान उपलब्ध हो तो उस पर शोध करने की आवश्यकता नही होती यदि उसके सम्बन्ध में कोई नया ज्ञान प्राप्त हो सकता है तो शोध की आवश्यकता प्रतिपादित हो जाती हैं। सम्बद्ध साहित्य का ज्ञान बहुत से नये विचार व्याख्याएं, सिद्धान्त और परिकल्पना की जानकारी देता हैं जिससे शोधकर्त्ता को अपनी समस्या हल करने में सहायता मिलती हैं। सम्बन्धित शोध ग्रन्थों का अध्ययन कर लेने से नई विधियां और उपकरणों का ज्ञान होता हैं। जिससे प्रस्तुत समस्या में सहायता मिलती है। इस सन्दर्भित साहित्य के सर्वेक्षण से अनुसंधानकर्त्ता को दो लाभ हुए–एक तो अपने विषय की सीमाओं से सुपरिचित हुआ दूसरे अनावश्यक पुनरावृत्तियां से भी बचने का अवसर मिला । पूर्व काल का अध्ययन विचारोत्तेजना, प्रेरणा और स्थिति से परिज्ञान के लिए अनुसंधान कर्मी को उपयोगी सिद्ध हुआ। तथा इस अनुसंधान के विधान की रचना के सम्बन्ध में अर्न्तदृष्टि प्राप्त हुई । यह अर्न्तदृष्टि समस्या के परिसीमन, समस्या के परिभाषीकरण एवं अनुसंधान विधि के चयन आदि के बारे में प्राप्त हुई दूसरी ओर प्रदत्तों का विश्लेषण तथा व्याख्या करके निष्कर्षों तक पहुँचा जाता है। इन निष्कर्षों से तुलना की जा सकती है जिससे उसकी प्रमाणिकता में वृद्धि हो जाती है।

इसी दृष्टिकोण से इस अध्याय में प्रस्तुत शोध से सम्बन्धित ऐसे साहित्य का अध्ययन किया गया है जो विभिन्न विश्व विद्यालयों, संस्थाओं, व्यक्तियों तथा

शिक्षा विदों द्वारा अनुसंधान कर प्राप्त किया गयाा है। यह अनुसंधान अधिकांशतः भारत वर्ष में ही हुए है। इस विषय पर विदेशों में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ है। अनुसंधानकर्त्ता ने ऐसी शोध संक्षेपिकायें प्रस्तुत की हैं जिनमें उनके उद्देश्य और निष्कर्षों का संक्षेप में उल्लेख किया गया है। इस विवरण के अन्त में उसकी विवेचना की गयी है और प्रस्तुत समस्या से उसकी तुलना भी की गयी है।

विदेशी विश्वविद्यालयों में :-

के०सी०एन०सैम्अल:-

1. '' दि रोल आफ हायर एजूकेशन इन इण्डिया सिन्स इण्डीपेन्ड्स '' पी–एच0डी0, कैथोलिक यूनीवर्सिटी आफ अमेरिका 1971.

शोध के उद्देश्य:-

1– स्वतन्त्र भारत के शैक्षिक परिवेश का अध्ययन करना ।

2– विश्वविद्यालय स्तर (उच्च शिक्षा की भूमिका) की शिक्षा का भारतीय परिवेश के सन्दर्भ में अध्ययन करना।

निष्कर्ष:-

1– स्वतन्त्र भारत के लिए वर्तमान में प्रचलित उच्च शिक्षा हेतु निर्धारित नीतियां पूर्णतः अनुपयुक्त है ।

2– वर्तमान में जो निर्धारित की गयी हैं उनके अनुसार पाठ्यक्रम को पुनः संशोधित करने की आवश्यकता है ।

3– विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शैक्षिक माहौल का पूर्ण अभाव है ।

4– सम्पूर्ण शिक्षा पर किया जाने वाले व्यय में उच्च शिक्षा का हिस्सा मात्र 2 प्रतिशत हैं जो अत्यन्त कम हैं ।

2– चम्पा टिम्कू:-

"ए क्रिटिकल स्टडी आफॅ दि हिस्ट्री एण्ड डिवलप मैन्ट आफॅ दि यूनीवर्सिटी एजूकेशन इन मार्डन इण्डिया विद् स्पेशल टू प्राब्लम एण्ड पैन्ट्रर्से आफॅ ग्रोथ सिन्स 1947, पी–एच0 डी0 यूनी , आफॅ लन्दन, 1981.

उददेश्य:-

1– आधुनिक भारतीय परिवेश में उच्च शिक्षा के स्वरुप के बारे में अध्ययन करना ।

2– भारत में उच्च शिक्षा के विकास में आने वाली बाधाओं का अध्ययन करना ।

निष्कर्ष:-

1– आधुनिक भारतीय परिवेश के अनुसार प्रचलित शिक्षा नीति (उच्च शिक्षा के सन्दर्भ) में परिवर्तन किया जाना आवश्यक हैं ।

2– उच्च शिक्षा केवल मेघावी तथा प्रतिभा सम्पन्न छात्रों को ही उपलब्ध करायी जानी चाहिऐ ।

3– उच्च शिक्षा पर किया जाने वाला पूर्ण व्यय केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को आपस में बॉट लेना चाहिए ।

4– ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयी सुविघांए उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

5– पाठ्यक्रम में नवीन शैक्षिक सामग्री जोड़ी जानी चाहिए जिसमें भारतीय नवयुवक नवीन वैज्ञानिक खोजों से अपने को अद्यतन रख सके ।

6– महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षकों की नियुक्तियां केवल भारतीय खोज परीक्षा के आघार पर होनी चाहिए ।

....

फोर्थ सर्वे ऑफ एजूकेशन नई दिल्ली एन0सी0ई0आर0टी0 1991 पृष्ठ – 86

भारत वर्ष में हुए शोध

डी० लिट० स्तर पर किये गये शोध :-

1– **मिश्रा, आत्मानन्द :-**

फाइनेन्शसिंग इन एजूकेशन इन इण्डिया डी0 लिट0 शिक्षा, सागर विश्वविद्यालय सागर (म0प्र0), 1970

उद्देश्य :-

1– भारत वर्ष में संविधान में किये गये प्रविधानों के अनुसार विभिन्न स्तरों की शिक्षा हेतु उपलब्ध बजट के बारे में जानकारी हासिल करना ।

2– भारत वर्ष में शिक्षा के विभिन्नता हेतु, उपलब्ध संसाधनों के अतिरिक्त आय के अन्य स्रोतों की जानकारी करना ।

3– देश में शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा हेतु विशेष नीति तथा अर्न्तराष्ट्रीय गुणवत्ता स्थापित करने हेतु विभिन्न पक्षों की उपलब्धता ज्ञात करना ।

निष्कर्ष :-

1– देश में संविधान में उल्लिखित सुविधाओं तथा स्पष्ट नीति का अभाव हैं ।

2– प्राथमिक माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा हेतु राज्यों को स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हैं ।

3– शिक्षा हेतु बजट बहुत कम हैं ।

4– विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा सामूहिक रुप से उपलब्ध कराने के स्थान पर उसे योग्य तथा मेधावी तथा प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रदान किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं हैं। अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता की छवि बनाने हेतु विभिन्न देशों तथा प्रदेशो में समय–समय पर कान्फ्रेंस, सेमीनार आयोजित किये जाने की आवश्यकता हैं तथा शिक्षकों की अदला–बदली भी एक निश्चित समय के लिये की जानी आवश्यक हैं। वर्तमान में इस प्रकार की योजनाओं का पूर्ण अभाव हैं ।

2— **अग्रवाल, डॉ० वी० पी० -**

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत वर्ष की आधुनिक शिक्षा का आलोचनात्मक अध्ययन, डी. लिट., कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर, 1992.

शोध के उद्देश्य:-

1— भारत वर्ष में स्वतन्त्रता के पश्चात् प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा सहित सभी प्रकार की शिक्षा हेतु केन्द्र सरकार की नीति का क्रियान्वयन पक्ष का अध्ययन करना ।

2— सभी स्तरो की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करना ।

3— सभी स्तरों की शिक्षा हेतु केन्द्र – राज्य सम्बन्धों की जानकारी करना ।

4— शिक्षक तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक सुविधाओं तथा शैक्षिक अवसरों की जानकारी करना ।

5— विभिन्न स्तरों की शैक्षिक संस्थाओं की संख्यिकीय वृद्धि तथा गुणात्मक वृद्धि के बारे में जानकारी करना।

6— केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा पर किया जाने वाले बजट तथा अन्य श्रोतों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना ।

शोध के निष्कर्ष :-

1— केन्द्र सरकार द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षा स्तर हेतु निर्धारित नीतियों का पक्ष बहुत कमजोर हैं तथा उनका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से नही होता हैं ।

2— प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था में सामंजस का अभाव हैं ।

3— केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों में विभिन्न स्तर की शिक्षा हेतु अलग–अलग राजनैतिक दृष्टिकोण तथा सोच हैं जिसके कारण उनकी गुणवत्ता गिर रही हैं ।

4— शैक्षिक तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक सुविधाओं में सुधार की अत्यन्त आवश्यकता हैं।

5– स्वतंन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की सभी संस्थाओं की संख्यात्मक वृद्धि काफी तेजी से हुई है लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर के सापेक्ष यह बहुत कम हैं ।

6– केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा पर किये जाने वाला बजट बहुत कम है जिससे शिक्षा का स्तर निरन्तर गिर रहा हैं ।

2– पी-एच० डी० स्तर पर किये गये शोध :-

डी० सिंह :-

[1]ए कम्परेटिव स्टडी ऑफ एजूकेशन डिवलपमैन्ट इन मध्य प्रदेश एण्ड उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग दि पीरियड–1947 पी–एच0डी0 शिक्षा ए0 पी0 एस0 विश्वविद्यालय, रीवा ।

उद्देश्य :-

1– उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर पर चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता मालूम करना ।

2– उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना ।

निष्कर्ष :-

1– दोनों प्रदेशों में प्रचलित पाठ्यक्रम अत्यन्त प्राचीन एंव परम्परागत है उनमें नवीन शिक्षा नीति के अनुसार परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता हैं ।

2– दोनों प्रदेशों में उच्च शिक्षा स्तर पर पर्याप्त शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध नही हैं । आवासीय विश्वविद्यालयों में शैक्षिक माहौल हैं ।

थर्ड सर्वे ऑफ एजूकेशन नई दिल्ली, एन0 सी0 ई0 आर0 टी0

कौल, जे० एन०:-

यूनीवर्सिटी एजूकेशन इन इण्डिया, पी–एच0 डी0 एजुकेशन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला, 1955

उद्देश्य:-

1– स्वतन्त्रता के पश्चात् देश में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा हेतु नीति एंव योजनाओं के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना ।

2– विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना ।

3– रोजगार परक शिक्षा उच्च स्तर पर किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता हैं।

4– डिग्री को रोजगार से न जोड़ने के पक्ष में 90 प्रतिशत लोगों के द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया ।

एम० मिश्रा :-

एजूकेशन इन उत्तर प्रदेश फाम 1958 टू 1900 पी–एच0 डी0 एजुकेशन लखनऊ यूनी. 1969.

उद्देश्य:-

ब्रिटिश साम्राज्य में प्रचलित शिक्षा नीति का आलोचनात्मक अध्ययन करना ।

निष्कर्ष:–

1– उच्च शिक्षा की जो व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही हैं। वह व्यावहारिक कम सैद्धान्तिक अधिक हैं।

2– शिक्षा के द्वारा छात्रों में नैतिकता का विकास नही किया जा सका हैं ।

ए० चक्रवर्ती:-

''हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन आसाम 1826–1919, पी–एच0 डी0 आर्ट्स गढ़वाल यूनीवर्सिटी श्री नगर 1971''

उद्देश्य:-

ब्रिटिशन साम्राज्य के अन्तर्गत आसाम में शिक्षा की प्रकृति और विकास का अध्ययन (1826–1919)

निष्कर्ष:-

1– स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा हेतु जो नीति निर्धारित की गयी है वह भारत जैसे गरीब देश हेतु उपयुक्त नही हैं ।

2– विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा हेतु योग्य शिक्षक, उपयुक्त पाठ्यक्रम, स्तरीय पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार में सामंजस्य स्थापित होना आवश्यक हैं।

डी.एच.डाकर:-

प्रोग्रेस ऑफ यूनीवर्सिटी एजूकेशन इन गुजरात स्टेट आफ्टर इण्डीपेन्स, पी–एच0 डी0 1979, गुजरात यूनीवर्सिटी बड़ौदा ।

उद्देश्य:-

1– गुजरात प्रदेश में स्वतन्त्रता के बाद हुई संख्यात्मक वृद्धि का अध्ययन करना ।

2– उच्च शिक्षा के विकास में आने वाली बाधाओं एवं समस्याओं का अध्ययन करना ।

निष्कर्ष:-

1– प्रदेश में उच्च शिक्षा संस्थाओं के विकास की गति अत्यन्त मन्द है ।

2– विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर के शिक्षकों की योंग्यताएं तथा सेवा शर्ते उपयुक्त नहीं है।

निष्कर्ष:-

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा स्तर पर व्यावसायीकृत शिक्षा पर अधिक जोर दिया जा रहा है ।

उच्च स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं थी ।

वर्मा जी. सी.:-

ग्रोथ एण्ड डिवलपमेन्ट ऑफ मार्डन एजुकेशन इन राजस्थान, पी–एच0 डी0 इतिहास, राजस्थान विश्वविद्यालय, 1981 .

उद्देश्य :-

1– भारत वर्ष में शैक्षिक विकास की सांख्यिकीय गति का अध्ययन करना ।

2– भारत वर्ष में शिक्षा में हो रहे गुणात्मक विकास का अध्ययन करना ।

निष्कर्ष :-

1– भारत वर्ष में शिक्षा के विकास की गति अत्यधिक धीमी है ।

2– उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त शैक्षिक अवसर उपलब्ध नहीं है ।

3– विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा हेतु उचित दिशा का अत्यन्त अभाव है ।

4– उच्च शिक्षा का स्तर अत्यन्त निम्न है ।

5– भारतीय शिक्षा प्रणाली पूर्णतः अनुपयुक्त एवं प्रभावहीन है ।

अग्रवाल, राज :-

स्वतन्त्रता उपरान्त बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्त्री शिक्षा का विकास एवं मूल्यांकन, पी–एच0 डी0 शिक्षा, कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर – 1986.

1– उत्तर प्रदेश के सापेक्ष बुन्देलखण्ड क्षेत्र शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर स्त्री शिक्षा के विकास के सांख्यिकीय अध्ययन करना।

2– उत्तर प्रदेश के सापेक्ष बुन्देलखण्ड क्षेत्र में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर स्त्री शिक्षा की गुणवत्ता का अध्ययन करना ।

निष्कर्ष :-

1– स्वतन्त्रता के पश्चात् उत्तर प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्याालय स्तर की शिक्षा के विकास की गति धीमी रही जिसका प्रभाव बुन्देल खण्ड क्षेत्र की स्त्री शिक्षा पर भी पड़ा ।

2– स्वतन्त्रता के पश्चात् उत्तर प्रदेश प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया परन्तु विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा पर कम ध्यान दिये जाने के कारण बुन्देल खण्ड क्षेत्र की स्त्री शिक्षा की गुणवत्ता पर भी काफी विपरीत प्रभाव पड़ा ।

1–एमफिल/एम० एड० स्तर पर किये गये शोध शीर्षक:-

एस०के० शुक्ला :-

एजुकेशन सर्वे ऑफ जौनपुर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 1950.

2–श्रीमती एस०आर० त्रिवेदी :-

ए सर्वे ऑफ एजुकेशन कन्डीशन्स ए.जी सटीग इन चन्दोसी आगरा विश्वविद्यालय 1950.

3–श्याम बाबू त्रिपाठी :-

फतेहपुर जनपद की शिक्षा की प्रगति, कानपुर विश्वविद्यालय 1970.

4–जय नारायण निरंजन :-

जालौन जिले की शिक्षा में प्रगति, कानपुर विश्वविद्यालय, 1971.

5–एम०एल० सक्सेना :-

एजूकेशन सर्वे ऑफ फर्रुखाबाद, कानपुर विश्वविद्यालय, 1980.

उपरोक्त शोध संपेक्षिकाओं तथा शोध शीर्षकों को देखने से स्पष्ट होता हैं कि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा हेतु जो भी शोध अभी तक सम्पन्न किये गये हैं, वह अधिकतर शिक्षा के सभी स्तरों हेतु सम्मलित रुप से किये गये हैं । दूसरा तथ्य जो इन शोध से सामने आया वह है कि इन सभी में पूरे देश की शिक्षा प्रणाली, शिक्षा नीति आदि का केवल क्रियान्वयन पक्ष ही देखा गया हैं । इसके साथ ही प्रादेशिक स्तर पर जो शोध हुए हैं उनमें भी शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा पर कम ध्यान दिया गया हैं ।

प्रस्तुत शोध की तार्किकता तथा पूर्व शोध से विभिन्नता :-

शोधकर्त्ता द्वारा जिस शोध शीर्षक को चुनकर शोध कार्य सम्पन्न किया गया हैं इस शीर्षक पर अभी तक किसी भी विश्वविद्यालय में कोई शोध सम्पन्न नही किया गया हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात् शिक्षा के विभिन्न स्तरों की गुणवत्ता तथा सांख्यिकीय अभिवृत्ति को

जानने के लिए जो शोध किये गये हैं उनमें सामान्यतः शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन किया गया है । उत्तर प्रदेश में शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर शोधकार्य अवश्य सम्पन्न हुये हैं परन्तु उसमें स्त्री शिक्षा, किसी विशेष क्षेत्र मंडल अथवा जिला स्तर पर ही शोधकार्य किये गये हैं । वर्तमान में जनसंख्या विस्फोट के साथ – साथ ज्ञान का विस्फोट भी हो रहा है अतः उत्तर प्रदेश जो कि जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है , उच्च शिक्षा (शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा) के बारे में विस्तृत जानकारी कर, इस क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यो, सरकारी नीतियों, यू. जी. सी. द्वारा उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी तथा उनका महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों में क्रियान्वयन आदि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पक्ष है। जिनका इस स्तर की दशा और दिशा दोनों पर ही प्रभाव पड़ता हैं ।

अतः उपरोक्त सभी पक्षो के बारे में एक शिक्षक समाज से जुड़ा हुआ अध्यापक होने के नाते शोधकर्ता के मन मे शिक्षक शिक्षा स्तर की विभिन्न समस्याओं के बारे में जानकारी कर उन पर शोध किये जाने की अभिलाषा जागृत हुयी और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये शोधकर्ता ने शोध हेतु (**उत्तर प्रदेश में स्नातक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षा का विकास और समस्याओं का आलोचनात्मक अध्ययन**) विषय को चुना ।

चतुर्थ अध्याय

पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा का स्थान

देश की आजादी मिलने के बाद भारत की स्वतंत्र सरकार द्वारा सर्वप्रथम विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को उच्च स्तर प्रदान किये जाने पर विचार किया गया जिसके परिणामस्वरूप उसने सर्व प्रथम राधाकृष्णन कमीशन (1949) का गठन किया तथा दूसरी ओर इस स्तर की शिक्षा के त्वरित विकास तथा गतिशील बनाने के उद्देश्य से देश की प्रगति के लिये बनायेजाने वाली पंचवर्षीय योजनाओं में भी पर्याप्त धन उपलब्ध कराने के साथ–साथ राज्यों को भी पूरा सहयोग दिये जाने की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया । इस हेतु उसने एक स्वतंत्र संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' का गठन किया जिसको इस स्तर की शिक्षा में सुधार हेतु पूरा अधिकार प्रदान किया गया, साथ ही यह भी सलाह दी गयी कि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में गुणवत्ता बनाने हेतु जिन बातो की आवश्यकता वह महसूस करती है, उसका प्राविधान संविधान में किये जाने हेतु समय–समय आवश्यक सुझााव प्रस्तुत करें । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) को इस स्तर पर शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षको का उचित वेतन तथा सेवाशर्तो का उत्कृष्ट बनाने का सुझाव देने का परामर्श भी दिया

देश में अभी तक आठ पंचवर्षीय योजनायें लागू हो चुकी है तथा नवीं योजना चल रही है। प्रस्तुत है विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा हेतु किये गये प्राविधानो पर एक दृष्टि :–

तृतीय पंचवर्षीय योजना :–

इस योजना अवधि में नये विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी । पांच नये विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी, जिसमें पंजाब में 2 तथा पश्चिम बंगाल में 3 विश्वविद्यालय शामिल है। वर्ष 1961–62 में विश्वविद्यालयों की संख्या 53 तक पहुँच गयी जबकि महाविद्यालयों की संख्या में 246 की वृद्धि हुई । वर्ष 1960–61 में इनकी संख्या 1537 थी जो वर्ष 1961–62 में 1783 हो गई ।

विज्ञान, कला तथा कामर्स संकायो में नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या वर्ष 1960–61 में 8.5 लाख थी जो वर्ष 1961–62 में बढ़कर 9.27 लाख हो गयी । वर्ष 1964–65 में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में नामांकन 15.28 लाख तक पहुँच गया । इस अवधि में कला, विज्ञान तथा कामर्स महाविद्यालय की संख्या 1050 से बढ़कर 1615 तक हो गयी । वर्ष 1960–61 में देश की कुल 45 विश्वविद्यालय थे जो वर्ष 1964–65 में बढ़कर 62 हो गये । महिलाओं के नामाकंन में पर्याप्त वृद्दि हुई। वर्ष 1963 में पी0 सर्प की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में केन्द्र की भागीदारी करने के उद्‌देश्य से एक समिति की गयी क्योकि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखे जाने के बाद भी विभिन्न राज्यो द्वारा आवश्यक सहयोग न दिये जाने के कारण इसके विकास में गतिरोध आ रहा था ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना :–

इस योजना के विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को दृढ़ता करने पर विशेष बल दिया गया तथा इन संस्थानो में पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाओं की व्यवस्था किये जाने पर जोर दिया गया । सम्बद्व महाविद्यालयों के स्तर को सुधारने के उद्‌देश्य से कुछ अच्छे महाविद्यालयों का चयन कर उन्हे शिक्षा सहायकों की सुविधा उपलब्ध करायी गयी । उच्च शिक्षा केन्द्रो के छात्रो को अधिक सुविधायें उपलब्ध कराने के साथ–साथ अन्य विश्वविद्यालयों

के विभागो को भी शिक्षा केन्द्रो में परिवर्तित करने का विशेष प्रयास किया गया ।

वर्ष 1963–64 में नामांकन 81..6 प्रतिशत था लेकिन वर्ष 1973–74 में बढ़कर 88.2 प्रतिशत हो गया । विश्वविद्यालयों में नामांकन की संख्या में काफी गिरावट आयी । वर्ष 1963–64 में 18.4 प्रतिशत नामांकन था परन्तु 1973–74 में वह 11.8 प्रतिशत ही रह गया ।

विभिन्न संकायों में नामांकन –

इस अवधि में सामान्य संकायो में नामांकन में काफी वृद्वि हुई जबकि प्रोफेशनल कोर्स के सम्बन्धित संकायों में काफी गिरावट आयी । कला संकाय में वर्ष 1963–64 में नामांकन 40.4 प्रतिशत था जो वर्ष 1973–74 में बढ़कर 44.6 प्रतिशत हो गया। विज्ञान संकाय में वर्ष 1963–64 में नामाकंन 25.7 था जो वर्ष 1973–74 में घटकर 20.7 प्रतिशत हो गया । वाणिज्य संकाय में वर्ष 1963–64 में नामांकन 15.6 प्रतिशत था जो वर्ष 1973–74 में घटकर 10.2 प्रतिशत ही रह गया ।

व्यावसायिक संकायों तथा शिक्षा संकाय में नामांकन की स्थिति वर्ष 1963–64 में 3.2 प्रतिशत थी जो वर्ष 1973–74 में बढ़कर 3.3 प्रतिशत तक पहुँच गया । दूसरी ओर इंजीनियरिंग तथा तकनीकी संकाय में नामांकन वर्ष 1963–64 में 8.11 प्रतिशत था जो वर्ष 1973–74 में घटकर 3.8 ही रह गया । विधि संकाय में वर्ष 1963–64 में नामांकन 5.8 था परन्तु वर्ष 1973–74 में यह प्रतिशत मात्र 4.6 ही पाया गया । कृषि तथा पशु चिकित्सा संकायो में वर्ष 1963–64 का नामांकन 3.1 से घटकर 1.4 हो गया ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना :–

इस योजना अवधि में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में गुणात्मक सुधार पर बल दिया गया । समाज के कमजोर और पिछड़े व्यक्तियोको उच्च शिक्षा की पर्याप्त

सुविधायें प्रदान किये जाने का प्रयास किया गया । इस योजना में पत्राचार पाठ्यक्रम, व्यक्तिगत प्रशिक्षण तथा सायंकालीन कक्षायें खोले जाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया।[1] शोध तथा परास्नातक स्तर की शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के ध्येय से उच्च शोध शिक्षा केन्द्रो की संख्या में भी वृद्धि की गयी । इस बात का प्रयास किया गया कि आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि की मांग 50 प्रतिशत नियमित, 20 प्रतिशत पत्राचार, 20 प्रतिशत सांयकालीन कक्षाओं एवं 10 प्रतिशत व्यक्तिगत शिक्षण द्वारा पूरी की जायें । इस योजनावधि में वर्ष 1974–75 में कुल नामांकन 23,66,541 था जबकि पूर्व वर्षो में यह 22,34,385 था । इस प्रकार इसमें 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई । वर्ष 1975–76 में इस स्तर पर नामांकन कराने वालों की संख्या 24,26,109 हो गयी तथा गत वर्ष के नामांकन से इसमें 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई । वर्ष 1976–77 में यह नामांकन बढ़कर 24,31,563 तक जा पहुँचा । परन्तु इस बार वृद्धि केवल 0.2 प्रतिशत तक हुई । वर्ष 1977–78 में नामांकन 25,64,972 हो गया तथा पिछले वर्ष से इसमें 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसी प्रकार वर्ष 1978–79 में भी 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा नामांकन संख्या 26,18,228 हो गयी जो गत वर्ष से 53,256 अधिक थी । इस योजनावधि में महिलाओ का नामांकन 595 हजार था जो कि 100 पुरूषो में 24 महिलाओं के समान था ।[2]

छठी पंचवर्षीय योजना :–

इस योजना तक विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में काफी विकास हो चुका था परन्तु अभी भी गुणात्मक सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, अतः

---

1. फिफ्थ फाइव ईयर प्लान (1974–79), प्लानिंग कमीशन, 1976, पेज – 76
2. एनुअल रिपोर्ट फार दि ईयर 1987–88, नई दिल्ली, यू0जी0सी0, 1988, पेज – 183

उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग पूर्ण रूप से ऐसी व्यवस्था से नही हो सका । बहुत से ऐसे महाविद्यालय थे जहाँ नामांकन में ठहराव आ गया था अथवा नामांकन मे निरन्तर कमी होती जा रही थी, इसे दूर करने के उद्‌देश्य से विशेष आर्थिक सहायता देकर, इन विद्यालयों में पर्याप्त शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर बल दिया गया इसके साथ ही साथ शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात छात्रों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने हेतु भी कई योजनाओं का निर्माण किया गया, इसके साथ–साथ स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम को पुनगठित करने तथा कार्यानुभव को इसमें जोड़ने हेतु भी काफी ठोस कदम उठाये गये ।

इस अवधि में महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में आवश्यक रूप से पुस्तकालयों को सुदृढ़ करने के उद्‌देश्य से ''बुक बैंक'' की सुविधायें छात्रों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी ।

सातवी पंचवर्षीय योजना :–

इस योजनावधि तक देश में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की संख्या में पर्याप्त वृद्वि हुई है। वर्ष 1983–84 में जहाँ देश में कुल 5246 महाविद्यालय थे वही वर्ष 1987–88 तक इनकी संख्या 6,597 तक पहुँच गयी ।

विभिन्न पाठ्यक्रम के महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या :–

(i) कला, विज्ञान तथा कामर्स महाविद्यालय :–

वर्ष 1983–84 में कला, विज्ञान तथा कामर्स महाविद्यालयों की संख्या 3758 थी जबकि वर्ष 1984–85 में यह बढ़कर 4004 हो गयी, वर्ष 1985–86 में यह संख्या 4,132 हो गयी थी । वर्ष 1986–87 में इसमें पुनः वृद्वि हुई तथा इनकी संख्या 4,354 तक जा पहुँची तथा वर्ष 1987–88 तक इस प्रकार के कुल महाविद्यालयों की संख्या 4,428 तक हो चुकी थी ।

(ii) तकनीकी/व्यावसायिक :–

वर्ष 1983–84 में देश में तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के महाविद्यालयों की संख्या 563 थी जबकि 1984–85 में इनकी संख्या 618 थी, वर्ष 1985–86 में इस संख्या में पुनः वृद्वि हुई तथा यह वढ़कर 655 हो गयी । वर्ष 1986–87 में यह संख्या 695 तथा 1987–88 में यह संख्या 719 तक पहुँच गयी थी ।

---

1. फाइव ईयर प्लान (1980–85), नई दिल्ली, प्लानिंग कमीशन, 198, पेज – 356–358.

तालिका क्रमांक – 1(1)

विभिन्न पाठ्यक्रमों के महाविद्यालयों की संख्या

अध्ययन का संकाय	कॉलेजों की संख्या				
	1995–96	1996–97	1997–98	1998–99	1999–00
कला,विज्ञान,कामर्स	3758	4004	4132	4354	4428
तकनीकी / व्यावसायिक	563	618	655	695	719
इंजीनियरिंग	119	223	242	253	257
चिकित्सकीय	286	303	320	342	361
कृषि	58	63	63	67	68
पशु चिकित्सा	28	29	30	33	33
विधि	186	194	199	202	204
शारीरिक / शिक्षा	391	430	441	479	470
ओरियन्टल लर्निंग	283	277	321	720	714
संगीत / कल	65	67	68	62	62
योग	5246	5590	5816	6512	5597

(ii) **इंजीनियरिंग** :–

वर्ष 1995–96 से लेकर वर्ष 1999–2000 तक इस प्रकार की संस्थाओं में निरन्तर प्रगति होती रही और 1995–96 में यह बढ़कर 4004 हो गयी, वर्ष 1996–97 में यह संख्या 4132 हो गयी जबकि वर्ष 1997–98 में इनकी संख्या 4.354 रही तथा वर्ष 1998–99 में इनकी संख्या 4,428 हो चुकी थी ।

1. एनुअल रिपोर्ट 1999–2000, नई दिल्ली, यू0जी0सी0, 2000

(iii) **चिकित्सकीय** :–

इस प्रकार की संस्थाओं की संख्या वर्ष 1983–84 में 286 थी, वर्ष 1984–85 में इनमें वढ़ोत्तरी हुई तथा यह 303 तक पहुँच गयी । वर्ष 1985–86 में इनकी संख्या 320 हो गयी तथा वर्ष 1986–87 में इनकी संख्या 342 थी तथा वर्ष 1987–88 में यह बढ़कर 361 तक हो गयी थी।

(i) **कृषि** :–

इस प्रकार की संख्याओं में भी वर्ष 1983–84 से लगातार वृद्वि हुई है। इस अवधि में इनकी संख्या 58 थी, वर्ष 1984–85 में इनकी संख्या 63 हो गयी जबकि वर्ष 1985–86 में यह 63 ही रही । परन्तु 1986–87 में यह बढ़कर 67 हो गयी तथा वर्ष 1987–88 में यह बढ़कर 68 हो गयी ।

पशु चिकित्सा :–

वर्ष 1983–84 में इस प्रकार की संस्थायें 28 थी जो वर्ष 1984–85, 1985–86, 1986–87 में क्रमशः 29, 30, 33 तथा 33 थी ।

(ii) **विधि, शारीरिक शिक्षा, ओरियेन्टल लर्निंग तथा संगीत कला महाविद्यालयः**–

इन महाविद्यालयों की संख्या में भी पर्याप्त वृद्वि हुई । वर्ष 1983–84 में इनकी संख्या क्रमशः 186, 391, 283, तथा 65 थी जो वर्ष 1987–88 में बढ़कर क्रमशः 204, 470, 714 तथा 62 तक पहुँच गयी ।

उच्च शिक्षा संस्थाओं के विभिन्न संकायों में छात्रे का नामांकन (1963–01) :–

वर्ष 1963–64 से वर्ष 2000–2001 तक विभिन्न संकायों में नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या में निरन्तर वृद्वि हुई है। वर्ष 1963–64 में नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या में निरन्तर वृद्वि हुई है। वर्ष 1963–64 में नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या अलग–अलग तालिका में दर्शायी गयी है। इस अवधि में कुल नामांकन 8,45,387 था जबकि 1973–74 में यह नामांकन 22,26,571 हो गया । वर्ष 1983–84 में यह नामांकन 33,07,649 हो गया जबकि वर्ष 1985–86 यह संख्या 35,70,897 तथा वर्ष 1991–92 में 37,56,067 जबकि 2000–01 तक यह संख्या 38,39,056 तक पहुँच गयी ।

विश्वविद्यालयो तथा सम्बद्व महाविद्यालयों में स्तरानुसार नामांकन (1983–84, 1987–88) :–

वर्ष 1983–84 में विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या 413,956 थी जबकि सम्बद्व महाविद्यालयों में यह वर्ष 1984–85 में 87.9 प्रतिशत थी । वर्ष 1985–86 यह 87.7 प्रतिशत रही तथा वर्ष 1987–88 में 87.7 प्रतिशत हो गयी ।

परास्नातक स्तर पर नामांकन विश्वविद्यालय में 15,7269 था तथा सम्बद्व महाविद्यालयों में 56.9 प्रतिशत था । वर्ष 1985–86 में 56.5 प्रतिशत तथा 1986–87 में 87. 7 प्रतिशत तथा वर्ष 1987–88 में भी 87.7 प्रतिशत ही रहा । अनुसंधान में पंजीकृत छात्रों की संख्या 35,664 थी । वर्ष 1986–87 में यह नामांकन 14.9 था तथा वर्ष 1987–88 में 15.0 था ।

डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वाली संस्थाओं में नामांकन कराने वाले छात्र शिक्षक शिक्षा स्तर पर 30,119 थे तथा महाविद्यालयों में 43.4 प्रतिशत रहा । वर्ष 1985–86 में यह घटकर 43.2 प्रतिशत रह गया । वर्ष 1986–87 में यह नामांकन 43.2 प्रतिशत था जबकि वर्ष 1987–88 में यह नामांकन पुनः बढ़कर 83.6 प्रतिशत तक पहुँच गया । इस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद विश्वविद्यालयों तथा सम्बद्व महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों तथा विभिन्न स्तरों पर नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या में भारी वृद्वि हुई है परन्तु गुणात्मक वृद्वि न होने के कारण शिक्षक शिक्षा का स्तर निरन्तर गिर रहा है। आवश्यकता है इसमें गुणात्मक सुधार करने की ।

शिक्षको की संख्या :–

वर्ष 1988–89 : इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षा की संख्या में 2.42 लाख की वृद्वि हुई । इनमें से 0.53 लाख शिक्षक विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालय कालेजो और शेष सम्बद्व कालेजो में अध्यापनरत थे ।

वर्ष 1987–88 : इस अवधि में विश्वविद्यालयो में अध्यापनरत 53165 शिक्षकों में 6273 प्रोफेसर, 13079 रीडर, 31580 प्रवक्ता और 2233 अनु शिक्षक, प्रदर्शनकर्ता थे जबकि इसी अवधि में सम्बद्व महाविद्यालयों में अध्यापनरत शिक्षकों की संख्या 188,808 थी जिनमें 24923 वरिष्ठ शिक्षक, 1.55.339 प्रवक्ता, 8.496 ट्यूटर तथा डिमोन्सट्रेटर शामिल है।

वर्ष 1986–87 : इस अवधि में विश्वविद्यालयों में अध्यापनरत शिक्षकों की संख्या 51,150 थी जबकि सम्बद्व महाविद्यालयों में अध्यापनरत शिक्षकों की कुल संख्या 183.238 थी ।

वर्ष 1985–86 : इस अवधि में विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या 49,008 थी जबकि सम्बद्व महाविद्यालयों में कुल अध्यापनरत शिक्षकों की संख्या 1,77,901 थी ।

वर्ष 1984—85 तथा 1983—84 :—

इन वर्षो में सम्बद्व महाविद्यालयों में अध्यापनरत कुल शिक्षकों की संख्या क्रमशः 1,72,719 तथा 1,69,641 थी जबकि इसी अवधि में विश्वविद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की संख्या क्रमशः 47,382 तथा 46,859 थी ।

1983—84 के पूर्व की शिक्षकों की संख्या में निरन्तर वृद्वि हो रही है और यह वृद्वि भारतीय उच्च शिक्षा की प्रगति का सूचक है।

शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा का स्तर अन्य सभी स्तरों की शिक्षा से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः इस स्तर के लिये, योग्य अनुभवी, परिश्रमी तथा लगनशील शिक्षकों की आवश्यकता है। अतः इन शिक्षकों का स्तर ऊँचा उठाने में जहाँ सरकार ने इनके वेतनमानों की वृद्वि की है वही दूसरी ओर इनकी भर्ती के लिए अखिल भारतीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित करके नियमित किये जाने का प्राविधान भी कया है। यह एक उचित कदम है तथा इस प्रक्रिया से देश को योग्य शिक्षक प्राप्त होगें ।

विश्वविद्यालयों और कालेजो के शिक्षकों के वेतनमान में संसोधन :—

वर्तमान में महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में अध्यापनरत शिक्षकों के वेतनमान संशोधित किये जाने की घोषणा केन्द्र सरकार ,द्वारा की गयी जिसे विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी तथा वर्तमान में विश्वविद्यालय शिक्षको के लिये निम्न वेतनमान लागू है :—

पदनाम		वेतनमान
प्रवक्ता	रू0	8500–275–13500
वरिष्ठ प्रवक्ता	रू0	10000–325–15200
रीडर / प्रवक्ता	रू0	12200–420–18300
प्रोफेसर	रू0	16400–450–20900–500–22400

नौकरियो को डिग्री से अलग करना :–

नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में नौकरियों में भर्तीके लिये विश्वविद्यालय डिग्री को अलग करने की प्रक्रिया को आसानी से लागू किये जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय परीक्षण सेवा की स्थापना की परिकल्पना की गयी है।

अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षकों की नियुक्तियां :–

देश के समस्त विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की देखरेख में अखिल भारतीय स्तर पर लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार द्वारा सुनिश्चित की गयी है ताकि इस स्तर की शिक्षा हेतु मेघावी तथा अनुभवी एवं योग्य व्यक्ति इस व्यवसाय में आगे आयें ।

आठवीं योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने हेतु निरीक्षण समितियां तथा नवी योजना के लिए आवश्यकतांए

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विशेषज्ञो और यू0जी0सी0 के अधिकारियों

की निरीक्षण समितियां बनाई है। इनका उद्देश्य आठवीं योजना अवधि के दौरान देश के सभी विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं द्वारा किए गए कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के लिए उनका दौरा करना तथा नवी योजना अवधि के दौरान उनकी आवश्यकताओं का निर्धारण करना है। इन समितियों ने फरवरी, 1977 से विश्वविद्यालयों का दौरा करना शुरू कर दिया है और यह सम्भावना है कि वे अप्रैल, 1997 के अंत तक अपना निरीक्षण कार्य पूरा कर लेगी ।

आठंवी योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा करने के लिए निष्पादन–सूचक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनेक सूचको का पता लगाया है जिनसे आठवी योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों के कार्य–निष्पादन की समीक्षा करने में सुविधा होगी । यह निर्णय लिया गया कि नवी योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालय को उसकी जरूरतो के आधार पर कुल योजनागत अनुदान को दो–तिहाई राशि आवंटित की जाएगी और एक–तिहाई राशि आठंवी योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के कार्य–निष्पादन के आधार पर दी जायेगी । कार्य–निष्पादन का निर्धारण निम्नलिखित सूचको के आधार पर किया जायेगा :–

1. **विश्वविद्यालय प्रबन्ध** :–

1. क्या आठवी योजना का लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया है या आंशिक रूप से ?
2. प्रत्येक मद के लिए आवंटित और इस्तेमाल की गई राशि, कार्यप्रगति तथा समस्याएं जो सामने आई ।

3. क्या विश्वविद्यालय गत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष 180 दिवस कार्यक्रम का अनुसरण कर रहा है।

4. क्या प्रति सप्ताह प्रति शिक्षक कार्यभार 40 घंटा है ?

5. क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमावली, 1991 के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है ?

6. क्या विश्वविद्यालय ने परियोजनाओं आदि के लिए किन्ही अन्य एजेंसियों से ऋण प्राप्त किया है ?

7. गत तीन वर्षो के दौरान हड़तालों के कारण नष्ट हुए कार्यदिवसो, यदि हो, की संख्या ।

8. क्या गत तीन वर्षो के दौरान पाठ्यचर्या विकास केन्द्र की रिपोर्टो के अनुसार पाठ्यक्रमो/विषयों में संशोधन किया गया है ?

9. विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पुस्तकों, शोधलेखो, मोनोग्राफो की संख्या ।

10. क्या शिक्षकों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष किया गया है तथा मूल्याकंन–विधि ।

11. किसी विदेशी विश्वविद्यालय के साथ सहयोग या सम्बन्ध ।

12. लागू किए गए परीक्षा–सुधार/परीक्षा पद्वति में संशोधन ।

13. दृश्य–श्रव्य तथा अन्य शिक्षण सहायक साधनो का प्रयोग ।

14. क्या शिक्षा की न्यूनतम शिक्षण स्तरों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानको का पालन किया जा रहा है ?

15. गत पांच वर्षो के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा सृजित किए गए अतिरिक्त संसाधन, यदि हो ।

16. लेखाओं की स्थिति अर्थात गत पांच वर्षो के दौरान आवंटित निधियों का उपयोग किस प्रकार किया गया ?

17. पुस्तकालय की पुस्तको,/पत्रिकाओं/पत्र–पत्रिकाओं आदि की संख्या ।

18. कितने प्रतिशत स्टाफ क्वाटर उपलब्ध है ?

19. लागू किए गए अंतविद्याशाखा पाठ्यक्रम, यदि हो ?

2. विशेष कार्यक्रम :–

विश्वविद्यालय में विभागो की संख्या जिन्हे "सेप", यूसिक/कार्सिस्ट, कोहस्सिप/कोसिप, पर्यावरण शिक्षा/उदीयमान क्षेत्रों/व्यावसायिक शिक्षा जैसे कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से निधियां प्राप्त हुई ।

3. छात्र निष्पादन :–

प्रवेश स्तर पर गत शैक्षिक रिकार्ड के मुकाबले विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षाओं में छात्रो का निष्पादन ।

4. पूर्व–स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रो की संख्या

5. संकाय के अनुसार शिक्षकों की संख्या ।

6. शिक्षक–छात्र अनुपात ।

7. संकाय–निष्पादन :–

1. उन शिक्षको की संख्या जिनके पास पी–एच0डी0 डिग्री है ।

2. उन शिक्षको की संख्या और प्रतिशतता जिन्होने गत तीन वर्षो के दौरान अभिविन्यास पाठ्यक्रमो तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भाग लिया था ।

3. उन शिक्षको की संख्या और प्रतिशतता जिन्होने गत तीन वर्षो के दौरान राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/परिचर्चाओं/कार्यशाला में भाग लिया ।

4. उन शिक्षको की संख्या जो 30 जून 1996 को अनुसंधान परियोजनाओं में काम कर रहे थे।

5. संकाय द्वारा निकाले गये प्रकाशन यथा–पाठ्यपुस्तकें, मोनोग्राफ, लेख, अनुसंधान/तकनीकी रिपोर्ट आदि ।

6. गत तीन वर्षो के दौरान सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम/विश्वविद्यालय विनिमय कार्यक्रम के अधीन विदेशी विश्वविद्यालयों में या उनके द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए शिक्षको की संख्या ।

7. 30 जून 1996 को उन संकाय सदस्यो की संख्या और प्रतिशतता जो व्यावसायिक/अकादमिक संस्थाओं में काम कर रहे थे ।

8. उन वर्तमान शिक्षकों की संख्या जिनके पास डी0एसी0सी0 डिग्री है या जिन्होने ज्ञानपीठ/पद्मश्री/भटनागर/हरिओम आश्रम/आई0एन0एस0ए0 आदि पुरस्कार प्राप्त किए है ।

9. उन शिक्षको की संख्या जिन्होने अध्ययन/विश्राम छुट्टी ली है।

10. कैम्पस में शिक्षको द्वारा व्यतीत किए गए घंटे ।

8. सुविधावंचित वर्गो के लिए सुविधाए :–

1. विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित दूरस्थ शिक्षा तथा अनुवर्ती शिक्षा कार्यक्रम, यदि हो, इनमें प्रौढ़ शिक्षा तथा महिला अध्ययनों की योजनाएं भी शामिल है।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गो के लिए विशेष अभिविन्यास कार्यक्रम, यदि आयोजित किए गए हो ।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए अनुशिक्षण कक्षायें, यदि आयोजित की गई हो ।

विश्वविद्यालयों द्वारा संसाधन जुटाव योजना के लिए संशोधित मार्गनिर्देश

विश्वविद्यालयों द्वारा संसाधन जुटाने के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सन् 1995 में एक योजना शुरू की थी जिसके अंतर्गत उन विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन के रूप में 25 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है जो आंतरिक साधनो से निधियां जुटाते है । आयोग ने हाल में इस योजना के संशोधित मार्गदर्शन अनुमोदित किए है जिसके अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संसाधन जुटाने के वास्ते वर्ष 1996–97 के लिए सहायता प्रदान करेगा । ये मार्ग–निर्देश नीचे दिए जा रहे है :–

वर्ष 1995–96 के दौरान विश्वविद्यालयों द्वारा जुटाए गए संसाधनो के हेतु वर्ष 1996–97 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता योजना (संसोधित मार्गदर्शन)

1. राष्ट्र के विकास में शिक्षक शिक्षा की भूमिका स्वंयसिद्व है । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गत चार दशकों के दौरान भारत में शिक्षक शिक्षा का तेजी से विस्तार हुआ है। विस्तार की दृष्टि से भारतीय शिक्षक शिक्षा प्रणाली का स्थान विश्व में कदाचित दूसरा है। विश्वविद्यालयों का मुख्य कार्य अद्यन ज्ञान का प्रसार, अनुसंधान के द्वारा नए ज्ञान का सृजन और विस्तार शिक्षा के माध्यम से विश्वविद्यालयों एवं समुदायों के बीच सार्थक एवं सत्त सौहार्द को बढ़ावा देना है । ज्ञान का तेज विस्तार तथा विज्ञान एंव प्राधौगिकी की अभूतपूर्व प्रगति हुई है। लेकिन

विश्वविद्यालयों के लिए अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों की वजह से समाज की बदलती हुई जरूरतो को पूरा करना कठिन हो रहा है । विश्वविद्यालयों के लिए वित्त उपलब्ध कराने से सम्बन्धित मामला वास्तविक चिन्ता का विषय है और उसके सम्बन्ध में विभिन्न मंचो पर चर्चा की जा रही है । इस बात का उत्तरोत्तर अनुभव किया जाता रहा है कि उच्च शिक्षा का विशाल तंत्र मात्र सरकार (राज्य या केंद्रीय) द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनो पर ही निर्भर नही रह सकता । इसे विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा । इसे अपने संसाधन–आधार का विस्तार करना होगा और विश्वविद्यालयों को इसके लिए प्रयास करना होगा कि समाज शिक्षक शिक्षा प्राप्त करें ।

भारत की महानपरम्परा रही है कि यहाँ शिक्षा को मानव प्रेमियो का संरक्षण प्राप्त होता रहा है । प्राइवेट व्यक्तियों तथा स्वेच्छिक संगठनों द्वारा की गई पहल के परिणामस्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अवधि के दौरान अनेक शिक्षक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की गई । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थिति बदल गई और आजकल अधिसंख्य उच्च शिक्षाओं को वित्तीय संसाधनों के लिए सरकार पर ही निर्भर रहना पड़ता है । शिक्षक शिक्षा को सहायता प्रदान करने की पद्वति प्रायः समाप्त होती जा रही है । शिक्षक शिक्षा को सहायता प्रदान करने की परम्परा को पुनः लागू करने और विश्वविद्यालयों के विकास में समाज की सहभागिता की प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ये मार्गनिर्देश तैयार किए है।

2. योजना का उद्देश्य :–

क विश्वविद्यालयों को उनके विकास में समाज की सहभागिता/योगदान द्वारा संस्थान जुटाने के लिए प्रोत्साहित करना ।

ख विश्वविद्यालय विकास में समाज की सहभागिता के लिए प्रक्रिया तैयार करना ।

ग विश्वविद्यालय विकास के लिए समाज से प्राप्त किए जाने वाले संसाधनों को प्रोत्साहित करना तथा बढ़ाना ।

घ उन विश्वविद्यालयो को प्रोत्साहन उपलब्ध कराना जो अपनी विकास गतिविधियों में समाज की सहभागिता प्राप्त करते है ।

3. योजना प्रक्रिया :–

विश्वविद्यालय ऐसे वाहय संसाधनों का जुटाव भारतीयो या अनिवासी भारतीयो, भूतपूर्व छात्र संघ , सार्वजनिक और परिवार न्यासो, औद्योगिक/व्यापार घरानों, सहकारी समितियों, व्यावसायिक संघो, कर्मचारियों की यूनियनों/संघो, नगर–पालिकाओं/पंचायतों की सहभागिता/योगदान से कर सकते है और उसका उपयोग पैरा 3.1 में उल्लेखित अनवती मदों के लिए या समग्र निधि सृजित करने के लिए कर सकते है।

3.1 विश्वविद्यालय विकास की मदें –

विश्वविद्यालय विकास में अनेक मदें सम्मिलित है लेकिन इस योजना के अंतर्गत समाज की सहभागिता के लिए निम्नलिखित मदें ही शामिल है :–

1. भवन निर्माण (कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, छात्रावास, निदानशालाएं आदि)
2. पुरानी इमारतो का नवीनीकरण

3. उपस्करों की खरीद

4. पुस्तकों तथा पत्र–पत्रिकाओं की खरीद

5. छात्र/स्टाफ सुविधाएं (कैटीन, खेल का मैदान, व्यायामशाला आदि)

6. संस्था की गतिविधियों के लिए समग्रनिधि का विकास

7. विद्यार्थी छात्रवृत्तियों के लिए समग्रनिधि का विकास

8. परियोजनाओं के लिए सीधा निधोयन या समग्र–निधि (कार्पेस) का विकास करके विस्तार गतिविधियों, संगोष्ठियों/वर्कशाप अनुसंधान का विकास ।

9. पीठो की स्थापना

10. अनुसंधान तथा विस्तार कार्य सहित नवाचार एवं अकादमिक कार्यक्रम ।

3.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का योगदान :–

3.2.1 इस योजना के अंतर्गत केवल उन विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को निधिया उपलब्ध कराई जा सकती है जो वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 12 बी के अधीन शमिल किए गए है और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या राज्य सरकार से योजनेतर अनुदान प्राप्त कर रहे है/रही है । इस योजना के अंतर्गत के अंतविश्वविद्यालय केन्द्र भी निधियां प्राप्त करने के पात्र है जिनकी स्थापना वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 12 (सी0सी0सी0) के अधीन की गई है।

3.2.2 विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करने तथा उनको उनके प्रयासो के लिए पुरस्कृत करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन विश्वविद्यालयों को जो वाहय संसाधन जुटाने में सफल रहे है, गत वर्ष अर्थात 2000–01 में प्राप्त अंशदान के आधार पर वर्ष 2001–02 के लिए अंशदान देगा ।

3.2.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह निर्णय भी लिया है कि विश्वविद्यालयों द्वारा वस्तुरूप यथा भूमि और भवनो के रूप में प्राप्त दानराशि पर भी विचार किया जाए । लेकिन किसी सक्षम प्राधिकारी को यह प्रमाणित करना चाहिए कि भूमि और भवन के मूल्य का सही अनुमान लगाया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा दान के रूप में प्राप्त भूमि और भवनो के मूल्य का निर्धारण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / लोक निर्माण विभाग या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा किया जा सकता है और अनुमानित लागत के प्रमाणपत्र पर विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी और कुल सचिव को विधिवत हस्ताक्षर करने चाहिए । प्रमाण पत्र पर लो0नि0वि0 / लो0नि0वि0 का वह कोई भी सक्षम अधिकारी हस्ताक्षर कर सकता है जिसका ओहदा अधीक्षक इंजीनियर से कम न हो ।

3.2.4 जहाँ तक दानरूप में प्राप्त उपस्करों का सम्बन्ध है, इस योजना के अधीन उपस्कर लागत मूल्य का ध्यान में रखा जाना चाहिए और केवल नए उपस्करो को दान रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए । उसी प्रकार दान रूप में प्राप्त पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के लिए भी उनके मूल्य को ध्यान रखा जाना चाहिए और केवल नई पुस्तको और पत्रिकाओं को ही दान रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए । पुरानी पुस्तकों एंव दस्तावेजो को केवल उसी स्थिति में दानरूप में ग्रहण करना चाहिए जब उन्हे किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दुर्लभ पुस्तकों आदि के रूप में प्रमाणित किया गया हो ।

3.2.5 वाहय संसाधन जुटाव के अंतर्गत उस राशि पर भी विचार किया जा सकता है जो अध्येतावृत्तियो / छात्रवृत्तियों / पीठो (समग्रनिधि के रूप में नही बल्कि वार्षिक अनुदान के रूप में) प्राप्त की गई है।

3.2.6 विश्वविद्यालय अनुदान आश्रम का अंशदान विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अंशदान के 25 प्रतिशत तक रहेगा लेकिन इसकी अधिकतम राशि रू0 25 लाख होगी । रूपए 25 लाख से अधिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बराबर के शेयर पर इस योजना के अधीन उपलब्ध निधियों पर निर्भर करते हुए विचार किया जा सकता है। लेकिन यह तभी किया जायेगा जब सभी निलंबित प्रस्तावो पर विचार कर लिया जाएगा ।

3.2.7 जिन विश्वविद्यालयों ने ऐसी निधियां प्राप्त कर ली है वे अपने प्रस्ताव प्रत्येक 30 नवम्बर तक भेज सकते है और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसी दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्णय ले सकते है कि उक्त निधियां वास्तव में पहले ही प्राप्त कर ली गई हैं । निधियां प्राप्त करने के मात्र आश्वासनों पर विचार नही किया जायेगा ।

3.2.8 इस योजना के लिए विश्वविद्यालय एक समग्र–निधि सृजित करेगा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त अनुदान को इसमें रखा जायेगा । इस समग्र–निधि से जो ब्याज प्राप्त होगा उसका उपयोग विश्वविद्यालय उपर्युक्त पैरा 3.1 में निर्दिष्ट किसी भी मद पर कर सकता है।

4.0 लेखाओ का रख–रखाव –

विश्वविद्यालयों द्वारा प्राप्त की गई निधियों के लिए लेख रखें जायेगें और उनकी परीक्षा विश्वविद्यालय के सविधिक लेख–परीक्षकों द्वारा की जायेगी । विश्वविद्यालय को एक उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिस पर विश्वविद्यालय के कुल सचिव तथा वित्त अधिकारी के विधिवत हस्ताक्षर होगे और उसकी पुष्टि में कार्यकारणी परिषद/अभिषद् (सिंडीकेट) का इस आशय का संकल्प संलग्न किया जाएगा कि विश्वविद्यालय अनुदान से उक्त प्रोत्साहन के रूप में जो अनुदान प्राप्त हौ उसे समय–निधि (बैक/वित्तीय संस्था का

नाम) में डाल दिया गया है और इससे जो ब्याज अर्जित किया गया है उसका उपयोग विश्वविद्यालय से उपर्युक्त पैरा 3.1 में निर्दिष्ट मदों पर उसके विकास के लिए कर लिया है / करेगा ।

नवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उच्च शिक्षा के विकासार्थ मुख्य कार्यक्रम

योजना आयोग ने विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कार्यदल की नियुक्ति की थी जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के लिए 9वी योजना का मसौदा तैयार करना था । इसमें तकनीकी और प्रबन्ध शिक्षा तथा मुक्त विश्वविद्यालय शामिल नही है । इनके लिए पृथक समितियां नियुक्त की गई थी । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्ष ने देश के सभी कुलपतियों को एक पत्र (अशा0प0सं0 7–2 / 16 सीपीपी दिनांक 2 दिस0 1996) भेजा जिसमें 9वी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उच्च शिक्षा के विकास के लिए मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा दी गई थी । नीचे उसके मुख्यांश दिए जा रहे है :–

नवी योजना उस समय शुरू हुई है जब विश्व और विशेष रूप से भारत में महान सामाजिक, आर्थिक एवं प्रौद्योगिकीय परिवर्तन हो रहे है । इस प्रक्रिया का प्रभाव राष्ट्र की केवल बाजार अर्थव्यवस्था पर ही नही बल्कि उच्च शिक्षा के सम्पूर्ण प्रणाली पर पड़ेगा । उच्च शिक्षा प्रणाली का देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहभागिता के लिए स्नातक तैयार करने होगें तथा ऐसे सांस्कृतिक पर्यावरण एवं लोकाचार का सृजन करना होगा जिसको संजोए रखना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी भी ऐसा परिवर्तन लाने में सहायक सिद्व हो रही है और शिक्षा प्रणाली की संरचना, प्रबन्ध और उसको प्रदान

किए जाने की विधि पर भी उसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा । अतः विश्वविद्यालय/संस्थानो द्वारा तैयार की गई नवी योजना में हम यह देखना चाहेंगें कि वर्तमान विभागो की संख्या में वृद्वि करने की परम्परा से हटाया जाए और उन विकास कार्यक्रमों के लिए अधिक से अधिक योजनागत निधियां आवंटित की जाएं जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए आवश्यक है तथा राष्ट्रीय विकासात्मक प्राथमिकताओं पर पूर्णतः ध्यान दिया जाए (साथ ही ग्राम विकास पर भी जोर दिया जाना चाहिए) । इसकी निधियों का उपयोग राष्ट्र के लिए योगदान, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली तथा उसके अपने विकास पर किया जाना चाहिए ।

विश्वविद्यालय विकास में कार्य दल द्वारा सुझाए गए निम्नलिखित क्षेत्रो पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए :–

1. शिक्षा की प्रासंगिकता एवं गुणता
2. पहुँच एवं साम्या (ईक्विटी)
3. विश्वविद्यालय तथा सामाजिक परिवर्तन
4. शिक्षा प्रबन्ध
5. वित्त

योजनागत मुख्य क्षेत्रे की रूपरेखा नीचे दी जा रही है :–

1. प्रांसगिकता एवं गुणताः :–

पूर्व–स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में छात्रों के लिए व्यावसायिक विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा । यह तभी संभव हो सकेगा जब इस प्रकार के पथप्रदर्शक नए पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं जिनमें व्यावसाय पर पूरा ध्यान दिया गया हो

या वर्तमान विभाग के पारम्परिक पाठ्यक्रमों में तरमीम करें उनको व्यवहार–प्रधान बनाया गया हो। इसके आधार पर छात्र रोजगार, स्वरोजगार प्राप्त कर सकेंगें या परिवार अथवा स्थानीय समुदाय के पारंपरिक व्यवसाय में सुधार हो सकेगा लेकिन इसका अर्थ यह नही है कि विश्वविद्यालय/संस्थान किसी विषय का बुनियादी सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करने के अपने उत्तरदायित्वि से मुक्त हो जायेगा बल्कि ऐसा ज्ञान किसी विषय के प्रचालनात्मक पक्ष के निहितार्थ से जुड़ा होना चाहिए । सैद्धांतिक व्यावहारिक पक्ष को किसी विषय का अभिन्न अंग बनाए जाने पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए । पारंपरिक पाठ्यक्रमों से भी यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि छात्रों को नियमित रूप से क्षेत्र कार्य में लगाया जाए ताकि वे व्यावहारिक (हैंड्सआन) अनुभव प्राप्त कर सकें ।

शिक्षा के व्यावसायिक अभिविन्यास तथा कार्यस्थल पर वास्तविक व्यावहारिक (हैंड्सआन) अनुभव पर नवम्बर 1995 में मणिपाल में आयोजित यू0जी0सी0–ए0आई0यू0 सम्मेलन में चर्चा गई थी ।

इसके अतिरिक्त, दुर्भाग्यवश शिक्षा के गिरते हुए स्तर पर छात्रो, अभिभावकों, समाज एवं सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से गहरी चिंता व्यक्त की जाती रही है। हमें आशा है कि विश्वविद्यालय/संस्थान/कालेजो की 9 वीं योजना के दौरान कार्यक्रमों के मात्रात्मक विस्तार के अपेक्षाकृत उनके गुणात्मक विकास पर अधिक जोर देगी ।

यद्यपि ऐसे अनेक विश्वविद्यालय/संस्थान और कॉलेज हैं। जो शिक्षा के लिए उत्कृष्ट योगदान कर रहे है, लेकिन अन्य ऐसे भी हैं, जिनकी विभिन्न कारणों से आलोचना की जा रही है। अब समय आ गया है जब निश्पादन को पुरस्कृत किया जाना

चाहिए ताकि विश्वविद्यालय/संस्थान अपने कार्यक्रमों का स्तर ऊँचा करते हुए उनमें गुणात्मक सुधार कर सकें अतएव, विकास अनुदान की एक तिहाई राशि विश्वविद्यालय द्वारा किए गए निष्पादन के लिए दी जाएगी । इस प्रयोजन के लिए एक निष्पादन मूल्यांकन प्रोफार्मा तैयार कर लिया गया है। जिसका प्रयोग विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा स्व–मूल्यांकन के लिए किया जाऐगा। इसी के आधार पर निरीक्षण समितियां विचार–विमर्श तथा उसका अंतिम रूप देगी ।

2. पहुँच एवं साम्या (इक्विटी) :–

दूसरी और क्षेत्रीय असंतुलनो के कारण कार्यदल ने देश के पिछड़े क्षेत्रो, पहाड़ी क्षेत्रो तथा सीमावर्ती इलाको मे स्थित विश्वविद्यालय/संस्थानो तथा कॉलेजो और उन वर्गो पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है जो अभी विश्वविद्यालय–शिक्षा की मुख्य धारा में पूरी तरह सम्मिलित नहीं हो पाए हैं यथा–महिलाए, आरक्षित वर्ग, अल्पसंख्यक तथा विंकलांगो विश्वविद्यालयो/संस्थानो के उन विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रस्तावो पर विशेष ध्यान दिया जायेगा जिनका उद्देश्य उपर्युक्त वर्गो को शामिल करना तथा उक्त क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालय/संस्थान एवं कालेजो के गुणात्मक सुधार पर विशेष जोर देना है।

3. विश्वविद्यालय/संस्थान तथा सामाजिक परिवर्तन

चूंकि हमारे समाज में परिवर्तन हो रहे हैं अतः यह आशा की जाती है कि विश्वविद्यालय भी गैर डिग्री वाले कार्यक्रमों पर अधिक जोर देंगें । इन कार्यक्रमों में

शामिल है उन लोगो के लिए अनवरत शिक्षा जो अपने ज्ञान की अद्यतन करने या नये कौशल सीखने के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं तथा उन लोगों के लिए विस्तार कार्यक्रम जो साधारणतया विश्वविद्यालय में नही पढ़ पाएंगें । इसके अतिरिक्त अब समय आ गया है जब विश्वविद्यालय/संस्थान को सामाजिक जरूरतों पर अधिक प्रासंगिकता प्रदर्शित करनी चाहिए तथा विस्तृत क्षेत्रीय गतिविधियां सुविधावंचित लोगों तक पहुँचकर अपने सार्वजनिक समर्थन को वैध रूप देना चाहिए । यद्यपि अनवरत तथा विस्तार शिक्षा तथा क्षेत्रीय कार्यकलापों के लिए विश्वविद्यालयों के प्रौढ़ शिक्षा विभागों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है, साथ ही सामाजिक परिवर्तन संबधी कार्य शुरू करने के लिए प्रत्येक विभाग की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह इन गतिविधियों प्रारम्भ करें । जहाँ तक महिला अध्ययनों का संबघ है, विश्वविद्यालयों को यह सलाह दी जाती है कि वे विकास योजनाओं में पदो को भी शामिल कर लें क्योकि इस योजना के अधीन मुख्यतः कार्यक्रम विकास के लिए ही महिलाओं के अध्ययनार्थ निधियां आंवटित की जाएगी । अनुमान है कि ये पद सामान्य अवधि के दौरान राज्य सरकारों की सहमति से नियमित हो जाएंगे और केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं के मामले में इन्हे अगली योजना के अनुरक्षण अनुदान में शामिल कर लिया जाएगा । बहरहाल विश्वविद्यालय में वर्तमान अप्रयुक्त पदों का उपयोग भी किया जा सकता है। ऐसे विभागों को अनिवार्यतः अंतविषयक होना चाहिए और उनका अध्यक्ष ऐसा कोई प्रोफेसर/रीडर होना चाहिए जिसे महिला अध्ययनों के क्षेत्र में शिक्षण और/या अनुसंधान अनुभव तथा अन्य विस्तार/ क्षेत्र कार्य का अनुभव प्राप्त हो ।

4. उच्च शिक्षा प्रणाली का प्रबन्ध :–

विश्वविद्यालय प्रबन्ध प्रणाली को सरल एंव कारगर बनाने को

समर्थन मिलेगा वशर्ते कि उसे विश्वविद्यालय के विकास प्रस्ताव में शामिल किया जाए । विकास प्रस्तावों में शामिल किये गये अकादमिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय विकेन्द्रीकरण तथा विश्वविद्यालय/संस्थान के विभागों की स्वायत्ता में वृद्वि करने के कार्य औ संबद्व कालेजों/संस्थाओं को स्वायत्ता, शिक्षणेत्तर स्टाफ के इन हाउस प्रशिक्षण पदों के भौवतीकरण तथा प्रबन्ध में सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तामान प्रयोग का समर्थन किया जायेगा । विश्वविद्यालय द्वारा अपने कॉलेजो पर ध्यान केन्द्रित करने के कार्य का समर्थन किया जायेगा । इसमें कॉलेज विकास परिषद की स्थापना कॉलेज प्रिंसपलों के लिये कार्यशालाएं तथा उच्च एवं निम्न स्तरों विशेषतः विश्वविद्यालय में स्थिति क्षेत्र में गुणात्मक विकासपेक्षी कॉलेजो तथा स्कूल के साथ सम्पर्क स्थापित करना शामिल है।

5. संसाधन जुटाना :-

विश्वविद्यालय आंतरिक तथा वाहय संसाधन जुटाने के लिये अपनी योजना प्रस्तुत कर सकता है, यथा पाठ्यक्रम के स्वरूप पर आधारित विभेदक फीस संरचना तथा छात्र की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि विकसित करना, विदेशी छात्रो की फीस वृद्वि करना तथा अन्य निधियां जिनका प्रयोग विश्वविद्यालय करना चाहता है । इसमें उद्योग के साथ विशिष्ट अन्योय क्रिया तथा बाह्‌य निर्वाचन के अन्य रूप शामिल है।

उ0प्र0 में उच्च शिक्षा का विकास :-

वर्तमान वैज्ञानिक युग में उद्योगों, व्यवसायों, सामाजिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने में उच्च शिक्षा का अपना अलग ही महत्व है । शिक्षा जगत के बदलते आयाम तथा उच्च शिक्षा के परिवर्तित स्वरूप की दृष्टि से उच्च शिक्षा की नीतियों में परिवर्तन

न केवल आवश्यक है, वरन कतिपय क्षेत्रों मे उच्च शिक्षा की आवश्यकता की अनुभूति परिलक्षित होने लगी है।

विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों की संख्यात्मक वृद्धि :-

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व उत्तर प्रदेश में मात्र 2 केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं 3 राज्य विश्वविद्यालय तथा 16 महाविद्यालय संचालित थे । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात प्रदेश में उच्च शिक्षा का तीव्रता से विकास हुआ जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में 21 विश्वविद्यालय तथा 5 विश्वविद्यालय 1 इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय 3 कृषि विश्वविद्यालय 14 सामान्य शिक्षा प्रदान कर रहे प्रदेशीय विश्वविद्यालय तथा एक विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने हेतु डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ है। जिसकी स्थापना वर्ष 1980 में प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्तरीय शोध तथा शिक्षा एंव प्रौधोगिकी के बीच समन्वयक स्थापित करके ज्ञान विज्ञान की परिधि में नये आयाम जोड़ते हुए के अनुरूप शिक्षा के स्वरूप की विकसित करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान के निर्माता महान समाज सुधारक एवं विचारक डॉ0 भीमराम अम्बेडकर की पुण्यस्मृति में की गयी थी इस विश्वविद्यालय का स्वरूप ऐकिक आवासीय रखा गया है । केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है । प्रदेश के विश्वविद्यालय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रथम विश्वविद्यालय का गौरव प्राप्त है । प्रदेश के समस्त महाविद्यालय किसी न किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्व /सहयुक्त है ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात विश्वविद्यालयों की संख्या में यद्यपि पर्याप्त वृद्वि हुई है । परन्तु देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले इस प्रदेश में समुचित उच्च शिक्षा

उपलब्ध कराना वर्तमान विश्वविद्यालयों की क्षमता के बाहर है । सीमित वित्तीय साधनों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा नये विश्वविद्यालयों की स्थापना किया जाना निकट भविष्य में प्रतीत नही होता है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या में तीव्रता से वृद्वि हुई है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व उत्तर प्रदेश में जहाँ केवल 16 महाविद्यालय थे इस समय (1994—95) प्रदेश में कुल 487 महाविद्यालय है । जिनमें अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या 419 है। शासकीय महाविद्यालयों की संख्या 68 है । जिनमें से 27 उत्तराखण्ड में तथा 41 मैदानी क्षेत्रो में स्थित है।

शासकीय महाविद्यालयो की स्थापना वर्ष 1948 में रामपुर स्टेट का भारत राज्य में सम्मिलित होने के फलस्वरूप रामपुर में संचालित महाविद्यालय के प्रान्तीयकरण से हुई, बाद में वर्ष 1951 में दो शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गयी जिनमें से एक नैनीताल व दूसरा वाराणसी जनपद में ज्ञानपुर स्थान पर खोला गया । ठाकुर देवसिंह विष्ट राजकीय महाविद्यालय, नैनीताल की स्थापना मं उस क्षेत्र के तत्कालीन जमीदार एवं लकड़ी के व्यवसायी ठाकुर देवसिंह विष्ट ने नैनीताल में एक पब्लिक स्कूल की भूमि, भवन तथा छात्रावास क्रय करके महाविद्यालय की स्थापना हेतु शासन को दान दिया जबकि ज्ञानपुर में तत्कालीन काशीनरेश (रामनगर स्टेट) ने अपनी सम्पत्ति से लगभग 62 एकड़ कृषि खुर्शीद मंजिल भवन तथा अन्य भवन महाविद्यालय हेतु दिये तथा इस महाविद्यालय का नाम काशी नरेश महाविद्यालय रखा गया । प्रारम्भ में शासन द्वारा अन्य अशासकीय महाविद्यालयों की तुलना में इन दोनो शासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों को उच्च वेतनमान दिया गया तथा

इन अध्यापकों का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया । पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग 15 वर्षो तक ज्ञानपुर एक मात्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय रहा । इसी प्रकार ठाकुर देवसिंह विष्ट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रहा । इसी प्रकार ठाकुर देवसिंह विष्ट राजकीय स्नतकोत्तर महाविद्यालय नैनीताल भी उत्तराखण्ड में कई वर्षो तक एक मात्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय रहा । इन दोनो महाविद्यालयों में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में स्नातकोत्तर स्तर तक कक्षाओं का संचालन एंव शोधकार्य सम्पादित किये गये । इस शताब्दी के छठे दशांक से अन्य शासकीय महाविद्यालय खोलने का क्रम आरम्भ हुआ और अब इनकी संख्या 68 है । जिनमें से केवल 7 महिलाओं के लिए है । अधिकांश शासकीय महाविद्यालय उत्तराखण्ड एवं शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रो में है।

उत्तर प्रदेश मे उच्च शिक्षा संस्थाओं की विभिन्न वर्षो में स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है।

उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों की संख्या

तालिका का क्रमांक 2(1)

वर्ष	विश्वविद्यालय	विश्ववि0 समकक्ष संस्थायें	महाविद्यालय		
			पुरूष	महिला	क्षेत्र
1950–51	6	.	34	6	40
1960–61	9	.	108	20	128
1970–71	19	2	276	76	352
1990–91	25	2	330	88	418
1993–94	28	5	360	127	487
2000–01	18	5	580	178	758

वर्ष 1946–47

इस अवधि में उ0प्र0 में कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 20 थी जबकि जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों की संख्या 13 थी । इसी अवधि मे माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या

शिक्षा की प्रगति बर्ष 2000–2001 शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद

05 थी परन्तु प्रदेश में कुल 5 विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा हेतु स्थापित थे । जबकि पूरे देश में कुल 16 विश्वविद्यालय कार्यरत थे । जिनमें 14 महाविद्यालय पुरूषों की तथा 2 महाविद्यालय महिलाओं की शिक्षा हेतु स्थापित किये गये थे ।

वर्ष 1950–51 :–

इस अवधि में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 32 थी जबकि जूनियर हाईस्कूल विद्यालयो की संख्या 13 थी। हाईस्कूल तथा इण्टर स्तर तक की शिक्षा विद्यालयों मे प्रदान की जा रही थी जबकि उच्च शिक्षा हेतु केवल 6 विश्वविद्यालय थे। जबकि इस अवधि मे देश मे कुल 27 विश्वविद्याालय स्थापित है। जिनमें 34 पुरूष महाविश्वद्यालय तथा 6 महिला महाविश्व–विद्यालय थे।

वर्ष 1960–61 –:

आजादी के लगभग 15 वर्षो बाद की इस अवधि में उच्च शिक्षा की संख्याओ मे कुछ वृद्वि दृष्टिगोचर हुई तथा विश्वविद्यालयों की संख्या 5 से बढकर 09 तक पहॅुच गई जबकि पूरे देश मे यह बढकर 45 हो गयी। लेकिन दूसरी ओर प्राथमिक ,जूनियर हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजो की संख्या भी क्रमशः 40,43,2 तक हो गयी । उच्च शिक्षा हेतु 108 पुरूष तथा 20 महिला महाविद्यालय थे।

वर्ष 1970–71 :–

इस अवधि तक उच्च शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु विश्वविद्यालयों की संख्या 11 तक पहॅुच गई जबकि देश मे यह बढकर 86 हो गयी दूसरी ओर प्राथमिक जूनियर हाईस्कूल तथा इण्टर कॉलेजो की संख्या क्रमशः 62,09,3.4 तक पहॅुच गई जिनमें 276 पुरूष तथा 76 महिला महाविद्यालय शामिल है।

वर्ष 1980—81 :—

इन वर्षो मे विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा हेतु प्रदेश सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये गये तथा छात्रो को बेहतर उच्च शिक्षा मिल सके, इस हेतु प्रदेश मे 8 नये विश्वविद्यालय स्थापित किये गये इस प्रकार प्रदेश मे कुल विश्वविद्यालयों की संख्या बढकर मात्र 19 तक पहुँच सकी जबकि देश मे यह संख्या बढकर 127 तक हो गयी । इसी अवधि इण्टर कॉलेज,जूनियर हाईस्कूल तथा प्राथमिक विद्यालयो की संख्या क्रमशः 52, 14 , 71 तक पहुँच गई। इसके साथ साथ उच्च शिक्षा हेतु 298 पुरूष तथा 86 महिला महाविश्वविद्यालय स्थापित किये गये।

वर्ष 1993—94 :—

देश मे नई शिक्षा नीति प्रारम्भ किये जाने का प्रभाव उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा पर भी पड़ा और सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को दृष्टिगत रखते हुये 09 और विश्वविद्यालयो को स्थापित किया। इस प्रकार कुल 28 विश्वविद्यालय प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे थे। जबकि पूरे देश मे इनकी संख्या बढकर 203 हो गयी। इसी अवधि मे इण्टर कालेजो, जूनियर हाईस्कूल तथा हाईस्कूल तथा प्राथमिक विद्यालयो की संख्या क्रमशः 7,16 तथा 80 तक पहुच गयी। इस अवधि मे उच्च शिक्षा हेतु 360 पुरूष तथा 127 महिला महाविश्व विद्यालय मिलाकर कुल महाविद्याालय की शिक्षा बढकर 487 तक पहुच गयी। उपरोक्त तालिका से स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि संख्यात्मक दृष्टि से उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाये उस अनुपात मे नही थी जैसी कि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा हेतु स्थापित थी।

वर्ष 2000–2001 :–

इस अवधि में हाईस्कूल तथा इण्टर स्तर तक की शिक्षा विद्यालयो मे प्रदान की जा रही थी जबकि उच्च शिक्षा हेतु केवल 18 विश्वविद्यालय थे। जिनमें 580 पुरूष महाविश्वद्यालय तथा 178 महिला महाविश्व–विद्यालय थे।

इसी प्रकार वर्ष 1946–47 में जहॉ प्रदेश में कुल 16 महाविघालय उच्च शिक्षा हेतु स्थापित थे इस वर्ष 2000–2001 में बढकर 580 तक हो गयी।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि महिला महाविघालयां की स्थापना हेतु सरकार ने प्रयास किया इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1946–47 मे जहॉ संख्या मात्र 2 महिला महाविद्याालय थे वहीं वर्ष 2000–2001 मे इनकी संख्या बढकर लगभग 178 तक पहॅुच गयी।

परन्तु संख्यात्मक विकास की यह गति उ0प्र0 जैसे बडे राज्य के लिये अत्यन्त ही धीमी है।

<u>उत्तर प्रदेश में शिक्षक शिक्षा स्तर की विद्यार्थियो का नामंकन</u>

विश्व की जनसंख्या के सापेक्ष भारत वर्ष की जनसंख्यात्मक वृद्वि जिस रफ्तार से निरन्तर बढ़ी हैं । उस अनुपात में बच्चों तथा युवकों को शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध कराना भी सरकार का उत्तरदायित्व हैं । यद्यपि संविधान में सबके लिए शिक्षा उपलब्ध कराना शैक्षिक सुविधाओं को उच्च स्तर का बनाना तथा विद्यालयों तथा महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शैक्षिक महौल दूषित न हो, आदि कुछ ऐसे तथ्य है जिनका सीधा सम्बन्ध विद्यार्थियों के नामांकन से है । विशेष रूप से जब उच्च स्तर की शिक्षा की बाढ़ आती है तो हमारा ध्यान छात्रों के नामांकन के साथ–साथ उनके रोजगार की सुविधाओं से जुड़ जाता है । देश में नई शिक्षा 1986 के लागू होने के बाद डिग्री स्तर की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव यह

आया । शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 करने की अवधि दो वर्ष तथा एम0एड0 करने की अवधि एक वर्ष निर्धारित की गयी है।

वर्ष 1950 — 51 :—

स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रारम्भिक वर्षो में शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा ग्रहण करने वाले लड़को की संख्या 1058 थी जबकि 410 लड़कियाँ अध्ययनरत थी इस प्रकार कुल विद्यार्थी विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे जिनका कुल योग 1568 था ।

वर्ष 1960—61 :—

इस अवधि में विश्वविद्यालयों में नामाकिंत 3269 लड़के और 1163 लड़कियों की कुल संख्या तक पहुँच गयी जिनमें लड़के तथा लड़कियाँ थी । जिनकी कुल संख्या 4442 थी ।

वर्ष 1970—71 :—

इन वर्षो में अध्ययन हेतु पंजीकृत विश्वविद्यालय लड़को की संख्या 906 तथा 734 लड़कियों की संख्या थी । जबकि महाविद्यालयों में अध्ययनरत लड़के और लड़कियों की संख्या क्रमशः 3332 तथा 4316 थी जबकि दोनो स्तरों पर कुल संख्या क्रमशः 4238 तथा 5162 थी ।

वर्ष 1980 — 81 :—

इस अवधि में महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन हेतु पंजीयन लड़के और लड़कियों की कुल संख्या क्रमशः 7647 तथा 5206 थी जबकि अलग—अलग यह संख्या क्रमशः 10876 तथा 1974 थी ।

वर्ष 1990–91 –

इस अवधि में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत लड़के और लड़कियों की कुल संख्या क्रमशः 2274 तथा 12792 थी तथा अलग–अलग क्रमशः 1282 तथा 292 और 7352 तथा 5440 थी ।

वर्ष 2000 – 01 :–

इस अवधि में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत लड़के और लड़कियों की कुल संख्या क्रमशः 2514 तथा 14111 थी तथा अलग–अलग क्रमशः 1422 तथा 1092 और 8263 तथा 5848 थी ।

स्वतन्त्रता के पश्चात एक और जहाँ देश में शिक्षक शिक्षा को नयी दिशा प्रदान करने हेतु राधाकृष्णन कमीशन (1949) द्वारा की गयी संस्तुतियों को आधार बनाया गया वही दूसरी मुदलियर कमीशन (1952) में की गयी माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु की गयी संस्तुतियों को भी ध्यान में रखा गया परन्तु शिक्षा आयेाग 1964–66 में पूरी की पूरी शिक्ष व्यवस्था को परिवर्तित किये जाने की नीति तथा 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू किये जाने की सम्भावना के परिणाम स्वरूप देश में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में ठहराव आ गया तथा शिक्षकों और छात्रो के बीच शैक्षिक समन्वय न होने पाने के कारण शैक्षिक गति में ठहराव सा आ गया ।

नई शिक्षा नीति 1986 में एक बार पुनः कोठारी आयोग की संरचना स्वीकार कर इसे इक्कीसवी सदी हेतु तैयारी किये जाने की संज्ञा दी गयी ।

विभिन्न वर्षो में उत्तर प्रदेश में शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा की नीति का क्रियान्वयन पाठ्यक्रम का निर्माण तथा शिक्षण की विधियों का परिपक्व न हो पाना इस बात का द्योतक हे

कि सरकार ने इस स्तर की शिक्षा हेतु कोई उचित प्रयास करना उचित नही समझा जिसका परिणाम यह हुआ कि छात्रों की संख्या, विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों की संख्या में संख्यात्मक वृद्वि तो देखने को मिली परन्तु गुणात्मक वृद्वि का पूरा आभाव रहा ।

उत्तर प्रदेश की शिक्षा हेतु बजट

कोई भी नीति तभी लागू की जा सकती है जबकि उसके क्रियान्वयन हेतु आवश्यक विषय सामग्री, शिक्षक तथा अन्य उपकरण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, इन सबकी व्यवस्था तभी सम्भव है जब इन सबके लिए बजट की उचित व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाये । वैसे तो केन्द्र द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से अनेक वित्तीय सहायताएं समय–समय पर उपलब्ध करायी जाती है । परन्तु इनसे किसी राज्य की उच्च शिक्षा की दिशा परिवर्तित नही की जा सकती । इसें सड़ी गली तथा प्राचीन और परम्परागत रूप से चल रही उच्च शिक्षा की दशा में मामूली सुधार अवश्य किया जा सकता है ।

सरकार द्वारा बजट में शिक्षा के लिए जो धनराशि आवंटित की जाती है वह अधिकतर शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन पर ही खर्च हो जाती है। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों का शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उन्हे भली भांति सुचारू रूप से चलाने के लिए हमेशा धन का अभाव आड़े आ जाता है । स्वतन्त्रता के बाद से अब तक इस स्तर की शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में बजट जो प्राविधान किया गया है। वह कुछ इस प्रकार है :–

पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश में शिक्षक शिक्षा पर होने वाला व्यय और प्रतिशत कुल शिक्षा व्यय के सापेक्ष :–

1. तृतीय पंचवर्षीय योजना :–

इस योजना अवधि में शिक्षा पर खर्च हेतु लगभग 3 गुना वृद्वि किये जाने से कुल धन बढ़कर 5471 लाख तक पहुँच गया जिसके साथ–साथ पूर्व योजना के सापेक्ष शिक्षक शिक्षा पर खर्च की धनराशि बढ़कर 172 लाख से बढ़कर 494 लाख तक हो गयी जो कि पूर्व योजना राशि से लगभग 4.5 गुना अधिक थी परन्तु इसका प्रतिशत घटकर 11 प्रतिशत रह गया जबकि पूर्व योजना में यह 12 प्रतिशत रखा गया था ।

2. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना :–

पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं की अपेक्षा इस योजना में शिक्षा पर होने वाला व्यय में काफी गिरावट आयी जिसका मुख्य कारण शिक्षक शिक्षा हेतु नयी योजनाओं को प्रस्तावित न किया जाना तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान पर आश्रित होना प्रतीत होता है । इस अवधि में कुल शिक्षा बजट 5701 लाख रूपये थी जबकि उच्च शिक्षा हेतु मात्र 638 लाख रूपये प्रस्तावित थे जो कि पूर्व योजना के लगभग बराबर अर्थात 11 प्रतिशत मात्र थी ।

3. पांचवी पंचवर्षीय योजना :–

जहाँ एक ओर तृतीय और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के मध्य शिक्षा बजट में ज्यादा वृद्वि नही की गयी थी वही इस योजना में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा पर बजट की राशि 9404 लाख रखी । जिसमें शिक्षक शिक्षा हेतु 1264 लाख रूपये का निर्धारण किया गया जो कि कुल प्रस्तावित धनराशि का लगभग 14 प्रतिशत था तथा पिछली योजना के सापेक्ष लगभग 3 प्रतिशत अधिक था ।

तालिका कमांक 3 (1)

उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा पर होने वाला व्यय और प्रतिशत कुल शिक्षा व्यय के सापेक्ष (रूपये लाख में)

क्र0सं0	योजनावधि	उच्च शिक्षा पर व्यय	प्रतिशत	कुल व्यय
1.	प्रथम पंचवर्षीय योजना	43	3	1807(100)
2.	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	172	12	1431 (100)
3.	तृतीय पंचवर्षीय योजना	494	11	4471 (100)
4.	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	638	11	5701 (100)
5.	पांचवी पंचवर्षीय योजना	1264	14	9404 (100)
6.	छठवी पंचवर्षीय योजना	2992	14	21483 (100)
7.	सांतवी पंचवर्षीय योजना	1825	6	26199 (100)
8.	आठंवी पंचवर्षीय योजना	2154	10	214971 (100)

4. छठवी पंचवर्षीय योजना :–

इस अवधि में कुल शिक्षा बजट में लगभग ढाई गुना वृद्वि की गयी तथा बजट हेतु स्वीकृति धनराशि लगभग 21483 रूपया थी जबकि उच्च शिक्षा पर खर्च किये जाने हेतु

1. उत्तर प्रदेश की शिक्षा सांख्यिकी राज्य शिक्षा संस्थान उ0प्र0 इलाहाबाद वर्ष 1994–95 पृष्ठ सं0 102–103

पिछली वर्ष की तुलना में 2 गुनी से भी अधिक कर दी गयी परन्तु इस स्तर पर खर्च होने वाला पूर्व योजना की तरह 14 प्रतिशत ही रखा गया ।

5. सातवी पंचवर्षीय योजना :–

इस पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित बजट का इस दृष्टि से अत्यन्त महत्व था कि नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा संरचना में +2 के स्थान पर +3 स्तर को क्रियान्वित किया जाना था परन्तु इसके बावजूद जहां शिक्षा पर होने वाले कुल बजट को बढ़ा दिया गया, 98 शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा के बजट को लगभग आधा कर दिया । छठी योजना के यह वजट 14 प्रतिशत निर्धारित था परन्तु इस योजनावधि के लिए यह घटाकर मात्र 7 प्रतिशत ही कर दिया गया इसके साथ ही जहाँ शिक्षा कुल बजट 26199 लाख था वही शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा का बजट मात्र 1825 रूपया था जो अब तक की योजनाओं का सबसे कम था ।

6. आठवी पंचवर्षीय योजना :–

यह योज़नावधि विशेष रूप से काफी महत्वपूर्ण थी क्योकि नई शिक्षा नीति 1986 का सम्पूर्ण क्रियान्वयन इसी अवधि में किया जाना था परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार एक बार पुनः केन्द्र सरकार की दया दृष्टि पर ही उच्च शिक्षा का विकास करने का अपना विचार स्पष्ट करती है। और इसका शिक्षा प्रसार निर्धारित कुल बजट 2149710 लाख में से मात्र 2154 लाख रूपये शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा को आवंटित करके प्रदर्शित करती है। जो कि कुल शिक्षा बजट का मात्र 10 प्रतिशत ही है ।

वर्ष 2001 – 02 की उच्च शिक्षा हेतु प्रस्तावित योजनाओं में से महत्वपूर्ण योजनाओं का विवरण

किसी राष्ट्र का सामाजिक और आर्थिक उत्थान शिक्षा के विकास पर ही निर्भर है । शिक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति का प्रभाव सामाजिक, आर्थिक तथा राष्ट्रीय विकास के क्षेत्रो में मुखरित होता है।

वर्ष 1997–98 से नवी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हो गई है। इस योजना में प्रस्तावित योजनाओं को निम्नलिखित आठ प्रमुख शीर्षको में वर्गीकृत किया जा सकता है :–

क्रम संख्या	मुख्य शीर्षक
01	निदेशन एवं प्रशासन
02	विश्वविद्यालयों को सहायता
03	राजकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय
04	अशासकीय महाविद्यालयों को सहायता
05	छात्रवृत्तियां
06	उच्च शिक्षा संस्थान
07	अन्य व्यय
08	विद्यार्थियो हेतु युवा कल्याण कार्यक्रम

उच्च शिक्षा विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक उ0प्र0 शासन आय–व्ययक 2001–02 पृ0सं0 65

वर्ष 2001–2002 में उच्च शिक्षा के अन्तर्गत चल रही मुख्य योजनाओं का विवरण :–

1. विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान एंव मैचिग शेयर :–

इस योजनान्तर्गत राज्य द्वारा विश्वविद्यालयों के सर्वोन्मुखी तथा गुणात्मक विकास हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाता है । नयी योजनाओं हेतु यू0जी0सी0 द्वारा स्वीकृत शेयर एवं राज्य द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए भी अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शत–प्रतिशत आधार पर उपकरण, पुस्तकालय एंव क्रीड़ा सुविधा हेतु प्लान सीलिंग के अन्तर्गत अनुदान दिया जाता है । अतः इन मदों के लिए राज्य सरकार द्वारा भी अनुपूरित अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2001–02 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत अनुदान के प्रति मैचिंग शेयर ग्राण्ट के लिये रूपया 120.00 लाख का प्राविधान है।

2. डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना :–

शासन द्वारा ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया, जो कि उच्च स्तर के शोध, शिक्षक तथा उद्योग धन्धो के मध्य सामंजस्य स्थापित कर सकें एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्नातकोत्तर स्तर के शिक्षण एवं शोध सुविधा प्रदान करें । इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लखनऊ में डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है। यह एक आवासीय विश्वविद्यालय है । इस विश्वविद्यालय को भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है।

3. नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना :–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नवीन संस्थाओं की स्थापना के बजाय विद्यमान संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया गया है । किन्तु उच्च शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए तथा असेवित क्षेत्रों में नवीन राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। वेतनादि हेतु रू0 599.27 लाख का आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2001–02 में किया गया है।

4. वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण एवं भवनो का निर्माण :–

इस योजनान्तर्गत वर्तमान में संचलित राजकीय महाविद्यालयों में गुणात्मक सुधार हेतु अतिरिक्त स्टाफ तथा प्रयोगशाला, उपकरणों, पुस्तको एवं फर्नीचर आदि के क्रय आवश्यकतानुसार अनुदान स्वीकृत किया जाता है । सुदृढ़ीकरण के लिये वर्ष 2001–02 में रूपये 89.03 लाख का प्राविधान है।

वर्तमान में प्रदेश में 102 राजकीय महाविद्यालय है भवन निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध न होने के कारण 6 महाविद्यालयों के पास अपना कोई भवन नही है तथा 44 महाविद्यालयों हेतु भवन निर्माणाधीन हे। भवन की सुचारू व्यवस्था न होने के कारण विकास बाधित है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001–02 में रू0 651.00 लाख का प्राविधान है।

5. वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों एवं गैर सरकारी महाविद्यालयों को यू0जी0सी0 मैचिंग शेयर एवं अन्य विकास कार्यो के लिए अनुदान :–

इस योजनान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत किया जाता है । इस योजना हेतु वर्ष 2001–02 में रू0 10.00 लाख का प्राविधान है।

6. गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता (पुरूष/महिलाएं) :–

सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों का सृजन शासन द्वारा किया जाता है । जिसके वेतनादि का भुगतान इस योजना के अन्तर्गत किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2001–02 में इस योजनान्तर्गत रू0 200.00 लाख का प्राविधान है।

7. सम्मेलनों एवं संगोष्ठी में भाग लेने हेतु अनुदान :–

इस योजनानतर्गत विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को अन्तराष्ट्रीय सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों में भाग लेने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना हेतु वर्ष 2001–02 में रू0 5.00 लाख का आय–व्ययक अनुमान है।

8. राज्य उच्च शिक्षा परिषद का गठन :–

विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा के संस्थानों में मानकीकरण तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना का क्रियान्वयन एंव निरन्तर समीक्षा द्वारा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा परिषद के गठन की परिकल्पना की थी

तदनुसार परिषद का मुख्य लक्ष्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्थिर गुणवत्ता, मानकीकरण तथा प्रदेश के विश्वविद्यालय के बीच सभी क्षेत्रो में विकास तथा सुदृढ़ीकरण की एकरूपता को अक्षुण्ण बनाये रखना है। इस योजना हेतु वर्ष 2001–02 में रू0 10.00 लाख का आय–व्ययक अनुमान है।

9. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना :–

उत्तर प्रदेश एक विशाल राज्य है। पूरे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की उच्च शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को समान रूप से सभी वर्गो के लिए उपलब्ध कराना कठिन है। वर्तमान में स्थित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा प्रदेश की पूरी जनसंख्या विशेषकर अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग, छोटे–छोटे रोजगार एवं सेवारत कर्मचारी तथा प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना कठिन है इस परिस्थिति से निपटने के लिए दूरस्थ शिक्षा एक मात्र विकाल्प है। उक्त के लिए वित्तीय वर्ष 2001–02 में रू0 200.00 लाख का आय–व्ययक अनुमान है।

10. असेवित विकास खण्डो में नये अशासकीय महाविद्यालयों की स्थापना :–

नयी शिक्षा नीति के अन्तर्गत असेवित तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डो में राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त अनुदान की सहायता से अशासकीय महाविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2001–02 में रू0 200.00 लाख का आय–व्ययक अनुमान है ।

शिक्षा का कोई भी स्तर हो, शिक्षा दिये जाने का स्थान भी हो, शिक्षा की नीति कितनी

ही अच्छी हो, इन सबको एक सूत्र में बांधकर क्रियान्वित करने का मुख्य सूत्रधार शिक्षक ही है। यद्यपि उच्च शिक्षा का स्तर एक ऐसा चरम बिन्दु है जहाँ पहुँचकर छात्र–छात्रा स्वयं बहुत कुछ कर गुजरने का मन बना लेता है । परन्तु जब तक उसे सही दिशा का ज्ञान न कराया जाये तब तक वह अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसकर दिशाहीन बनकर अपने मन और मस्तिष्क को केन्द्रित करने में असमर्थ ही रहेगा ।

इस दृष्टि से विश्वविद्यालय तथा"महाविद्यालयों में शिक्षक को नियुक्ति किया जाना सरकार का नैतिक उत्तर दायित्व भी बनता है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात देश में शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा हेतु जो सुझाव राधाकृष्णन कमीशन (1949) तथा शिक्षा आयोग (1964–66) ने सुझाये थे उनका पूरी तरह पालन न होने के कारण ही शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आयी है और इसका मुख्य कारण अयोग्य शिक्षकों की विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर पर नियुक्ति किया जाना है।

यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के बाद इस स्तर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं निर्धारित कर दी गयी थी जिनके निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश में भी शिक्षकों की नियुक्तियां इन्ही शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर की जानी चाहिए भी परन्तु शिक्षा में राजनीति करण की प्रक्रिया इतनी प्रभावी हो गयी है कि किसी न किसी कारण से इनमें निरन्तर शिथिलता आती जा रही है।

वर्ष 1976 में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिक्षकों की जो न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की गयी है वह निम्न प्रकार है।

1. आवेदक का शैक्षिक अभिलेख अत्याधिक उच्च स्तर का होना चाहिए, अर्थात उस

2. परास्नातक परीक्षा में न्यूनतम 54 प्रतिशत अंक (बी) प्राप्त किये हो ।

3. एम0फिल0, पी–एच0डी0 अथवा स्वतन्त्र रूप से शोध करने की क्षमता रखता हो ।

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अधिकांश महाविद्यालय निजी प्रबन्धन द्वारा संचालित है जहाँ शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार भी इन्हे प्राप्त था जिसका दुरूपयोग कर किसी न किसी रूप में इनके द्वारा करके अयोग्य शिक्षको की नियुक्ति की गयी । क्योकि चयन समिति जिसमें विषय विशेषज्ञ भी शामिल है, को यह अधिकार दिया गया था कि अगर वह समझती है कि आवेदक का शोध कार्य अत्यन्त उच्च स्तर का है तो वह किसी भी उपरोक्त शैक्षिक योग्यता में शिथिलता दे सकती है।

यह कारण है कि प्रबन्धन में अपनी इच्छानुसार जिसे चाहा उसे उच्च स्तर का बनवा दिया और नियुक्तियां हो गयी । परन्तु इस सबके बाबजूद प्रदेश के महाविद्यालयों में लगातार हो रही अनियमितताओं तथा शिक्षकों की अपर्याप्त नियुक्तियों को देखते हुये उत्तर प्रदेश सरकार ने महाविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु (उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग) का गठन किया जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में बनाया गया । इस आयोग को महाविद्यालय में प्राचार्य तथा प्रवक्ता पदों पर नियुक्ति का अधिकार सौपा गया । इस हेतु आयोग में एक अध्यक्ष तथा कई सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया । परन्तु यह आयोग भी पर्याप्त मात्रा के शिक्षकों की नियुक्ति करने में अपने को असमर्थ पा रहा है । क्योकि यहाँ भी राजनीतिकरण की प्रक्रिया प्रभावी है। पैसे में ही सरकार बदलती है, आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य भी बदल दिये जाते है और नियुक्तियां खटाई में पड़ जाती है जिसका प्रतिकूल प्रभाव शैक्षिक प्रक्रिया पर पड़ता है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद प्रदेश के महाविद्यालयों में शिक्षको की संख्या विभिन्न वर्षो में कुछ इस प्रकार रही ।

वर्ष 1950–51 :–

इन वर्षो के जो आंकड़े प्राप्त हुये है उनके अनुसार शिक्षक शिक्षा स्तर की संस्थाओं में कुल 20 शिक्षक अध्यापनरत थे जिनमे पुरूषो की संख्या 13 तथा महिलाओं की संख्या 7 दूसरी ओर महाविद्यालयों में शिक्षण कर रहे कुल शिक्षकों की संख्या 9 थी जिनमें 8 पुरुष और 1 महिला थी ।

वर्ष 1960–61 :–

इस अवधि में पूर्व वर्षो की अपेक्षा शिक्षकों की संख्या में लगभग दूनी वृद्वि हुयी विश्वविद्यालय स्तर पर कुल 45 अध्यापक अध्यापन कर रहे थे जिनमें पुरूषो की संख्या 25 तथा महिलाओ की संख्या 20 जबकि महाविद्यालयों में अध्यापन हेतु नियुक्त शिक्षको की संख्या 28 पुरूष तथा 2 महिलायें शिक्षक थी ।

वर्ष 1970–71 :–

इन वर्षो में शिक्षण कर रहे शिक्षक शिक्षा स्तर के पुरूष तथा महिला शिक्षकों की संख्या 66 तक पहुँच गयी जबकि अलग–अलग देखा जाय तो यहां महिला शिक्षक 11 और 55 पुरूष । महाविद्यालय स्तर पर कुल शिक्षकों की संख्या 51 जिनमें 44 पुरूष तथा 7 महिलायें थी ।

वर्ष 1980—81 :—

यदि इस अवधि में शिक्षक शिक्षा स्तर पर शिक्षण कर रहे शिक्षकों की संख्या 120 थी जिनमें 93 पुरूष तथा 27 महिलायें शिक्षक थी इन्ही वर्षो में महाविद्यालय में अध्ययनरत महिला शिक्षकों की संख्या 76 तथा पुरूषो की संख्या 22 थी ।

वर्ष 1990—91 :—

आंकड़ो को देखने से पता चलता है कि इस अवधि के वर्षो में गत वर्षो की तुलना में काफी कम वृद्वि हुयी । पुरूष शिक्षक विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में क्रमशः 10 और 76 थे तथा महिला शिक्षक क्रमशः 23 और 6 थी । जबकि इन दोनों संख्याओं में कार्यरत कुल शिक्षक क्रमशः 85 और 29 थें

वर्ष 2000—01 :—

आंकड़ो को देखने से पता चलता है कि इस अवधि के वर्षो में गत वर्षो की तुलना में काफी कम वृद्वि हुयी । पुरूष शिक्षक विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में क्रमशः 20 और 88 थें तथा महिला शिक्षक क्रमशः 99 और 31 थी । जबकि इन दोनो संख्याओं में कार्यरत कुल शिक्षक 130 थें ।

उच्च शिक्षा का व्यय का प्रतिशत कुल शिक्षा व्यय बजट के सापेक्ष

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहाँ जनसंख्या वृद्विं का प्रतिशत निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। विश्वविद्यालय / शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रयत्नरत विद्यार्थियों की संख्या में वृद्वि होना स्वाभाविक ही है । परन्तु इस वृद्वि के सापेक्ष हमे देखने से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण शिक्षा बजट की तुलना में उच्च शिक्षा बजट में कोई अतिरिक्त अथवा उल्लेखनीय

वृद्धि नही की गयी । सम्बन्धित तालिका से निम्न वर्षो का तुलनात्मक पक्ष उजागर हो जाता है।

वर्ष 1950–51 :–

इस अवधि में सम्पूर्ण बजट का मात्र 1.10 भाग उच्च शिक्षा हेतु रखा गया जो कि कुल शिक्षा बजट का 8 प्रतिशत था तथा सम्पूर्ण राज्य की आय का मात्र 04 था ।

वर्ष 1960–61 :–

इन वर्षो में सम्पूर्ण बजट का 0.85 प्रतिशत भाग उच्च शिक्षा पर खर्च हेतु प्रस्तावित हुआ जो शिक्षा बजट का केवल 6.9 प्रतिशत तथा राज्य की आय का 0.07 प्रतिशत मात्र ही था ।

वर्ष 1970–71 :–

इस अवधि में होने वाला उच्च शिक्षा व्यय सम्पूर्ण बजट का 1.67 प्रतिशत तथा कुल शिक्षा बजट का 9.7 प्रतिशत था जबकि राज्य की आय का कुल 15 प्रतिशत भाग था ।

वर्ष 1980–81 :–

इन वर्षो में शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा हेतु राज्य की आय का मात्र 0.23 प्रतिशत बजट रखा गया जो कि सम्पूर्ण बजट का 2.03 तथा शिक्षा के कुल बजट का 8.1 प्रतिशत था

वर्ष 1990–91 :–

इस अवधि में उच्च शिक्षा बजट राज्य की कुल आय 0.26 प्रतिशत तथा सम्पूर्ण बजट का 2.01 प्रतिशत था जो कि शिक्षा बजट का मात्र 9.95 प्रतिशत था ।

शिक्षा विभिन्न शीर्षको के लिए बजट (रू0 लाख में) :–

उ0प्र0 में सन् 1951 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या में 10.77 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर थे, जिनमें महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत उ0प्र0 में काफी कम है । भारत सरकार के कार्यक्रमों के साथ उ0प्र0 सरकार द्वारा निरक्षरता उन्मूलन हेतु शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों का शुभारम्भ किया गया तथा शिक्षा के ऊपर लाखों रूपयों का व्यय किया गया तथा प्रारम्भिक स्तर पर 1960–61 में 539 लाख तथा 1970–71 में 31.67 लाख, 1980–81 में 16465 लाख 1985–86 में 32025 लाख 1992–93 में 32025 लाख 1993–94 से 32025 लाख माध्यमिक स्तर 1960–61 में 23710 लाख 1992–93 में 23710 लाख 1993–94 में 23710 लाख का बजट था विश्वविद्यालय स्तर पर 1960–61 में 144 लाख 1970–71 में 466 लाख 1980–81 में 3204 लाख 1985–86 में 5978 लाख 1992–93 5978 लाख 1993–94 में 5978 लाख बजट था । ट्रेनिंग केन्द्रो के लिए 1960–61 में 10 लाख 1970–71 में 30 लाख 1980–81 में 3204 लाख 1985–86 में 5978 लाख 1992–93 में 30 लाख 1993–94 में 30 लाख अन्य कार्यो के लिए 1960–61 में 305 लाख 1970–71 में 130 लाख 1980–81 में 3204 लाख 1985–86 में 5678 लाख 1992–93 में 320.25 लाख 1993–94 में 23710 लाख का बजट था ।

प्राविधिक शिक्षा के लिए 1960–61 में 305 लाख 1970–71 में 1301 लाख 1980–81 में 319 लाख 1985–86 में 642 लाख 1992–93 में 32025 लाख 1993–94 में 23710 लाख का बजट था । क्रीड़ा एवं युवक कल्याण के लिए 1960–61 में 305 लाख 1970–71 में 1301 लाख 1980–81 में 278 लाख 1985–86 में 537 लाख 1992–93 में 1993–94 में बजट था । सामान्य शिक्षा 1960–61 में शून्य था 1970 – 71 में, 1980–81 में 0.24 लाख 1985–86 में 0.24 लाख 1992–93 तथा 1993–94 में शून्य था । एक मुश्त प्रावधान 1960–61 में अप्राप्त था 1970–71

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम बार्षिक बजट प्राक्कलन और व्यय

भारतीय शिक्षा का विकास एवं सामाजिक प्रवृत्तियां डा0 एल0 बी0 वाजपेयी – दि इण्डिया हैन्ड बुक 1997

शिक्षा के विभिन्न शीर्षको के लिए बजट

शीर्षक	1960–61	1970–71	1980–81	1983–84	1985–86	2000–01
1	2	3	4	5	6	7
शिक्षा						
1– प्राथमिक	56927	316714	1646506	3391662	3202469	–
2– माध्यमिक	33610	182428	944430	1583152	2371014	
3– विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज	11362	46036	320386	430408	597822	–
4– ट्रेनिंग	983	2994	–	–	–	–
5– अन्य	30474	130079	–	–	–	–
6–विशेष शिक्षा			31942	47007	64244	–
7– प्राविधिक शिक्षा	–	–	–	–	–	–
8– क्रीड़ एवं युवक कल्याण	–	–	27759	47793	53771	–
9– सामान्य शिक्षा	–	–	24	24	24	–
10– एक मुश्त प्राविधान	–	–	214824	–	–	–
11–कला एवं संस्कृति	–	–	160	160	160	–
12– अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	–	–	26974	26974	31331	–
13– मंत्रि परिषद				150	150	
14– माध्यमिक शिक्षा	–	–	–	–	–	19059496
15– बेसिक शिक्षा	–	–	–	–	–	30500572
16– प्रोढ़ शिक्षा	–	–	–	–	–	
17– राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	–	–	–	–	–	330997
योग	133556	678861	3213005	4527306	326485	49891065

में शून्य था 1980–81 में 2148 लाख थी 1985–86 में 1.60 लाख था 1992–93 व 1993–94 में अप्राप्त था अनुसूचित जातियों व जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण 1960–61 में शून्य था 1970–71 में शून्य था 1980–81 में 270 लाख 1985–86 में 313 लाख 1993–94 में निर्देशालय में उपलब्ध नही था ।

मंत्रीपरिषद में 1960–61 व 1970 –71 में शून्य था 1980–81 में अप्राप्त 1985–86 में 1.50 लाख तथा 1992–93,1993–94 में शून्य था ।

उच्च शिक्षा आयोजनेत्तर 1960 से लेकर 1993 तक अप्राप्त था 1993–94 में 2128 लाख था ।

ट्रेनिंग के लिए 1960–61 में 13 लाख था 1970–71 में 4 लाख था 1980–81 से लेकर 1994 तक शून्य बजट था ।

अन्य कार्यक्रमों को 1960–61 में 15 लाख 1970–71 में 301 लाख 1980 से 1994 तक का बजट उपलब्ध नही था । विशेष शिक्षा में 1960–61 में 1970–71 में शून्य था 1980–81 में 317 लाख का बजट था 1985–86 में 930 लाख का 1993–94 में अप्राप्त बजट था । प्राविधिक शिक्षा में 1960 से 1994 तक कोई बजट नही था ।

क्रीड़ा एवं युवक कल्याण में 1960 से 1971 तक कोई बजट नही था 1980–81 में 60 लाख 1985–86 में 10 लाख 1993–94 में कोई बजट नही था ।

सामान्य शिक्षा 1960 से 1981 तक कोई बजट नही था 1985–86 में 75 लाख 1992 से 1994 तक कोई बजट नही था ।

एक मुश्त प्रावधान में 1980–81 में 25 लाख का बजट था ।

कला संस्कृति में 1980–81 में 1 लाख का बजट था ।

अनुसूचित जातियों व जनजातियों में पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए 1980 – 81 में 58 लाख का बजट था । उच्च शिक्षा आयोजनागत में 1993–94 में 2490 लाख का बजट था ।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एंव प्रशिक्षण आयोजनागत में 1992–93 में 476 लाख था, 1993794 में 474 लाख था ।

सम्पूर्ण योग 1960–61 में 387 लाख का बजट था । 1970–71 में 704 लाख, 1980–81 में 1545 लाख, 1992–93 में 14921 लाख का 1993–94 में 22929 लाख का बजट था ।

शिक्षा के लिए निर्दिष्ट

(हजार रूपयो में)

वर्ष	बालको की शिक्षा के लिए बजट	बालिकाओं की शिक्षा के लिए बजट	शिक्षा के लिए सम्पूर्ण बजट
1	2	3	4
1950–51	66115	7629	73744
1960–61 शिक्षा	121733	11823	133556
1960–61 शिक्षा नियोजन			38743
1970–71 शिक्षा	615001	83360	673361
1970771 शिक्षा नियोजन	44023	6390	70419
1980–81 शिक्षा	2773209	434796	3213005
1980–81 शिक्षा नियोजन	154182	284	154466
1985–86 शिक्षा	5812622	513863	6326485
1985–86 शिक्षा नियोजन	–	–	296342
2000–01 शिक्षा			
आयोजनेत्त्र			19059496
आयोजनागत			
2000–2001 अनुदान संख्या 71– बेसिक शिक्षा			
आयोजनेत्त्र	–	–	30500572
आयोजनागत	–	–	3651093
अनुदान संख्या 74– प्रौढ़ शिक्षा–			
अयोजनेत्तर	–	–	–
आयोजनागत	–	–	–
2000–1 अनुदान संख्या 75– राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परषिद			
आयोजनेत्त्र	–	–	330997
आयोजनागत	–	–	266783
2000–01 का योग –			
आयोजनेत्त्र	–	–	49891065
आयोजनागत	–	–	4567203

टिप्पणी – 1 अप्रैल, 1986 से शिक्षा निदेशालय का बजट 5 पृथक– पृथक निदेशालयों में विभक्त हो गया है तथा सभी– निदेशक अपने से सम्बन्धित बजट के नियन्त्रक अधिकारी है।

उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार की शिक्षा पर राजस्व व्यय

(लाख में)

क्रमांक	मद	1996–97 वास्तविक	1997–98 पुनरीक्षित अनुमान	1998–99 आय–व्ययक अनुमान
1	प्राथमिक शिक्षा	212108 (55.12)	253462 (55.98)	277810 (56.58)
2	माध्यमिक शिक्षा	122483 (31.83)	141188 (31.18)	167168 (32.88)
3	उच्च शिक्षा	31019 ,(8.06)	35948 (7.94)	35609 (7.01)
4	प्रौढ़ शिक्षा	1540 (0.40)	14.92 (0.33)	1158 (0.28)
5	अन्य (पाविधिक शिक्षा तथा शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण सहित)	17080 (4.89)	20718 (4.87)	1686 (3.30)

800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0

1950-51: 19105, 1671, 27294, 2504
1960-61: 29785, 4033, 48959, 8743
1970-71: 51799, 11906, 146242, 39133
1980-81: 94221, 20091, 275948, 69221
1985-86: 100218, 30132, 311036, 84351
1990-91: 145580, 55411, 614212, 182311
2000-01: 202221, 60522, 722486, 202845

दि इण्डिया हेन्ड बुक 1997

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	वास्तविक व्यय 1999 – 2000		पुनरीक्षित अनुमान 2000–2001		आय–व्ययक अनुमान 2001–2002	
		आयोज–नागत	आयोज–नेत्तर	आयोज–नागत	आयोज–नेत्तर	आयोज–नागत	आयोज–नेत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	1.30	1599.15	0.01	1599.15	0.01	1599.15
2	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	-	1614.41	0.01	1614.41	0.01	1614.41
3	डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	-	-	0.01	-	0.01	-
4	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	-	2.11	-	2.11	-	2.11
5	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, बाराणसी	-	3.15	-	3.15	-	3.15
6	दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर	0.58	960.05	0.01	960.05	0.01	960.05
7	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, बराणासी	36.75	504.50	0.01	504.50	0.01	504.50
8	छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	-	-	0.01	-	0.01	-
9	चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	-	305.01	0.01	305.01	0.01	305.01
10	महात्मा गांधी काशी विद्या पीठ, वाराणसी	-	393.20	0.01	393.20	0.01	393.20
11	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी	-	-	0.01	-	0.01	-
12	डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फेजावाद	-	-	0.01	-	0.01	-
13	महात्मा ज्योतिबाफूले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली	-	-	0.01	-	0.01	-
14	दयालबाग, ऐजूकेशनल संस्थान दयालबाग, आगरा (डीम्ड विश्वविद्यालय)	-	146.31	-	146.31	-	146.31
15	दयालबाग, ऐजूकेशनल संस्थान दयालबाग आगरा इंजी0 संकाय	-	75.15	-	75.15	-	75.15
16	लखनऊ विश्वविद्यालय, कला एवं शिल्प महाविद्यालय हेतु अनुदान	-	98.00	0.01	98.00	0.01	98.00

17	दयालबाग एजूकेशनल संस्थान दयालबाग, प्राविधिक शिक्षा संस्थान को अनुदान	-	26.25	-	26.25	-	26.25
18	दयालबाग एजूकेशनल संस्थान दयालबाग, आगरा गर्ल्स इण्टरमीडियट कॉलेज को अनुदान	-	65.85	0.01	65.85	0.01	65.85
19	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान के प्रति राज्य सरकार का अंशदान	-					
	20. सहायक अनुदान/अंशदान राज्य सहायता	-	-	20.00	-	-	-
	48. पूजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान	-	-	-	-	120.00	-
20	राज्य विश्वविद्यालय को प्रोत्साहन अनुदान	-					
	20. सहायक अनुदान/अंशदान राज्य सहायता	-	-	-	300.00	-	-
	48. पूजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान	-	-	-	-	-	300.00
21	विकास अध्ययन संस्थान के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय की सहायता	-	8.00	-	8.00	-	8.00
22	राज्य विश्वविद्यालय में कन्शलटेन्सी से हुयी आय के समतुल्य राज्य सरकार द्वारा अनुदान	-	-	0.01	-	100.00	-
23	डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजावाद में अम्बेडकर चेयर की स्थापना	-	-	0.01	-	-	-
24	विश्वविद्यालय में डिस्पेन्सरी की स्थापना हेतु अनुदान	-	-	0.10	-	-	-
25	पं0 गंगानाथ झाँ चेयर की स्थापना हेतु इलाहाबाद विश्वविद्यालय को सहायता	50.00	22.71	-	-	-	-
26	ाहा चेयर की स्थापना हेतु इलाहाबाद विश्वविद्यालय को सहायता	50.00	-	0.01	-	-	-

27	इण्टर विश्वविद्यालय यूथ फेस्टिबल हेतु अनुदान	-	-	10.00	-	10.00	-
28	अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु अनुदान	-	-	10.00	-	10.00	-
29	राज्य विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किये जाने वाले सेमिनारो/संगोष्टियों हेतु अनुदान	52.25	-	-	-	2.00	-
30	विश्वविद्यालयों के शिक्षको के वेतन मानो के पुननिरीक्षण के फलस्वरूप अवशेषों हेतु एक मुश्त व्यवस्था	-	1164.70	-	-	-	-
31	राज्य विश्वविद्यालयों को चालू भवन निर्माण एवं अन्य विकास कार्यो हेतु अनुदान				-		-
	20. सहायक अनुदान/अंशदान राज्य सहायता	23.75	-	600.00	-	-	-
	48. पूंजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान	-	-	-	-	300.00	-
32	राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना	-	-		-		-
	20. सहायक अनुदान/अंशदान राज्य सहायता	-	-	200.00	-	45.00	-
	48. पूंजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान	-	-	-	-	155.00	-
33	वेतन पुननिरीक्षण के फलस्वरूप अधिष्ठान व्यय में वृद्दि	-	-	-	1255.28	-	-
	योग	213.63	8373.55	840.27	8741.72	742.14	6101.14

उ0प्र0 में शिक्षक प्रशिक्षण देने वाले महाविद्यालयों की संख्या 1999–2000

क्रमांक	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट	अध्यापक संख्या
	डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा	बी0एड0		
1	आर0बी0एस0 कॉलेज आगरा	बी0एड0	140	14
2	ए0के0 कॉलेज, सिकोहावाद	बी0एड0	130	13
3	बैकुण्ठी देवी महिला कॉलेज, आगरा	बी0एड0	110	11
4	धर्म समाज महाविद्यालय, अलीगढ़	बी0एड0	90	9
5	के0आर0गर्ल्स पी0जी0 कॉलेज, मथुरा	बी0एड0	70	7
6	पी0सी0 बंगला कॉलेज, हाथरस	बी0एड0	100	10
7	फेज–ई–आम मार्डन डिग्री कॉलेज मथुरा	बी0एड0	60	6
8	गंजनद्वारा पी0जी0 कॉलेज, गंजनाद्वारा	बी0एड0	60	6
9	श्रीमती बी0डी0 जैन कन्या कॉलेज आगरा	बी0एड0	70	7
10	दाऊ दयाल महिला कॉलेज, फिरोजाबाद	बी0एड0	90	9
11	कु0 आर0सी0 महिला कॉलेज, मैनपूरी	बी0एड0	60	6
12	टीका राम कॉलेज, अलीगढ़	बी0एड0	70	7
13	वाष्णेय कॉलेज, अलीगढ़	बी0एड0	110	11
	रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली			
14	आई0ए0एस0ई0, रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली	बी0एड0	220	22
15	बरेली कॉलेज, बरेली	बी0एड0	110	11
16	दयानन्द आर्य कन्या कॉलेज, मुरादाबाद	बी0एड0	70	7
17	गोकूलदास हिन्दू कन्या कॉलेज, मुरादाबाद	बी0एड0	70	7
18	हिन्दू कॉलेज मुरादाबाद	बी0एड0	120	12
19	श्री नवलकिशोर भारतीय नगरपालिका कन्या (पी0जी0) कॉलेज, चन्दौसी	बी0एड0	60	6
20	एस0एस0 (पी0जी0) कॉलेज, शहांजहांपुर	बी0एड0	70	7
21	सोभाग्यवती दानी कॉलेज धमपुर, बिजनौर	बी0एड0	60	6
22	एन0एम0एस0 दास (पी0जी0) कॉलेज, बदौन	बी0एड0	60	6
23	बर्धमान कॉलेज, बिजनौर	बी0एड0	80	8
24	राजकीय राजा पी0जी0 कॉलेज रामपुर	बी0एड0	60	6

एन0सी0टी0ई0 ज़यपुर द्वारा विश्वविद्यालयो को मान्यता सम्बन्धी पत्र 1997 के आधार पर

	डा0 आर0एम0एल0 अवध विश्वविद्यालय फैजावाद			
25	एम0एल0के0 पी0जी0 कॉलेज, बलरामपुर, गौण्डा	बी0एड0	90	9
26	बी0एन0के0वी0 कॉलेज अकबरपुर, अम्बेडकरनगर	बी0एड0	90	9
27	डा0 राजेश्वर सेवाश्रम कॉलेज, दिधहात, प्रतापगढ़	बी0एड0	80	8
28	किशन पी0जी0 कॉलेज बहराईच	बी0एड0	60	6
29	के0एस0साकेत पी0जी0 कॉलेज, अयौध्या	बी0एड0	110	11
30	कमला नेहरू संस्थान फिजीकल एवं सामाजिक विज्ञान, सुल्तानपुर	बी0एड0	90	9
31	एल0वी0एस0 पी0जी0 कॉलेज, गौण्डा, अवध	बी0एड0	80	8
32	मदनमोहन मालवीय कॉलेज, कालाकंकर, प्रतापगढ़	बी0एड0	80	8
33	मुनिश्वर दत्ता कॉलेज, प्रतापगढ़	बी0एड0	70	7
34	राम नगर पी0जी0 कॉलेज राम नगर बाराबंकी	बी0एड0	90	9
35	रणवीर रानानंजय कॉलेज, अमेठी	बी0एड0	80	8
	गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर			
36	बाबा राघवदास पी0जी0 कॉलेज देवरिया	बी0एड0	60	6
37	बुद्वा पी0जी0 कॉलेज, कुशीनगर	बी0एड0	110	11
38	डिपार्टमेन्ट ऑफ ऐजूकेशन गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	बी0एड0	120	12
39	दिगविजयनाथ पी0जी0 कॉलेज,	बी0एड0	60	6
40	जवाहरलाल नेहरू स्मारक पी0जी0 कॉलेज महाराजगंज	बी0एड0	90	9
41	मदन मोहन मालवीय पी0जी0 कॉलेज वतपार रानी देवरिया	बी0एड0	90	9
42	रतन सेन डिग्री कॉलेज वांसी सिद्वार्थ नगर	बी0एड0	120	12
43	शिवपुरी डिग्री कॉलेज शोहरतगढ़ सिद्वार्थ नगर	बी0एड0	60	6
	पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जौनपुर			
44	श्री गनेश राय पी0जी0 कॉलेज धोवी जौनपुर	बी0एड0	90	9
45	तिलकधारी कॉलेज, जौनपुर	बी0एड0	80	8
46	उदय प्रताप कॉलेज, वाराणसी	बी0एड0	120	12
47	गांधी स्मारक कॉलेज, समोधपुर जौनपुर	बी0एड0	60	6
48	हरीश चन्द्र पी0जी0 कॉलेज वाराणसी	बी0एड0	100	10

49	हंडिया पी0जी0 कॉलेज हंडिया इलाहाबाद	बी0एड0	90	9
50	कन्हैया लाल बंसतीलाल पी0जी0 कॉलेज मिर्जापुर	बी0एड0	60	6
51	पी0जी0 कॉलेज रविन्द्रपुर गाजीपुर	बी0एड0	60	6
52	राजा हरपाल सिह पी0जी0 कॉलेज सिंगरामऊ जौनपुर	बी0एड0	110	11
53	राजा श्रीकृष्ण दत्त पी0जी0 कॉलेज, जौनपुर	बी0एड0	60	6
54	स्कल्धिया पी0जी0 कॉलेज, स्कल्धिया	बी0एड0	120	12
55	सतीश चन्द्र पी0जी0 कॉलेज, बलिया	बी0एड0	60	6
56	सिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़	बी0एड0	70	7
57	श्री अग्रसेन माहला पी0जी0 कॉलेज, चन्देशवर, आजमगढ़	बी0एड0	70	7
58	श्री दुर्गाजी पी0जी0 कॉलेज चेसवार, आजमगढ़	बी0एड0	110	11
59	श्री गांधी पी0जी0 कौंलेज मुलतारी देवरिया	बी0एड0	60	6
60	श्री मुरली मनोहर टाउन पी0जी0 कॉलेज बलिया	बी0एड0	60	6
61	स्वामी दयानन्द पी0जी0 कॉलेज, मथलर, देवरिया	बी0एड0	70	7
62	हिमताज डिग्री कॉलेज जौनपुर	बी0एड0	60	6
63	सुधाकर महिला कॉलेज वाराणसी	बी0एड0	60	6
64	मां0 हसन डिग्री कॉलेज, जौनपुर	बी0एड0	60	6
65	डा0 ए0एच0 रिजवी सिहा डिग्री कॉलेज, जौनपुर	बी0एड0	60	6
66	राजीव गांधी डिग्री कॉलेज कोटवा जामुनीपुर इलाहाबाद	बी0एड0	110	11
67	संत कीन राम पी0जी0 कॉलेज सोनवध्रा	बी0एड0	120	12
68	एल0वी0एस0 पी0जी0 कॉलेज, मुगलसराय	बी0एड0	100	10
69	नागरिक डिग्री कॉलेज, जौनपुर	बी0एड0	60	6
	बुन्देलखण्ड यूनिवर्सिटी, झाँसी			
70	पं0 जवाहर लाल नेहरू कॉलेज बांदा	बी0एड0	110	11
71	अर्तरा कॉलेज, अर्तरा, बांदा	बी0एड0	90	9
72	बुन्देलख्ण्ड कॉलेज झाँसी	बी0एड0	80	8
73	गांधी महाविद्यालय उरई	बी0एड0	90	9
74	दयानन्द वैदिक कॉलेज उरई, जालौन	बी0एड0	90	9
	लखनऊ यूनिवर्सिटी , लखनऊ			
75	डिपार्टमेन्ट ऑफ एजूकेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ	बी0एड0	80	8

76	श्री जैन नारायण पी0जी0 कॉलेज लखनऊ	बी0एड0	60	6
77	आई0टी0 कॉलज फिरोजाबाद रोड लखनऊ	बी0एड0	60	6
78	कुन कुन जी गर्ल्स डिग्री कॉलेज, लखनऊ	बी0एड0	60	6
79	महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज, लखनऊ	बी0एड0	80	8
80	नवयुग कन्या विद्यालय डिग्री कॉलेज, लखनऊ	बी0एड0	80	8
	एस0जे0एम0 कानपुर यूनिवर्सिटी कानुपर			
81	विक्रमजीत सिंह स्नातन धर्म कॉलेज, कानपुर	बी0एड0	120	12
82	आचार्य नरेन्द्र देव नगर निगम कॉलेज, कानपुर	बी0एड0	60	6
83	आचार्य नरेन्द्र देव टी0टी0 कॉलेज, सीतापुर	बी0एड0	230	23
84	चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज, हरोरा इटावा	बी0एड0	60	6
85	श्री गांधी कॉलेज, सिद्दकी सीतापुर	बी0एड0	60	6
86	श्री मुलायम सिंह कॉलेज, मोहम्मदावाद	बी0एड0	60	6
87	लता लक्ष्मी नारायण डिग्री कॉलेज, सिरसा इलाहाबाद	बी0एड0	60	6
88	डा0 राम मनोहर लोहिया डिग्री कॉलेज, पुरवा सुजान औरई	बी0एड0	110	11
89	डी0बी0एस0 कॉलेज, गोमती नगर कानुपर	बी0एड0	90	9
90	डी0एस0एन0 कॉलेज उन्नाव	बी0एड0	90	9
91	फिरोज गांधी कॉलेज, राय वरेली	बी0एड0	90	9
92	हलीम सुसलीम कॉलेज, कानपुर	बी0एड0	60	6
93	हिन्दु कन्या कॉलेज सीतापुर	बी0एड0	60	6
94	इण्टरनेशनल सेन्टर कॉलेज ऑफ ऐजूकेशन कानुपर	बी0एड0	90	9
95	महिला महाविद्यालय किदवई नगर कानपुर	बी0एड0	80	8
96	सदानन्द महाविद्यालय छेलवाहा फतेहपुर	बी0एड0	80	8
97	श्री नन्ने गर्ल्स कॉलेज उन्नाव	बी0एड0	70	7
98	तिलक पी0जी0 कॉलेज, औरैया, इटावा	बी0एड0	60	6
99	युवराज दत्त पी0जी0 कॉलेज लखीमपुर खीरी	बी0एड0	60	6
	चौधरी चरन सिह यूनिवर्सिटी मेरठ			
100	देव पी0जी0 कॉलेज, मुजफ्फरनगर	बी0एड0	60	6
101	एन0ए0एस0 पी0जी0 कॉलेज मेरठ	बी0एड0	80	8
102	दिग्मबर जैन पी0जी0 कॉलेज वैरूत	बी0एड0	70	7
103	के0एल0 देव कॉलेज रूड़की	बी0एड0	60	6
104	जे0वी0 जैन पी0जी0 कॉलेज, सहारनपुर	बी0एड0	90	9

105	के0वी0 पी0जी0 कॉलेज मछरा	बी0एड0	60	6
106	मेरठ कॉलेज मेरठ	बी0एड0	80	8
107	एन0आर0ई0सी0 कॉलेज, खुरजा	बी0एड0	80	8
108	विध्यावती मुकन्दलाल पी0जी0 कॉलेज फोर बूमेन्स, गाजियाबाद	बी0एड0	80	8
109	राजकीय केन्द्रीय अध्यापक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद	एल0टी0	80	8
110	राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद	एल0टी0	80	8
111	राजकीय महिला ग्रहविज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद	एल0टी0	30	3
112	राजकीय वेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय बाराणसी	एल0टी0	100	10
113	राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय लखनऊ	एल0टी0	155	16
114	के0पी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद	एल0टी0	100	10
115	किशोरी रमा प्रशिक्षण महाविद्यालय मथुरा	एल0टी0	80	8
116	डी0ए0बी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय कानपुर	एल0टी0	100	10
117	सकलडीहा प्रशिक्षण महाविद्यालय बाराणसी	एल0टी0	100	10
118	दिग्विजयनाथ प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर	एल0टी0	120	12
119	किसान प्रशिक्षण महाविद्यालय वस्ती	एल0टी0	80	8
120	क्रिश्चियन प्रशिक्षण महाविद्यालय वस्ती	एल0टी0	100	10
121	सिटी मान्टेनसरी महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय लखनऊ	एल0टी0	40	4

पंचम अध्याय

वेसिक शिक्षण प्रमाण पत्र (बी0टी0सी0)
(BASIC TEACHING CERTIFICATE)

सामान्य परिचय :- उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (D.I.E.T.) में रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, द्वारा बी0टी0सी0 द्विवर्षीय परीक्षायें आयोजित की जातीं है। इन परीक्षाओं के दौरान एक निश्चित चयन प्रक्रिया के अनुसार बी0टी0सी0 प्रशिक्षार्थियों का चयन किया जाता है । जिले में स्थानों की संख्या विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है । चयनित प्रशिक्षार्थियों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में द्विवर्षीय पाठ्यक्रम जो आयोग द्वारा निर्धारित होता है पूरा करना पड़ता है। बी0टी0सी0 प्रमाण पत्र प्राथमिक शिक्षक के लिए अनिवार्य है। प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् प्रशिक्षणार्थियो को प्राथमिक विद्यालयो में नियुक्त कर दिया जाता है। प्राथमिक शिक्षको को राष्ट्र का सजग प्रहरी कहा गया है।

चयन प्रक्रिया :- प्रवेश परीक्षा में बैठने की पात्रता :-

बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा में वे ही पुरूष तथा महिलाऐं सम्मिलित होने के पात्र होगें जिन्होने प्रवेश फार्म भरने से पूर्व स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण को हो ।

आयु सीमा :– बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा हेतु प्रशिक्षण कोर्स शुरू होने वाले वर्ष की एक जुलाई को आयु 19 वर्ष से कम तथा 27 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए । अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/स्वंतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा समस्त महिला अभ्यर्थियों को निर्धारित आयु सीमा 27 वर्ष से 5 वर्ष की छूट होगी ।

चयन का आधार :-

(क) शैक्षिक योग्यता

(1)	हाईस्कूल	प्राप्तांक प्रतिशत /10
(2)	इण्टरमीडिएट	प्राप्तांक प्रतिशत x 2/10
(3)	स्नातक	प्राप्तांक प्रतिशत x 4/10

(ख) पाठय सहगामी क्रियाकलाप :–

(अ) खेलकूद

(1)	राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व हेतु	10 अंक
(2)	राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व हेतु	05 अंक
(3)	मण्डल स्तर पर प्रतिनिधित्व हेतु	03 अंक
(4)	जनपद स्तर पर प्रतिनिधित्व हेतु	02 अंक

(ब) एन0सी0सी0 :–

(1)	एन0सी0स0ी सीनियर/जूनियर डिवीजन सी – 2	10 अंक
(2)	एन0सी0सी0 में बी या सी0–1 का प्रमाण पत्र	03 अंक
(3)	ए अथवा ए–1 जे–2 प्रमाण पत्र	03 अंक

(ग) कतिपय श्रेणी के लिए अधिभार (बैटेज) अधिकतय विधवा, न्यायिक रूप से घोषित परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला एवं अधपक पुत्र/ अविवाहित पुत्री / पुत्र वधु — 03 अंक

टिप्पणी : पाठय सहगामी क्रियाकलाप एवं बिन्दु "ग" के अन्तर्गत आने वाले श्रेणी के अभ्यर्थियो के लिए अधिभार सब मिलाकर 10 अंको से अधिक नही होगा ।

(घ) लिखित परीक्षा का गुणांक :–

		अंक
सामान्य ज्ञान के प्रश्न	75	75
गणित के प्रश्न	25	50
हिन्दी के प्रश्न	25	50
तर्कशक्ति	25	25
	150	200

गुणांक एवं लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर ही चयन किया जाता है ।

आरक्षित स्थान :– बी0टी0सी0 प्रशिक्षण संस्थाओं में निर्धारित प्रवेश संख्या के आधार पर पुरूषो को 50 % एवं महिलाओं को 50 % के अनुपात में प्रवेश दिया जायेगा । 50% स्थान विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियो के लिए एवं 50% स्थान कला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है ।

अनुसचित जाति	–	21%
अनुसूचित जनजाति	–	2%
अन्य पिछड़ा वर्ग	–	27%
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	–	2%
भूतपूर्व सेनानी	–	1%
विकलांग	–	2%

बी0टी0सी0 पाठयक्रम (द्विवर्षीय)

सैद्वांन्तिक विषय

प्रथम प्रश्न पत्र – (1) शिक्षा सिद्वान्त एवं शिक्षण सिद्वांत :– (प्रथम वर्ष)

(a) शिक्षा सिद्वांत

पाठ्यक्रम :–

(1) शिक्षा का अर्थ, स्वरूप , आवश्यकता एवं महत्व

(2) शिक्षा के उद्देश्य

(3) राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था

(4) महान शिक्षाविद और विचारक एवं उनका शिक्षा के क्षेत्र में योगदान

(5) शिक्षा के विविध रूप ओर अभिकरण

(6) पाठ्यक्रम – 10 सामान्य केन्द्रिय तत्व

(b) शिक्षण सिद्वांत

(1) शिक्षण का अर्थ तथा शिक्षण के उद्देश्य

(2) न्यूनतम अधिगम स्तर

(3) शिक्षण के आधारभूत कौशल

(4) शिक्षण के सामान्य सूत्र

(5) शिक्षण की युक्तियॉ

(6) शिक्षण की सामान्य विधियॉ

(7) सहायक सामग्री

(8) शिक्षण अधिगम व्यवस्था में शैक्षिक प्रौधोगिकी

(9) नवीन शिक्षा प्रणालियों का सैद्वान्तिक परिचय एवं व्यवहारिक अनुपालन

(10) क्रियात्मक शोध

द्वितीय प्रश्न पत्र – (2) बाल विकास के मनोवैज्ञानिक आधार (प्रथम वर्ष)

(a) बाल विकास के आधारभूत पक्ष

(1) बाल विकास की प्रकृति, महत्व और समस्यायें

(2) बाल विकास के आधार

(3) जन्म से किशोरावस्था तक बाल विकास के महत्वपूर्ण पक्ष

(4) बाल विकास को प्रमाणित करने वाले कारक

(b) बाल विकास के रचनात्मक पक्ष

(5) रूचि और अवधान

(6) कल्पना, चिन्तन और तर्क

(7) अधिगम

(8) खेल

(9) विशिष्ट एवं समस्यात्मक बच्चे एवं उनके पति शिक्षक का उत्तरदायित्व

(10) सुधारात्मक शिक्षण

तृतीय प्रश्नपत्र – (3) प्रारम्भविक शिक्षा के उभरते आयाम एवं शैक्षिक मूल्यांकन (द्वितीय वर्ष)

खण्ड (क) प्रारम्भविक शिक्षा के उभरते आयाम

(1) शिक्षा से अपेक्षाये

(2) प्राथमिक शिक्षा की समस्यायें और उपचार

(3) प्राथमिक शिक्षा में चेतना विकास

(4) प्राथमिक शिक्षा सुधार योजनायें

(5) शिक्षक प्रशिक्षण

(6) प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन हेतु कार्यरत अभिकरण

खण्ड (ख) शैक्षिक मूल्यॉकन

(1) शैक्षिक मूल्यॉकन और मापन की संकल्पना, आवश्यकता एवं उद्देश्य

(2) मूल्यॉकन के पक्ष

(3) आन्तरिक एवं वाहय मूल्यॉकन

(4) मूल्यॉकन के साधन, उपकरण एवं विधियों

(5) उत्तम प्रश्न पत्र निर्माण की विधियॉ

चतुर्थ प्रश्न पत्र

पाठशाला प्रबन्ध, सामुदायिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य

(1) विद्यालय भवन

(2) प्रधानाध्यापक

(3) संस्थागत नियोजन

(4) विद्यालय समुदाय सहयोग

(5) समय सारणी

(6) पुस्तकालय तथा वाचनालय

(7) पाठ्य–सहगामी क्रियाऐं

(8) अनुशासन

(9) विद्यालय अभिलेख एवं पंजिकाऐं

(10) प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का लोकतंत्रात्मक, संगठन

(11) निरीक्षक तथा पर्यवेक्षण

(12) सामुदायिक शिक्षा

(13) स्वास्थ्य शिक्षा

(14) व्यक्तिगत तथा विद्यालय स्वच्छता

(15) प्राथमिक चिकित्सा या सहायता

(16) प्रदूषण सजगता

(17) जनसंख्या शिक्षा

नैतिक शिक्षा (प्रथम वर्ष)

(1) प्राचीन भारत में नैतिक शिक्षा

(2) मानव जीवन में नैतिक मूल्यो की आवश्यकता

(3) विभिन्न धर्मो के मूल तत्वो में समानता

(4) विभिन्न धर्मोपदेश

(5) सूक्ति भण्डार (नीति वचन)

(6) मानव कर्तव्य एवं दायित्व

(7) विश्व के महापुरूष

(8) विभिन्न नैतिक मूल्य

(9) जन कल्याण हेतु राष्ट्रीय एकता

(10) नैतिक शिक्षा शिक्षण की आवश्यकता एवं उद्देश्य

(11) नैतिक शिक्षा की शिक्षण विधियॉ

(12) नैतिक शिक्षा शिक्षण के अभिकरण या साधन

(13) नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम

कला (प्रथम वर्ष)

(1) कला का तात्पर्य और उसके विविध रूप, कला शिक्षण का महत्व, उपयोगिता एवं पाठ्यक्रम मे स्थान

(2) प्रारम्भिक स्तर पर कला शिक्षण के उद्देश्य

(3) कक्षा 1 से 8 तक कला का पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम रचना के सिद्वान्त

(4) कला शिक्षण की विधियां

(5) कला शिक्षण की सहायक सामग्री एवं उसका प्रयोग

(6) कला अध्यापक, कला का अन्य विषयो से सहसंबन्ध

(7) कला के पाठ संकेत

(8) कला पक्ष

(9) विविध, कलायें तथा चित्रकला

(10) भारत में चित्रकला का इतिहास

(11) स्वतंत्र भाव प्रकाशन, रंगो की संगतियों, आलेखन, मिट्टी का काया ठप्पे, स्प्रे सजावट, स्टेमिल ।

पर्यावरणीय विज्ञान भाग I (समाजिक अध्ययन)

(1) सामाजिक अध्ययन का अर्थ, क्षेत्र, महत्व, उद्देश्य एवं शिक्षण विधियॉ ।

(2) भूगोल – (i) पृथ्वी की गतियों, हवाये, भारत की जलवायु, हमारा उत्तर प्रदेश,

प्राकृतिक

(ii) प्राकृतिक शक्तियों तथा उनका जीवन पर प्रभाव

(iii) ज्वार भाटा, धारायें, इनका मानव जीवन पर प्रभाव

(iv) भूखण्डो का विभाजन

(v) मनुष्य की आवश्यकतायें और उनकी आपूर्ति

(vi) हमारा भारत, हमारी प्राकृतिक सम्पदा और उसका उपयोग

(vii) पर्यावरणीय संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम में स्थानीय सहयोग

(viii) हमारी खनिज सम्पदा, आयात, निर्यात, कृषि और सिंचाई

(ix) जनसंख्या विस्तार एंव घटक

(3) इतिहास –

(i) सिन्धु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता

(ii) भारतीय इतिहास पर भौगोलिक स्थितियों का प्रभाव

(iii) भारत के प्रमुख साम्राज्यो का उत्कर्ष

(iv) विभिन्न धर्मो की समानतायें एवं विशेषतायें

(v) प्राचीन भारत में साहित्य और कला कौशल की उन्नति

(vi) मराठो, सिक्खो, राजपूतो का अभ्युदय, मुगल साम्राज्य

(vii) 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन तथा स्वतंत्रता आदि के प्रयास

(viii) स्वतंत्र भारत, हमारे पड़ोसी राज्य

(4) नागरिक शास्त्र :–

विद्यार्थियो में स्वास्थ्य आदतो का निर्माण स्थानीय व्यवस्था, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय चिहनो का व्यावहारिक गान ।

राज्यो तथा केन्द्र की शासन व्यवस्था, सामाजिक, विषमतायें, लैगिक समानता, मानवाधिकार, सम्पूर्ण प्रमुख सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ का योगदान ।

(5) अर्थशास्त्र :–

जनसंख्या समस्या और उसका आर्थिक जीवन पर प्रभाव, राष्ट्र की आर्थिक क्रियायें एवं समस्यायें, उत्पाद एवं उपयोग, साधन एवं विशेषतायें, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा विकास की योजनायें ।

पर्यावरणीय, अध्ययन भाग – 2 (विज्ञान)

भौतिक विज्ञान

(1) ब्रहमाण्ड (पृथ्वी और आकाश), जलवायु और मौसम, मापन बल, कार्य और ऊर्जा, गति, चाल और यन्त्र, ऊर्जा एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत, बल तथा दाब ।

(2) मानव विज्ञान एवं प्राधोगिकी, ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश और प्रकाश यन्त्र, विद्युत आवेश एवं विद्युत धारा, विद्युत चुम्बक ।

रसायन विज्ञान :–

(1) रसायन विज्ञान का महत्व, पदार्थ एवं उसके गुण, पदार्थ की संरचना, रसायन की भाषा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वायु एवं उसकी उपयोगिता, जल ।

(2) कार्बनिक रसायन का परिचय, खनिज एवं धातुऐं, अम्ल क्षार एवं लवण, मानव निर्मित वस्तुऐ (घर और वस्त्र) दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका ।

जीवन विज्ञान का शिक्षण :–

(1) हमारा शरीर, भोजन और स्वास्थ्य सजीव वस्तुऐं, जीवन की रचना और क्रियाये, जीवन की प्रक्रियायें, सूक्ष्म जीवो की दुनियां ।

(2) रक्त की संरचना तथा रक्त वर्ग, प्राकृतिक सन्तुलन लाभदायक पौधे और जन्तु, मिट्टी और फसल कृषि पद्वतियॉ तथा उपकरण, पाठ योजनायें ।

संगीत शिक्षण (द्वितीय वर्ष)

(1) संगति में ताल का महत्व, तीन ताल, कहरवा, एक ताल तथा दादरा । ताल के साथ ताल देने की योग्यता इन तालो में शिक्षक द्वारा सिखाये हुए गीतो पर ताल देने की क्षमता, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, देशगान, देश प्रेम या वन्दना के अन्य गीत ।

(2) शहीद गान (सरफरोशी की तमन्ना ....)

भजन (वैष्णव जन को लेने कहिए.......................)

होली (आज खेले, श्याम संग होली ....)

दादरा (ठुमुक चलत रामचन्द्र ....)

लोकगीत (अब की गेहुआ बेच ....)

शारीरिक शिक्षा (द्वितीय वर्ष)

(1) शारीरिक शिक्षा :– अर्थ, परिभाषायें, आवश्यकता, उद्देश्य, महत्व, एवं पाठ्यक्रम में स्थान

(2) शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षण विधियाँ

(3) शारीरिक क्रियाकलाप

(4) शारीरिक शिक्षा तथा खेल रूचि

(5) प्रतियोगितायें – आयोजन एवं संचालन

(6) शारीरिक शिक्षा का मनोवैज्ञानिक उद्देश्य

(7) शारीरिक शिक्षा में कक्षा अनुशासन

(8) शारीरिक शिक्षा का अध्यापक

(9) शारीरिक शिक्षा में परीक्षण, मापन एवं सुधारात्मक शिक्षा

(10) खेल एवं वार्षिक खेलकूद

(11) योगासन का एतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व

(12) भारतीय व्यायाम

(13) एकाउटिंग – गाइडिंग का इतिहास

(14) स्काउटिंग एवं गाइडिंग के मूल तत्व

(15) स्काउट शिविर

(16) नागरिक सुरक्षा का अर्थ, महत्व एवं सिद्वान्त

(17) अग्निशमन दल

(18) वार्डेन सेवा

(19) हवाई आक्रमण एवं प्रकाश प्रतिबन्ध

(20) प्राथमिक चिकित्सा सेवा ।

उद्यान विज्ञान (द्वितीय वर्ष)

(1) उद्यान विज्ञान का अर्थ, शिक्षण के उद्देश्य, महत्व एवं उपयोगिता

(2) कलम लगाना, गूंटी लगाना, दावा लगाना, गमला भरना

(3) क्यारी बनाना

(4) वानस्पतिक प्रसारण, पौधो का संवर्धन

(5) विभिन्न फसलो (आलू, बैगन आदि) का सामान्य परिचय

हिन्दी शिक्षण (प्रथम वर्ष)

(1) पाठ्यक्रम में हिन्दी का स्थान

(2) हिन्दी शिक्षण के उद्देश्य

(3) मौखिक अभिव्यक्ति तथा श्रवण कौशल

(4) पठन शिक्षण, लेखन शिक्षण

(5) गद्य पाठों का शिक्षण, कविता शिक्षा

(6) लिखित रचना शिक्षण, व्याकरण शिक्षण

(7) कहानी एवं नाटक शिक्षण

(8) शिक्षण के प्रारम्भ में खेल परक क्रियायो का आयोजन

(9) हिन्दी शिक्षण में दृश्य–श्रव्य सहायक सामग्री

(10) हिन्दी भाषा में पाठ सकेंत निर्माण

हिन्दी शिक्षण (द्वितीय वर्ष)

(1) हिन्दी शिक्षण के उद्देश्य

(2) गद्य शिक्षण, कविता शिक्षण

(3) मौखिक आत्म प्रकाशन की शिक्षा

(4) व्याकरण शिक्षण

(5) अनिवार्य संस्कृत शिक्षण

(6) हिन्दी शिक्षण में मूल्यांकन

गृह विज्ञान

(1) गृह विज्ञान की आवश्यकता

(2) शिक्षण का अर्थ

(3) उत्तम शिक्षण के आधारभूत तत्व

(4) शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ

(5) शिक्षण के सामान्य नियम

(6) पाठ संकेतो की रचना ।

संस्कृत शिक्षण (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष)

(1) संस्कृत व्याकरण

(2) सुभाषित श्लोक–कण्ठस्थीकरण

(3) हिन्दी–संस्कृत मे अनुवाद

(4) संस्कृत में रचना

(5) संस्कृत साहित्य का इतिहास

(6) अपठित पद्यॉश एवं गद्यॉश

शिक्षण पद्वतियाँ :–

(1) संस्कृत भाषा अध्यापन के उद्देश्य

(2) संस्कृत भाषा का स्थान एवं महत्व

(3) संस्कृत में उच्चारण एवं पठन शिक्षण

(4) संस्कृत में सरल लेख

(5) संस्कृत शिक्षण :– गद्य शिक्षण, कहानी शिक्षण, पद्य शिक्षण, अनुवाद शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, नाटक शिक्षण ।

(6) संस्कृत पाठ संकेत (योजना)

(7) संस्कृत शिक्षण मे सहायक सामग्री

(8) संस्कृत शिक्षण के सिद्वान्त एवं सूत्र

(9) संस्कृत शिक्षण में लिखित कार्य का संशोधन और मौखिक कार्य

(10) संस्कृत शिक्षण में परीक्षा एवं मूल्यॉकन

(11) संस्कृत शिक्षण को रोचक बनाने के उपाय

(12) संस्कृत शिक्षण में मातृ भाषा का प्रयोग

(13) संस्कृत अध्यापक

English Teaching (Ist 4 IInd year)

Section (A)

[1] Grammar- (1) Nouns countable and uncountable (2) Pronouns (3) Detrminers (4) Anomalous finites (5) Verbs (6) Passive Voices (7) Adjectives (8) Adverbs (9) Preparitions and adverbs participters (10) Clauses L-Coordinate and subordinate (11) Reported speech (12) Sentencl structures

[2] Reading Comprihinsion

Section (B)

Methodologies :-

(1) Pupose of learning english in the present context

(2) Aims of learning english to develop language skills.

(3) Prychology of language learning

a. Motivation

b. Meaningful experience

c. Destracting factors

d. Language habit

(4) Selection and gradation of language material.

(5) different approaches and methods of planning programmes for english learning.

(6) The structural syllabus - How to teach the structures

(7) Presentation and establishmentof structures

  a. stimulation ofsituation

  b. Oral drills, flash cards rhymes, group singing etc.

  c. Language games

  d. Substitution table.

(8) Reading with comprehension

  (i) Silent reading

  (ii) Developing reading sped

  (iii) Reading with understanding

(9) Writing skill development

a. Pattern and letter

b. Connected writing

c. systematic writing (i) Composition (ii) Essay

(10) Language learning through machins : Tape recorders, Telivision, Radio lessons, Magaphone etc.

(11) Organisation and planning of situation for language learning.

(12) Maintenance or comprehensive record of progress.

गणित शिक्षण

(1) गणित का महत्व तथा गणित शिक्षण के उद्देश्य

(2) गणित शिक्षण की विधियाँ

(3) मानसिक, मौखिक तथा लिखित गणित

(4) कार्य संशोधन

(5) गणितीय मनोरंजन, संकलन तथा स्पष्टीकरण

(6) गणित शिक्षण में सहायक सामग्री

(7) गणित शिक्षण (प्राइमरी स्तर)

(i) संख्याओ का बोध, संख्याओ का शब्दो व अंको में लिखना

(ii) संख्याओ का जोड़ना, घटाना, गुणा तथा भाग करना

(iii) पहाड़े बनाना तथा उन्हे याद करना

(iv) साधारण भिन्न तथा दशमलव भिन्न को परस्पर बदलना, दशमलव को जोड़ना तथा घटाना।

(v) संक्षिप्त रीति से 10, 100, 1000 आदि का संख्याओ में गुणा तथा भाग करना ।

(vi) राशियाँ – धनराशि, द्रव्यमान, लम्बाई, धारिता तथा समय दर, जोड़, बाकी, गुणा, भाग की संक्रियाऐ ।

(vii) ठोस आकृतियो (गोले, बेलन, धन, धनाभ) का बोटा तथा घनाभ की कोरो को मापना एवं तलों की तुलना करना ।

(viii) एक तलीय आकृतियो (वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज) का बोध, खाने गिनकर चौकोर आकृतियों का क्षेत्रफल ।

(ix) रेखाओ तथा कोणो का बोध

(x) दैनिक जीवन में इबारती प्रश्नो का अभ्यास

(8) गणित शिक्षण (जूनियर स्तर) :–

(i) वास्तविक संख्याओ के विभिन्न प्रकार एवं नियम

(ii) भिन्न (सरल तथा दशमलव) तथा उनकी संक्रियाऐ

(iii) लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक

(iv) अनुपात, समानुपात, समानुपातिक, भाग तथा समानुपात विधि से प्रश्नो को हल करना ।

(v) घातांक सिद्वॉत, वर्ग, वर्गमूल, धन तथा घनमूल ।

(9) गणित में मूल्यॉकन

(10) गणित शिक्षण में पाठ योजना ।

B.Ed. (Bachelor of Education)

—: चयन प्रक्रिया :—

बी0एड0 में प्रवेश हेतु योग्यता :— बी0एड में प्रवेश हेतु अनिवार्य योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्थूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो । जिन अभ्यर्थियो ने स्नातक उपाधि अन्य राज्यों के विश्वविद्यालय से प्राप्त की है , उन्हे अन्य राज्यो के वर्ग में रखा जायेगा । परन्तु उत्तर प्रदेश निवासी ने यदि स्नातक उपाधि राज्य के किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त की है ता उसे उत्तर प्रदेश राज्य वर्ग में रखने के लिए सम्बन्धित जिला अधिकारी द्वारा प्रदत डोमिसाइल प्रमाण पत्र आवेदन के साथ लगाना होगा । तथा प्रवेश के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा ।

परीक्षा पाठ्यक्रम एवं अर्हता अंक :— प्रवेश परीक्षा मे दो प्रश्न पत्र होगे —

प्रश्न पत्र	विषय	समय	प्रश्न	अंक
(1)	हिन्दी भाषा एवं सामान्य ज्ञान या अंग्रेजी भाषा एवं सामान्य ज्ञान	2 घंटे	100	200
(2)	एप्टीट्यूड टेस्ट कला या एप्टीट्यूड टेस्ट विज्ञान	3 घंटे	100	200

☞ बी0एड0 पाठ्यक्रम मे प्रवेश के लिए अर्ह होने के लिए सामान्य अभ्यर्थियो और आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियो के लिए प्रत्येक प्रश्नपत्र में अलग अलग क्रमशः 40 प्रतिशत और 27 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा ।

☞ बी0एड0 पाठ्यक्रम मे रिक्तियों की संख्या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जायेगी जो कला एवं विज्ञान वर्ग के लिए अलग—अलग होंगी ।

सामान्य वर्ग, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति एवं अन्य जाति वर्ग को शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार निर्धारित रिक्तियो के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा ।

☞ प्रवेश हेतु केन्द्रो का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा । केन्द्रो की संख्या – न्यूनतम रखने का प्रयास किया जायेगा और परीक्षा केन्द्रो उन्ही संस्थाओ को बनाया जायेगा, जिनकी स्वच्छ परीक्षा व्यवस्था हेतु ख्याति रही हो ।

☞

(क) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या इण्टर विश्वविद्यालय खेलकूद में प्रतियोगिताओ में भाग लेने वाले अभ्यर्थियो को –

(1) इण्डीविजुअल आइटम में अभ्यर्थी द्वारा –

प्रथम स्थान पाने पर .... 15 अंक

द्वितीय स्थान पाने पर .... 10 अंक

तृतीय स्थान पाने पर .... 05 अंक

(2) टीम आइटम्स में –

सर्व विजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर ....15 अंक

सर्व उपविजेता (रनर्स अप) टीम का सदस्य होने पर ....10 अंक

प्रतियोगी टीम का सदस्य होने पर ....05 अंक

(3) किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्तरमहाविद्यालय टूर्नामेन्ट या क्रीड़ा या खेलकूद प्रतियोगिता में –

सर्व विजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर ....

इण्डीविजुअल आइटम में प्रथम स्थान पाने पर ....10 अंक

नोट – (a) उपर्युक्त मद संख्या (2) एवं (3) के अन्तर्गत आइटम्स में केवल

एक आइटम का लाभ देय होगा, अर्थात यदि किसी छात्र ने एक से अधिक टीम अथवा आइटम्स में भाग लिया हो, तो उसे एक ही टीम/आइटम का लाभ देय होगा ।

(b) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के प्रसंग मे शासन के खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा ।

(ख) नेशनल कैडेट कोर (एन0सी0सी0) में 'सी' प्रमाण पत्र पाने वाले पुरूष अभ्यर्थी तथा जी–2 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को ....15 अंक

अथवा

नेशनल कैडेट कोर में 'बी' प्रमाण पत्र पाने वाले पुरूष तथा जी–1 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी ....10 अंक

अथवा

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0) के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं दो या अधिक विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को ..... 15 अंक

अथवा

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत मात्र 240 घण्टे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को एवम एक विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को.10 अंक

अथवा

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत मात्र 240 घण्टे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को ....05 अंक

अथवा

स्काउट्स एवम् गाइड्स का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को ...15 अंक

अथवा

स्काउट्स एवं गाइड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी का ..10 अंक

अथवा

स्काउट्स एवम् गाइड्स का धुव्र पद या गुरू पद प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को

05 अंक

नोट – ऊपर वर्णित मदो में से केवल एक का लाभ देय होगा ।

(ग) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र या पुत्री या पुत्र या पुत्री की अविवाहित पुत्री 15 अंक

(घ) ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या विसैन्यीकृत या शासकीय सेवा निर्वत प्रतिरक्षा कर्मचारी जो अपंग लापता या मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र, पुत्री, पत्नी के रूप में सम्बन्धित हो ....

15 अंक

(ड.) ऐसे अभ्यर्थी जो पुलिस या पी0ए0सी0 या बी0एम0एफ0 या एस0एस0बी0 या आई0टी0पी0 या सी0आर0पी0 या होमगार्ड वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मे सेवारत हो या ऐसे कर्मचारी का पुत्र या पुत्री के रूप में सम्बन्धित हो, जो कार्यरत या सेवानिवृत्त अपंग या सेवारत रहे हुए मृत हो गया हो । 15 अंक

(च) ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा या तलाकशुदा या परित्यकता हो । ऐसे अभ्यर्थी को कानूनी प्रमाण पत्र करना होगा । 15 अंक

(छ) ऐसी महिला प्राप्त शिक्षा संस्थाओ के शिक्षको एवम् शिक्षणेत्तर कर्मचारियो या उनके पुत्र/पुत्री, पत्नी/पति को 15 अंक

नोट –

(1) उपर्युक्त (छ) के लिए प्रमाण पत्र केवल क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/जि0वि0नि0/ वेसिक शिक्षा अधिकारी/ मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका का ही मान्य होगा ।

(2) यदि किसी अभ्यर्थी को उपर्युक्त ''क'' से ''छ'' तक उल्लिखित मदो से 25 से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो उस दशा में 25 अंक ही श्रेष्ठता सूची मे जोड़े जायेगे ।

श्रेष्ठता सूची को तैयार किया जाना

☞ प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक तथा अध्यापन विषयो को दृष्टिगत रखते हुए पैरा (x) अन्तर्गत अनुमन्य अतिरिक्त (जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक होगी) को जोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित स्थानो के लिए पृथक–पृथक सूचियां तैयार की जायेगी ।

☞ यदि प्रवेश परीक्षा तथा पैरा (ग) मे अनुमन्य अतिरिक्त अंक के आधार पर दो या दो से अधिक छात्रो के अंक समान होते है तो उसी विश्वविद्यालय अथवा उससे सम्बद्व/सहयुक्त/घटक महाविद्यालय के छात्र को वरीयता दी जायेगी ।

यदि उपर्युक्त व्यवस्था के उपरान्त भी अंक समान आते है तो आयु मे ज्येष्ठ व्यक्ति को वरीयता दी जायेगी ।

☞ वरिष्ठता सूची में से यदि किसी अभ्यर्थी के आचरण के विरूद्व जिला अधिकारी द्वारा लिखित सूचना दी गयी हो अथवा किसी न्यायालय द्वारा अपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो । विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करने के कारण दो वर्ष या उससे अधिक अविध के लिए निष्कासित किया गया हो तो ऐसे अभ्यर्थी को सूची में नाम होते हुए भी प्रवेश न देने का अधिकार सम्बन्धित प्रधानाचार्य का होगा, जिसके लिए उन्हे विश्वविद्यालय से पूर्ण लिखित अनुमति प्रदान करनी होगी ।

☞ श्रेष्ठता सूची के आधार पर विश्वविद्यालय प्रत्येक महाविद्यालय के लिए प्रवेश सूची (रिक्तियो की लगभग तीन गुनी संख्या) तैयार कर महाविद्यालय को सूचित करेगा । विश्वविद्यालय इस तरह से तैयार सूची के प्रत्येक

आधार पर ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम सूची में सम्मिलित हो, को पंजीकृत डाक से सूचित करेगा ।

☞ योग्यता सूची सम्बन्धित विश्वविद्यालयो द्वारा सर्वाधिक प्रचिलित प्रमुख समाचार पत्रो मे भी प्रकाशित की जाती है ।

☞ योग्यता सूची में चुने गये अभ्यर्थियो को काउंसलिंग हेतु विश्वविद्यालय में एक निश्चित तिथि को उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है । और काउंसलिंग के पश्चात विश्वविद्यालय में निर्धारित रिक्तियो की संख्या के आधार पर प्रवेश हेतु अभ्यर्थी का चुनाव किया जाता है ।

☞ चयनित अभ्यर्थियो को विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत डाक से सूचना भेजने की तिथि से 10 दिन के भीतर छात्र को महाविद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश ले लेना चाहिए।

—: प्रवेश :—

☞ प्रवेश से पूर्व सम्बन्धित कालेज के प्राचार्य छात्रो के मूल प्रमाण पत्रों की जांच करने के उपरान्त ही प्रवेश देगे ।

☞ चयनित अभ्यर्थी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये एवम् प्रति हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को प्रवेश से पूर्व प्रस्तुत करना होगा, जिसमे इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि वह अभ्यर्थी हकलाता नही है और कान, आँख या किसी अन्य बीमारी के कारण अध्यापक होने के योग्य नही है ।

प्रशिक्षण अवधि

☞ बी0एड0 प्रशिक्षणार्थी को सम्बन्धित महाविद्यालय में एक वर्ष का विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना होता है ।

बी०एड० पाठ्यक्रम

सैद्धांन्तिक विषय

(1) शिक्षा के दार्शनिक एवम् सामाजिक आधार

(2) शिक्षा मनोविज्ञान

(3) भारतीय शिक्षा का इतिहास और समस्यायें

(4) विद्यालय प्रशासन

(5) शिक्षण विषय

एक वर्ष का निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात प्रशिक्षणार्थी को बी०एड० डिग्री विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है । बी०एड० डिग्री धारक निम्नलिखित पद / डिप्लोमा / उपाधि के लिए अर्हता रखते है ।

(1) माध्यमिक विद्यालयो में शिक्षको का अनिवार्य अर्हता के लिए बी०एड० डिग्री आवश्यक है । बिना बी०एड० डिग्री धारक माध्यमिक विद्यालयो में शिक्षको के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य नही होता ।

(2) माध्यमिक विद्यालयो मे प्रधानाचार्य पद हेतु

(3) एम०एड० (Master of Education) के पूर्व

(4) एस०डी०आई० (प्रति उप विद्यालय निरीक्षक) पद हेतु ।

—: मूल्यांकन :—

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते है कि B.Ed उपाधि, वर्तमान परिरिस्थितयों में शिक्षा के उन्नयन एवं गुणात्मक विकास के लिए तथा शिक्षको को शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, प्रशिक्षित करने के लिए अति आवश्यक है । B.Ed. प्रशिक्षित शिक्षक, छात्रो को उनके भविष्य का निर्देशन देने में तथा उन्हे एक राष्ट्र का "उत्तरदायी नागरिक" बनने में सहयोग दे सकेगें। जिससे राष्ट्र की नींव सुदृढ हो सकेगी ।

बी0एड0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात प्रशिक्षित बी0एड0 शिक्षा की समस्याओ एवं शिक्षा के इतिहास की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेगा । विद्यालय के प्रशासन, प्रबन्ध एवं क्रियान्वयन हेतु सक्षम होगा । ''शिक्षा मनोविज्ञान'' के अध्ययन के उपरान्त वह छात्रो की रूचि कल्पना, चिन्तन, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए शिक्षण सूचारू रूप से कर सकेगा । तथा छात्रो के लिए अच्छा निर्देशक, आदर्श व्यक्तित्व, सहयोगी एवं पथ प्रदर्शक बनकर ''नींव की ईंट'' साबित होगा ।

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग की पाठ्यक्रम समिति 1986 द्वारा प्रस्तावित बी0एड0 के पाठ्यक्रम (अवधि 2 वर्ष) को क्रियान्वित किया जा सकता है ।

भाग अ –

सिद्वान्त :–

प्रथम प्रश्न – सीखने वाला, प्रकृति एवं विकास

द्वितीय प्रश्न – भारतीय समाज में शिक्षक एवं शिक्षा

तृतीय प्रश्न – शिक्षण अधिगम प्रक्रिया

चतुर्थ प्रश्न –

खण्ड अ – विद्यालय प्रबन्ध

खण्ड ब – चयनित (ऐच्छिक विषय)

ऐच्छिक विषय — प्रथम विकल्प

पंचम प्रश्न — शिक्षण विधियां

षष्ठ प्रश्न — शिक्षण विशलेषण

— द्वितीय विकल्प —

सप्तम प्रश्न — शिक्षण विधिया

अष्टम प्रश्न — शिक्षण विश्लेषण

भाग ब —

अभ्यास —
1. शिक्षण अभ्यास
2. प्रयोगात्मक कार्य
3. शिविर
4. कार्य अनुभव
5. पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता

भास स —

प्रथम चरण — छात्र कार्य के लिये अनुस्थापन

द्वितीय चरण — विद्यालय एवं विद्यालय प्रणाली का अवलोकन तथा विषय अध्यापक के सहायक के रूप में कार्य करना ।

तृतीय चरण — नियमित शिक्षक की तरह कार्य करना ।

भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्यायें 1996 पृष्ठ 302

Paper I - Philosaphical and Sociological Basis of education

(शिक्षा का दार्शनिक एवं समाजिक आधार)

नोट :– इस प्रश्न पत्र में तीन भाग होगें । बीस आवश्यक वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रथम भाग में होगें जो भाग ए के नाम से होगा । 12 निबन्धात्मक प्रश्न लघु भाग बी में होंगे विद्यार्थीयो को इनमें से कोई 8 के उत्तर देने होंगे । 4 निबन्धात्मक के प्रश्न भाग सी में होंगे । विद्यार्थियो को इनमे से किन्ही दो के उत्तर देने होंगे ।

1. Concept of education – दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक रूपरेखा, व्यवहारिक तथा अव्यवहारिक, शिक्षा ।
2. दर्शन शास्त्र और शिक्षा, शैक्षिक दर्शन शास्त्र, इसका क्षेत्र तथा अध्यापकों की आवश्यकता।
3. भारतीय दर्शनशास्त्र और शिक्षा, शंकर का वेद ज्ञान और शिक्षा विवेकानन्द का नया वेद ज्ञान और शिक्षा गांधी जी का सर्वोदय दर्शन और शिक्षा ।
4. पश्चिमी दर्शन और शिक्षा, आर्दशवाद और शिक्षा में प्रकृतिवाद, अवरोधन और शिक्षा ।
5. समाज शास्त्र और शिक्षा, शैक्षिक समाज शास्त्र इसका क्षै.त्र और अध्यापको की आवश्यकता।
6. समाज तथा शिक्षा, भारतीय समाज और उसका महत्व, बच्चे का समाजीकरण, शिक्षा और समाजिक परिवर्तन, भारतीय समाज का आधुनिकीकरण, सन्तुलन, सभ्यकिरण तथा आधुनिकीकरण के बीच में ।
7. राजनीतिक तरीका तथा शिक्षा, प्रजातन्त्र और शिक्षा, राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा, और अन्तराष्ट्रीय शिक्षा ।
8. आर्थिक क्रम तथा शिक्षा, शिक्षा का प्रयोगीकरण ।
9. शिक्षा के उद्‌देश्य, वर्तमान भारतीय समाज और शिक्षा का उद्‌देश्य ।
10. पाठ्‌यक्रम के निर्माण के सिद्वान्त, वर्तमान भारतीय समाज और 10 वर्ष का पाठ्‌यक्रम आवश्यक, भारत में शिक्षा, नैतिक शिक्षा के विचार और पाठ्‌यक्रम में इसका स्थान ।

द्वितीय प्रश्न पत्र – शैक्षिक मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी

नोट – प्रश्न पत्र में तीन खण्ड होंगे बीस अनिवार्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न खण्ड A में होंगे खण्ड में B वारह लघु उत्तरीय होंगे । जिसमें विद्यार्थियों को आठ प्रश्न करने की जरूरत होगी खण्ड C में चार निवन्धात्मक प्रश्न होगे विद्यार्थियों कोई दो प्रश्न हल करने हैं।

M.M. (20+40+40) 100

1. शैक्षिक मनोविज्ञान – इसका आशय, प्रकृति तथा क्षेत्र और अध्यापक के लिये इसका महत्व
2. मानव वर्धन एवं विकास (शारीरिक, मानसिक भावनात्मक तथा सामाजिक) किशोरावस्था नाम बचपन के विशेष संदर्भ के साथ क्रम में आनुवंशिकता पर्यावरण की सम्बन्धित भूमिका
3. ज्ञान, इसकी प्रकृति मूल जांच व कलाभान के सिद्वान्त और शिक्षा की जानकारी के नियम कानून प्रशिक्षण का वदलाव, प्रेरणा इसका आशय और निहितार्थ सोचे और तर्क
4. स्मृति और भूलना : अच्छी स्मृति के लक्षण और भूलने के कारण ।
5. बुद्धि इसकी प्रकृति और माप बुद्धि के प्रकार, पाठशाला शिक्षा में इसके परीक्षण और उपयोग
6. व्यक्तिगत अन्तर – आशय कारण और उपवादिक बच्चों (अपराधी, पिछड़े प्रतिभाशाली) की शिक्षा
7. व्यक्तित्व – इसका आशय प्रकृति और पैमाइश व्यक्तित्व के मापन मे प्रक्षेपीय तकनीक।
8. रूचि और ध्यान : प्रकृति और सम्बन्ध।
9. माप और मूल्याकंन इन मदो का आशय और मानकीकृत परीक्षण का अध्ययन और एक सुपरीक्षण के भिन्न – 2 लक्षण

10. शैक्षिक सांख्यिकी – सांख्यिकी का आशय, मानक विचलन और श्रेणी सम्बन्ध चतुर्थक विचलन, शतमक, माध्य, माध्यिका और वहुलक की गणनायें आंकड़े का सारणीयन, वर्गीकरण एकत्रीकरण मनोविज्ञान शिक्षा में इसका प्रयोग –

तृतीय प्रश्न पत्र

भारतीय शिक्षा का इतिहास और समस्यायें

नोट – इसमें तीन खण्ड होंगे । खण्ड A में बीस वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगेहोंगे, बारह लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न B खण्ड में होगे विद्यार्थियों को किन्ही आठ प्रश्नो के उत्तर देने हैं । खण्ड A में चार निबन्धात्मक प्रश्न हैं विद्यार्थियों को किन्हीं दों प्रश्नों के उत्तर देने हैं ।

M.M. (20 + 40 + 40) 100

1. प्राचीन और मध्य भारत में शिक्षा संगठन और बिल के विशेष सन्दर्भ के साथ मुस्लिम वोद्धि और वैदिक शिक्षा के बहिर्गत विशिष्ट लक्षण शिक्षण के पाठ्यक्रम तरीकेऔर उसके प्रति लक्ष्य, गुरू तथा शिष्य सम्बन्ध भारत में वर्तमान प्रथा के मूल्यांकन का हन्टर आयोग ।
2. आधुनिक भारत में शिक्षा (स्वातन्त्रय पूर्व अवधि) ईसाई मिशनरियों के योगदान का जांच अध्ययन मेकाले का मिनट बुड का डिस्पैच और शिक्षा की वर्तमान प्रथा के मूल्यांकन का हन्टर आयोग
3. भारत में शिक्षा (स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद की अवधि) राधाकृष्ण आयोग का संक्षिप्त अध्ययन, प्राथमिक माध्यमिक और विश्वविद्यालयी शिक्षा विशिष्ट संदर्भ सहित मुदालियर और कोठारी आयोग
4. शिक्षा की राष्ट्रीय नीति राममूर्ति समिति आख्या
5. 10+ 2 + 3 की शिक्षा की राष्ट्रीय योजना इसके निहितार्थ और समस्यायें

6. भारत में प्राथमिक शिक्षा इसके विचार उद्देश्य और इसके प्रशासनिक सांगठनिक उद्देश्य अनिवार्य और स्वतंत्र शिक्षा के किये प्रबन्ध प्राथमिक शिक्षा की समस्या, 100 प्रतिशत पंजीकरण कार्य रूकाव और मानक और कोठारी आयोग के विशिष्ट संदर्भ में इनके निराकरण
7. भारत में माध्यमिक शिक्षा की समस्यायें, सुरक्षा उद्देश्य सार और विषय भाषा सूत्र परीक्षा प्रकाशन संगठन और मुदालियर तथा कोठारी आयोग के विशिष्ट संदर्भ में उनके निराकरण
8. भारत मे उच्च शिक्षा इसके विचार, उद्देश्य प्रशासन तथा संगठन उच्च शिक्षा की समस्यायें, मानक प्रवेश, कोठारी आयोग के विशिष्ट संदर्भ में अनुशासन
9. नारी शिक्षा के संदर्भ में सामयिक समस्यायें और उनके निराकरण प्रौढ़ शिक्षा और जनसंख्या शिक्षा
10. भारत में शैक्षिक अवसर की समानता, सवैधानिक निर्देश और उनके निराकरण

चतुर्थ प्रश्न पत्र

विद्यालय संगठन एंव स्वास्थ्य शिक्षा

नोट – सभी दस प्रश्नपत्रों में प्रत्येक प्रश्नपत्र 20 अंक का है । छात्र से केवल पांच प्रश्न पत्र हल करने हैं ।

1. भारत में शैक्षिक स्थापना वर्तमान शिक्षा की विस्तृत रूपरेखा

   (अ) केन्द्र स्तर (ब) राज्य स्तर (उत्तर प्रदेश)
2. विद्यालय की अवधारणा – विभिन्न प्रकार के प्राइवेट, पब्लिक, सामान्य एवं कान्वेन्ट विद्यालय, उनके गुण एवं दोष ।
3. एक अच्छा विद्यालय बनाना

(अ) इसका भवन, कक्षा, प्रयोगशालाएं कार्यशालाएं, संग्रहालय, पुस्तकालय एवं खेल का मैदान ।

(ब) विद्यालय में प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों का कार्य ।

(स) प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों के गुण एवं कर्तव्य ।

4. समय सारिणी निर्माण के सिद्वान्त ।

5. विद्यालय में सह पाठ्यगामी क्रिया कलापों के आयोजन (संगठित करने) के सिद्वान्त

6. स्वास्थ्य शिक्षा – स्वास्थ्य का प्रस्तुतीकरण, पोषक एवं सन्तुलित आहार।

7. विद्यालय के स्वस्थ पर्यावरण का बचाव (रक्षा), शारीरिक व्यायाम, खेलकूद।

8. रोग संक्रमण से निवारण, बीमारियॉ (जुकाम एवं खॉंसी, गलसुआ, छोटी चेचक, शीतला) मलेरिया, विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण।

9. विद्यालय अनुशासन – विद्यालय में अनुशासनहीनता का क्रम और उपचार ।

10. विभिन्न प्रकार के पोस्टर और उनका महत्व ।

पंचम प्रश्न पत्र

शिक्षण के सामान्य सिद्वान्त और पद्वति

नोट – तीन खण्ड होंगे । खण्ड 'अ' में 20 अनिवार्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। खण्ड 'ब' में 12 लघुउत्तरीय प्रश्न होंगे, विद्यार्थियों को कोई आठ प्रश्नो के उत्तर लिखने की आवश्यकता है । खण्ड 'स' में चार निबन्धात्मक प्रश्न होगे । विद्यार्थियो को कोई दो प्रश्न हल करने की आवश्यकता है ।

(20+40+40) = 100

1. शिक्षण का मनोवैज्ञानिक आधार–शिक्षण की अवधारणा, शिक्षण एवं सीखने में सम्बन्ध, शिक्षण के सिद्वान्त ।

2. शिक्षण की सामान्य पद्वतियॉ – आगमनात्मक एवं निगमनात्मक, संश्लेषण एवं विश्लेषण ।

3. शिक्षण की विशेष पद्वतियॉ – हयूरिस्टिक पद्वति, प्रोजक्ट पद्वति, मान्टसरी पद्वति, किण्डर गार्डन एवं डाल्टन योजना ।

4. शिक्षण के वैज्ञानिक आधार – शैक्षिक तकनीक (इसका अर्थ, क्षेत्र एवं महत्व) शैक्षिक तकनीक के प्रकार उनके प्रयोग एवं सीमाये ।

5. सुनियोजित निर्देश एवं सूक्ष्म शिक्षण

6. पाठ्य योजना – याद्दाश्त एवं महत्व, विभिन्न प्रकार के पाठों की हरबर्ट प्रणाली योजना ।

7. शिक्षण युक्तियों के प्रयोग–प्रत्यक्ष कथन, कार्य पुनरावृत्ति एवं गृह कार्य ।

8. दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग–श्यामपट, नक्शे चार्ट एवं माडल ।

9. दृश्य श्रव्य सामग्री एवं उनके प्रयोग रेडियो टेप रिकार्ड, वीडियो ।

10. टेलीविजन शैक्षिक कार्यक्रमो के शैक्षिक महत्व

षष्ठ प्रश्न पत्र

विद्यालीय विषयो का शिक्षण

नोट – प्रत्येक विद्यालयीय विषय के लिए अलग प्रश्नपत्र होगा 50 अंक (10+20+20) और डेढ़ घण्टे समय । प्रत्येक विद्यालयीय विषय विषय के तीन खण्ड होंगे। खण्ड 'अ' में दस अनिवार्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, खण्ड 'ब' में छः लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, छात्रो को कोई चार प्रश्नो के उत्तर देने होगे, खण्ड 'स' में चार निबन्धात्मक प्रश्न होंगे, छात्रो को कोई दो प्रश्नो के उत्तर देने होंगे।

षष्ठ(अ) मातृभाषा हिन्दी का शिक्षण

1. भाषा की प्रकृति, ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान वाक्य रचना ।

2. एक बालक की शिक्षा में मातृभाषा का महत्वऔर प्राइमरी, जूनियर, हाईस्कूल और माध्यमिक शिक्षा में इसका स्थान ।

3. मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य ।

4. पाठ्यक्रम – मातृभाषा में पाठयक्रम निर्माण के सामान्य सिद्वान्त, विभिन्न स्तरों पर हिन्दी में अध्ययन के पाठ्यक्रम । सुधारो का एक आलोचनात्मक सुझाव ।

5.(a) मातृभाषा शिक्षण के सामान्य सिद्वान्त मातृभाषा शिक्षण की समस्याये, स्तरीय भाषा ।

(b) सुनने और बोलने की कुशलता का विकास ।

(c) पढ़ने (मौन और मौखिक) और लेखन कुशलता, उच्चारण और वर्तनी का विकास ।

(d) मातृभाषा में गद्य, पद्य, नाटक, कहानी, शीघ्र पाठन, निबन्ध, व्याकरण और अनुवाद पाठय योजना की पद्वतियॉ और उद्देश्य ।

(e) साहित्यिक प्रशंसा का विकास, रस औश्र अलंकारो का शिक्षण ।

(f) नाट्य और अन्य साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप, मातृभाषा के शिक्षण में उनका महत्व और उनका गठन ।

6. पाठ्य पुस्तकें – मातृभाषा के शिक्षण में पाठ्य पुस्तको का महत्व हिन्दी में वर्तमान पाठ्यपुस्तको का एक आलोचनात्मक अन्दाज (उपयोगिता का) सुधार के लिए सुझाव ।

7. भाषा कक्ष और भाषा प्रयोगशाला की आवश्यकता और उपकरण ।

8. एक अच्छे हिन्दी शिक्षक की विशेषताएं ।

9. भाषा कौशल्यता के विभिन्न मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण। (निबन्धात्मक, लघुउत्तरीय, और वस्तुनिष्ठ)

षष्ठ – (ब) प्राचीन भाषा संस्कृत का शिक्षण

1. भाषा की प्रकृति– इसको ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान और वाक्य रचना, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाएं ।
2. भारतीय समाज में संस्कृत का महत्व और प्राचीन भाषा के रूप में प्राइमरी, जूनियर, हाईस्कूल और माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में इसका महत्व ।
3. संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य ।
4. पाठ्यक्रम – विभिन्न स्तरों के संस्कृत में अध्ययन के पाठ्यक्रम, संस्कृत में वर्तमान पाठ्यक्रम का एक आलोचनात्मक अन्दाज (उपयोगिता का सुधार के लिये सुझाव) ।

5.(a) संस्कृत शिक्षण के सामान्य सिद्वान्त ।

(b) पढ़ने (मौखिक एवं मौन) और लिखने, उच्चारण और वर्तनी में प्रशिक्षण ।

(c) सुनने और बोलने में प्रशिक्षण ।

(d) संस्कृत पाठशाला शिक्षण की पारस्परिक और आधुनिक पद्वति, पाठ्य पुस्तक भण्डारकर, प्रत्यक्ष और सांस्कृतिक ।

(e) गद्य, पद्य शिक्षण की पद्वति और उद्देश्य, व्याकरण, निबन्ध और अनुवाद, पाठ्य योजना की पद्वति एवं उद्देश्य ।

6. दृश्य श्रव्य सामग्री और उनका संस्कृति के शिक्षण में प्रयोग ।
7. पाठ्य पुस्तके – संस्कृत में अच्छी पाठ्य पुस्तक के लक्षण, संस्कृत में वर्तमान पाठ्य पुस्तक का एक आलोचनात्मक अंदाज (उपयोगिता का) सुधार के लिए सुझाव ।
8. भाषा कक्ष एवं प्रयोगशाला आवश्यकता एवं उपकरण ।
9. एक अच्छे संस्कृत शिक्षक की विशेषताएं ।

10. भाषा कौशल्यता के मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण ।
(निबन्धात्मक, लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ)

षष्ठ (स) विदेश भाषा शिक्षण

1. भारत में अंग्रेजी अभिनय और महत्व, प्राइमरी, जूनियर, हाईस्कूल और माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में इसका स्थान ।
2. भारत में अंग्रेजी शिक्षण का उद्देश्य ।
3. पाठ्यक्रम – विभिन्न स्तरो पर अंग्रेजी में अध्ययन का पाठ्यक्रम, अंग्रेजी में वर्तमान पाठ्यक्रम का एक आलोचनात्मक अंदाज (उपयोगिता का), सुधार के लिए सुझाव ।

4.(a) द्वितीय भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्वान्त, द्वितीय भाषा में आवश्यक कौशल्यता में मातृभाषा का हस्तक्षेप ।
(b) सुनने और बोलने की कौशल्यता का विकास ।
(c) पढ़ने (मौखिक, मौन) और लेखन कौशल्यता, उच्चारण और वर्तनी का विकास ।

5(a) गद्य, पद्य, शीघ्र पाठन, निबन्ध, व्याकरण और नाट्य रूपान्तर पद्वतियाँ और उद्देश्य ।
(b) रचना सम्बन्धी अभिगम और द्विभाषा पद्वति ।
(c) अंग्रेजी शिक्षण में वाद विवाद और नाट्य रूपान्तरण का महत्व ।

6. दृश्य श्रव्य सामग्री और उनका संस्कृति के शिक्षण में प्रयोग ।
7. पाठ्य पुस्तके – अंग्रेजी में अच्छी पाठ्य पुस्तक के लक्षण, संस्कृत में वर्तमान पाठ्य पुस्तक का एक आलोचनात्मक अंदाज (उपयोगिता का) सुधार के लिए सुझाव ।
8. भाषा कक्ष एवं प्रयोगशाला आवश्यकता एवं उपकरण ।

9. एक अच्छे संस्कृत शिक्षक की विशेषताएं ।

10. भाषा कौशल्यता के मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण ।
    (निबन्धात्मक, लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ)

षष्ठ (द) इतिहास शिक्षण

1. इतिहास की प्रकृति और क्षेत्र, भारतीय इतिहास ।

2. प्राइमरी, जूनियर, हाईस्कूल और माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में इसका स्थान और इतिहास क़ा महत्व ।

3. इतिहास शिक्षण के उद्देश्य ।

4.. पाठयक्रम – विभिन्न स्तरों का इतिहास में अध्ययन का पाठ्यक्रम इतिहास में वर्तमान पाठ्यक्रम का एक आलोचनात्मक अंदाज (उपयोगिता के सुधार के लिए सुझाव)

5(a) इतिहास शिक्षण की पद्वतियॉ, पाठ्य पुस्तकें, कहानी सुनाने वाले वर्णन, समस्यात्मक प्रोजेक्ट और मूलभूत पद्वतियॉ ।

(b) इतिहास शिक्षण में परिवीक्षित अध्ययन, विवेचन, सामूहिक वाद विवाद, नाट्य रूपान्तरण और आनन्द भ्रमण का महत्व ।

(c) इतिहास शिक्षण से प्राचीन वास्तविकता बताना ।

(d) पाठ्य योजना

6. इतिहास से दूसरे विद्यालयीय विषयों का सह सम्बन्ध ।

7. दृश्य श्रव्य सामग्री और उसका इतिहास शिक्षण में प्रयोग ।

8. पाठ्य पुस्तक – इतिहास में एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के लक्षण, इतिहास में वर्तमान पाठ्य पुस्तको का एक आलोचनात्मक अंदाज (उपयोगिता का)

9. इतिहास में ज्ञान मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार के निबन्धात्मक लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ परीक्षण ।

10. इतिहास में ज्ञान मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार के निबन्धात्मक, लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ परीक्षण ।

षष्ठ (य) भूगोल शिक्षण

1. भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र, साहित्य और विज्ञान के मध्य सेतु रूप में ।
2. प्राइमरी जूनियर, हाईस्कूल और माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भूगोल का महत्व और स्थान । क्षेत्रीय भूगोल इसका अर्थ, महत्व और उपयोगिता।
3. भूगोल शिक्षण के उद्देश्य ।
4. पाठ्यक्रम – भूगोल में पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्वान्त, विभिन्न स्तरो पर भूगोल में पाठ्यक्रम, भूगोल के वर्तमान पाठ्यक्रम का एक आलाचनात्मक अंदाज (उपयोगिता का) सुधार के लिए सुझाव ।

5(a) भूगोल शिक्षण की पद्वतियॉ (पाठ्य पुस्तक कहानी सुनाना, प्रत्यक्ष, प्रयोगशाला निरीक्षण, क्षेत्रीय तुलनात्मक प्रोजक्ट विवेचन, सेमिनार, सिम्पोजियम, कार्यशाला और संकेन्द्रिक)

(b) भूगोल शिक्षण में स्थानीय स्त्रोतो का उपयोग ।

(c) भूगोल शिक्षण में आनन्द भ्रमण (सैर) का महत्व ।

(d) पाठ्य योजना

6. भूगोल से दूसरे विद्यालयीय विषयो का सह–सम्बन्ध ।
7. दृश्य–श्रव्य सामग्री और भूगोल शिक्षण में उनका प्रयोग ।
8. पाठ्य पुस्तक – भूगोल में अच्छी पाठ्य पुस्तक के लक्षण, भूगोल में वर्तमान पाठ्य पुस्तक का एक आलोचनात्मक अंदाज (उपयोगिता का) सुधार के लिए सुझाव ।
9. भूगोल कक्ष, प्रयोगशाला और संग्रहालय, उनकी आवश्यकता, गठन और उपकरण ।

10. भूगोल में ज्ञान मूल्यांकन के लिये विभिन्न प्रकार के परीक्षण (निबन्धात्मक लघुन्तरीय एवं वस्तुनिष्ठ)

षष्ठ (य) नागरिक शास्त्र शिक्षण

1. नागरिक शास्त्र का क्षेत्र एवं प्रकृति ।
2. नागरिक शास्त्र का महत्व और प्राइमरी, जूनियर, हाईस्कूल और माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में इसका स्थान ।
3. नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य ।
4. पाठयक्रम – विभिन्न स्तरो पर नागरिक शास्त्र में अध्ययन के पाठ्यक्रम नागरिक शास्त्र में वर्तमान पाठ्यक्रम का एक आलोचनात्मक अंदाज (उपयोगिता का सुधार के लिए सुझाव)

5(a) नागरिक शास्त्र शिक्षण की पद्वति (समस्या हल करना, प्रोजेक्ट, परिवीक्षण, क्रियाकलाप और इकाई)

(b) विवेचन, नाट्य रूपान्तरण, समुदाय सर्वेक्षण सैर, बनावटी क्रियाकलाप ।

(c) नागरिक शास्त्र शिक्षण में क्षेत्रीय स्त्रोतो का उपयोग

(d) पाठ्य योजना ।

6. नागरिक शास्त्र से दूसरे विद्यालयीय विषयो का सह सम्बन्ध ।
7. दृश्य–श्रृय सामग्री और नागरिक शास्त्र शिक्षण में उनका उपयोग ।
8. पाठ्यक्रम – नागरिक शास्त्र में एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के लक्षण, नागरिक शास्त्र में वर्तमान पाठ्य पुस्तक का एक आलोचनात्मक अन्दाज (उपयोगिता का) सुधार के लिए सुझाव ।
9. नागरिक शास्त्र कक्ष– इसकी आवश्यकता, गठन और उपकरण ।
10. नागरिक शास्त्र में ज्ञान मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण (निबन्धात्मक, लघुन्तरीय एंव वस्तुनिष्ठ)

षष्ठ (र) अर्थ शास्त्र शिक्षण

1. अर्थ शास्त्र का क्षेत्र एवं प्रकृति ।
2. पाठ्यक्रम में अर्थ शास्त्र का महत्व एवं साधन
3. अर्थ शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य ।
4. पाठयक्रम – अर्थ शास्त्र में अध्ययन के पाठ्यक्रम अर्थ शास्त्र में वर्तमान पाठ्यक्रम का एक आलोचनात्मक अंदाज (उपयोगिता का सुधार के लिए सुझाव)

5(a) अर्थशास्त्र शिक्षण की पद्वति (वर्णनात्मक, तुलनात्मक, स्त्रोत, कार्य, प्रोजेक्ट, पाठ्यपुस्तक, इकाई और सर्वेक्षण)

(b) अर्थशास्त्र शिक्षण में मौखिक उदाहरणो और आन्नद भ्रमण का महत्व।

(c) अर्थशास्त्र शिक्षण में स्थानीय स्त्रोतो का उपयोग

(d) पाठ्य योजना ।

6. अर्थशास्त्र से दूसरे विद्यालयीय विषयो का सह सम्बन्ध ।
7. दृश्य–श्रव्य सामग्री और अर्थशास्त्र शिक्षण में उनका उपयोग ।
8. पाठ्यक्रम – अर्थशास्त्र में एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के लक्षण, अर्थशास्त्र में वर्तमान पाठ्य पुस्तक का एक आलोचनात्मक अन्दाज (उपयोगिता का) सुधार के लिए सुझाव । (इकाई प्रकरण एवं समस्यात्मक)
9. अर्थशास्त्र कक्ष– इसकी आवश्यकता, गठन और उपकरण ।
10. अर्थशास्त्र में ज्ञान मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण (निबन्धात्मक, लघु उत्तरीय एंव वस्तुनिष्ठ)

षष्ठ (ल) कला शिक्षण

1. कला की प्रकृति एवं क्षेत्र ।

2. कला का महत्व एवं प्राईमरी, जूनियर, हाईस्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में इसका स्थान ।

3. संगीत की प्रकृति एवं क्षेत्र, गायन और वाद्य संगीत ।

2. संगीत का महत्व, प्राइमरी, जूनियर, हाईस्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में इसका स्थान ।

3. संगीत शिक्षण के उद्देश्य ।

4. पाठयक्रम – विभिन्न स्तरो में कला में अध्ययन के पाठ्यक्रम कला में वर्तमान पाठ्यक्रम का एक आलोचनात्मक अंदाज (उपयोगिता का सुधार के लिए सुझाव)

5(a) कला शिक्षण की पद्वतियाँ ।

(b) स्वतंत्र अभिव्यक्ति पुनः प्रस्तुतिकरण, विभिन्न स्तरो पर आकृति तथा माडलिंग ।

(c) कल्पना एवं माडलिंग पुन प्रस्तुतीकरण ।

(d) पाठ्य योजना ।

6. कला से अन्य विद्यालयीय विषयो का सह सम्बन्ध ।

7. दृश्य–श्रव्य सामग्री और कला शिक्षण में उनका उपयोग ।

8. पाठ्यक्रम – कला में एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के लक्षण, कला में वर्तमान पाठ्य पुस्तक का एक आलोचनात्मक अन्दाज (उपयोगिता का) सुधार के लिए सुझाव ।

9. कला कक्ष– इसकी आवश्यकता, उपकरण और सजावट ।

10. कला में अभ्यास कौशल्यता परीक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण (निबन्धात्मक, लघुउत्तरीय एवं वस्तुनिष्ठ)

षष्ठ (आई) संगीत शिक्षण

1. संगीत की प्रकृति एवं क्षेत्र, गायन और वाद्य संगीत ।
2. संगीत का महत्व, प्राईमरी, जूनियर, हाईस्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में इसका स्थान ।
3. संगीत शिक्षण के उद्देश्य ।
4. पाठयक्रम – शास्त्रीय, फिल्म, लोक संगीत और पाठ्यक्रम में समावेश प्रत्येक के दावे विद्यालयीय बच्चों के लिए गीत ।

5(a) राग शिक्षण के सामान्य सिद्वान्त ।

(b) अच्छी सूक्ति एवं लाल पद्वति ।

(c) लय ज्ञान (बोध) में प्रशिक्षण

(d) पाठ्य योजना ।

6. संगीत से दूसरे विद्यालयीय विषयो का सह सम्बन्ध ।
7. दृश्य–श्रृव्य सामग्री और संगीत शिक्षण में उनका उपयोग ।
8. पाठ्यक्रम – संगीत में एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के लक्षण, संगीत में वर्तमान पाठ्य पुस्तक का एक आलोचनात्मक अन्दाज (उपयोगिता का) सुधार के लिए सुझाव ।
9. संगीत कक्ष– इसकी आवश्यकता, उपकरण और गठन ।
10. संगीत ज्ञान मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण (निबन्धात्मक, लघुउत्तरीय एवं वस्तुनिष्ठ)

षष्ठ (जे) गणित शिक्षण

1. गणित की प्रकृति एवं क्षेत्र, अंकगणित की अवधारणा, बीजगणित, ज्यामित एवं सांख्यिकी की अवधारणा ।

2. गणित का महत्व एवं प्राइमरी, जूनियर, हाईस्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा के पाठयक्रम में इसका स्थान ।

3. गणित शिक्षण के उद्देश्य ।

4. पाठयक्रम – विभिन्न स्तरों पर गणित में अध्ययन के पाठ्यक्रम, एक आलाचनात्मक सुधार ।

5(a) गणित शिक्षण की पद्वतियाँ – आगमनात्मक और नगमनात्मक, संश्लेषण एवं विश्लेषण, हनूरिस्टिक, प्रयोगशाला, समस्या और प्रोजेक्ट ।

(b) अंकगणित, बीजगणित, ज्यामति और सांख्यिकी शिक्षण की पद्वतियाँ और उद्देश्य, पाठ्य योजना ।

(c) गणित में मौखिक एवं लिखित कार्य, लिखित कार्य में सुधार ।

(d) गणित शिक्षण में गति और यथार्थता का महत्व, इसे प्राप्त करने का अर्थ।

6. गणित शिक्षण को रोचक बनाना ।

7. दृश्य–श्रव्य सामग्री और गणित शिक्षण में उनका उपयोग ।

8. पाठ्यक्रम – गणित में एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के लक्षण, गणित में वर्तमान पाठ्य पुस्तक का एक आलोचनात्मक अन्दाज (उपयोगिता का) सुधार के लिए सुझाव ।

9. विद्यालय में एक गणित प्रयोगशाला विकसित करना ।

10. मूल्यांकन – तैयारी और उपलब्धि परीक्षण के रूप में मूल्यांकन तरीको का प्रयोग (निदानात्मक परीक्षण एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण)

षष्ठ (के) शारीरिक विज्ञान शिक्षण

1. शरीर एंव जीवन विज्ञान की प्रकृति विज्ञान का क्षेत्र ।

2. शरीर विज्ञान का महत्व (भौतिक एवं रसायन) वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना ।

3. शरीर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य (भौतिक एवं रसायन) वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना ।

4. पाठ्यक्रम – विभिन्न स्तरो पर शरीर विज्ञान में अध्ययन के पाठ्यक्रम, शरीर विज्ञान में वर्तमान पाठ्यक्रम का एक आलोचनात्मक अंदाज (उपयोगिता का), सुधार के लिए सुझाव, विद्यालयो के लिए सामग्री का चयन, विभिन्न स्थितियों

5 (a) शरीर विज्ञान शिक्षण की पद्वतियां, हयूरिस्टक, क्रियात्मक, सकेन्द्रित प्रयोगशाला और प्रोजेक्ट ।

(b) शरीर विज्ञान शिक्षण में स्थानीय स्त्रोतो का उपयोग ।

(c) पाठ्य योजना ।

6. सह पाठ्यगामी क्रिया कलापो का महत्व (विज्ञान क्लब, विज्ञान मेला, और शरीर विज्ञान शिक्षण मे आनन्द भ्रमण)

7. दृश्य–श्रृव्य सामग्री और शरीर विज्ञान शिक्षण और यंत्रो में उनका उपयोग ।

8. पाठ्यक्रम – शरीर विज्ञान में एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के लक्षण, सुधार के लिए सुझाव ।

9. प्रयोगशाला – इसकी आवश्यकता, योजना और उपकरण ।

10. शरीर विज्ञान में व्यावहारिक, कौशल्यता परीक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण (निदानात्मक परीक्षण एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण)

षष्ठ (एल) जीव विज्ञान (जीवन विज्ञान) शिक्षण

1. विज्ञान की प्रकृति, शारीरिक और वैज्ञानिक, जैव वैज्ञानिक विज्ञान का क्षेत्र ।

2. जीवन विज्ञान का महत्व, प्राइमरी, जूनियर, हाईस्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में इसका स्थान ।

3. जीवन विज्ञान (जन्तु एवं वनस्पति) शिक्षण के उद्देश्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना ।

4. पाठयक्रम – विभिन्न स्तरो पर जीवन विज्ञान में अध्ययन के पाठ्यक्रम, सुधार के लिए सुझाव, विभिन्न स्थित विद्यालयो के लिए सामग्री का चयन।

5 (a) जीवन विज्ञान (जन्तु एवं वनस्पति) शिक्षण पद्वति–हयूरिस्टिक, क्रियात्मक, संकेन्द्रिक प्रयोगशाला एवं प्रोजेक्ट ।

5(b) जीवन विज्ञान शिक्षण में स्थानीय स्त्रोतो का उपयोग .

5(c) पाठ्य योजना ।

6. सहपाठ्यगामी क्रियाकलापो का महत्व (विज्ञान क्लब, विज्ञान मेला और आनन्द भ्रमण) जीवन विज्ञान शिक्षण में ।

7. दृश्य–श्रृव्य सामग्री और शरीर विज्ञान शिक्षण में उनका उपयोग ।

8. पाठ्य पुस्तके – जीवन विज्ञान में अच्छी पाठ्य पुस्तक के लक्षण, जीवन विज्ञान में वर्तमान पाठ्य पुस्तक का एक आलोचनात्मक अंदाज (उपयोगिता) सुधार के लिए सुझाव ।

9. जीवन विज्ञान विकसित करना, संग्रहालय, जलजीवशाला और प्रयोगशाला उनकी आवश्यकता, योजना और उपकरण, संग्रह, संवर्धन और परिरक्षा तकनीक ।

10. विज्ञान में व्यावहारिक, कौशल्यता परीक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण (निबन्धात्मक, लघुउत्तरीय एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण) ।

षष्ठ (एम) गृह विज्ञान शिक्षण

1. गृह विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र ।

2. गृह विज्ञान का महत्व एवं पाठ्यक्रम में इसका स्थान ।

3. विद्यालयो में गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य ।

4. पाठयक्रम – विभिन्न स्तरो पर जीवन विज्ञान में अध्ययन के पाठ्यक्रम, गृह विज्ञान में वर्तमान पाठ्यक्रम का एक आलोचनात्मक अंदाज (उपयोगिता) सुधार के लिए सुझाव,

5 (a) गृह विज्ञान शिक्षण की पद्वतियॉ – विवेचन प्रयोगशाला, क्रियात्मक, फील्ड यात्रा, प्रोजक्ट, समस्या निदान, सामूहिक कार्य और कार्य

5(b) शिक्षण की पद्वतियॉ एवं उद्देश्य – सिलाई, गृह निर्वाह (संभालना), पढ़ाना, कपड़ो की धुलाई, बाल सुश्रुषा औश्र प्राथमिक उपचार

5(c) पाठ्य योजना ।

6. गृह विज्ञान से दूसरे विद्यालयीय विषयो का सह सम्बन्ध ।

7. दृश्य–श्रव्य सामग्री और गृह विज्ञान शिक्षण में उनका उपयोग ।

8. पाठ्य पुस्तके – गृह विज्ञान में अच्छी पाठ्य पुस्तक के लक्षण, गृह विज्ञान में वर्तमान पाठ्य पुस्तक का एक आलोचनात्मक अंदाज (उपयोगिता) सुधार के लिए सुझाव ।

9. गृह विज्ञान कक्ष और प्रयोगशाला – उनकी आवश्यकता, गठन और उपकरण ।

10. गृह विज्ञान में व्यावहारिक, कौशल्यता परीक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण (निबन्धात्मक, लघुउत्तरीय एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण) ।

षष्ठ (एन) वाणिज्य शिक्षण

1. वाणिज्य के प्रकृति एवं क्षेत्र, वही रखरखाव और लेखा टंकण लेखान और आशुलिपि ।

2. वाणिज्य का महत्व एवं पाठ्यक्रम में इसका स्थान ।

3. वाणिज्य शिक्षण के उद्देश्य ।

4. पाठयक्रम – वाणिज्य में अध्ययन के पाठ्यक्रम, वाणिज्य में वर्तमान पाठ्यक्रम का एक आलोचनात्मक अंदाज (उपयोगिता) सुधार के लिए सुझाव ।

5(a) वाणिज्य शिक्षण की पद्वति – (बही रख रखाव, टंकण और आशुलिपि) ।

5(b) वाणिज्य शिक्षण में स्थानीय स्त्रोतों का प्रयोग ।

5(c) पाठ्य योजना ।

6. वाणिज्य से दूसरे विद्यालयीय विषयों का सह सम्बन्ध ।

7. दृश्य–श्रृव्य सामग्री और गृह विज्ञान शिक्षण में उनका उपयोग ।

8. पाठ्य पुस्तके – गृह विज्ञान में अच्छी पाठ्य पुस्तक के लक्षण, वाणिज्य में वर्तमान पाठ्य पुस्तक का एक आलोचनात्मक अंदाज (उपयोगिता का) सुधार के लिए सुझाव ।

9. वाणिज्य कक्ष – उनकी आवश्यकता, गठन और उपकरण ।

10. लेखन और आशुलिपि में व्यावहारिक, कौशल्यता मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण (निबन्धात्मक, लघुउत्तरीय एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण)

M.Ed का पाठ्यक्रम

शोध प्रबन्ध – शोध प्रबन्ध शोध प्रकृति का होना चाहिये और शोध प्रबन्ध का विषय वैकल्पिक प्रश्न पत्रो से निकट रूप से सम्बन्धित होना चाहिये या भारत की ज्वलंत समस्याओ पर होना चाहिये ।

अभ्यर्थी को विभाग के किसी प्रवक्ता के पथ प्रदर्शन में अपना शोध निबन्ध पूर्ण करना है, एक प्रवक्ता जहाँ तक सम्भव हो, एक सत्र में चार अभ्यर्थियो से अधिक का मार्ग दर्शन नही करेगा ।

अभ्यर्थी अपना शोध प्रबन्ध अपने विभागाध्यक्ष को अपनी घोषणा के साथ कि यह उसका निजी कार्य में और इसके पूर्व यह दाखिल नही किया गया और अपने पथ – प्रदर्शन का प्रमाण पत्र कि यह शोध प्रबन्ध मौलिक कार्य है और उसके पथ प्रदर्शन में किया गया है । विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय के कुल सचिव के सग्रहित शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करेगा ।

शोध प्रबन्ध का परीक्षण वाहय परीक्षक (केवल विश्वविद्यालय के बाहर का) द्वारा किया जायेगा । परीक्षक शोध प्रबन्ध प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर कुल सचिव को अंक दाखिल (प्रस्तुत) करेगा । मूल्यांकन अधिकतम 100 अंको का किया जायेगा ।

मौखिक परीक्षा –

अभ्यर्थियो को अधिकतम 100 अंको में मौखिक परीक्षा देनी होगी । मौखिक परीक्षा तीन परीक्षको के मण्डल द्वारा संचालित की जायेगी अभ्यर्थियो का पर्यवेक्षक एक वाहय परीक्षक और विभाग से सम्बन्धित एक आन्तरिक परीक्षक मौखिक परीक्षा के अंक 100 अंको से मण्डल के सभी तीनो परीक्षको के हस्ताक्षरित, कुलसचिव को प्रस्तुत किये जायेगे ।

मौखिक परीक्षा प्रति वर्ष सत्र की समाप्ति के पूर्व संचालित की जायेगी, विभागाध्यक्ष द्वारा यह निश्चित किया जाना है कि केन्द्र के सभी

अभ्यर्थियो की मौखिक परीक्षा उसी तिथि को संचालित हुई है । उल्लेखित (अभिलिखित) सूचना के पश्चात यदि कोई मौखिक परीक्षा के लिये निश्चित तिथि पर नही आता है । तो विभागाध्यक्ष और वाहय परीक्षक विद्यालय के प्रधानाचार्य की लिखित अनुमति से अभ्यर्थी परीक्षा संचालित करने के लिये अधिकृत होगी ।

एम. एड. परीक्षा

प्रथम प्रश्न पत्र

दशक्षा I ार्शदन और सामादज बुदनया

UNIT-1- दर्शन की पाठशालायें – सिद्धान्तवाद यथार्थवाद, ज्ञान के विचारों के प्रति उपयोगितावाद और मार्क्सवाद के विशिष्ट संदर्भ यथार्थता और मूल्य उद्देश्य के लिये उनके शैक्षिक निहितार्थ, शिक्षा की विषय वस्तु और तरीके।

UNIT-2- ज्ञान के विचारो के प्रति विशिष्ट सन्दर्भ के साथ दर्शन की भारतीय पाठशालायें, यथार्थता व मूल्य और उनके शैक्षिक निहितार्थ सांख्य, वेदान्त, गीता बोद्धवाद जैन वाद तथा इस्लामिक परम्परायें।

UNIT-3- शैक्षिक चिन्तन के प्रति विवेकानन्द, टैगोर, गाँधी और आरविन्दो के योगदान।

UNIT-4- राष्ट्रीय मूल्य – जेसे भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित उनके निहितार्थ।

UNIT-5- एक सामाजिक उप–प्रथा के रूप में यह विशष्टि लक्षणों वाली शिक्षा है तथा अन्य सामाजिक उप प्रथा के साथ इसकी पारस्परिक क्रिया परिवार, समुदाय अर्थ और धर्म शिक्षा तथा संस्कृति।

UNIT-6- भारतीय संदर्भ मे सामाजिक तथा शैक्षिक परिवर्तन –

1. शिक्षा–सामाजिक स्तर तथा समाजिक गतिशीलता

2. सामाजिक निष्पक्षता तथा शैक्षिक अवसरों की समानता।
3. भारत में सामाजिक परिवर्तन का नियंत्रण : जाति, वर्ग, भाषा तथा धर्म, क्षेत्रीय तथा वर्गीय असन्तुलन
4. सामाजिकता और आर्थिक रूप से असुविधा अनुसचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति की शिक्षा, नारी ग्रामीण जनसंख्या

UNIT - 7 - प्रजातंत्र और शिक्षा

दद्वतीय प्रश्न पत्र

अदग्रम शैदक्ष मनोदवज्ञान

UNIT - 1 - मनोविज्ञान की पाठशाला – स्कूल का विचार और मनोविज्ञान की पाठशालायें, क्षेत्र मनोविज्ञान, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, मनो–विश्लेषण–व्यवहार वाद, संसर्गवाद क्रियावाद, संरचनावाद की संक्षिप्त वर्णन

UNIT - 2 - पढ़ाई और प्रेरणा – शिक्षा के सिद्धान्त कष्ट बोध, शर्ते पावलों का शास्त्रीय और स्कीमर की कारगर शर्ते अन्तर्द्वन्क द्वारा, ज्ञान, हूल का शुद्धिकरण सिद्धान्त और टोलमेन का शिक्षा का सिद्धान्त

1. GANGE की शिक्षा का धर्मतंत्र
2. शिक्षा को प्रभावित करने वाले तत्व
3. ज्ञान और प्रेरणा
4. ज्ञान की शर्ते (1) सामीप्यता (2) सुदृढ़ीकरण (3) सामान्यीकरण (4) अभ्यास (5) विभेदीकरण

UNIT - 3 - बुद्धि – इसके सिद्धान्त तथा माप

UNIT - 4 - (अ) व्यक्तित्व : अर्थ और व्यक्तित्व के निर्धारक व्यक्तित्व रूपक सिद्धान्त लक्षण – सिद्धान्त और मनोविश्लेषक सिद्धान्त

(ब) सामायोजन – समायोजन का प्रारूप

UNIT - 5 - (अ) प्रतिभाशाली बच्चे – प्रतिभाशीलता की प्रकृति – प्रतिभाशाली बच्चो के गुण उनकी समस्यायें और उनके किये शैक्षिक कार्यक्रम ।

(ब) पिछड़ा, मंद बुद्वि और निम्न उपलब्धिकर्ता उनकी प्रकृति कारण और निवारक और निरोधक माप

(स) अपराधी – अर्थ कुछ हालके के विचार और कारण अपराध के निवारक और निरोधक माप

UNIT - 6 - (अ) बर्ताव परिवर्तन : अर्थ बर्ताव परिवर्तन की आवश्यकता और महत्व : बर्ताव परिवर्तन का यंत्र विन्यास और इसमें अध्यापक की भूमिका

(ब) निम्न से विशेष सन्दर्भ सहित प्रेरणा का अर्थ एवं प्रकार

(1) आवश्यक उपलब्धि

(2) सुदृढ़ करने वाला और

(3) अध्ययन में संक्षिप्तता – प्रेरणा के सिद्धान्त और उनके निहितार्थ

UNIT - 7 - (अ) रचनात्मक – परिभाषा और रचनात्मकता की प्रकृति : वृद्धि से इसका सम्बन्ध : व्यक्तिगत संरचना की पहचान ओर सम्भावित संरचना के पालन के लिये कार्यक्रम

(ब) अनुकूल विकास – Player और Ausbel और उनके शैक्षिक निहितार्थ द्वारा दिये गये अनुकूलन विकास के विचार

(स) विचार – रूप

तृतीय प्रश्न पत्र

शैक्षिक शोध का प्रणाली विज्ञान

UNIT - 1 - शैक्षिक शोध की प्रकृति तथा विस्तार आशय और प्रकृति, आवश्यकता और उद्देश्य, वैज्ञानिक जानकारी तथा सिद्धान्त विकास, मौलिक व्यवहारिक और कार्य शोध।

UNIT - 2 - शोध समस्या का प्रतिपादन, समस्या की पहचान करने मानदण्ड तथा श्रोत रूपरेखा और परिचालन परिवर्तनीय (परवर्ती) विकसित अनुमान और शोध की विविधताओं में परिकल्पनायें।

UNIT - 3 - आंकड़े का एकीकरण, जनसंख्या और वानगी का विचार, बानगी के विविध तरीक, एक अच्छी बानगी के गुण

UNIT - 4 - औजार एवं तकनीकियाँ – एक अच्छे शोध औजार के गुण, औजार और तकनीकियों के प्रकार और उनके उपयोग प्रश्नमाला, – साक्षात्कार– अवलोकन परीक्षण तथा माप प्रक्षेणीय, समाजमापीय तकनीक

UNIT - 5 - शोध की प्रमुख पहुँच, वर्णनीय शोध **expost facto** शोध, प्रयोगशाला प्रयोग, क्षेत्र अध्ययन, ऐतिहासिक शोध।

UNIT - 6 - वर्णनीय सांख्यिकी

(अ) परिवर्तित के माप परास चतुर्थक विचलन औसत विचलन और मानक विचलन उनकी गणना और उपयोग।

(ब) प्रतिशतीय हिसाब (बी सी) मानक विचलन उनकी गणना और उपयोग

(स) सामान्य – संभाव्यता वक्र इसके गुण और प्रयोग

UNIT - 7 - आनुमानिक सांख्यिकी

(अ) विश्वनीयता या माध्य, माध्यिका, सह गुणाँक, सह सम्बन्ध

(ब) दो माध्यो के बीच अनतर के महत्व का परीक्षण और अकृत प्रकार का शोध

(स) अप्राचलिक परीक्षण गणना और उपयोग

(1) CHI-SQ परीक्षण (2) चिन्ह परीक्षण

UNIT - 8 - सह गुणाँक का सह सम्बन्ध

(अ) गणना, अनुमान तथा बहुविकल्पीय सह सम्बन्ध तथा अर्द्ध PEARSU SPERM के उपयोग

(ब) प्रतिगमन के सह गुणांक तथा भविष्य कथन

''एच्छिक'' या ''वैकल्पिक'' पेपर आठ वैकल्पिक पेपरो में से केण्डीडेट को दो पेपर देने होगे ।

नोट :— प्रत्येक पेपर 100 नम्बर का होगा ।

1. तुलनात्मक शिक्षा :—

(i) तुलनात्मक शिक्षा की संकल्पना (धारणा) और अवसर ।

(ii) तुलनात्मक शिक्षा की अधिक महत्वपूर्ण धारणाएँ ।

जवस्टेपोजीसन

क्षेत्रीय अध्ययन

इन्ट्र शैक्षिक विश्लेषण

(iii) तुलनात्मक शिक्षा के लिए पहुँच (रास्ता या मार्ग) (तटो का) ढंग

एतिहासिक पहुँच (रास्ता)

क्रास अनुशासननात्मक पहुँच (ढंग)

समस्यात्मक ढंग (पहुँच)

शिक्षा के लिए फेक्टर्स अफेक्टिगं राष्ट्रीय प्रणाली

(iv) एक तुलनात्मक अध्ययन

प्रारम्भिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा

व्यवसायिक शिक्षा U.S.S.R., U.S.A., U.K., India के लिए

(iv) निम्न लिखित समस्याओ का भारत

भारत मे प्रारम्भिक शिक्षा की व्यापकता

U.S.S.R., U.S.A. तथा भारत में शिक्षा की व्यवसायिकता

U.S.S.R., U.S.A. और भारत में शैक्षिक प्रशासन

आस्ट्रेलिया, यू0के0 तथा भारत में डिस्टेन्स शिक्षा तथा निरन्तर शिक्षा

भाषा समस्या – U.S.S.R. तथा भारत

2. शैक्षिक प्रशासन

शैक्षिक प्रशासन – निरीक्षण योजना और वित्तीय

(i) सन 1900 से आज तक के शैक्षिक प्रशासन की आधुनिक संकल्पना का विकास

टैयलोरिज्म

:– प्रशासन एक प्रक्रिया की तरह प्रशासन एक नौकरशाही की लेटर

:– प्रशासन के लिए मानवीय सम्बन्धो की (का) पहुँच (तरीका) ढंग

:– कर्मचारियो की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओ का मिलना

:– शैक्षिक प्रशासन में प्रणालीय ढंग की विशिष्ट प्रवृत्ति जैसे –

(A) निर्णय लेना

(B) प्रबन्धकीय अनुवृत्ति (आज्ञापालन)

(C) प्रबन्धकीय (संगठन) विकास

(D) चपल (अशिष्ट)

(ii) शैक्षिक प्रशासन में मार्गदर्शन :– मार्गदर्शन का अर्थ और प्रकृति (स्वभाव) मार्गदर्शन की उत्पत्ति (सिद्वान्त) मार्गदर्शन की शैली, मार्गदर्शन की मापें

(iii) शैक्षिक योजना :–

अर्थ प्रकृति,

शैक्षिक योजनाओ के लिए पहुँच (ढंग)

दृश्य (स्वरूप) योजना

संस्थागत योजना

(iv) शैक्षिक निरीक्षण

अर्थ और प्रकृति (स्वभाव)

निरीक्षण सेवा के क्रिया कलापो की तरह, निरीक्षण एक प्रक्रिया की तरह, निरीक्षण एक कार्य की तरह

निरीक्षण शैक्षिक मार्गदर्शन की तरह

परम्परागत और आधुनिक निरीक्षण

निरीक्षण के क्रियाकलाप (कार्य) योजनाबद्व निरीक्षण कार्यक्रम

प्रबन्धकीय – निरीक्षण कार्यक्रम

कार्यन्वित निरीक्षण कार्यक्रम

(v) भारत में वित्तीय शिक्षा की समस्यायें शिक्षा के स्त्रोत (साधन) और व्यय

3. शैक्षणिक माप और अनुमानित (निर्धारित) मूल्य

(A) शैक्षिक माप और मूल्य निर्धारण संकल्पना, अवसर, आवश्यकता, सम्बद्वता (संगीत, प्रांसगिकता)

(B) माप और मूल्य निर्धारण के औजार

वैयक्तिक और वास्तविक औजार

निबन्धात्मक परीक्षण वास्तविक (निष्पक्ष) परीक्षण पैमाने, (साझा या परीक्षण) प्रशनाव (उत्तर देने के लिए प्रश्नो का समूह) अनुसूची (तालिका) विस्तृत सूचियाँ, उपलब्धि परीक्षण

(C) एक अच्छे मापक अन्य की विशेषताऐं :— वैधता (न्याय सगंत स्थिति) भरोसा, नमूना (मान) इत्यादि ।

4. परीक्षण मानकीकरण

नमूना, निर्देशित और मापदण्ड — निर्देशित परीक्षण स्केनिंग टी०सी०जेड० सामान्य Z गणना (लेखा, हिसाब) एवं परीक्षण के मानकीकरण में प्रोन्नती (कदम)

5. उपलब्ध की माप, प्राकृतिक रूचि, वृद्वि दृष्टिकोण, रूचि, कुशलता

6. परीक्षण गणना की व्याख्या और छात्रो के लिए फीडवेक की विधि ।

7. नई प्रवृत्तियाँ :—

श्रेणी (वर्ग), अध्ययन क्रम, लगातार आनिरिक असेंसमेन्ट, क्वेश्चन वैंक, मूल्य निर्धारण में कम्प्यूटर का प्रयोग (उपयोगिता)

4. शिक्षा तकनीक

(i) शैक्षिक तकनीक का अर्थ और अवसर

शैक्षिक तकनीक शिक्षा के लिए प्रणालीय ढंग की तरह

शिक्षा एक प्रणाली की तरह और इसकी विशेषताएँ

शैक्षिक तकनीक के घटक (तत्व) मुलायम और कठोर (लोहा इत्यादि) वस्तुएँ (सामान)

शैक्षिणिक तकनीकी और निर्देशित तकनीकी

(ii) संचार और शिक्षण

संचार प्रक्रिया भेजने वाले के घटक (तत्व)

माध्यम सन्देश, प्राप्त करने वाला, फीडवेक

सकंल्पना का शिक्षण, स्तर, स्मृति पर शिक्षण, समझदारी और चिन्तनशील

शिक्षण संकल्पना के नमूने भिन्न नमूने

(ग्लासर की पारस्परिक प्रक्रिया का विश्लेषण और पूर्ण ज्ञान)

शिक्षण व्यवहार का परिवर्तन, सूक्ष्म शिक्षण की तकनीक फिलेण्डर्स पारस्परिक विश्लेषण वहाना

(iii) आलेखन निर्देशात्मक प्रणाली

निर्देशात्मक उद्देश्यो को सूक्ष्म रूप (स्पष्ट रूप) में कहना ।

कार्य विश्लेषण

मूल्य निर्धारण यन्त्रो का विकास (फोर्मेटिव और समेटिव)

सोर्टवेयर (विधि और माध्यम)

भाषण, टीम शिक्षण, वाद–विवाद, पैनल वाद–विवाद, अध्ययन गोष्ठी निजी रूप में शिक्षण सम्बन्धी, रोल प्ले, पुस्तकालय, कार्य, क्षेत्र, का कार्य शैक्षिणिक खेल

नियत कार्यक्रम (कार्यवाही) निर्देशन उत्पति, शैली, रेखीय और शाखीय (क्षेत्रीय) नियत कार्यक्रम निर्देशन का विकास, पदार्थ रेखीय श्रेणी नमूने कठोर सामान, शिक्षण मशीने कम्प्यूटर सहायक निर्देश रेडियो टेलीविजन (दूरदर्शन) C.C.T.V. और C.T.R. भाषा प्रयोगशाला

5. शिक्षा में मार्गदर्शन और राय

(i) मार्ग दर्शन और राय

सकंल्पना

सिद्वान्त

शैली :– शैक्षिक व्यवसायिक और व्यक्तिगत

प्रकार :– व्यक्तिगत, समूह

(ii) मार्गदर्शन के यन्त्र और तकनीक

अभिलेख (लिखित वर्णन) प्रकार सम्बद्वता (संगति प्रासंगिता)

पैमाना और परीक्षण : प्रकार, सम्बद्वता

परिणाम का संचार

तकनीक प्रत्यक्ष राय, अप्रत्यक्ष राय विद्युत सम्बन्धी राय

साक्षात्कार (भूमिका और विधि)

(iii) व्यवसाय सूचना

स्कर्स

(iv) सगंठन मार्गदर्शन सेवायें

शिक्षा के विभिन्न स्तरो पर

सेवाओ के प्रकार : सूचना परीक्षण सलाह निरन्तर लगे रहना

6. शिक्षण शिक्षा

(i) एतिहासिक परसेक्टिव शिक्षक शिक्षा कोठारी आयोग पर विभिन्न आयोगो की सिफारिश

शिक्षा पर राष्ट्रीय राजनीति

शिक्षक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य

प्राथिमक स्तर

माध्यमिक स्तर

कालेज स्तर

(ii) शिक्षण एक व्यवसाय की तरह

शिक्षकों के विभिन्न स्तरो के लिए व्यवसायिक संगठन और उनकी भूमिका, शिक्षक की उपलब्धि का मूल्यांकन विभाग(कार्यशक्ति) सुधार – शिक्षक शिक्षा के लिए कार्यक्रम

शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमो की शैली, शिक्षक शिक्षा सेवा में कार्यालय (अभिकर्ता का काम)

षष्टम् अध्याय

ऑकड़ो का विभेदीकरण

प्रश्नावली का विवरण :-

प्रस्तुत शोध शीर्षक पर आधरित एक प्रश्नावली का निमार्ण किया गया था जिसे उत्तर प्रदेश के समस्त जिलो जहाँ महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है, मैं कार्यरत, शिक्षकों/ अध्ययनरत छात्र/छात्राओ और उनके अभिभावकों के बीच वितरित किया गया था । महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/शिक्षक शिक्षा स्तर पर अधिकांश महाविद्यालयों में सहशिक्षा की व्यवस्था है, ऐसे महाविद्यालय सभी जनपदों में उपलब्ध नही थे जहां केवल महिलाओं की शिक्षा प्रदान किये जाने की व्यवस्था हो ।

प्रश्नावली का वितरण किये जाने हेतु 50 पुरूष तथा 50 महिलाओं को चुना गया ।

शिक्षक :-

10 पुरूष शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र से तथा 10 शहरी क्षेत्र से चुने गये इसी प्रकार 10 महिला शिक्षा शिक्षक शहरी क्षेत्र तथा 10 ग्रामीण क्षेत्र से चुनी गयी ।

अभिभावक :-

5 पुरूष अभिभावक ग्रामीण क्षेत्र से तथा 5 शहरी क्षेत्र से चुने गये तथा 5 महिला अभिभावक ग्रामीण क्षेत्र तथा 5 शहरी क्षेत्र से चुनकर उनके बीच प्रश्नावली वितरित की गयी ।

विद्यार्थी :–

10 पुरूष छात्र ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालयों तथा 10 शहरी क्षेत्रों की संस्थाओ से चुने गये। इसी प्रकार 10 महिला छात्राएं ग्रामीण क्षेत्र से तथा 10 शहरी क्षेत्र से चुनी गयी । इस प्रकार से कुल 100 प्रश्नावली वितरित की गयी । महाविद्यालयो/विश्वविद्यालयों तथा शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थियो का चुनाव लाटरी विधि से किया गया ।

प्रश्नावली प्रपत्रों की वितरण तालिका

तालिका क्रमोंक 1

क्र0सं0		पुरूष			महिला		
1.	शिक्षक	10	10	20	10	10	20
2.	अभिभावक	5	5	10	5	5	10
3.	विद्यार्थी	10	10	20	10	10	20
योग			50			50	

प्रश्नावली से प्राप्त उत्तरों का विभेदीकरण

सर्वप्रथम शिक्षकों, अभिभावक एवं छात्रों द्वारा प्राप्त उत्तरों में पक्ष का मध्यमन, मानक विचलन एवं एफ, रेशों को निकालने पर ज्ञात हुआ कि तीनो उत्तरों में सार्थकता है जो सारणी में दर्शायी गयी है ।

शिक्षाक का दृष्टिकोण :–

1. शिक्षकें ने कथन 1,2,5,15,22 को सबसे अधिक महत्व दिया है । जिससे पता चलता है कि शिक्षक इसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते है ।

2. इसके बाद कथन 13,20 फिर 3,7,12,23,24 को महत्व दिया गया है । सबसे कम महत्व कथन 6,14 को दिया गया है ।

अभिभावकों का दृष्टि कोण :-

1. अभिभावको ने भी कथन 1,3,4,7,12,20 को अधिक बल दिया है ।
2. इसके पश्चात् कथन संख्या 2,8,11,21,24 पर बल दिया गया है।
3. तृतीय स्थान पर 5,14,16,17,19,23 को प्राप्त हुआ ।

छात्रों के दृष्टिकोण :-

1. छात्रो ने कथन 2,4,625 पर अधिक बल दिया है । जिसके अनुसार ।
2. द्वितीय स्थान कथन 1,7,14,16,17,20,22,24 को प्राप्त हुआ ।
3. तृतीय स्थान कथन 5,9,10,13,18,21 को प्राप्त हुआ ।

शिक्षकों अभिभावकों तथा विद्यार्थियों के दृष्टिकोण की आवृत्ति (पक्षा में)

तालिका क्रमांक 2

वर्ग	समूह	मध्यमान	एस0डी.0	एफ रेशों
शिक्षक	प्रथम समूह	19.84	2.67	1.673
अभिभावक	द्वितीय समूह	21.29	2.8	1.842
विद्यार्थी	तृतीय समूह	20.50	3.2	1.782

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि शिक्षको का मध्यमान 19.84 व एस0डी0 2.67, अभिभावको का मध्यमान 21.29 तथा एस0डी0 2.8 तथा विद्यार्थियो का मध्यमान 20.5 तथा एस0डी0 3.2 है । तीनो का एफ0 रेशो क्रमशः 1.673, 1.842, 1.782 है ।

वस्तुनिष्ठ परीक्षण के विपक्ष में शिक्षकों, अभिभावक विद्यार्थियो के दृष्टिकोण की आवृत्ति तालिका :-

तालिका क्रमांक 3

समूह		मध्यमान	एस0डी.0	एफ रेशों
शिक्षक	प्रथम समूह	3.7	2.8	1.832
अभिभावक	द्वितीय समूह	4.5	3.2	1.752
विद्यार्थी	तृतीय समूह	5.15	2.6	1.653

विपक्ष की सारिणी से स्पष्ट है कि शिक्षको का मध्यमान 3.7 तथा एम0डी0 2.8 जबकि अभिभावकों का 4.5 तथा एस0डी0 3.2 तथा विद्यार्थियो का मध्यमान 5.15 तथा एस0डी0 2.6 है । इन तीनो का एफ0 रेशों क्रमशः 1.832, 1.752, 1.653 है ।

उपरोक्त तालिका क्रमांक – 3 के तीनो समूहो के वस्तुनिष्ठ परीक्षण के पक्ष में कथनों से ज्ञात होता है कि अभिभावको के कथन के उत्तरो का प्रतिशत सबसे अधिक है । उससे कम शिक्षकों तथा सबसे कम प्रतिशत छात्रो का है । इसका प्रमुख कारण छात्रो को अनुभव की कमी के कारण कम ज्ञान प्रतीत होता है ।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध में उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास किया गया । इस हेतु शोधकर्ता ने जहॉ एक ओर विभिन्न स्त्रोतो से ऑकड़ो का एकत्रीकरण करके वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास किया वही दूसरी ओर एक स्वनिर्मित प्रश्नावली का निर्माण करके शिक्षा से जुड़े तीनो अंको अर्थात शिक्षक, शिक्षार्थी और अभिभावकों के अभिमत भी एकत्रित किये गये तथा जो महत्वपूर्ण तथ्य इस शोध से सामने आये है, वह निम्न प्रकार है :–

सांख्यिकीय निष्कर्ष -

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित विन्दुओ पर आंकड़े प्राप्त किये गये थे जिनसे निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुये ।

(1) महाविद्यालय / विश्वविद्यालयों की संख्या –

वर्ष 1950–51 से लेकर वर्ष 2000–2001 तक की अवधि के महाविद्यालय / विश्वविद्यालय / शिक्षक शिक्षा स्तर की संस्थाओ में भारीवृद्वि होने के संकेत मिले । वर्ष 1950–51 में पूरे प्रदेश में जहॉ केवल 40 महाविद्यालय थे, वही 2000–01 तक इनकी संख्या बढ़कर 758 हो गयी ।

(2) वर्ष 1950–51 में पूरे प्रदेश में महिलाओ के लिये अलग से शिक्षक शिक्षा प्रदान किये जाने वाली संस्थाओ की संख्या 06 थी जो वर्ष 2000–01 में 178 तक पहुंच गयी ।

(3) वर्ष 1950–51 की अवधि तक उच्च शिक्षा प्रदान किये जाने वाली विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाओ की संख्या शून्य थी जबकि वर्ष 2000–01 तक यह बढ़कर 18 हो गयी ।

(4) वर्तमान में शिक्षक शिक्षा देने वाली संस्थाओं की संख्या वर्ष 2000–01 तक 136 हो गयी है।

विद्यार्थियो का नामांकन -

(1) वर्ष 1950–51 में उत्तर प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयो में अध्ययनरत् छात्राओ और छात्रों की सख्या क्रमशः 19105 तथा 1671 थी जबकि वर्ष 2000–01 तक यह बढ़कर क्रमशः 1692000 तथा 559627 हो गयी ।

(2) वर्ष 1950–51 की अवधि में महाविद्यालयो में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की संख्या क्रमशः 27294 तथा 2504 थी जबकि वर्ष 2000–01 तक यह बढ़कर 360619 तथा 6267667तक पहुँच गयी ।

विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में शिक्षकों की संख्या -

(1) उपलब्ध आंकड़ो के अनुसार वर्ष 1950–51 में शिक्षक शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों की संख्या 1272 थी जिसमें महिला शिक्षको की संख्या 27 मात्र थी । जबकि वर्ष 1990–91 तक यह संख्या बढ़कर 8050 तक पहुँच गयी तथा महिला शिक्षको की संख्या भी बढ़कर 261 हो गयी ।

(2) वर्ष 1950–51 में शिक्षक शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत शिक्षको की संख्या 1249 थी जिसमें महिला शिक्षको की संख्या 74 थी । वर्ष 1990–91 तक यह संख्या बढ़कर 4526 हो गयी जबकि महिला शिक्षको की संख्या बढ़कर 1261 तक पहुँच गयी ।

विश्वविद्यालय / शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा हेतु बजट -

(1) वर्ष 1950–51 में विश्वविद्यालय/शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा हेतु निर्धारित बजट कुल बजट का 1.10 भाग था जो कि कुल शिक्षा बजट का 8.0% था ।

(2) वर्ष 1990–91 में इस स्तर की शिक्षा बजट .26 मात्र था तथा इसका प्रतिशत 9.95 था ।

<u>मूल्याकंन -</u>

उत्तर प्रदेश, भारत वर्ष का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है । आजादी के बाद संविधान में किये गये प्राविधान, राजनेताओ द्वारा शिक्षा को विकास प्रदान किये जाने हेतु किये गये वादे तथा समय–समय पर गठित आयोग उनके द्वारा प्रस्तावित नीतियां सबकी सब बेकार ही सावित हुई, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा सबसे जटिल दौर से गुजर रही है ।

आज उत्तर प्रदेश की सरकार अपने युवाओं को शिक्षक शिक्षा प्रदान कराने में अक्षम होती प्रतीत है क्योकि जहां एक और इस स्तर की शिक्षा के गुणवत्ता में भारी गिरावट आयी है वहीं दूसरी ओर इनकी विश्वनीयता से संदिग्ध हो गयी है ।

आज का विश्वविद्यालय शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी, चाहे उसने स्वर्ण–पदक ही क्यो प्राप्त न किया हो । नौकरी पा जायेगा इसकी कोई गांरटी नही है । उसे स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु पुन प्रवेश परीक्षा दिये जो के लिये वाध्य होना पड़ता है और स्थिति इतनी अधिक गम्भीर है कि तृतीय श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी, अगली कक्षा में प्रवेश पा लेता है यह सब क्यों हो रहा है ? इस हेतु लिये विभिन्न वर्गो के व्यक्तियों से लिये गये साक्षात्कार से यह निष्कर्ष निकला है कि इसके लिये हमारी सरकार अभिभावक तक शिक्षक सभी दोषी हैं ।

आज का सम्पूर्ण शिक्षा जगत राजनीति से ओत प्रोत हैं । सरकारे आती है नीतियां बनायी जाती हैं । जब तक लागू करने की बारी आती है तब तक सरकार ही बदल जाती है और शुरू हो जाती है पुनः नीति निर्धारण की प्रक्रिया ।

अभिभावक अपने विद्यार्थियो को पढ़ाई लिखाईके आधार पर कम जोड़–तोड़ धन और राजनीतिक पैतरेबाजी से अधिक, परीक्षा में अच्छे अंको मे उत्तीर्ण कराने हेतु लगा रहता है जिसके कारण विद्यार्थी भी विषम शून्य रहते हुए भी अच्छे अंको में उत्तीर्ण होने पर भी अच्छी नौकरियां नहीं पाते है ।

कभी सबसे ज्यादा जिम्मेदार समझे जाने वाला शिक्षक आज शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा के स्तर को गिराने वाला प्रथम नागरिक बनने की जैसे होड़ लगाये हुये है ।

विभिन्न अभिभावकों, राजनीतिज्ञो से जो साक्षात्कार लिये गये है उनमें से अधिकांश का यह मत है कि आज का शिक्षक कक्षाओ में पढ़ाता ही नही है । यह पढ़ाने की अपेक्षा किसी राजनैतिक दल में शामिल होकर नेतागिरी करने, परीक्षा में अंक बढ़ाने के लिये पैसा लेने तथा छात्र और छात्राओ के प्रत्येक प्रकार के शोषण करने में नही चूक रहा है । आज का शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाला शिक्षक वर्ग लगभग 80% ऐसा ही है जो नैतिक रूप से शिक्षक की मर्यादाओ से गिर गया है और इसका परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षक शिक्षा स्तर की पूरी शैक्षिक व्यवस्था चरमरा गयी है ।

विश्वविद्यालयो में अब न तो कोई प्रवेश की अन्तिम तिथि निश्चित है और न परीक्षायें सम्पन्न होने की । प्रदेश के बड़े–बड़े विश्वविद्यालयो जैसे इलाहाबाद, लखनऊ आदि में भी प्रवेश तथा परीक्षायें वर्षभर चलते रहते है । वैसे प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालयों में प्रवेश तथा परीक्षा हेतु वार्षिक कलेन्डर बनाये जाते है परन्तु वह सब धरे के धरे रह जाते है ।

इस स्तर की शिक्षा का विकास का मूल्यांकन वर्तमान में उपरोक्त तथ्यो से नही होता है।

संख्यात्मक आंकड़ो से में शिक्षक शिक्षा हो न हो पढ़ाई होती हो या न होती हो इससे सरकार को कोई लेना देना नही है । उसे तो बस इतनी चिन्ता करना काफी है कि सम्बन्धित विधायक/संसद सदस्य/ मंत्री मुख्यमंत्री अथवा किसी राजनैतिक जोड़ तोड़ वाले व्यक्ति के क्षेत्र में कितने महाविद्यालय / विश्वविद्यालय खोल दिये गये है । और कितने खोले जा सकते है। यदि इस दृष्टि से देखा जाये तो उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर की संस्थाओ की वृद्वि पर्याप्त मात्र में हुई है परन्तु जनसंख्या के अनुपात में यह दर आज भी कम है ।

सुझाव -

प्रस्तुत शोध से प्राप्त आंकड़ो तथा तथ्यो के आधार पर विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों के अनुभव तथा विचार प्राप्त हुये है उनको मूल्यांकन के अन्तर्गत दर्शाया गया है परन्तु शोधकर्त्ता के विचार से कुछ महत्वपूर्ण विन्दुओ पर यदि राज्य सरकार द्वारा ध्यान दिया जाये तो अवश्य ही शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है ।

(1) शिक्षक शिक्षा में प्रवेश प्रक्रिया जुलाई माह के स्थान पर मार्च/अप्रैल में ही प्रारम्भ कर दी जानी चाहिये । ताकि जुलाई में सत्र प्रत्येक दशा में प्रारम्भ हो जाये ।

(2) उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षक शिक्षा में प्रत्येक स्तर की शिक्षा हेतु एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम लागू किया जाना चाहिये इस हेतु राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम समिति का गठन होना चाहिये। जिसमें सभी विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधि शामिल हो ।

(3) नियमित रूप से विद्यार्थियो का कक्षा में उपस्थित होने की अनिवार्यता की जानी चाहिये 75% से कम उपस्थिति होने पर किसी भी दशा में उन्हे परीक्षा में शामिल नही किया जाना चाहिये।

(4) प्रवेश योग्यता के आधार पर होने के साथ – 2 साक्षात्कार लेकर ही किये जाने चाहिये ।

(5) परीक्षायें समय पर सम्पन्न होनी चाहिये तथा इसके लिये कम से कम 3 माह पूर्व परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया जाना चहिये ।

(6) परीक्षाओं में मूल्यांकन हेतु योग्य शिक्षको की नियुक्ति होनी चाहिये । सम्बन्धित विषय विशेषज्ञो से ही प्रश्न पत्र निर्माण तथा मूल्यांकन कार्य कराया जाना चाहिये ।

(7) पी0एच0डी0 शोध कार्यो की गुणवत्ता बनाये जाने के उद्देश्य से शोधार्थी को सर्वेक्षण हेतु विशेष अनुदान दिया जाना चाहिये तथा राज्य सरकार को सफल घोषित शोध ग्रन्थो को प्रकाशन के लिये अलग से विभाग स्थापित किया जाना चाहिये ।

(8) शिक्षक शिक्षा में प्रत्येक सत्र में कम से कम पांच शिक्षा विदों को आमन्त्रित करके उनके विचारो से विद्यार्थियो को लाभान्वित किये जाना अनिवार्य किया जाना चाहिये ।

(9) शिक्षक शिक्षा के शिक्षको को अच्छे वेतनमान के साथ–साथ अच्छे पुस्तकालय, रहने के लिये आवास आदि की व्यवस्था का उत्तर दायित्व राज्य सरकार को लेना चाहिये ।

(10) शिक्षक शिक्षा के शिक्षको में नैतिक बल उत्पन्न करने हेतु उन्हे अच्छे कार्यो हेतु पुरस्कृत किया जाना चाहिये।

अग्रिम शोध हेतु सुझाव :-

(1) प्रस्तुत प्रदेश की शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा की वित्त व्यवस्था का आलोचनात्मक अध्ययन ।

(2) मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यो में शिक्षक शिक्षा स्तर की शिक्षा के विकास का तुलनात्मक अध्ययन ।

(3) वर्तमान समय में शिक्षक शिक्षा स्तर पर प्रचलित परीक्षा प्रणाली का आलोचनात्मक अध्ययन ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1 अग्रवाल जे0सी0 : एजेकेशन इन्स्पेक्शन, प्लानिंग एण्ड फाइनेन्स, सेकेन्ड इडीशन, न्यू देहली, आर्य बुक डिपो 1970.

2. अलतेवर, ए0एस0 : दि पोजीशन, आफ बूमन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, बनारस, 1938

3. आप्टे, डी0जी0 : सोशल एजेकेशन एट ए ग्लान्स, बड़ौदा, फैक्लटी आफ एजेकेशन एण्ड साइकोलोजी ।

4. अर्चानकम, ई0डब्लू0 : दि स्टोरी ाफ टुबल्ब ईयर, सेवाग्राम हिन्दुस्तानी तालीम संघ, गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया ।

5. आजाद, जे0 एल0 : फाइनेन्सिंग ऑफ हायर एजूकेशन, दिल्ली, स्टर्लिग पब्लिकेशन, 1975 .

6. ओमोल, एल0एस0ओ0एस0 : मार्डन इण्डिया एण्ड दि वेस्ट बाम्बे, आक्सफोर्ट, 1941.

7. ओड एल0के0 : दि रोल ऑफ गर्वमेन्ट इन एजूकेशन, न्यू देहली, मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन्स, 1962.

8. डा0 वाजपेयी, एल0 वी0 : भारतीय शिक्षा का विकास और सामाजिक समस्यायें

9. ईलार, के0आर0एस0 : अवर यूनीवर्सिटी, कलकत्ता, ओरियन्ट, लोन्गमेन्स, 1951.

10. कौल, जे0 एन0 : हायर एजूकेशन इन इण्डिया, शिमला, इन्डियन इन्स्टीट्टयूट ऑफ एडवान्स स्टडीज, 1974.

11. कपूर, के0 सी0 : भारतीय शिक्षा का इतिहास आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर, 1982।

12. गाँधी इन्द्रा : दि स्प्रिट ऑफ इण्डिया, बाम्बे, एशिया पब्लिकेशन, 1975.

13. डा0 गुप्ता एस0पी0 : भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें,1996

14. गार्डीनो, आर0 एल0 : दि इण्डियन यूनिवर्सिटी, बाम्बे एशिया पब्लिकेशन्स, 1975 .

15. चक्रवर्ती, ए0 : थाट्स आन इण्डियन एजूकेशन, देहली मैनेजर आफ पब्लिकेशन्स, गर्वमेन्ट आफ इण्डिया ।

16. चौबे, एस0प0ी : हमारी शिक्षा समस्यायें, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर, 1989.

17. चौबे, अखिलेश : भारतीय शिक्षा उसकी समस्यायें और प्रवृतियां और नवाचार 1995.

18. चैम्बर्स, एम0एम0 : फाइनेन्सिंग आफ हायर एजुकेशन वाशिंगटन, डी0सी0 1963.

19. चौरसिया, जी : न्यू ऐरा न ओचर्स एजूकेशन, देहली, स्टर्लिंग पब्लिकेशन्स लिमिटेड, 1966.

20. चौसिन्स, एम0ई0 : इण्डियन बूमैनहुड, टूडे, हलाहाबाद, किलबस्तान, 1941.

21. जाकिर हुसैन : दि डायमेनिक यूनिवर्सिटी, बाम्बे, एशिया पब्लिकेशन्स, 1965.

22. जोशी के0एल : एजूकेशन इन इण्डिय, पेरिस, यूनेस्को, 1953.

23. जौहरी, बी0पी0 : भारतीय शिक्षा का इतिहास, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर, 1972.

24. जायसवाल, सीताराम : भारतीय शिक्षा की समस्यायें, लखनऊ प्रकाशन केन्द्र, 1980.

25. टेलर, एम0जे0 : थ्रस्टडीज इन एक्जामिनेशन, टेक्नीक्लश, न्यू देहली, यू0जी0सी0, 1964.

26. तिवारी, डी0 डी0 : एजूकेशन एट दि क्रसारोट्स इलाहाबाद, चुग पब्लिकेशन्स, 1970.

27. थोमस, टी0 एम0 : रिफोर्म्स इन कल्चरल प्रास्पेटिव, न्यू देहली, एस0 चॉद 1970.

28. डोन्नाकरी, एम0आर0 : थोड्स इन यूनीवर्सिटी एजुकेशन, बाम्बे, पापुलर बुक डिपो, 1955.

29. दयाल, भगवान : दि डिवलपमेन्ट ऑफ मार्डन इण्डियन एजुकेशन, नई दिल्ली, गुड पब्लिकेशन, 1955.

30. दीक्षित, एस0एस0 : नेशनलिज्म एण्ड इण्डियन ऐजुकेशन, जलन्धर, स्टर्लिग पब्लिकेशनन्स, 1966.

31. नायर जे0बी0 : दि रोल आफ गर्वमेन्ट इन एजूकेशन, न्यू देहली, मैनेजर पब्लिकेशन्स, 1962.

32. पाठक, पी0डी0 : भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें,2002

33. पाण्डे,रामशकल : राष्ट्रीय शिक्षा, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर, 1987.

34. पदमनाभवन, सी0वी0 : इकोनोमिक्स ऑफ एजूकेशन प्लानिंग इन इण्डिया, न्यू देहली, एस0पी0 गुप्ता एण्ड कम्पनी, 1971.

35. फ्रैन्कलिन, ई0डब्लू0 : दि स्टेट्स आफ टीचर्स, नाइन्थ कान्फ्रेंस रिर्पोट, न्यू देहली, .इण्डियन एशोसियेशन ऑफ टीचर एजेकेटर्स, 1966

36. बक्शी, जी0 एल0 : 10+2+3, ए मेजर चेन्ज इन स्कूल एजूकेशन, न्यू देहली, मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन एण्ड वेलफेयर, 1975.

37. विश्वास, अरविन्द : इण्डियन एजूकेशनल डाकूमेकन्ट्स सिन्स इन्डिपेन्डस, 1971.

38. विश्वास, सुनीति : दि न्यू एजूकेशन पैटर्न इन इएण्डया, 1976.

39. बासू, अर्पना : दि ग्रोथ आफ एजूकेशन एझउ पोलीटिकल, उेवलपमेन्ट इन इण्डिया, 1898–1920 देहली एण्ड यू0पी0, 1974.

40. भटनागर, एस0 : कोठारी कमीशन (रिकमेन्डेशन्स एण्ड एवेल्यूऐशन्स), मेरठ, इन्टरनेशनल, पब्लिकेशन्स, 1967.

41. भटनागर सुरेश : आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें 1991–92

42. भट्टाचार्य, एस0पी0 : रिव्यू आफ रिसर्च ऑर थिवरी ऑफ टीचिंग, बड़ौदा एम0एस0 यूनीवर्सिटी, 1972.

43. भन्डारी, आर0 के0 : वैटर एजूकेशन, वैटर नेशन, न्यू देहली, यो0 आ0 वाल्यूम 29 अप्रैल, 16. 1985.

44. भारद्वाज, दिनेश चन्द्र : भारतीय शिक्षा का इतिहास, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर, 1968.

45. मुकर्जी, एस0 एन0 : हिस्ट्री आफ एजूकेशन बड़ौदा, आचार्य बुक डिपो, 1974.

46. मुकर्जी, एस0 एन0 : हायर एजूकेशन एण्ड रूरल एजूकेशन बड़ौदा, आर्य बुक डिपो, 1956.

47. मुकर्जी, एस0 एन0 : एजूकेशन इन इण्डिया टूडे एण्ड टूमारों बड़ौदरा, आचार्य बुक डिपो, 1976.

48. मुकर्जी आर0 के0 : एन्शियेन्ट इण्डियन एजूकेशन, बाम्बे, मैकमिलन, 1947.

49. मुजमिल, मोहम्मद : फाइनेनसिंग ऑफ एजूकेशन, न्यू देहली, आशिष पब्लिकेशन्स, 1989.

50. मिश्रा, आत्मानन्द : ग्रान्डस इन ऐड टू एजूकेशन इन इण्डिया, न्यू देहली, मैकमिलन, 1973.

51. मिश्रा, आत्मानन्द : फाइनेन्सिंग ऑफ इण्डिया एजूकेशन, बाम्बे, एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1967.

52. रेड्डी, जे0पी0 : इश्शूज इन हायर एजूकेशन, मद्रास, एम0 सेशचलन एण्ड कम्पनी, 1975.

53. रस्तोगी, के0जी0 : भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्यायें, मेरठ, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, 1977.

54. शुक्ला, रमाशंकर : अध्यापक शिक्ष, दश एवं दिशा, उदयपुर अक्षत प्रकाशन, 1989.

55. सिन्हा, रघुनन्दन : दि रोल ऑफ फेडरल गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया हायर एजूकेशन सिन्श इन्डिपेन्डेंस, न्यू देहली, एस0पी0 गुप्ता एण्ड कम्पनी, 1971.

56. सिंह, रामपाल : भारतीय शिक्षा की आधुनिक समस्यों, आगरा, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, 1980.

57. शर्मा, वेदराम : गुदलियर कमीशन, 1953. अलीगढ़, चन्द्र प्रकाशन, 1963.

58. श्रीमाली, के0एल0 : एजूकेशन इन चेन्जिंग इण्डिया, बाम्बे, एशिया पब्लिकेशन्स, 1965.

59. श्रीमाली, के0एल0 : प्रोबलम्स ऑफ एजूकेशन इन इण्डिया , देहली, पब्लिकेशन डीवीजन, 1961.

60. हैग्रटी, डब्लू0 जे0 : हायर एण्ड प्रोफेशनल एजूकेशन इन इण्डिया, वाशिंगटन यू0एस0, डिपार्टमेन्ट ऑफ बेलफेयर, 1969.

डी. लिट. शोधग्रन्थ :–

61. डा0 अग्रवाल वी.पी : राष्ट्रीय परिपेक्ष मे भारत वर्ष की आधुनिक शिक्षा का आलोचनात्मक अध्ययन कानपुर विश्वविद्यालय, 1991.

62. मिश्रा आत्मानन्द : एजूकेशनल फाइनेन्स इन इण्डिया, डी. लिट. एजुकेशन सागर यूनिवर्सिटी, 1960.

पी–एच0 डी0 शोध ग्रन्थ :–

63. अदावल, एस0वी0 : एन इनवेस्टीगेशन इन टू दि क्वालिटी ऑफ टीचर्स अन्डर ट्रेनिंग, डी0फिल0 (एजूकेशन), इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, 1952.

64. अग्रवाल, वी0पी0 : ए स्टडी ऑफ वेस्टेज एण्ड स्टेगनेशन इन सेकेन्ड्री स्कूल्स ऑफ बुन्देलखण्ड रीजन, पी–एच0डी0 (शिक्षा) कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर, 1982.

65. अग्रवाल श्रीमती राज : बुन्देलखण्ड क्षेत्र मे स्वतन्त्रता पश्चात् स्त्री शिक्षा का विकास और समस्याओ का आलोचनात्मक अध्ययन पी–एच0डी0 शिक्षा कानपुर विश्वविद्यालय 1986 .

66. भटनागर संतोष कुमार : बुन्देलखण्ड म्ण्डल के जन शिक्षण शिक्षा मिलिव्यमों के प्रेरको के व्यक्तित्व और उनका सत्त साक्षरता शिक्षण पर प्रभाव 1999.

66. दुबे धर्मेन्द्र : शिक्षा शास्त्री के रूप में महामना मदन मोहन मालवीय एवं महात्मा गांधी का एक तुलनात्मक अध्ययन तथा वर्तमान लोकतान्त्रतमक परिवेश में शिक्षा हेतु उनकी संगती 2002.

67. उपरैती, डी0सी0 : पोलीटिकल डिवलपमेन्ट एण्ड ग्रोथ ऑफ एजूकेशन, पी–एच0डी0 (एजू0), एम0एस0 यूनीवर्सिटी, बड़ौदा, 1977.

68. गोखले, वी0वी0 : बृद्धिष्ट एजूकेशन इन इण्डिया एण्ड एब्राड, पी–एच0डी0 (एजू0), एम0एस0, यूनीवर्सिटी, बड़ौदा, 1977.

69. दीक्षित, यू0एन0 : इम्पक्ट ऑफ एजूकेशन पालिसी ऑफ ब्रिटेन आन इण्डियन एजूकेशन, पी–एच0डी0, (एजू0), उदयपुर यूनीवर्सिटी, 1976.

70. पेरीभू, एच0एन0 : ए क्रिटीकल स्टडी ऑफ दि एजूकेशनल कन्डीशन्स प्रीवेल्ड इन इण्डिया फ्राम 1526 ए0डी0 टू 1707 ए0डी0, पी–एच0डी0 (एजू0), इलाहाबाद यूनीवर्सिटी, 1663.

71. पाण्डेय बीणा : डा0 सम्पूर्णानन्द के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से प्रस्फुटित शिक्षा दर्शन – 2002

72. श्रीमती गुप्ता मधुरिमा : प्रस्तावित सुधारो एवं बदलते हुये सामाजिक आर्थिक के सन्दर्भ में वर्तमान परीक्षा प्रणाली का अध्ययन 1999.

73. सिंह नीलम : भारत वर्ष में मिशनरी शिक्षा योगदान तथा शिक्षा वर्तमान समय में उपादेता 2001.

74. सिंह सिरीही मदन : ए स्टडी ऑफ डिफरेशियल इफेक्ट ऑफ हिन्दू, मुस्लिम एण्ड सिटीजन रिलिजन आन फिजियोलोजीकल डेब्लपमेन्ट मेन्टल हैल्थ एण्ड रिटिजियस ऑफ एडोडस सेन्ट स्टूडेन्ट 2001.

75. शुक्ला, एस0सी0 : एजूकेशनल डिवलपमेन्ट इन ब्रिटिश इण्डिया (1854–1904) पी–एच0डी0, शिक्षा, देहली यूनीवर्सिटी, 1950.

76. सक्सेना, एस0 : एजूकेशन प्लानिंग इन इण्डिया, पी–एच0डी0, एजू0 आगरा विश्वविद्यालय आगरा 1981.

77. त्रिपाठी सुमन : ए स्टडी ऑफ सेल्फ कान्सेप्ट एज ए फक्शन ऑफ हेप्पीनेस बैल्यू एण्ड डाईव ऑफ पर्सनेलिटी 2001.

78. त्रिवेदी वीरेन्द्र कुमार उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा व्यवस्था एवं उसकी कमियों का आलोचनात्मक अध्ययन, छत्रपति साहू जी महाराज कानुपर 2001.

शिक्षा मंत्रालय (भारत सरकार) के प्रकाशन :–

(मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली)

79. ''गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट 1935 '', 1935.

80. दि फर्स्ट कमेटी ऑफ सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजूकेशन, 1938.

81. दि महाराष्ट्र यूनीवर्सिटी कमेटी, 1942–43.

82. दि फर्स्ट मीटिंग ऑफ दि रिलीजियस एजूकेशन, कमेटी ऑफ दि सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजूकेशन, 1947.

83. दि कमेटी आन दि रिलेशनशिप विटवीन स्टेट गर्वमेन्ट एण्ड लोकल–बॉडीज इन दि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइमरी एजूकेशन, 1956.

84. ऐनुअल रिव्यूज ऑन एजूकेशन, एजूकेशन, इन इण्डिया, 1947–48 से 80–91 तक .

85. दि एक्सपर्ट कमेटी एप्वाइन्टेड टू कन्सीडर दि एस्टेवलिशमेन्ट ऑफ न्यू यूनीवर्सिटीज, 1953.

86. रिपोर्ट ऑफ यूनीवर्सिटी एजूकेशन कमीशन, 1954.

87. दि एसटीमेट कमेटी आन दि थ्री ईयर डिग्री कोर्स, 1956.

88. यूनीवर्सिटी एण्ड रूरल हायर एजूकेशन कमीर्शन, 1958.

89. दि स्पेशल कमेटी फार कामर्स एजूकेश्न, 1958.

90. इण्डियन यूनीवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, 1958.

91. फयूचर ऑफ एजूकेशन इन इण्डिया, 1958.

92. दि नेशनल कमेटी ऑफ बूमैन्स एजूकेश्न, 1958–59.

93. एजूकेशन इन यूनीवर्सिटीज इन इण्डिया, 1962.

94 वाइस चान्सलर्स क्रान्फ्रेंस, 1962.

95. एजूकेशनल एण्ड नेशनल डिवेपमेन्, 1966.

96. दि कमेटी आफ मेम्बर आफ पर्लियामेन्ट आन एजूकेशन, 1967.

97. नेशलन पालिसी ऑफ एजूकेशन, 1968.

98. दि कमेटी आन 10+2+3 एजूकेशनल स्ट्रक्चर, 1993.

99. रिपोर्ट ऑफ सिलैबस एण्ड टेस्ट बुक रिव्यू कमेटी, 1977.

100. नेशनल रिव्यू कमेटी आन सेकेन्ड्री एजूकेशन, 1978.

101. भारत 1981 वार्षिक विशेषांक.

102. शिक्षा की चुनौती, 1955.

103. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986.

104. वार्षिक प्रतिवेदन (1988–89) भाग–1ण 1989.

105. नेकस्ट फाइव ईयर्स प्लान, गर्वनमेन्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 1956.

106. थर्ड फाइव ईयर प्लान, दि सेकेन्ड ईयर प्रोग्रेस रिपोर्ट, 1962–93, गर्वनमेन्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, प्लानिंग डिपार्टमेन्ट लखनऊ, मार्च, 1964.

107. एजूकेशनल इनवेस्टीगेशनस इन इण्डियन यूनीवर्सिटीज, 1939–1961, एन0सी0ई0 आर0टी0 नई दिल्ली, 1966.

108. दिन इण्डियन ईयर बुक, ऑफ एजूकेशन, फर्स्ट ईयर बुक एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली, 1961.

109. दि थर्ड इण्डियन ईयर बुक ऑफ एजूकेशन, इन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली, 1967.

110. न्यू ट्रेन्डस इन सेकेन्ड्री एजूकेशन, एन0सी0इ0आर0टी0, नई दिल्ली, 191.

111. वेस्टेज एण्ड स्टेगनेशन इन प्राइमरी एण्ड मिडिल स्कूल्स, इन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली, 1968.

112. सेकेन्ड नेशनल सर्वे ऑफ सेकेन्ड्री एजूकेशन इन इण्डिया, एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली, 1969.

113. शिक्षा आयोग (1964–66) प्रतिवेदन, एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली, 1970.

114. रिपोर्ट ऑफ दि कमेटी ऑन गर्वेन्स ऑफ यूनीवर्सिटीज एण्ड कालेज, पार्ट–फर्स्ट, यू0जी0सी0, नई दिल्ली, 1971.

115. यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन, रिपोर्ट फार दि ईयर, 1971. नई दिल्ली, अप्रैल, 1972.

116. उत्तर प्रदेश, 1971, सूचना निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ, 1972.

117. सेकेन्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजूकेशन, एम0वी0 बुच, सोसाइटी फॉर एजूकेशनल रिसर्च एण्ड डिवलपमेन्ट, बड़ौदा, 1970.

118. स्टीज एण्ड इन्वेस्टीगेशन्स आन टीचर एजूकेशनल इन इण्डिया (1973–75), एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली, 1976.

119. जनसंख्या शिक्षा, लखनऊ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, 1982.

120. जनरल ऑफ हायर एजूकेशनल, एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली, मार्च, 1981.

121. जनरल ऑफ इण्डियन एजूकेशन, एन0सी0ई0आर0टी0, 1983.

122. जनरल ऑफ हायर एजूकेशन, यू0जी0सी0, नई दिल्ली, मानसून, 1983.

123. जनरल ऑफ इण्डियन एजूकेशन, नई दिल्ली, एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली, नवम्बर, 1983.

124. इण्डियन एजूकेशनल रिव्यू, एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली, जनवरी, 1984.

125. जनरल ऑफ इण्डियन एजूकेशन, एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली, जनवरी, 1984.

126. इण्डियन एजूकेशनल रिव्यू, एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली, जनवरी, 1984.

127. भारतीय आधुनिक शिक्षा, एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली, जनवरी, 1984.

128. रिपोर्ट फॉर दि ईयर (1985–90) यू0जी0सी0, नई दिल्ली, 1986.

129. दि सेविन्थ फाइव ईयर प्लान (1985–90) गुड कम्पेनियन्स, बड़ौदा, 1986.

130. उत्तर प्रदेश वार्षिकी (1986–87), सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 1988.

131. रिपोर्ट फार दि ईयर (1987–88) (88–89)(90–91) यू0जी0सी0, नई दिल्ली, 1988–89–91.

132. उत्तर प्रदेश एनुअल (1987–88), सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 1988.

133. उत्तर प्रदेश की शिक्षा साख्यिकी, एस0सी0आर0टी0 लखनऊ, 1994–95.

134. टीचर एजूकेटर्स, इण्डियन एसोसियेशन ऑफ टीचर एजूकेटर्स, जुलाई–अक्टूबर, 1978.

135. जनरल ऑफ हायर एजूकेशन, यू0जी0सी0, नई दिल्ली, स्प्रिंग, 1979.

136. स्मृति मंजूषा, अखिल भारतीय शिक्षक प्रशिक्षक संघ, 8 मार्च, 1981.

137. भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, इण्डियन इस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन, रिसर्च, सरस्वती कुंज, निरालागनर, लखनऊ, जनवरी 1982.

138. जनरल ऑफ हायर एजूकेशन, यू0जी0स0ी स्प्रिंग, 1983.

139. जनरल ऑफ हायर एजूकेशन, यू0जी0सी0, स्प्रिंग, 1983.

140. साहित्य परिचय, शैक्षिक तकनीकी विशेषांक, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, 1985.

141. भारतीय आधुनिक शिक्षा, एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली, जनवरी, 1985.

142. इण्डियन एजूकेशन रिव्यु, एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली, जनवरी 1985.

143. एनुअल रिपोर्ट 1985–86, यू0जी0सी0, नई दिल्ली, 1986.

144. एनुअल रिपोर्ट 1985–87, यू0जी0सी0, नई दिल्ली, 1987.

145. एनुअल रिपोर्ट 1986–88, यू0जी0सी0, नई दिल्ली, 1988.

146. बुलेटिन ऑफ हायर एजूकेशन, बाल्यूम–11, यू0जी0सी0, नई दिल्ली, फरवरी, 1968.

147. भारतीय आधुनिक शिक्षा, एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली, फरवरी, 1988.

148. इण्डियन एजूकेशन रिव्यू एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली, जनवरी, 1989.

149. जनरल ऑफ हॉयर एजूकेशन, यू0जी0सी0 स्प्रिंग न्यू दिल्ली, जनवरी 1989.

150. एनुअल रिपोर्ट 1988–89, 90–91 यू0जी0सी0, नई दिल्ली, 1989, 1990.

151. शिक्षा की प्रगति शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद वर्ष 2000, 2001.

152. उ0प्र0 उच्च शिक्षा की प्रगति उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद वर्ष 1989–90, 1991.

153. कार्य पूर्ति दिग्दर्शक आय व्ययक उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद वर्ष 2000–2001.

154. शिक्षा की चुनौती शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली 1985.

परिशिष्ट

केवल शोध कार्य हेतु

शोधकर्त्ता :- श्री कृष्ण कुमार रिछारिया
सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय
सिया, ब्लॉक - सन्दर्भदाता, चिरगांव
जनपद - झाँसी

उत्तर प्रदेश में स्नातक स्तरीय शिक्षक–प्रशिक्षण और शिक्षा का विकास और समस्याओं का आलोचनात्मक अध्ययन

प्रस्तुत प्रश्नावली में 25 प्रश्न है जो कि शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित है । आपसे अनुरोध है कि आप सम्बन्धित कथन हेतु सहमति पर सही ☑ का चिन्ह असहमति पर ☒ का चिन्ह लगाये ।

क्रम0 संख्या	कथन	हॉ	नही
1.	शिक्षक प्रशिक्षणो को दो भागो में बॉटा गया है । 1. प्राथमिक स्तर 2. माध्यमिक स्तर		
2.	प्राथमिक स्तर पर भी प्रशिक्षणो को दो स्तर में होना चाहिए । 1. पूर्व प्राथमिक (नर्सरी) 2. प्राथमिक		
3.	पूर्व प्राथमिक स्तर को भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए ।		
4.	प्रशिक्षित शिक्षक को प्राथमिक स्तर का पुनः प्रशिक्षण नही दिलवाना चाहिए ।		
5.	प्राथमिक स्तर पर सामान्य अध्यापक न रखकर विषयानुसार अध्यापक रखे जाने चाहिए ।		
6.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु दो वर्ष का समय होना चाहिए ।		

7. शिक्षक प्रशिक्षण में 5 विषय न होकर 6 विषय होने चाहिए ।

8. शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान कक्षा कक्ष (प्रयोग प्रशिक्षण) 40 दिन के न होकर 20–20 दिन के होना चाहिए ।

9. शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम को पूरे प्रदेश में समान होना चाहिए ।

10. मूल्याकंन का स्तर समान होना चाहिए ।

11. शिक्षको का बी0एड0 प्रशिक्षण के दौरान अध्ययनरत छात्रो के प्रति दृष्टिकोण होता है कि वो कुशल अध्यापक बने ।

12. शिक्षक अपने शिष्यो को श्रेष्ठ देखना चाहता है ।

13. अभिभावक वी0एड0 प्रशिक्षण को अध्यापक बनने की एक सीढ़ी समझता है ।

14. शिक्षार्थी बी0एड0 प्रशिक्षण को रोजगार परक शिक्षा मानते है ।

15. शिक्षार्थी बी0एड0 प्रशिक्षण प्राप्त कर समाज और देश के लिये कुशल अध्यापक बनना पसन्द करते है ।

16. वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयो में दी जाने वाली शिक्षक शिक्षा का व्यवहारिक जीवन से उचित तालमेल है ।

17. उत्तर प्रदेश की वर्तमान शिक्षक शिक्षा का स्तर अन्य विकसित देशो की शिक्षा के स्तर के अनुसार है ।

18. उत्तर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयो में शिक्षक शिक्षा के स्तर में एकरूपता होनी चाहिए ।

19. उत्तर प्रदेश के वर्तमान शिक्षक शिक्षा का ढांचा उचित है ।

20. बी0एड0 की चयन प्रक्रिया में आरक्षण नही होना चाहिए ।

21. शिक्षक शिक्षा के द्वार सभी के लिये खुले रहने चाहिए ।

22. उत्तर प्रदेश में शिक्षक शिक्षा के गुणात्मक ह्रास के लिए भाई भतीजा बाद, क्षेत्र बाद, समप्रदायवाद तथा जातिवाद उत्तरदायी है।

23. उत्तर प्रदेश के शिक्षक शिक्षा और महाविद्यालयो में बढ़ती हुई

अनुशासन हीनता का प्रमुख कारण छात्रसंध एवं अध्यापक संघ है ।

24. उ0प्र0 में उच्च शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में ह्रास का प्रमुख कारण विश्वविद्यालयो में सत्र का नियमित न होना ।

25. उ0प्र0 में वर्तमान समय में शिक्षक शिक्षा स्तर पर प्रचलित परीक्षा प्रणाली पूर्णतः उपयुक्त है ।

उत्तरदाता के स्पष्ट हस्ताक्षर...

नाम .... आयु ....

पद .... संस्था / कार्यालय का नाम ....

....

प्रशासनिक / अध्यापन अनुभव ....